रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2016/आश्विन 6, 1938
No. 359] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016/ASVINA 6, 1938

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

सं.1-सीए(5)/67/2016.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और परिषद् की रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

67वीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

प्रारंभ में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद्, चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति की वर्तमान प्रास्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि और विकास में उसकी वर्तमान भूमिका, जिसे वह वर्षों से निभा रही है, के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2015-2016 की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही आईसीएआई के उस वर्ष के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करने के साथ-साथ, परिषद् द्वारा इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के दौरान और जुलाई, 2016 की अवधि तक, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरों को भी समाविष्ट किया गया है।

1. परिषद्

तेइसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2016 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्तमान में परिषद्, 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। वर्ष 2016-2017 के लिए परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2016 को वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों/बोर्डों का गठन किया था। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 246 बैठकें आयोजित की गईं थीं।

3. संपरीक्षक

मैसर्स एएसए एसोसिएट्स, एलएलपी और मैसर्स हिंगोरानी एम. एंड कं. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे। परिषद् उनके द्वारा उसे प्रदान की गई सेवाओं की अनुशंसा करती है।

4. स्थायी समिति

4.1 कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति के कार्यक्षेत्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 में वर्णित किए गए हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय, जिनमें परिषद् को सिफारिश किए गए विनिश्चय भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे :

- सदस्य की इच्छा पर सदस्यता प्रमाणपत्र, व्यवसाय प्रमाणपत्र, उत्तीर्ण प्रमाणपत्रों और आईसीएआई के अन्य अभिलेखों में पिता के नाम के स्थान पर माता के नाम को रखे जाने की अनुमति प्रदान करना।
- आईसीएआई के साथ विदेशी छात्रों के रजिस्ट्रीकरण की सहायता करने के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय आप्रवासन ब्यूरो, चैन्नई के साथ आईसीएआई का रजिस्ट्रीकरण करना।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 57 में संशोधनों के लिए परिषद् को सिफारिश की गई थी, जिससे अवकाशों, अर्थात् शनिवार, रविवार या किन्हीं राजपत्रित अवकाशों से उद्भूत होने वाले आर्टिकलों के रजिस्ट्रीकरण के अवसान और पुन: रजिस्ट्रीकरण के बीच के किसी अंतराल को ऐसी अवधि के रूप में माना जा सके, जिसके दौरान उन्होंने वास्तविक रूप से आर्टिकल्ड सहायकों के रूप में सेवा की थी और ऐसा केवल आईसीएआई की परीक्षा में बैठने हेतु पात्रता के सीमित प्रयोजन के लिए ही होगा।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति – जो परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है – चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई थी। उक्त समिति, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के नियंत्रण एवं निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और अधीक्षण करती है।

4.3 परीक्षा समिति

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं को 2 मई, 2015 से 17 मई, 2015 के दौरान देश भर में और विदेशों में (नेपाल के सिवाय जहां भूचाल के कारण परीक्षाएं 15 जून से 29 जून, 2015 को आयोजित की गई थी) क्रमशः 414 और 302 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था। उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

मई 2015

क्रम सं.	प्रवर्ग	मध्यवर्ती (आईपीसी)		फाइनल	
		परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
I	छात्र, जो केवल समूह I की परीक्षा में बैठे	71698	5641	30027	2299
II	छात्र, जो केवल समूह II की परीक्षा में बैठे	56467	10596	35094	7306
III	छात्र, जो दोनों समूहों की परीक्षा में बैठे	58188		42847	
(क)	छात्र, जिन्होंने केवल समूह I की परीक्षा उत्तीर्ण की		7129		2480
(ख)	छात्र, जिन्होंने केवल समूह II की परीक्षा उत्तीर्ण की		293		2050
(ग)	छात्र, जिन्होंने दोनों समूहों की परीक्षा उत्तीर्ण की		4927		3538
	योग		**28586**		**17673**

इसके अतिरिक्त, बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम) संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम की परीक्षाओं का सफल आयोजन मई, 2015 में किया गया था, जिनमें कुल 42 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और 19 अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण किया था ।

इसके अलावा, सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) परीक्षाओं को 14 जून, 2015 और 13 और 27 दिसम्बर, 2015 को, विदेशों और देश भर में क्रमशः 163 और 167 नगरों में स्थित क्रमशः 443 और 382 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया गया था । उक्त सीपीटी परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी	उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी
14 जून, 2015 को आयोजित सीपीटी	128916	32619
13 और 27 दिसम्बर, 2015 को आयोजित सीपीटी	99077	34129

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं का आयोजन 2 से 24 नवम्बर, 2015 के दौरान देश भर में और विदेशों में क्रमशः 442 और 348 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था । उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाएं और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

नवम्बर 2015					
		मध्यवर्ती (आईपीसी)		**फाइनल**	
क्रम सं.	प्रवर्ग	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
I	छात्र, जो केवल समूह I की परीक्षा में बैठे	68557	5729	34973	4128
II	छात्र, जो केवल समूह II की परीक्षा में बैठे	56253	9143	33305	5101
III	छात्र, जो दोनों समूहों की परीक्षा में बैठे	50892		42469	
(क)	छात्र, जिन्होंने केवल समूह I की परीक्षा उत्तीर्ण की		7360		3196
(ख)	छात्र, जिन्होंने केवल समूह II की परीक्षा उत्तीर्ण की		199		1543
(ग)	छात्र, जिन्होंने दोनों समूहों की परीक्षा उत्तीर्ण की		2108		2440
	योग		**24539**		**16408**

इसके अतिरिक्त, प्रबंध लेखांकन पाठयक्रम (एमएसी)(भाग-1), निगम प्रबंध पाठयक्रम (सीएमसी) (भाग-1), कर प्रबंध पाठयक्रम (टीएमसी)(भाग-1), बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) की अर्हतापश्च् पाठ्यक्रम परीक्षाओं का सफल आयोजन भी नवम्बर, 2015 में किया गया था ।

वर्ष के दौरान, सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण अर्हतापश्च पाठयक्रम की परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 27 जून, 2015 को देश भर में 72 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था और एक अन्य सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 23 जनवरी, 2016 को देश भर में 75 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था । कथित निर्धारण परीक्षा का आयोजन एक बार फिर देश भर में 51 परीक्षा केंद्रों पर 20 मार्च, 2016 को सफलतापूर्वक किया । उक्त परीक्षाओं को देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
27 जून, 2015 को आयोजित आईएसए-एटी	2883 (पुराना) 762 (नया)	348 (पुराना) 272 (पुराना)

23 जनवरी, 2016 को आयोजित आईएसए-एटी	2266 (पुराना) 335 (नया)	627 (पुराना) 145 (नया)
20 मार्च, 2016 को आयोजित आईएसए-एटी	1433 (पुराना) 1766 (नया)	575 (पुराना) 195 (नया)

आईसीएआई अपनी परीक्षा प्रणालियों में, प्रश्नपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रणालियों में निरंतर रूप से सुधार करता रहा है, जिससे परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता, जो कि पिछले छह दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके।

आईसीएआई की परीक्षाएं सीए पाठयचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यवहारिक प्रयोग की जांच करती हैं जिससे छात्र अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति के पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें।

प्रश्नों की पूर्व अनुमानता की संभावनाओं को यथासंभव रूप से दूर रखते हुए छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आईसीएआई की परीक्षाएं लगातार यह सुनिश्चित करती रहीं हैं कि अर्हित छात्र सुयोग्य वृत्तिक बन सकें।

अंतरराष्ट्रीय पहलें : आईसीएआई ब्रांड द्वारा मदद के लिए हाथ बढ़ाना

विशेष परीक्षा : निम्नलिखित विदेशी वृत्तिक लेखांकन निकायों के साथ किए गए परस्पर मान्यता करारों/समझ ज्ञापनों से उद्भूत होने वाली विशेष परीक्षाओं का, जिनमें उक्त निकायों के सदस्य, जो हमारे संस्थान की सदस्यता प्राप्त करने हेतु बैठना चाहते थे, सफलतापूर्वक आयोजन 6, 7, और 9 जनवरी, 2015, 16, 17, 18, और 19 जून, 2015 और 21 और 22 जून, 2016 को नई दिल्ली में किया गया था :

1. दि इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू)
2. दि इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ आस्ट्रेलिया (आईसीए आस्ट्रेलिया)
3. दि इन्स्टीटयूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेट्स इन आस्ट्रेलिया (सीपीए आस्ट्रेलिया)
4. दि इन्स्टीटयूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेट्स इन आयरलैंड (सीपीए आयरलैंड)
5. कैनेडियन इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स (सीआईसीए)

इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने न्यूजीलैंड इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स (एनजेडआईसीए) के साथ हुए परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

उपरोक्त विशेष परीक्षा, उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन के सदस्यों के लिए खुली है।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन संस्थानों को सहयोग : परीक्षा समिति ने श्रीलंका के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और नेपाल के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान को उनकी आईएसए निर्धारण परीक्षा के संचालन के लिए तकनीकी सहायता और सहयोग उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त दि इन्स्टीटयूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेट्स इन आयरलैंड को भी भारत में उनकी परीक्षा के संचालन के लिए अवसंरचना संबंधी, प्रशासनिक और जनशक्ति संबंधी सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा गया है।

वृत्ति के लिए पहलें : घटक निर्माण संबंधी कार्यकरण

जांचकर्ताओं की नियुक्ति : मई, 2012 में आयोजित की गई परीक्षाओं से, परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए रखे गए पैनल में से आईसीएआई के किसी एक सदस्य द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस जांच में, अन्य बातों के साथ, यह जांच सम्मिलित है कि क्या सभी प्रश्नों/उपप्रश्नों का मूल्यांकन किया गया है, दिए गए अंकों को मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया गया है, कोई योग संबंधी त्रुटि तो नहीं है, आदि। उपरोक्त पुनरीक्षित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, परीक्षकों की प्रतिक्रियाएं काफी उत्साहवर्द्धक हैं। उक्त प्रक्रिया को मई, 2015 और नवम्बर, 2015 में आयोजित परीक्षाओं के लिए भी अपनाया गया था।

आईटी संबंधी पहलें : परिवर्तित होते समय के साथ आगे बढ़ते कदम

स्वचालन : कोडिंग, उपस्थिति के आंकड़ों का संग्रहण, अंकों का सुमेलन और संग्रहण (परीक्षकों द्वारा उनके मूल्यांकन के पश्चात्), उनके सारणीकरण आदि को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया के स्वचालन को मई, 2015 तथा नवम्बर, 2015 की परीक्षाओं के लिए भी जारी रखा गया था।

प्रश्नोत्तर बैंक : सामान्य प्रवीणता परीक्षा और सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर बैंकों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है ।

संप्रेक्षक वेबपोर्टल का विकास : मई, 2014 की परीक्षाओं से परीक्षा केंद्रों में नियुक्त संप्रेक्षकों से संबंधित सभी क्रियाकलापों को सुकर बनाने के लिए, जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण, आबंटित समनुदेशन के ब्यौरों का रखा जाना, स्वीकृति पत्रों/दैनिक रिपोर्टों/मानदेय के लिए दावों आदि का प्रस्तुत किया जाना है, के लिए http://observers.icaiexam.icai.org नामक एक वेबपोर्टल को विकसित और स्थापित किया गया था । इस सुविधा को मई, 2015 और नवम्बर, 2015 में आयोजित परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया था ।

परीक्षा केंद्र वेबपोर्टल का विकास : मई, 2014 की सीए परीक्षाओं के लिए, परीक्षा के दिवस को अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से संबंधित डाटा को दैनिक आधार पर आनलाइन रखने के लिए http://centres.icaiexam.icai.org नामक एक वेबपोर्टल को विकसित और स्थापित किया गया था । इस सुविधा को मई, 2015 और नवम्बर, 2015 में आयोजित परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया था ।

एनईएफटी के माध्यम से संदाय : वर्ष के दौरान परीक्षकों, परीक्षा केंद्रों, संप्रेक्षकों और अन्य संसाधन व्यक्तियों आदि को एनईएफटी के माध्यम से संदाय की स्कीम को मई, 2015 और नवम्बर, 2015 की परीक्षाओं के लिए भी जारी रखा गया था ।

छात्रों के लिए पहलें : आधारभूत कारकों को सुदृढ़ बनाना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्र इस वृत्ति का भविष्य हैं ; उनके कल्याण और सुविधा के लिए निम्नलिखित पहलें की गई थी :

पठन समय : छात्रों की परीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप अभ्यर्थियों को मई, 2011 की परीक्षाओं से, परीक्षाएं आरंभ होने के नियत समय से पूर्व चार्टर्ड एकाउंटेंट परीक्षाओं में 15 मिनट का पठन समय अनुज्ञात किया गया था, जिसे मई, 2015 और नवंबर, 2015 की परीक्षाओं में भी जारी रखा गया था ।

ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्ररूप : ऑनलाइन रूप से परीक्षा आवेदन प्ररुपों को प्रस्तुत करने और ऑनलाइन माध्यम से http://icaiexam.icai.org नामक पेमेंट गेटवे के द्वारा परीक्षा फीस के संदाय की स्कीम को वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था और इसे वर्ष 2015 के दौरान भी जारी रखा गया था । ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने परीक्षा प्ररूप ऑनलाइन माध्यम से भरने का विकल्प लिया था, आवेदन प्ररूपों की लागत का संदाय करने से छूट प्रदान की गई थी । सभी परीक्षा प्ररुपों के लगभग 98 प्रतिशत प्ररुप ऑनलाइन भरे जा रहे हैं ।

परीक्षा हेतु प्ररुप प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रविष्टियों में ऑनलाइन शुद्धियां : परीक्षा प्ररुपों को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् भी छात्रों के पास उनकी विशिष्टियों में ऑनलाइन शुद्धियां करने का एक अन्य अवसर उपलब्ध है, अर्थात् http://icaiexam.icai.org पर, जहां परीक्षा केंद्रों, समूह और माध्यम आदि में परिवर्तन करने जैसी शुद्धियां की जा सकती हैं । इस लिंक को शुद्धि विंडो कहा जाता है और इसने छात्रों को परीक्षा प्ररुपों में शुद्धियां करने के लिए संपर्क करने में समर्थ बनाया था ।

प्रवेश पत्र : नवम्बर, 2012 की सीए परीक्षाओं और दिसम्बर, 2012 की सीपीटी परीक्षाओं से संबंधित छात्रों के स्कैन किए गए फोटो और नमूना हस्ताक्षर के साथ प्रवेशपत्र को वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा को आरंभ किया गया है, जिसे मई/जून, 2015 तथा नवम्बर/दिसम्बर, 2015 की परीक्षाओं के दौरान भी जारी रखा गया था ।

सत्यापन हेतु आवेदन : नवम्बर, 2011 में हुई परीक्षाओं से, परिणामों की घोषणा के फलस्वरूप अपने अंकों के सत्यापन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को उनका अनुरोध http://icaiexam.icai.org पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है । इस सुविधा को मई, 2015 और नवम्बर, 2015 में कराई गई परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया है । उनके अनुरोधों के परिणामों को भी उसी वेबसाइट पर रखा जाता है ।

उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति : नवम्बर, 2011 में हुई परीक्षाओं से छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए और/या उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने संबंधी आवेदनों को http://icaiexam.icai.org पर ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है । इस सुविधा को मई, 2015 और नवम्बर, 2015 में कराई गई परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, सीए विनियम, 1988 के विनियम 39(4) के अधीन, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियों के लिए अनुरोध किया था, अंकों के स्वत: सत्यापन की स्कीम को नवम्बर, 2013 की परीक्षाओं से प्रारंभ किया गया था, जिसे मई, 2015 और नवम्बर, 2015 की परीक्षाओं के लिए जारी रखा गया था ।

नवम्बर, 2013 की परीक्षाओं और आगे की परीक्षाओं से, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए, जो मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रतियों का अनुरोध करते हैं, उनकी मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की स्कैन्ड प्रतियों को उस वेबसाइट पर ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जिस तक संबंधित परीक्षार्थी द्वारा एक सुरक्षित उपयोक्ता आईडी और पासवर्ड के साथ पहुंच बनाई जा सकती है।

नए परीक्षा केन्द्र : छात्रों को उनके आवास से निकटतम स्थानों पर परीक्षाएं देने के उद्देश्य से निम्नानुसार नए परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी:

सीए मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केंद्र :

(i) मई, 2015 से आगे की परीक्षाओं के लिए **:** भिवंडी और इच्छलकरंजी

(ii) मई, 2016 से आगे की परीक्षाओं के लिए **:** शिमोगा और मालाप्पुरम्

सीपीटी परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केंद्र :

(क) जून, 2016 की परीक्षा से : शिमोगा**,** मालाप्पुरम् और सतना

परीक्षा परिणाम : परीक्षा परिणाम, उनकी घोषणा के तुरंत पश्चात्, अभिहित साइट पर देखे जा सकेंगे। उनके लिए एसएमएस सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सीपीटी परीक्षा परिणाम पत्र (फोटो और हस्ताक्षर सहित) को डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

भिन्न रूप से समर्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायता : आईसीएआई अब अपने भिन्न रूप से समर्थ छात्रों को लेखक/लिपिक उपलब्ध कराता है, जिन्हें प्रति परीक्षा-पत्र 500 रुपए की दर से आईसीएआई द्वारा मानदेय का संदाय किया जाता है। पात्र लेखकों/लिपिकों का एक नगरवार पैनल हमारी वेबसाइट www.icai.org पर उपलब्ध है। भिन्न रूप से समर्थ छात्रों को उनके उत्तर लिखने हेतु कंप्यूटर उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।

"छूट" प्रास्थिति की जांच करने के लिए वेबसाइट प्रारंभ करना :

ऐसे अभ्यर्थियों को, जो परीक्षाओं में समूह में असफल रहते हैं किंतु एक या अधिक प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों से कतिपय मानदंडों के अधीन रहते हुए "छूट" प्रदान की जाती है। ऐसी छूट की प्रास्थिति को, उन्हें जारी अंकों के विवरण में उपदर्शित किया जाता है। इस संबंध में और अधिक स्पष्टता उपलब्ध कराने और अभ्यर्थियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों/संदेहों को दूर करने के लिए एक वेबसाइट http://exemption.icaiexam.icai.org का मई, 2014 की परीक्षा से विकास किया गया है और स्थापित किया गया है जिस पर ऐसे अभ्यर्थियों की प्रास्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है जो आगामी परीक्षाओं में छूट के लिए पात्र हैं। इसे मई, 2015 और नवम्बर, 2015 की परीक्षाओं के लिए भी जारी रखा गया था।

प्रतिक्रिया प्ररुप :

अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्रों के संबंध में प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के विचार से, एक प्रारूप तैयार किया गया है और उसे www.icai.org पर रखा गया है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी सीए परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के संबंध में उनकी गुणवत्ता/उन्हें हल करने में आई कठिनाईयों के संबंध में, अंतिम परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह के भीतर परीक्षा विभाग को अपनी राय दे सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित ई-मेल आईडी examfeedback@icai.org को भी तैयार किया गया है।

4.4 अनुशासन समिति

वर्ष 2006 में किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के संशोधनों के परिणामस्वरूप, आईसीएआई के अनुशासन तंत्र में, अनुशासन संबंधी मामलों के संचालन हेतु उपबंधों और प्रक्रियाओं में कतिपय महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। तदुनसार, आज की तारीख तक आईसीएआई का अनुशासन तंत्र अपने दो अर्ध-न्यायिक तंत्रों के माध्यम से अनुशासनात्मक कृत्यों का निर्वहन करता है, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन गठित किया गया है, अर्थात् (i) अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) और (ii) अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन)। इसके अतिरिक्त, जहां तक 2006 में किए गए संशोधन से पूर्व लंबित मामलों का संबंध है, धारा 21घ के अधीन सांक्रांतिक उपबंध लागू होते हैं, वहीं अनुशासन समिति धारा 21घ के अधीन, अधिनियम और तदधीन विरचित विनियमों के पूर्ववर्ती उपबंधों के निबंधनानुसार ऐसे लंबित शेष मामलों के संबंध में कार्रवाई करती है। अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन)/अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) और अनुशासन समिति (धारा 21घ के अधीन) के क्रियाकलापों के संक्षिप्त विवरण को नीचे उल्लिखित किया गया है।

ऐसे मामले, जिन पर नए अनुशासन तंत्र के अधीन कार्यवाही की जा रही है

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथम दृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर ग्यारह (11) बैठकें की थी। वर्ष के दौरान हुई इन बैठकों में, बोर्ड ने 18 मामलों, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों से संबंधित आंकड़ों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं।

अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) - 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि

(क)	अनुशासन बोर्ड द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान की गई बैठकों की संख्या	11
(ख)	ऐसे शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया और जिनमें प्रथमदृष्टया रूप से निदेशक (अनुशासन) की राय पूरी की गई थी।	185*/13
(ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिन्हें अनुशासन बोर्ड ने आगे और जांच के लिए अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया था	40/4
(घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड ने जांच पूरी कर ली थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	17/1
(ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड ने दंड दिया (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	4/3

*इनके अंतर्गत ऐसे मामले भी थे, जिन पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) नियम, 2007 के नियम 6/12 के अधीन कार्रवाई की गई थी।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची और पहली तथा दूसरी अनुसूची, दोनों के अंतर्गत आते हैं। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने देश भर के विभिन क्षेत्रों में अवस्थित स्थानों पर 28 बैठकें की थी, जो कुल मिलाकर 34 दिन चली थीं। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 94 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे। अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों से संबंधित आंकड़ों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) - 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि

(क)	अनुशासन समिति द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान की गई बैठकों की संख्या	28
(ख)	ऐसे शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया और जिनमें प्रथमदृष्टया रूप से निदेशक (अनुशासन) की राय पूरी की गई थी।	68/2
(ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना मामलों की संख्या, जिन्हें अनुशासन समिति ने आगे और जांच के लिए अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया था	63/1
(घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति ने जांच पूरी कर ली थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	78/16
(ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति ने दंड दिया (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	21/7

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, अनुशासन समिति ने पक्षकारों द्वारा आस्थगन/मुकदमेबाजी के कारण अनुशासन संबंधी मामलों के लंबित बने रहने के मुद्दे पर विचार किया था और उसके पश्चात् यह विनिश्चय किया था कि उसके समक्ष लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए ई-सुनवाई की अवधारणा को प्रारंभ किया जाए । इसके अनुसार, आईसीएआई की परिषद् ने अनुशासन संबंधी मामलों में ई-सुनवाईयों के प्रस्ताव के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों का अन्वेषण तथा मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के उपबंधों में आवश्यक संशोधन अनुमोदन हो जाने के पश्चात् इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाएगा। इस उपाय से यह आशा की जाती है कि वह, यथास्थिति, अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति द्वारा जांच की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा ।

धारा (21घ) के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है । ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले उसे परिषद् द्वारा प्रथमदृष्टया राय के आधार पर पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के अधीन निर्दिष्ट किए गए हैं, विरुद्ध अनुशासन संबंधी जांच करने के अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस समिति ने दो बैठकों का आयोजन किया था और वह उसके समक्ष लंबित चार शेष मामलों में सुनवाईयों को पूरा करने और प्रक्रियाओं में तेजी लाने का कार्य कर रही है ।

ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र के अधीन कार्यवाही की गई थी (धारा 21(घ))

1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के दौरान परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों से संबंधित आंकड़े :

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
1.	अनुशासन समिति द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या (समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित कुल मामलों में से)	-
2.	अनुशासन समिति की ऐसी रिपोर्टों की संख्या, जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया था (इनके अंतर्गत उन मामलों की रिपोर्टें भी हैं, जिन पर पूर्व वर्षों के दौरान सुनवाई की गई थी)	09
3.	उपरोक्त में से,-- (क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दोषी पाया गया था किंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त पाया गया था (ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दूसरी अनुसूची और/या अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है किंतु जिनके मामले को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है । (ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची/ अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है (घ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें मामला आगे और जांच हेतु अनुशासन समिति को वापस निर्दिष्ट किया गया है (ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को अन्य कदाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है	 01 -- -- -- 08
4.	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें ऐसे प्रत्यर्थियों के संबंध में धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित किया गया था, जिन्हें पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था	01
5.	उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या	10

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

इंड एएस 115 के आस्थगन को ध्यान में रखते हुए, सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, इंड एएस 11, संनिर्माण संविदाएं और इंड एएस 18, राजस्व को आईएफआरआईसी और एसआईसी से संबंधित परिशिष्टों तथा अन्य मानकों में पारिणामिक संशोधनों के साथ एमसीए को प्रस्तुत किया गया था । एमसीए ने उसे मूल नियम, अर्थात् कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के संशोधन के

रूप में तारीख 30.03.16 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के रूप में अधिसूचित किया था।

एमसीए ने विद्यमान लेखांकन मानक (एएस) 2, 4, 6, 10, 13, 14, 21 और 29 में, जिन्हें मूल रूप से कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित किया गया था, संशोधन के रूप में तारीख 30.03.2016 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 को भी अधिसूचित किया था।

आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) ने 'इंड एएस संपरिवर्तन सुविधा समूह (आईटीएफजी)' का गठन किया था, जो अब तैयार करने वाले व्यक्तियों, उपयोक्ताओं और अन्य पणधारियों द्वारा इंड एएस को लागू करने और/या उनके कार्यान्वयन के संबंध में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए इंड एएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति के अधीन कार्यकरण कर रहा है। इस समूह ने एएसबी के अधीन कार्य करते हुए 11 फरवरी, 2016 को आईटीएफजी स्पष्टीकरण बुलेटिन 1 जारी किया था और 9 मई, 2016 को आईटीएफजी स्पष्टीकरण बुलेटिन 2 जारी किया था।

आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) ने निम्नलिखित मार्गदर्शन टिप्पण और बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए थे :

(i) भू-संपदा संव्यवहारों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (ऐसे अस्तित्वों के लिए, जिन्हें इंड एएस लागू होते हैं)।

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न।

(iii) इंड एएस 101, भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अपनाया जाना, के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की माने जाने वाली लागत संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न।

इंड एएस का अनुसरण करने वाले अस्तित्वों के वित्तीय विवरण तैयार करने और उनके प्रस्तुतिकरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की इंड एएस – अनुरूप अनुसूची 3 को एमसीए को प्रस्तुत किया गया था। उक्त इंड एएस – अनुरूप अनुसूची 3 को एमसीए द्वारा 6 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी निम्नलिखित उदभासन प्रारूपों / परिचर्चा पत्रों के संबंध में आईएएसबी को टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी :

- 2015 कार्यसूची परामर्श : विचारों के लिए अनुरोध संबंधी टीका-टिप्पणियां
- आईएफआरएस 10 और आईएएस 28 के संशोधनों की प्रभावी तारीख संबंधी उदभासन प्रारूप
- किसी योजना संशोधन के पुन: मापमान, किसी परिभाषित फायदा योजना से निम्नीकरण या समझौता/प्रतिदाय की उपलब्धता के संबंध में उदभासन प्रारूप पर टीका-टिप्पणियां (आईएएस 19 एवं आईएफआरआईसी 14 में प्रस्तावित संशोधन)
- आईएफआरएस 15 के स्पष्टीकरणों के संबंध में उदभासन प्रारूप पर टीका-टिप्पणियां
- आईएएस 1 में प्रस्तावित संशोधनों में दायित्वों के वर्गीकरण के संबंध में उदभासन प्रारूप पर टीका-टिप्पणियां
- उचित मूल्य पर समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहबद्ध अस्तित्वों में कोट किए गए निवेशों के मापमान के संबंध में उदभासन प्रारूप पर टीका-टिप्पणियां (आईएफआरएस 10, आईएफआरएस 12, आईएएस 27, आईएएस 28 और आईएएस 36 में प्रस्तावित संशोधन और आईएफआरएस 13 के लिए दृष्टांतात्मक उदाहरण)
- प्रकटन पहलें : आईएएस 7 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में उदभासन प्रारूप पर टीका-टिप्पणियां

लेखांकन मानक बोर्ड ने इंड एएस (आईएफआरएस) क्रियान्वयन समिति के साथ संयुक्त रूप से "भारतीय लेखांकन मानक : एक पर्यावलोकन" विषय पर एक प्रकाशन का विमोचन/को अंतिम रूप प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय पहलें : आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मंचों पर भागीदारी की थी :

- आईएएसबी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह (ईईजी) की 9वीं बैठक का आयोजन 25-26 मई, 2015 को मैक्सिको सिटी में किया गया था।
- लेखांकन मानक निर्धारकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएएसएस) की एक बैठक का आयोजन 29-30 सितम्बर, 2015 को लंदन में किया गया था।
- विश्व मानक निर्धारकों की एक बैठक का आयोजन 28-29 सितम्बर, 2015 को लंदन में किया गया था।

- o सीएसी और अंतरिम एशियाई-ओशियन मानक निर्धारक समूह की एक बैठक का आयोजन 27 सितम्बर, 2015 को लंदन में किया गया था।
- o एओएसएसजी की सातवीं वार्षिक बैठक और सीएसी की बैठक का आयोजन 24-26 नवम्बर, 2015 के दौरान सियोल, कोरिया में किया गया था।
- o अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ("ईईजी") की दसवीं (10वीं) पूर्ण बैठक का आयोजन 1-2 दिसम्बर, 2015 को रियाद, सऊदी अरब में किया गया था।
- o एशिया-ओशनिया क्षेत्र में मानक निर्धारकों के लिए एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार 28 जनवरी और शुक्रवार 29 जनवरी, 2016 को टोकियो, जापान में किया गया था।
- o 'इंड एएस 115 : ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसके पश्चात् एक अर्धदिवसीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था जिसमें श्री हैनरी रीस ने आईएफआरएस 15 के संबंध में एक शैक्षणिक सत्र का संचालन किया था और इसके लिए इंड एएस 115 के कार्यान्वयन के संबंध में नई दिल्ली में एक पैनल परिचर्चा की व्यवस्था की गई थी।

विनियामक निकायों के साथ परस्पर क्रिया

लेखांकन मानक बोर्ड ने विभिन्न विनियामकों जैसे कि एमसीए, आरबीआई, सेबी, सी एंड एजी के पदधारियों से विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें की थी।

अन्य परियोजनाएं : विचाराधीन अन्य दस्तावेज

- विद्यमान लेखांकन मानकों को इंड एएस के यथासंभव समीप लाने के लिए उनका उन्नयन
- समय-समय पर भारतीय लेखांकन मानकों को अद्यतन बनाना
- गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 का अनुपालन करने वाले इंड एएस तैयार करना

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति (सीएएसएलबी) मार्च, 2005 से स्थानीय निकायों हेतु लेखांकन मानक (एएसएलबी) तैयार कर रही है। इसके अतिरिक्त, यह स्थानीय निकायों और विभिन्न पणधारियों के बीच जारी लेखांकन सुधारों के बारे में भी जागरूकता का सृजन करने में संलिप्त है।

महत्वपूर्ण क्रियाकलाप :

⇒ जारी किए गए एएसएलबी :

- 'लेखांकन के नकद आधार के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग' संबंधी एएसएलबी
- एएसएलबी 3, 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां'
- एएसएलबी 19, 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां'
- एएसएलबी 24, 'वित्तीय विवरणों में बजट संबंधी जानकारी का प्रस्तुतिकरण'
- एएसएलबी 31, 'अमूर्त आस्तियां'।

⇒ स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) के संकलन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किया गया था, जिसमें पूर्वोक्त एएसएलबी और पूर्व में जारी किए गए एएसएलबी अंतर्विष्ट थे।

⇒ 'शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लेखांकन में सुधार और लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रोदभवन प्रणाली का क्रियान्वयन' विषय के संबंध में कार्यक्रमों/सम्मेलन का आयोजन :

- बिहार के यूएलबी के पदधारियों के लिए 14-15 मई, 2016 के दौरान पटना में (शहरी विकास मंत्रालय की सलाह के अधीन)
- 8 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में नगर पालिका प्रशासन/शहरी विकास विभागों, स्थानीय निधि संपरीक्षा निदेशालयों और नगर निगमों के पदधारियों के लिए (एमओयूडी के सहयोग से)

- राजस्थान सरकार के पदधारियों के लिए 28 और 29 मई तथा 4 और 5 जून, 2016 के दौरान जयपुर में (लेखांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से)

⇒ निम्नलिखित के संबंध में तकनीकी टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई

- अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक (आईपीएसएएस) बोर्ड के दस्तावेजों :
  - उदभासन प्रारूप 56, 'आईपीएसएएस का लागू होना'
  - 'सामाजिक फायदों की मान्यता और मापमान संबंधी परामर्श पत्र'
- शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) के दस्तावेजों :
  - लेखांकन के नकद आधार के अधीन संनिर्माण संबंधी संविदाओं पर परिचर्चा पत्र
  - आईजीएएस 4 का उदभासन प्रारूप, 'सरकार के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरण'
  - आस्ति सलाहकार प्ररूप

5.3 संपरीक्षा समिति

आईसीएआई की संपरीक्षा समिति का गठन परिषद् द्वारा शासित है। संपरीक्षा समिति की आईसीएआई रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटन का पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं। संपरीक्षा समिति 5 प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों के माध्यम से प्रचालन करती है, जो उसकी प्रादेशिक परिषदों में अवस्थित हैं।

5.4 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

- बोर्ड ने अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले थे, उदाहरणार्थ संपरीक्षा उदघोषणाओं की हैंडबुक 2015 संस्करण, कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण 2016 संस्करण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अधीन कपट के संबंध में रिपोर्टिंग संबंधी पुनरीक्षित मार्गदर्शन टिप्पण, एसए 300 संबंधी क्रियान्वयन गाइड, वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा की योजना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(च) और (ज) के अधीन रिपोर्टिंग संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण।
- बोर्ड ने देश भर में लेखांकन मानकों और संपरीक्षा के पहलूओं के संबंध में अनेकों जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों का आयोजन हुबली, हैदराबाद, कटक, कोलकाता, तिनसुकिया, आगरा, त्रिपुर, वापी, सिलिगुडी, रांची, जलगांव, विशाखापट्नम, चंडीगढ़, बरेली, विजयवाड़ा, दिल्ली, धुले, कोयम्बटूर, डिब्रूगढ़, एर्नाकुलम, जोधपुर, इंदौर, जयपुर, रायपुर, उदयपुर, तुतीकोरिन, सूरत, चेन्नई, राजकोट और ब्यावर में किया गया था।
- बोर्ड ने निम्नलिखित मानक जारी किए थे :
  - पुनरीक्षित एसए 260, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क, जो शासन के प्रभारी हैं।
  - पुनरीक्षित एसए 570, गोयिंग कंसर्न।
  - पुनरीक्षित एसए 610, आंतरिक संपरीक्षकों के कार्य का उपयोग करना।
  - पुनरीक्षित एसए 700, वित्तीय विवरणों के संबंध में राय बनाना और उन पर रिपोर्ट करना।
  - नया एसए 701, स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख संपरीक्षा संबंधी विषयों की सूचना देना।
  - पुनरीक्षित एसए 705, स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में राय में उपांतरण।
  - पुनरीक्षित एसए 706, स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में मामला पैराओं और अन्य मामला पैराओं पर बल देना।
  - पुनरीक्षित एसआरई 2400, ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के लिए नियोजन।
  - पुनरीक्षित एसआरएस 4410, संकलन नियोजन।
  - एसएई 3420, किसी अनुक्रमणिका में सम्मिलित निदर्शन-पत्र वित्तीय जानकारी के संकलन के संबंध में रिपोर्ट के लिए आश्वासन नियोजन।
- बोर्ड ने सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित उदघोषणाएं जारी की थी :
  - चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने की रीति।

- o सीएआरओ 2003 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अतिरिक्त रिपोर्टिंग ।
- o 1 अप्रैल, 2014 से पूर्व आरंभ होने वाले लेखांकन वर्षों के लिए किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में संपरीक्षक की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ।
- o कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (सीएआरओ, 2015) के अधीन रिपोर्टिंग संबंधी मार्गदर्शन और किसी कंपनी के संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्ररूप में पारिणामिक संशोधन ।
- o कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समेकित वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट ।

- ➢ अध्यक्ष, एएएसबी ने मई, 2015 और जून, 2016 में न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड – राष्ट्रीय मानक निर्धारकों की वार्षिक बैठकों (आईएएएसबी-एनएसएस बैठकें) में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था ।
- ➢ अध्यक्ष, एएएसबी ने सितंबर, 2015, दिसंबर, 2015 और जून, 2016 में न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) की बैठकों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था ।
- ➢ बोर्ड ने प्रस्तावित कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का प्रारूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया था ।

5.5 बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति

- अध्यक्ष, पीएफआरडीए के साथ, पीएफआरडीए की विभिन्न पेंशन स्कीमों के प्रबंध में अंतर्वलित विभिन्न मध्यवर्तियों की सुचारू मानीटरी और अनुपालन प्रबंध प्रणाली स्थापित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था ।
- 22 मई, 2015 को बैंककारी, बीमा और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए संयुक्त सचिव (बैंककारी), वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था ।
- आईआरडीए (निवेश) विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श करने के लिए 15 जुलाई, 2015 को संयुक्त निदेशक आईआरडीएआई के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक बुलाई गई थी ।
- 7 जून, 2016 को एशियन डवेलेपमेंट बैंक के वरिष्ठ वित्तीय नियत्रंण अधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था ।
- समिति के अध्यक्ष को पीएफआरडीए की पेंशन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था ।
- 18 अगस्त, 2015 को मुंबई में आईआरडीएआई के साथ संयुक्त रूप से "बीमा क्षेत्र की संभावनाओं को उपयोग में लाना" विषय पर एक सभा का आयोजन किया गया था ।
- 14 मई, 2016 को नई दिल्ली में "परियोजना मूल्यांकन, वित्तपोषण और नियंत्रण" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था ।
- समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 18 अप्रैल, 2016 को मुंबई में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर द्वारा आयोजित आठवें बैंककारी और वित्त सम्मेलन के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया था ।
- समिति ने इस अवधि के दौरान बैंककारी, बीमा और पेंशन के क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर पांच वेबकास्टों का आयोजन किया था ।
- समिति के सहयोग से देश के भिन्न-भिन्न भागों में आईसीएआई की शाखाओं द्वारा पांच बीमा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।
- 7 जुलाई, 2016 तक बीमा और जोखिम प्रबंध में अर्हता-पश्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 4873 सदस्य रजिस्ट्रीकृत थे ।
- समिति ने इस अवधि के दौरान डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सदस्यों के लिए अनुकूलन कार्यक्रमों के चार बैचों का आयोजन किया था ।

5.6 व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति आईसीएआई की एक अस्थाई समिति है । समिति का उद्देश्य सदस्यों और सीए फर्मों की, सीए फर्मों की नेटवर्किंग और समामेलन के माध्यम से और साथ ही एलएलपी की स्थापना और व्यवसाय के निगम रूप (एमसीएस) की स्थापना करके, उनकी वृत्तिक दृढ़ता को मजबूत बनाकर उनके व्यवसाय पोर्टफोलियो को पुन: जीवित करना है । यह

समिति ज्ञान के आदान-प्रदान और उसे अद्यतन बनाने हेतु भी एक मंच उपलब्ध कराती है। व्यवसाय में लगे सदस्यों का समर्थन करने के लिए समिति ने आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक लागतों पर संपरीक्षा और लेखांकन साफ्टवेयर, एंटी वायरस प्रोटेक्शन साफ्टवेयर, चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा, वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा और उधार स्कीमों की व्यवस्था की थी।

समिति ने हाल ही में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अधीन आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों को अत्याधिक रियायती कीमत पर और विभिन्न वैकल्पिक विशिष्टियों के साथ मोटर यान बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

समिति अपनी आवधिक बैठकों में अपनी सभी व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन करती है। 1.4.2015 से 7.7.2016 की अवधि के दौरान समिति ने दो बैठकें की थी, अर्थात् 16 जनवरी, 2016 को अपनी 32वीं बैठक और 9 मार्च, 2016 को अपनी 33वीं बैठक और यह विनिश्चय किया था कि सदस्यों के लिए भिन्न-भिन्न अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, अर्थात् रियायती दर पर माइक्रोसाफ्ट पैकेज की उपलब्धता, क्रेडिट कार्ड सुविधा और साथ ही सदस्यों और छात्रों के लिए वृत्तिक ऋण स्कीमें।

ज्ञान के आदान-प्रदान और उसे अद्यतन बनाने के लिए समिति देश भर में विभिन्न वृत्तिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करती है। समिति ने आईसीएआई की शाखाओं के माध्यम से 20 संगोष्ठियों, 14 कार्यशालाओं और 2 आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है। समिति ने विभिन्न प्रकाशन भी निकाले हैं, उदाहरण के लिए वाणिज्यिक अधिनियमों पर आईसीएआई नालेज बैंक डीवीडी और कर विधियां, 2015।

सीए फर्मों और व्यवसाय में लगे सदस्यों के समेकन का संवर्धन करने के उद्देश्य से समिति ने व्यवसाय की नेटवर्किंग, आमेलन और व्यवसाय के निगम रूप संबंधी दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने और साथ ही अन्य विभिन्न सिफारिशों का प्रस्ताव किया है जिससे भारतीय सीए फर्मों की वैश्विक ब्रांड छवि निखर सके।

5.7 सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति

आईसीएआई ने अपनी सीपीई समिति के माध्यम से सदैव अपने सदस्यों को ऐसे वृत्तिक और प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों के संबंध में, जो इस परिवर्तनशील आर्थिक वातावरण में पूरे विश्व में निरंतर हो रहे हैं, जागरुक बनाने तथा उनसे अवगत कराने का प्रयास किया है और यह प्रक्रिया कक्षा पठन, ई-पठन पद्धति, घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रम, वेबकास्ट, जागरुकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों, आदि के माध्यम से पूरी की जाती है।

वैश्विक अपेक्षाओं से कदम मिलाकर चलने के लिए अब सीपी अपेक्षाओं को आईसीएआई के सभी सदस्यों, चाहे वे व्यवसाय में हों अथवा सेवारत हों, के लिए आज्ञापक बना दिया गया है और इस प्रणाली की मानीटरी और प्रबंध वैज्ञानिक रूप से किया जाता है।

पुनरीक्षित सीपीई विवरण को, जो वैश्विक अपेक्षाओं और व्यवहारों के अनुरूप है, पुनरीक्षित किया गया है और वह 1 जनवरी, 2017 से लागू होगा। असंरचित सीपीई प्रत्यय के लिए स्व:घोषणा को आनलाइन रूप से प्रस्तुत किए जाने को भी कार्यान्वित किया गया है। सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षाओं को पुनरीक्षित किया गया है, जो निम्नानुसार है :

प्रवर्ग	**विद्यमान (सीपीई घंटे) 31.12.2016 तक**	**पुनरीक्षित (सीपीई घंटे) (01.01.2017 से प्रभावी)**
अ. सीओपी धारण करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है) (सिवाय उनके, जो विदेश में रह रहे हैं)	90 (संरचित – 60 घंटे & असंरचित 30 घंटे)	120 (संरचित – 60 घंटे & असंरचित 60 घंटे)
आ. सीओपी धारण न करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है) और जो विदेश में रह रहे हैं (चाहे वे सीओपी धारण कर रहे हैं अथवा नहीं)	45 संरचित या असंरचित (सदस्य की इच्छानुसार) [10+10+10]+15 तीन वर्ष के ब्लॉक में किसी भी समय	60 संरचित या असंरचित (सदस्य की इच्छानुसार) [15+15+15]+15 तीन वर्ष के ब्लॉक में किसी भी समय

इ. सीओपी धारण करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक है)	70 संरचित या असंरचित (सदस्य की इच्छानुसार) [10+20+20]+20 तीन वर्ष के ब्लॉक में किसी भी समय	90 संरचित या असंरचित (सदस्य की इच्छानुसार) [20+20+20]+30 तीन वर्ष के ब्लॉक में किसी भी समय

वैश्विक सत्ता बनना

सीपीई कार्यक्रम आयोजक ईकाईयों (पीओयू) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से 20 सीपीई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरों/संगोष्ठियों का आयोजन श्रीलंका, दुबई, बैंकाक, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन, मकाऊ, मलेशिया, थाइलैंड, हांगकांग, पटाया और बैंकाक, ताशकंद, प्रागु और भूटान में किया गया था।

ब्रांड और क्षमता निर्माण

सीपीई राष्ट्रीय लाइव वेबकास्ट

सीपीई समिति द्वारा वृत्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विभिन्न विषयों पर 14 राष्ट्रीय लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था। उनकी रिकार्डिंग और सामग्री icaitv.com पर उपलब्ध हैं। रिकार्ड की गई सीडी को प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, अध्ययन सर्कलों, चैप्टरों आदि को भेजा गया था ताकि वे उनका उपयोग कर सकें और वे सीपीईसी सचिवालय में भी उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण आयोजन

अप्रैल, 2015 के पश्चात् से सीपीई समिति द्वारा 54 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनकी मेजबानी देश के भिन्न-भिन्न भागों में आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों /शाखाओं द्वारा की गई थी।

सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों द्वारा सदस्यों के लिए देश भर में 13,620 से अधिक सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

आईसीएआई की केंद्रीय समितियों के माध्यम से सदस्यों के लिए आईसीएआई के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से संबंधित 207 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

सीपीई अनुकूलन कार्यक्रमों का आयोजन

वर्ष 2015-16 के दौरान, सीपीई कार्यक्रमों में सर्वोत्तम व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए और उन्हें अधिक प्रभावी तथा उपयोक्ता मित्र बनाने के लिए दो अनुकूलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

नई सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) को प्रारंभ करना

सीपीईसी द्वारा मुफसिल/दुरस्थ स्थानों में अवस्थित सदस्यों को उनके निकट स्थानों पर सीपीई क्रियाकलापों में भाग लेने में सहायता करने के लिए 18 और सीपीई पीओयू आरंभ किए गए थे, जिससे उनकी कुल संख्या 595 हो गई है।

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

पांच घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों (आईएचईडीपी) का आयोजन किया गया था :--

- 9 से 11 सितंबर, 2015 के दौरान आईआईपीएम, गुडगांव में आईओसीएल के पदधारियों के लिए "इंड एएस" विषय पर एक तीन दिवसीय कार्यक्रम।
- 30 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2015 के दौरान आईओसीएल परिसर, मुंबई में आईओसीएल के पदधारियों के लिए "इंड एएस" विषय पर एक दो दिवसीय कार्यक्रम।
- 28-29 अक्तूबर, 2015 के दौरान आईओसीएल परिसर, कोलकाता में आईओसीएल के पदधारियों के लिए "इंड एएस" विषय पर एक दो दिवसीय कार्यक्रम।
- 6-7 जनवरी, 2016 के दौरान आईओसीएल परिसर, चेन्नई में आईओसीएल के पदधारियों के लिए "इंड एएस" विषय पर एक दो दिवसीय कार्यक्रम।
- 29 फरवरी से 2 मार्च, 2016 के दौरान मुंबई में ओएनजीसी के पदधारियों के लिए "पूंजी बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंध" विषय पर एक तीन दिवसीय कार्यक्रम।

समाज की सहायता करना – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

- सीपीई पीओयू द्वारा देश के विभिन्न भागों में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी 25 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- पिछले एक मास के दौरान सीपीई पीओयू द्वारा आय घोषणा स्कीम (आईडीएस), 2016 के संबंध में 118 से अधिक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। अधिकाधिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रयास किया गया था जिससे सरकार के इस प्रयास को सफल बनाया जा सके।
- 21 जून, 2016 को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में तनाव प्रबंध, जीवन शैली प्रबंध विषयों पर 12 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जहां योग ही जीवन है, कार्य जीवन संतुलन आदि विषयों पर बल दिया गया था। 3 जून, 2016 को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संबंधी एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम संबंधी एक वृहत्त आयोजन किया गया था।

प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को उपलब्ध वित्तीय सहायता

प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को अधिकाधिक सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन करने, विशेषकर छोटी शाखाओं को इन कार्यक्रमों का आयोजन करने में प्रोत्साहित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया था कि सीपीई समिति के तत्वावधान में सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए केवल पात्र कमी की दशा में पात्र कमी या अनुज्ञेय अनुदान की वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हों, निम्नलिखित वित्तीय सहायता/अनुज्ञेय अनुदान आरंभ किया जाए :--

राष्ट्रीय कार्यक्रम		
भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	**एक दिवसीय कार्यक्रम**	**दो दिवसीय कार्यक्रम**
200 - 400	70,000/- रुपए	1,00,000/- रुपए
401 - 750	1,00,000/- रुपए	1,50,000/- रुपए
750 से अधिक	1,50,000/- रुपए	2,50,000/- रुपए

गैर-राष्ट्रीय कार्यक्रम			
भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	**एक दिवसीय कार्यक्रम**	**दो दिवसीय कार्यक्रम**	**अर्ध-दिवसीय कार्यक्रम (न्यूनतम तीन घंटे)**
100 से कम	30,000/- रुपए	50,000/- रुपए	20,000/- रुपए
100 – 200	40,000/- रुपए	60,000/- रुपए	25,000/- रुपए
200 से अधिक	65,000/- रुपए	80,000/- रुपए	35,000/- रुपए

आवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (न्यूनतम 25 भाग लेने वाले व्यक्ति)	
दो दिन के लिए - 75,000/- रुपए या 2,000 रुपए प्रति भाग लेने वाला व्यक्ति, जो भी कम हो	तीन दिन के लिए – 1,25,000/- रुपए या 3,000 रुपए प्रति भाग लेने वाला व्यक्ति, जो भी कम हो

ई-सीएलए (निगम विधि सलाहकार) के लिए मैसर्स prolinc.in के साथ परस्पर समझ ज्ञापन

सीपीई समिति ने 1 जुलाई, 2016 से तीन वर्ष के लिए मैसर्स prolinc.in के साथ एक परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अधीन सदस्यों को वृत्तिक शिक्षा के लिए ई-सीएलए (निगम विधि सलाहकार का इलैक्ट्रानिक पाठ) को, आनलाइन डिस्कवरी प्लेटफार्म प्रोलिंक (www.prolinc.in) के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वृत्तिक अपने ग्राहकों से जुड़े रह सकेंगे और यह सुविधा निम्नलिखित विशेष रियायती कीमत (+सेवाकर) पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे कंपनी द्वारा सीधे सदस्यों से प्रभारित किया जाएगा, इस सुविधा की एक वर्ष के लिए कंपनी की समेकित कीमत 9500 रुपए (+ सेवाकर है) :--

प्रथम वर्ष के लिए – 1,000 रुपए प्रतिवर्ष (+सेवाकर)
द्वितीय वर्ष के लिए – 1,150 रुपए प्रतिवर्ष (+सेवाकर)
तृतीय वर्ष के लिए – 1,350 रुपए प्रतिवर्ष (+सेवाकर)

यह जर्नल सदस्यों को निगम और कारबार विधियों के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत कंपनी विधि, प्रतिभूति विधि, सेबी विधि, विदेशी मुद्रा विधि, बैंककारी, एनबीएफसी, सरफासी, सिका, प्रतिस्पर्धा विधि, एलएलपी, सूचना का अधिकार, माध्यस्थम्, व्यापार चिन्ह, विन्यास, प्रतिलिप्याधिकार, आईआरडीए, सूचना प्रौद्योगिकी, धनशोधन, बीमा आदि आते हैं, कहीं भी और किसी भी समय पहुंच के द्वारा अद्यतन बनाए रखेगा ।

ईसीएलए, प्रोलिंक की विशिष्टियां और अन्य ब्यौरे www.cpeicai.org पर उपलब्ध हैं ।

सीपीई पोर्टल का सुधार

सीपीई पोर्टल (www.cpeicai.org) को पूर्ण रूप से सुधारा गया, जिससे इसे और अधिक संतुलित, उपयोक्ता और मोबाइल मित्र बनाया जा सके । इस नए पोर्टल में निम्नलिखित प्रमुख विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं :

- असंरचित पठन के अधीन सीपीई घंटों का दावा करने के लिए ब्यौरों को आनलाइन अपलोड करना ।
- क्षेत्रवार, पीओयूवार, नगरवार, विषयवार, तारीखवार आदि कार्यक्रमों को ढूंढने के लिए प्रावधान ।
- संबंधित सदस्यों को, उनके द्वारा चुने गए संबंधित पीओयू में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में एसएमएस अलर्ट । सदस्यों के पास ऐसे अलर्टों से इंकार करने का विकल्प होगा ।
- सदस्यों को उनके द्वारा अर्जित सीपीई घंटों के ब्यौरे एसएमएस और साथ ही ई-मेल के माध्यम से संप्रेक्षित किए जाएंगे । सदस्य प्रत्येक त्रिमास में सीपीई घंटों की कमी के संबंध में अनुस्मारक प्राप्त करेंगे ।
- पदधारियों के ब्यौरों के साथ पीओयू पृष्ठों सहित आयोजन स्क्रीनों का पुन: विकास ।
- सदस्यों को एक बटन दबाकर कहीं भी और किसी भी समय विभिन्न विषयों पर विख्यात वक्ताओं/व्यक्तित्वों के ई-पठन माडयूल, वेबकास्ट, वीडियो आख्यान उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करना ।
- आईसीएआई की ऐप के साथ जोड़ना, जिससे सदस्य कहीं भी और किसी भी समय आगामी सीपीई कार्यक्रमों को – अवस्थान, पीओयू/विषयवार उनकी अपनी पसंद के अनुसार ढूंढ सके और साथ ही सूचीबद्ध सूचनाओं को भी प्राप्त कर सकें । सदस्यों को उनकी अपनी पसंद के अनुसार पांच पीओयू का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा ।
- सदस्य, आईसीएआई मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से अपने सीपीई घंटों के प्रत्यय के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

अन्य पहलें

- आईसीएआई के सभी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रदान किए गए सीपीई घंटों का सुव्यवस्थीकरण किया गया था और आईसीएआई के अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीपीई घंटे प्रदान किए जाने के व्यवहार को प्रारंभ किया गया था ।
- कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) के लिए सीपीई मैनुअल जारी किया गया था जिसमें परिषद् और सीपीई समिति द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शन, संनियम, निदेश आदि अंतर्विष्ट हैं ।
- वर्ष 2016-17 के लिए विषयों से संबंधित सीपीई कलैंडर को अंतिम रूप प्रदान किया गया था जिसमें वृत्तिक दिलचस्पी के विभिन्न क्षेत्रों पर 660 से अधिक विषय अंतर्विष्ट थे ।
- त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर "सीपीई बुलेटिन" को निकाला गया, जिससे हाल ही की ऐसी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके, जो समिति द्वारा की गई हैं और उसे सदस्यों, पीओयू और अन्यों की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था ।
- सीपीई पीओयू द्वारा नियोजित सीपीई संसाधन व्यक्तियों के राष्ट्रीय डेटा बेस (विषयवार) को अद्यतन किया गया है और सीपीई पीओयू के उपयोग के लिए उनके संपर्क के ब्यौरों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है और वह सीपीई पोर्टल और आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

5.8 निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति

निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति, वृत्ति के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और उसका उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ एक समुचित निगम व्यवस्था को सुकर बनाना है । समिति नियमित रूप से मार्गदर्शन टिप्पण, पृष्ठभूमि सामग्री, रिपोर्टें, निगम विधियों के संबंध में व्याख्या और प्रतिनिर्देशों को तैयार करती है और जारी करती है । समिति निगम विधियों

और उनके अधीन जारी नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं, स्कीमों, अनुसूचियों की वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों की तुलना में समीक्षा करती है और सरकार के संबद्ध मंत्रालयों को उपयुक्त अभ्यावेदन/ सुझाव प्रस्तुत करती है और इस प्रकार विधि बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी करती है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. **कंपनी अधिनियम, 2013 :** कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्वलित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।

- **वर्ष 2015-16 के दौरान -** ऐसे संशोधनों/उपांतरणों/स्पष्टीकरणों के संबंध में सुझाव, जो वृत्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अधीन सीएसआर क्रियान्वयन और मानीटरी के संबंध में मुंबई में कंपनी विधि बोर्ड को फाइल किए जाने, कपट रिपोर्टिंग, कंपनी अधिनियम के अधीन शास्तियों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की रिपोर्टिंग, नातेदार की परिभाषा, भारत में कारबार करने की सुगमता – कंपनी अधिनियम में अपेक्षित परिवर्तनों संबंधी अभ्यावेदन, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्ररूप एओसी–4 और एमजीटी-7 में सुधार के लिए सुझाव, भारत में कारबार करने की सुगमता – में सुधार करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्राइवेट कंपनियों को छूट दिए जाने संबंधी टिप्पण, कंपनी अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों और एसएमई से संबंधित मुद्दों के संबंध में सुझाव, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्ररूप एमजीटी-7 (वार्षिक विवरणी को फाइल करना) के नए पाठ को सम्यक् रूप से प्रमाणित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अनुज्ञा दिए जाने संबंधी सुझाव आदि।
- **वर्ष 2016-17 के दौरान –** कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट के संबंध में आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए, एमसीए को अतिरिक्त फीसों, यदि उन्हें एमसीए – 21 आनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल में किसी तकनीकी बाधा के कारण दस्तावेजों को फाइल करने में हुए विलंब के कारण उदगृहीत किया जाता है, को माफ करने के लिए अनुरोध किया, एमसीए को सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों के लिए एक सुगम एग्जिट स्कीम/एलएलपी समझौता स्कीम आरंभ करने का अनुरोध, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के प्रारूप नियमों के संबंध में आईसीएआई के सुझाव, दमन का निवारण और प्रबंध तथा समझौते, समामेलन और ठहराव, धारा 73(2)(घ) के अनुसार निक्षेप स्वीकार करने के लिए निक्षेप बीमा संविदा की अपेक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सुझाव, एचयूएफ/कर्ता किसी सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार/पदाभिहित भागीदार बन सकता है, के संबंध में सुझाव, एमसीए 21 आनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल में आने वाली कठिनाईयों और किसी कंपनी के सृजन में आने वाली कठिनाईयों के संबंध में, प्ररूप फाइल करने की अंतिम तारीख तक ई-प्ररूपों के पाठ में होने वाले निरंतर परिवर्तनों और एमसीए 21 पोर्टल पर पूर्व वर्ष के ई-प्ररूपों के उपलब्ध न होने के संबंध में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू होने (धारा 143(3)(i)) के लिए कार्ययोजना के संबंध में, सीएआरओ, 2016 की अपेक्षा के अनुरूप सीएफएस पर संपरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संबंधी रिपोर्टिंग के लागू न होने के संबंध में सुझाव।
- समिति नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के संबंध में सुझाव, अंतर्निवेश, ढांचागत परिवर्तनों के संबंध में सुझाव उपलब्ध कराती है और इस प्रकार वह विधि बनाने की प्रक्रिया का भाग है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के सुचारू क्रियान्वयन के लिए नियमित रूप से मंत्रालय के साथ परस्पर क्रियाएं करती है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रम : समिति ने आईसीएआई के सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के संबंध में होने वाली नवीनतम घटनाओं/परिवर्तनों/संशोधनों से सुसज्जित करने और अवगत कराने के लिए देश भर में परस्पर क्रियाशील बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबकास्टों, कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित अद्यतन जानकारी के संबंध में संगोष्ठियों और सम्मेलनों के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके एक पहल की है।

3. निदेशकों के लिए दो दिवसीय अनुप्रमाणन कार्यक्रम की श्रृंखला : समिति निदेशकों के लिए अनुप्रमाणन कार्यक्रम की श्रृंखला का आयोजन कर रही है। आज की तारीख तक देश भर में ऐसे पांच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में बुलेटिन : समिति सदस्यों के फायदे के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में बुलेटिनों की एक श्रृंखला निकाल रही है, जिसकी 19 श्रृंखलाएं जारी की जा चुकी हैं, जिन्हें आईसीएआई के नालेज गेटवे पर अपलोड किया गया है।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण : समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण जारी किया है।

6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियम 2016 के संबंध में सुझावों को प्रस्तुत करना : समिति ने बीमा सलाहकार समिति के अनुरोध पर आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के लिए निगम शासन) विनियम, 2016 के संबंध में अपने विचार/सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

7. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में भारत के विधि आयोग की सातवीं रिपोर्ट पर सुझावों को प्रस्तुत करना : समिति ने भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में भारत के विधि आयोग की सातवीं रिपोर्ट पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

8. सचिवीय मानकों (एसएस 1 और एसएस 2) में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को सुझाव प्रस्तुत करना : समिति ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अनुरोध पर सचिवीय मानक-1 (निदेशक बोर्ड की बैठकें) और सचिवीय मानक-2 (साधारण बैठकें) पर प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निम्नलिखित अध्यायों/नियमों के ई-प्ररूपों के संबंध में आईसीएआई के सुझाव : समिति ने हाल ही में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, जो सुसंगत नहीं हैं या प्रकृति में द्वितीय हैं, ई-प्ररूपों का पुनर्विलोकन किया है। विद्यमान ई-प्ररूपों को और अधिक उपयोक्ता मित्र बनाने और ऐसे प्ररूपों को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है या जिनसे संबंधित जानकारी को पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, समाप्त करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।

10. अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों के आधार पर मूल्यांकन मानक तैयार करना : समिति आईवीएससी द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों के आधार पर मूल्यांकन मानक तैयार करने के लिए प्रक्रियाएं कर रही हैं, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों का अभिसरण और भारतीयकरण किया जा रहा है।

11. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के संबंध में संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक सुनवाई : दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के संबंध में सुझावों पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी माननीय संयुक्त समिति के समक्ष आईसीएआई के प्रतिनिधियों की मौखिक सुनवाई की गई थी।

12. वित्त संबंधी माननीय संसदीय स्थायी समिति के समक्ष मौखिक सुनवाई : कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की परीक्षा के संबंध में आईसीएआई के प्रतिनिधियों की मौखिक सुनवाई वित्त संबंधी माननीय संसदीय स्थायी समिति के समक्ष की गई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों से संबंधित मुद्दों और चिंताओं के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को भी वित्त संबंधी माननीय संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

13. मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : समिति ने अभी तक मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 62 बैचों का संचालन किया है। आज की तारीख तक 3000 सदस्यों ने स्वयं को इस पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति ने इस पाठ्यक्रम के 9 बैचों का संचालन किया था।

5.9 प्रत्यक्ष कर समिति

किए गए क्रियाकलाप

क. सीबीडीटी को अभ्यावेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं

समिति समय-समय पर सीबीडीटी को विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत करती रही है। सीबीडीटी को अभ्यावेदित विषयों में से कुछ इस प्रकार है : आईटीआर प्ररूपों के संबंध में सुझाव ; ई-टीडीएस/टीसीएस आरपीयू (पाठ 4.2) को अद्यतन बनाना ; ब्यौरेवार द्विशाखन के साथ निर्धारण वर्ष 2010-11 ; 2011-12 ; 2012-13 ; 2013-14 और 2014-15 के लिए कर संपरीक्षा डाटा को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध ; इंड एएस के क्रियान्वयन के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के उपबंधों में किए जाने वाले संशोधन ; बकाया मांग सत्यापन पोर्टल के संबंध में प्रतिक्रियाएं ; धारा 200क के अधीन जारी मांग सूचनाओं में 31.05.2015 तक धारा 234ङ के अधीन फीस को अपवर्जित करना ; नियम 37खख और संबद्ध प्ररूपों में पारिणामिक संशोधन करना ; प्ररूप 26थक में आनलाइन रूप से त्रुटियों को दूर करने को समर्थ बनाना ; 'काला धन (अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015' के संबंध में सुझाव ; महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में स्टाम्प शुल्क के पुनरीक्षण के कारण किसी निर्धारिती के सामने आने वाली कठिनाईयों ; तमिलनाडु राज्य के लिए अग्रिम कर की किस्त जमा करने के लिए अंतिम तारीख को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन ; आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) से संलग्न स्पष्टीकरण में "अकाउंटेंट" की परिभाषा को संशोधित करने के लिए भारतीय लागत लेखापाल संस्थान द्वारा प्रस्तुत तारीख 20.11.2015 के ज्ञापन की प्रतिक्रिया में अंत:निवेशों/टीका-टिप्पणियों के रूप में अभ्यावेदन ; आईसीडीएस के आस्थगन के लिए वित्त मंत्री/सीबीडीटी को किए गए अभ्यावेदन ; आईसीडीएस के उपबंधों का अनुपालन

सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान कर संपरीक्षा प्ररूप संख्या 3गघ में उपांतरण/पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करना ; धारा 206ग(1घ) और धारा 206ग(1च) में स्पष्टीकरणों की ईप्सा करने संबंधी मुद्दे को प्रस्तुत करना ; "आय घोषणा स्कीम, 2016" और "प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016" से संबंधित मुद्दे को प्रस्तुत करना ।

ख. संघीय बजट से संबंधित क्रियाकलाप

संघीय बजट 2016-17 को 29 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत किया गया था । तदुपरांत समिति द्वारा एक बजट दर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया था और साथ ही संघीय बजट 2016-17 संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था जिसे भिन्न-भिन्न सीबीडीटी पदधारियों द्वारा संबोधित किया गया था । संघीय बजट में सम्मिलित प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों के संबंध में लेखों को सीए जर्नल के विशेष बजट अंक में प्रकाशित किया गया था । संघीय बजट 2016-17 में सम्मिलित प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की महत्वपूर्ण विशिष्टियों और स्नेपशाट को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था । हमें यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि प्रत्यक्ष करों से संबंधित आईसीएआई के 17 सुझावों पर वित्त विधेयक, 2016 में विचार किया गया था ।

समिति ने वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व ज्ञापन 2016 और बजट-पश्च ज्ञापन 2016 प्रस्तुत किया था । उन्हें सदस्यों की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था ।

ग. अन्य पहलें

"इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड और ई-फाइलिंग वाल्ट-करदाताओं की सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही की पहलें" शीर्षक और "वित्त विधेयक, 2016 से वित्त अधिनियम, 2016 तक महत्वपूर्ण परिवर्तन : प्रत्यक्ष कर" शीर्षक वाले लेखों को प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें क्रमश: चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के जून, 2016 और जुलाई, 2016 अंकों में प्रकाशित किया गया था ।

घ. संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं

समिति ने इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों से संबंधित विषयों पर 14 संगोष्ठियों/कर जागरुकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया था । काला धन (अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 – अनुपालन विंडो, विधिक और प्रक्रियात्मक मुद्दे तथा मामला अध्ययनों संबंधी एक वेबकास्ट का भी आयोजन किया गया ।

ङ. आय घोषणा स्कीम, 2016 का संवर्धन

भारत सरकार ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह आय घोषणा स्कीम (आईडीएस), 2016 के संबंध में सदस्यों और पणधारियों के बीच जागरुकता का सृजन करे तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करे । तदुनसार, एक समर्पित पोर्टल idshelpline.icai.org को विकसित किया गया है, जिसके द्वारा सदस्य स्कीम के संबंध में होने वाली शंकाओं को प्रस्तुत कर सकते है तथा जिनका उत्तर विशेषज्ञ पैनलबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं । यह पोर्टल आय घोषणा स्कीम, 2016 के संबंध में सभी जानकारियां भी उपलब्ध कराता है । आईडीएस, 2016 के संबंध में पृष्ठभूमि सामग्री हेतु पीआर समिति को अंत:निवेश उपलब्ध कराए गए हैं । 1.7.2016 को 67वें सीए दिवस के अवसर पर, इस स्कीम को आरजे उल्लेखों (रेडियो अभियान) के माध्यम से भी संवर्धित किया गया है ।

आय घोषणा स्कीम (आईडीएस), 2016 के संबंध में 2 जुलाई, 2016 को सायं 4 से 6 बजे के दौरान देश भर में 100 से अधिक स्थानों पर एक साथ नागरिक और सदस्यता जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था । उक्त कार्यक्रमों का प्रादेशिक परिषदों में लाइव वेबकास्ट किया गया था और इसमें लगभग 15000 नागरिकों ने भाग लिया था जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, अधिवक्ता और व्यवसाय तथा उद्योग से सदस्य सम्मिलित थे ।

5.10 आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति

- **विभिन्न शासकीय प्राधिकरणों/विनियामकों को अभ्यावेदन :** बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन, विधेयक, 2016 के संबंध में लोक सभा सचिवालय को अभ्यावेदन किया गया था, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संबंध में संसदीय स्थायी समिति को सुझाव प्रस्तुत किए गए थे, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 के उपबंधों के संबंध में राज्य सभा की प्रवर समिति को विचार प्रस्तुत किए गए थे, भारत की वित्तीय सतर्कता इकाई द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13(I)(Iक) के उपबंधों के अधीन अभिलेखों की संपरीक्षा के लिए आईसीएआई के प्रति धन शोधन विशेषज्ञों के पैनल में पैनलबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सेवाओं का उपयोग किए जाने के संबंध में भी अभ्यावेदन किया गया था ।

- **सेवाओं के संबंध में वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस) :** राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में आईसीएआई ने अपनी तकनीकी समिति, अर्थात् आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति ने 24 अप्रैल, 2015 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित सेवाओं के संबंध में वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस) के दौरान "सीए सेवाओं का निर्यात : भारतीय सीए- वैश्विक सीमाओं की ओर कदम बढ़ाना ; विकास को त्वरित करना" से संबंधित विषय पर एक आईसीएआई सभा का आयोजन किया था। इस अवसर पर आईसीएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग संबंधी शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की गई थी। विश्व भर से लगभग 40 देशों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया था।

- **कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन/वेबकास्ट :** समिति ने आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों, जैसे कि कंपनी अधिनियम, अवमूल्यन और जीएसटी से संबंधित उभरते मुद्दों पर चंडीगढ़, भावनगर, जम्मू, अमृतसर, नई दिल्ली और गुवाहाटी में सदस्यों के लिए वैश्विक वृत्तिक अवसरों के संबंध में कार्यशालाओं का आयोजन किया था। काला धन (अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां) और कर का उद्ग्रहण अधिनियम, 2015 के संबंध में नई दिल्ली, मुंबई और लुधियाना में कार्यशालाओं का आयोजन किया था। प्रति धन शोधन विधियों, फेमा और आईपीआर जैसे विषयों पर सदस्यों के लिए लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया था।

- **धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धन शोधन निवारण विशेषज्ञ) :** समिति ने यह पाठ्यक्रम वर्ष 2015 में आरंभ किया था और इस पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे बैच का संचालन क्रमश: दिसंबर, 2015 में नई दिल्ली में तथा जून, 2016 में मुंबई में किया गया था।

5.11 नैतिक मानक बोर्ड

आईसीएआई के नैतिक मानक बोर्ड का गठन वर्ष 1975 में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानकों को स्थापित करने और साधारण रूप से यह पर्यवेक्षण करने के लिए किया गया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा इन मानकों का अनुपालन किया जाता रहे।

अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक जटिल बनने और परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों के साथ ही, नैतिक मानक बोर्ड का कार्यकरण और अधिक विविध हो गया है – अब इसकी अधिकारिता के अधीन अनुचित संप्रेक्षकों को हटाना भी आ गया है, जो कि एक ऐसा तंत्र है जिसे संपरीक्षकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने हेतु तैयार किया गया है।

वर्तमान में, नैतिक मानक बोर्ड सदस्यों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता को सुदृढ़ बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए विभिन्न वृत्तिक साधनों और पद्धतियों के माध्यम से विभिन्न क्रियाकलापों में अंतर्वलित है।

संस्थान का नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी) नैतिक संहिता को अद्यतन बनाने का कार्य करता है। बोर्ड का मिशन निम्नानुसार है :

> *'श्रेष्ठता, स्वाधीनता, सत्यनिष्ठा के आदर्शों को दीर्घकाल से हृदय में संजोए रखते हुए, सदस्यों के लिए नैतिकता और नैतिक व्यवहार की समसामयिक और प्रगतिशील संहिता को उत्सर्जित करने का कार्य करना और सदस्यों की गरिमा और हितों की रक्षा करना भी है।'*

नैतिक संहिता के अलावा नैतिक मानक बोर्ड के अन्य प्रकाशन है - 'नैतिकता संबंधी मुद्दों पर एफ.ए.क्यू.' और 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता पर मार्गदर्शन टिप्पण'। बोर्ड सदस्यों के लिए मूलभूत सिद्धांतों, जैसे सत्यनिष्ठा, विषय निष्ठता, सुयोग्यता और व्यावसायिकता में जन चेतना और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। यह वृत्ति के सदस्यों को, उनके समक्ष दिन-प्रतिदिन की परिस्थितियों में आने वाली दुविधाओं के संबंध में सलाह देता है। सदस्य नैतिक सहायता पटल, ई सहायता और साथ ही ई-मेल या पत्रों के माध्यम से हमारे तक पहुंच बना सकते हैं। नैतिकता से संबंधित विषयों पर नवीनतम अद्यतन जानकारी बोर्ड के पोर्टल esb.icai.org पर अपलोड की जाती है।

क्रियाकलाप/पहलें

1. आईसीएआई के वेबसाइट मार्गदर्शनों (सितंबर, 2015) का पुनरीक्षण किया गया था।

2. आईसीएआई के साधारण और निर्वाचित सदस्यों के संबंध में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए गए थे। (अगस्त, 2015)

3. नैतिक मानक बोर्ड वर्तमान में आईईएसबीए नैतिक संहिता, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 और इसी प्रकार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई नैतिक संहिता का पुनरीक्षण कर रहा है।

4. नैतिक मानक बोर्ड ने निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट और सहबद्ध सदस्यों की आईसीएआई नैतिक आचार संहिता तैयार किए जाने के लिए सिफारिशें की हैं।

5. नैतिक मानक बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर आज्ञापक और पुन: संयोजित आईसीएआई "अपने ग्राहक को जाने" (केवाईसी) संनियमों को शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

6. नैतिक मानक बोर्ड सूचना प्रदाताओं के संबंध में गोपनीयता के उपबंधों की तुलना में, संपरीक्षकों के लिए कपट की रिपोर्टिंग को संभव बनाने के प्रयोजन के लिए अकाउंटेंटों की भूमिका की समीक्षा कर रहा है।

7. नैतिक मानक बोर्ड इस बात की समीक्षा कर रहा है कि प्रौद्योगिकी में समकालीन परिवर्तनों के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अपनी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं और वह अनुमति किस प्रकार और किस सीमा तक दी जानी चाहिए।

8. अकाउंटेंटों के अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए) द्वारा जारी विभिन्न उदभासन प्रारूपों और परामर्श पत्रों के संबंध में अंत:निवेश उपलब्ध कराए गए थे, विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में : विधियों और विनियमों के अननुपालन या जहां अननुपालन का संदेह है वहां किस प्रकार प्रतिक्रिया की जानी चाहिए (एनओसीएलएआर), संहिता का ढांचा, सुरक्षोपाय और किसी संपरीक्षा ग्राहक के साथ वरिष्ठ कार्मिक (जिसके अंतर्गत भागीदारों का चक्रानुक्रम भी है) से संबंधित दीर्घकालिक सहयोजन।

5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति

आईसीएआई की परिषद् ने, अपने सदस्यों के लेखांकन और संपरीक्षा सिद्धांतों तथा अन्य संबद्ध विषयों के लागू होने और क्रियान्वयन की बाबत व्यापक मुद्दों, जो कि विनिर्दिष्ट कारबार परिस्थितियों की जटिलता से संबंधित हैं, पर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति इस प्रयोजन के लिए विरचित सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देती है।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा दी गई राय ऐसी राय हैं या समिति के सदस्यों के किन्हीं विशिष्ट प्रश्नों के तथ्यों और परिस्थितियों में दिए गए मत ऐसे मत हैं, जो मत देने की तारीख को आईसीएआई के लागू लेखांकन/संपरीक्षा मानकों, मार्गदर्शक टिप्पणों और किन्हीं अन्य उदघोषणाओं और साथ ही प्रश्न की परिस्थितियों के अंतर्गत लागू सुसंगत विधियों और विनियामक परिस्थितियों पर आधारित हैं। अत:, प्रत्येक राय को समिति द्वारा राय को अंतिम रूप प्रदान किए जाने की तारीख के पश्चात् हुए किन्हीं संशोधनों और/या अन्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए और तदनुसार लागू किया जाना चाहिए।

यद्यपि, समिति द्वारा दी गई राय या व्यक्त किया गया मत समिति के सदस्यों की राय या मत का प्रतिनिधित्व करता है और वह आईसीएआई की परिषद् की शासकीय राय नहीं होता है। यह एक प्राधिकार युक्त मार्गदर्शन के रूप में होता है, जिसे विभिन्न शासकीय/विनियामक निकाय जैसे कि भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदि मान्यता प्रदान करते हैं।

01.04.2015 से 07.07.2016 की अवधि के दौरान, समिति ने आईसीएआई के सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों पर 39 रायों को और विनियामकों/शासकीय प्राधिकारियों से प्राप्त विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर 8 रायों को अंतिम रूप दिया था।

समिति द्वारा किसी वर्ष के दौरान अंतिम रूप प्रदान की गई सभी रायों को राय सारसंग्रह की जिल्द के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अब तक सारसंग्रह की 34 जिल्दों को जारी किया जा चुका है। सभी रायों के सारसंग्रह की सभी 34 जिल्दों में अंतर्विष्ट लगभग 1350 रायों को सम्मिलित करने वाली एक सीडी को, जिसमें सुगम संदर्भ के लिए प्रयोक्ता अनुकूल लक्षण सम्मिलित किए गए हैं, भी जारी किया गया है, जो रायों के सारसंग्रह की जिल्द 34 के साथ उपलब्ध है।

समिति द्वारा जारी की गई कुछ राय आईसीएआई के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित की जाती हैं।

5.13 वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति

1. निवेशक जागरुकता कार्यक्रम

एम.सी.ए.-आई.सी.ए.आई. निवेशक जागरुकता कार्यक्रम :

- समिति सक्रिय रूप से भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वाधान में अपने विभिन्न कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) के माध्यम से "निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों" का संचालन करके समाज और राष्ट्र की सेवा कर रही है।
- 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान कुल 1534 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- समिति को वर्ष 2015-16 के दौरान 1400 से अधिक कार्यक्रम का आयोजन करने, विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर राज्यों में उनका आयोजन करने के लिए एमसीए से सराहना पत्र प्राप्त हुआ है।

महत्वपूर्ण घटनाएं :

छत्तीसगढ़ के अंदरूनी क्षेत्रों में निवेशक जागरुकता कार्यक्रम ।

श्री एस.के. राठौर (डीआईजी), एसीबी रायपुर और श्री प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, जंजगिर भी इस अवसर पर उपस्थित थे ।

विषय : पोन्ज़ी स्कीमें : निवेशकों के साथ कपट/धोखा और उपलब्ध उपचार ।

तारीख : 18-21 सितंबर, 2015 ।

स्थान : रायपुर, बिलासपुर, जंजगिर, रायगढ़ और दुर्ग ।

जनवरी 2016 में जयपुर में निवेशक जागरुकता कार्यक्रम से संबंधित आवासीय सम्मेलन का आयोजन : समिति ने भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण निधि के तत्वाधान में निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपी) के आयोजनों में नियोजित संसाधन व्यक्तियों के लिए "निवेशक जागरुकता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया है ।

विषय :

"निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का पर्यावलोकन"

"निवेश विकल्प विशिष्ट लक्षण"

"निवेश विकल्पों से संबंधित किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्य"

"शिकायत और अनुतोष तंत्र"

तारीख : 24-25 जनवरी, 2016

स्थान : होटल ओम टॉवर, एमआई रोड, जयपुर, राजस्थान

बीएसई/एनएसई – आईसीएआई निवेशक जागरुकता कार्यक्रम :

- समिति अपनी विभिन्न कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) के माध्यम से 'बंबई स्टॉक एक्सचेंज – निवेशक सुरक्षा निधि (बीएसई-आईपीएफ)' के सहयोग से आईएपी का आयोजन किया ।
- नोएडा, कानपुर, नई दिल्ली और मसूरी में पीओयू द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुल चार कार्यक्रमों का संचालन किया गया था ।

2. प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

वर्तमान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :

- **विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

- समिति ने अपने विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले बैच का प्रारंभ 10 जनवरी, 2009 को किया था । समिति ने आज की तारीख तक एफएक्सटीएम पाठ्यक्रम के कुल 35 बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है ।
- 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान समिति ने विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के नौ बैचों का संचालन किया था ।

- **व्युत्पन्नों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  समिति ने आज की तारीख तक व्युत्पन्नों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के कुल 3 बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है । उक्त अवधि के दौरान समिति ने 24 अगस्त, 2015 से 30 अगस्त, 2015 के दौरान उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में व्युत्पन्नों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दूसरे आवासीय बैच को सफलतापूर्वक आयोजन पूरा किया था ।

- **प्रस्तावित नए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** समिति शीघ्र ही "वित्तीय बाजार और प्रतिभूतियां विधियां" तथा "साम्या अनुसंधान सहित स्टॉकों का आधारभूत और तकनीकी विश्लेषण" के क्षेत्र में नए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का शुभारंभ करेगी, जिन्हें सम्यक रूप से परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।

- **विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की मूल्यांकन परीक्षा :** समिति ने 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की चार मूल्यांकन परीक्षाओं का आयोजन किया है।

3. अनुषंगी क्रियाकलाप :

- **संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम :** समिति सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में एक अत्यधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। समिति ने 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान कुल 30 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

- **समिति द्वारा सिंगापुर और क्वालालम्पुर में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरा, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की नोएडा शाखा द्वारा की गई थी :** सीएफएमआईपी ने 6 अक्तूबर, 2015 से 11 अक्तूबर, 2015 के दौरान सिंगापुर और क्वालालम्पुर में अंतर्राष्ट्रीय आवासी पाठ्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की नोएडा शाखा द्वारा की गई थी। इस अध्ययन दौरे में 15 व्यक्तियों ने भाग लिया था।

- **प्रकाशन और अनुसंधान :** समिति ने 1 जुलाई, 2015 को "निवेश अवसर और निवेशक जागरुकता" नामक दो प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में जारी किए हैं। इन प्रकाशनों को जारी करने का उद्देश्य साधारण जनता को इस संबंध में जागरुक बनाना है कि वे किस प्रकार विभिन्न प्रतिभूतियों में अपने धन का निवेश करें जिससे कि न्यूनतम जोखिम के साथ उन्हें अधिक प्राप्तियां हो सकें। इस प्रकाशन की अंतर्वस्तु में धन संबंधी जादुई मंत्र, व्यष्टि – निवेशक और धन, वित्तीय और कर योजना, निवेश की कला, निवेश संबंधी जानकारी, आईईपीएफ और निवेशक जागरुकता, प्रधानमंत्री की जन-धन योजना, कर संबंधी प्रावधान आदि सम्मिलित हैं।

- **वेबकास्ट और गुगल हैंगआउट :** समिति ने 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान 6 वेबकास्टों और 1 गुगल हैंगआउट का आयोजन किया है।

5.14 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड

आईसीएआई, वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने के अपने प्रयास के भागरूप में एफ.आर.आर.बी. के माध्यम से विभिन्न उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करता है। बोर्ड विभिन्न विनियामकों, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अर्हित संपरीक्षा रिपोर्ट पुनर्विलोकन समिति (क्यूएआरसी) का भी सूचीबद्ध उद्यमों की महत्वपूर्ण संपरीक्षा अर्हताओं के पुनर्विलोकन में और भारत का निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं के पुनर्विलोकन में सहायता करता है और साथ ही समय-समय पर विनियामकों द्वारा उसे विनिर्दिष्ट अन्य मामलों का भी पुनर्विलोकन करता है।

किए गए पुनर्विलोकन

- **स्व:विवेक के अनुसार या विशेष रूप से चुने गए मामलों का पुनर्विलोकन**

  इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने स्व:विवेक के अनुसार या विशेष रूप से चुने गए 65 मामलों का पुनर्विलोकन पूरा किया है।

- **सेबी की क्यूएआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों का पुनर्विलोकन**

  इस अवधि के दौरान, बोर्ड को सेबी की क्यूएआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट 35 मामलों प्राप्त हुए थे। बोर्ड ने इन सभी मामलों का पुनर्विलोकन, यथास्थिति, कंपनी और/या संपरीक्षक द्वारा प्राप्त किसी अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, के साथ पुनर्विलोकन किया था और सभी मामलों में अपने विचारों को अंतिम रूप प्रदान किया था।

- **सेबी का समर्थन**

  बोर्ड ने, सूचीबद्ध अस्तित्वों द्वारा सेबी को फाइल की गई अर्हित संपरीक्षा रिपोटों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए उसके तंत्र में सुधार करने के सेबी के प्रस्ताव पर उसे अपनी टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की थी।

वित्तीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहार के बारे में सदस्यों को ज्ञान आधार उपलब्ध कराना

- **आईसीएआई के जर्नल "द चार्टर्ड अकाउंटेंट" में लेखों का प्रकाशन**

  कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अधीन रिपोर्टिंग बाध्यताओं के संबंध में, पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए अननुपालनों के संबंध में सदस्यों का मार्गदर्शन करने के विचार से उन्हें आईसीएआई के जर्नल के मई, 2015 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

- **'राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग संव्यवहार' संबंधी कार्यक्रम का संचालन**

  राजनीतिक दलों के वित्तीय विवरणों के संपरीक्षकों के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कौशलों में अभिवृद्धि करने के लिए 23 जून, 2015 को नई दिल्ली में 'राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग संव्यवहार' संबंधी कार्यक्रम का संचालन किया गया था, जिसका उदघाटन डा. नसीम ज़ैदी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने श्री पी.के. दास, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग के साथ किया गया था।

- **वित्तीय रिपोर्टिंग संव्यवहारों के संबंध में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन**

  बोर्ड ने पुनर्विलोकन कौशलों के संबंध में सदस्यों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने और वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में उन्हें अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईसीएआई के विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग संव्यवहारों के संबंध में 11 जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसमें 1115 सदस्यों ने भाग लिया था।

5.15 अप्रत्यक्ष कर समिति

1. सरकार को अंत:निवेश : समिति ने सरकार को निम्नलिखित अंत:निवेश/सुझाव/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं :

(i) प्रवर समिति को 122वां संविधान संशोधन (जीएसटी) विधेयक, 2014 के संबंध में अभ्यावेदन ;

(ii) जीएसटी पूर्व से जीएसटी पश्च व्यवस्था को सुचारू संपरिवर्तन को समर्थ बनाने के लिए एक अध्ययन रिपोर्ट को प्रस्तुत करना ;

(iii) जीएसटी की प्रारूप कारबार प्रक्रियाओं के संबंध सुझाव ;

(iv) जम्मू-कश्मीर कराधान प्रणाली पर जीएसटी के प्रभाव की एक अध्ययन रिपोर्ट को प्रस्तुत करना ;

(v) बजट-पूर्व और पश्च ज्ञापन को प्रस्तुत करना ;

(vi) सीबीईसी को कृषि कल्याण उपकर के संबंध में अभ्यावेदन ;

(vii) सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीन प्रारूप वार्षिक विवरणी-सह-समाधान विवरण प्रस्तुत करना ;

(viii) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध पर सीबीईसी और वैट पदधारियों के लिए जीएसटी पर संबंध में प्रशिक्षण मैनुअल को प्रस्तुत करना ;

2. प्रकाशन : अनुसंधान संबंधी पहलें : समिति ने वैट/सेवाकर/उत्पाद-शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नए/पुनरीक्षित प्रकाशन निकाले थे :

(i) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विधि और जवाहरात उद्योग के लिए प्रक्रिया

(ii) जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री

(iii) जीएसटी-भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान

(iv) सेवाकर संबंधी तकनीकी गाइड – संकर्म संविदा

(v) बैंककारी क्षेत्र में सेवाकर संबंधी अनुपालन

(vi) सेनवेट प्रत्यय संबंधी तकनीकी गाइड

(vii) सेवाकर संबंधी तकनीकी गाइड –बीमा क्षेत्र

(viii) पश्चिमी बंगाल वैट संबंधी तकनीकी गाइड

(ix) राजस्थान वैट संबंधी तकनीकी गाइड

(x) गुजरात वैट संबंधी तकनीकी गाइड

(xi) असम वैट संबंधी तकनीकी गाइड

(xii) दिल्ली वैट संबंधी तकनीकी गाइड

(xiii) कर्नाटक वैट संबंधी तकनीकी गाइड

(xiv) उड़ीसा वैट संबंधी तकनीकी गाइड

(xv) उत्तराखंड वैट संबंधी तकनीकी गाइड

3. ई-पहलें

(i) ई-पठन पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाना - किसी भी समय किसी भी स्थान पर पठन : वित्त अधिनियम, 2015 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क, सीएसटी और सेवाकर संबंधी सभी चार ई-पठन पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया गया था ।

(ii) अप्रत्यक्ष कर संबंधी वेबकास्ट : समिति ने विभिन्न क्षेत्रों/विषयों से संबंधित अप्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दों पर 11 वेबकास्टों का आयोजन किया था ।

4. सरकार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम : सक्षमता निर्माण में सरकार की सहायता करने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने के विचार से समिति ने देश भर में विभिन्न कमिशनरियों और एनएसीईएन पर 61 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

5. अप्रत्यक्ष कर/सेवाकर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : समिति ने देश भर में अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 9 बैचों और सेवाकर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 2 बैचों का संचालन किया था जिसमें क्रमश: 280 और 95 सदस्यों ने भाग लिया था ।

6. कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्मेलन : इस अवधि के दौरान समिति द्वारा 84 कार्यक्रमों, संगोष्ठियां और सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया था ।

7. अप्रत्यक्ष कर संबंधी अद्यतन जानकारी : सदस्यों को अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की संक्षिप्त जानकारी को आईडीटी नेट पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के बीच नियमित रूप से परिचालित किया जाता है और साथ उसे समिति की वेबसाइट www.idtc.icai.org पर भी रखा जाता है ।

8. समिति की बैठकें : इस अवधि के दौरान समिति की 9 (नौ) बैठकों का आयोजन किया गया था ।

5.16 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

वृति के समक्ष आने वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों की पहचान करने और प्रैक्टिस गाइडों, प्रशिक्षण सहायिकियों, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशनों के अलावा सदस्यों के फायदे के लिए सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्यवहारिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ईआरपी/ सूचना प्रौद्योगिकी पाठयक्रमों का आयोजन करके, उन्हें सदस्यों हेतु फायदाप्रद वृत्तिक अवसरों में परिवर्तित करने के लिए परिषद् ने वर्ष 2000 में एक अस्थायी समिति के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया था ।

1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1) **'सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए)' संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम :** सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम (पीक्यूसी) एक ऐसा मंच सिद्ध हुआ है, जो अद्वितीय रूप से जानकारी के आदान-प्रदान, वृत्तिक विकास और प्रशिक्षण संबंधी पहलों के लिए सदस्यों को एकसाथ लाता है । देश भर में आईएसए पीटी बैचों, आईएसए पात्रता परीक्षा और आईएसए मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया था । इस अवधि के दौरान समिति ने आईएसए पाठ्यक्रम के 100 से अधिक बैचों का संचालन किया था । समिति ने, 1 जुलाई, 2016 को प्रारंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों के साथ नया आईएसए पाठ्यक्रम 2.0 और आईएसए पीटी बैच का भी शुभारंभ किया था । डीआईएसए पाठ्यक्रम का संचालन ई-पठन (आनलाइन और सुविधा प्राप्त), कक्षा पठन, व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ व्यवहारिक मामला अध्ययनों और परियोजना संकर्म के एक उत्तम संयोजन के रूप में किया गया था ताकि ज्ञान का व्यवहारिक उपयोजन सुनिश्चित किया जा सके ।

2) **न्यायालयीय लेखांकन और कपट निवारण संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम :** समिति न्यायालयीय लेखांकन और कपट निवारण संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का संचालन करती है । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य निगम/कारबार कपटों को सामने लाने, पारिणामिक क्षति का मापमान करने, लेखांकन को लागू करके मुकदमेबाजी संबंधी समर्थन/बाहरी काउंसेल उपलब्ध कराने और कपटों का पता लगाने के लिए लेखांकन संबंधी सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए अपेक्षित अन्वेषणात्मक कौशलों को विकसित करना है। समिति ने पाठ्यक्रम को पुन: संरचित किया है और अब यह पाठ्यक्रम ई-पठन, व्यवहारिक प्रशिक्षण, मामला अध्ययनों, संकाय द्वारा प्रस्तुतिकरणों, परियोजना प्रस्तुतिकरणों, पीपीटी प्रस्तुतियों और भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा न्यायलीय रिपोर्टों को तैयार करने जैसे विषयों का एक उत्तम संयोजन है । समिति ने 1 जुलाई, 2016 से पुनरीक्षित संरचना के साथ बैचों का संचालन आरंभ कर दिया है ।

3. **सरकारी संगठनों के लिए न्यायालयीय लेखांकन पाठयक्रम**

समिति ने सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के लिए कपट के अन्वेषण और न्यायालयीय लेखांकन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का विनिश्चय किया है । इस पाठयक्रम का और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिकारियों और उसके वरिष्ठ सदस्यों को कपट जगत, वित्तीय दुष्कर्मों और उनका पता लगाने के लिए संभावित मार्गों के बारे में अंदरुनी जानकारी प्रदान करना है ।

4. कार्यशालाएं/संगोष्ठियां

- सदस्यों के कौशल-सेटों में अभिवृद्धि करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों पर पूरे भारत वर्ष में 35 कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साइबर सुरक्षा : वीयूसीए (अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट) विश्व में उत्तरजीविता, सूचना प्रणाली संपरीक्षा का पर्यावलोकन, उद्यम अंतर्वस्तु प्रबंध, सीओबीआईटी ढांचा, न्यायालयीय लेखांकन को आरंभ करने के संबंध में छह वेबकास्टों का संचालन किया गया था।
- देश भर में विनियामकों और निगमों के लिए 9 आईटी जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

5. स्व:सेवा पोर्टल का विकास : समिति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए स्व:सेवा पोर्टल को विकसित करने हेतु कार्यवाही कर रही है ताकि निम्नलिखित उपलब्धियां अर्जित की जा सकें :

- रजिस्ट्रीकरण, संदाय, बैच का चयन, आनलाइन सामग्री प्राप्त करने, ई-पठन, परीक्षाओं में बैठने, परिणामों, वक्ताओं से पृष्ठभूमि सामग्रियां, प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने जैसी संपूर्ण प्रक्रिया का स्वचालन
- संकायों को उनके बैचों का चयन करने, ट्रेवल डेस्क को आटो रूटिंग, मानदेय बीजक की प्रस्तुति, भाग लेने वाले व्यक्तियों को उनके टिप्पणों को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाएगा।
- समिति को मानवीय हस्तक्षेप के बिना एक साथ बैचों को प्रारंभ करने में समर्थ बनाएगा। यह मानव शक्ति को आधे से भी कम करेगा और इससे एचआर, कुरियर, यात्रा (संकाय के लिए अग्रिम बुकिंग द्वारा) आदि से संबंधित लागत की सारवान रूप से बचत होगी।

6. समिति के लिए आईएसओ 9001/2015 प्रमाणन : सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति आईएसओ 9001/2015 प्रमाणित है और उसका अंततोगत्वा उद्देश्य उसके विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आईएसओ – 17024 प्रमाणन प्राप्त करना है जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर सके।

5.17 आंतरिक संपरीक्षा मानक संबंधी बोर्ड

आईसीएआई ने वर्ष 2004 में आतंरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड का गठन किया था ताकि यह आंतरिक संपरीक्षा और संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों को सुदृढ़ कर सके ; आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रसार कर सके और शासन, जोखिम और विभिन्न पणधारियों के अनुपालन में आंतरिक संपरीक्षकों की भूमिका का संवर्धन कर सके।

तकनीकी साहित्य

बोर्ड ने आज की तारीख तक 18 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) जारी किए हैं। बोर्ड उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें भी जारी करता है ताकि सदस्यों को उद्योग विनिर्दिष्ट आंतरिक संपरीक्षाएं करने हेतु अपेक्षित कौशलों से सुसज्जित किया जा सके। वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड ने निम्नलिखित उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें जारी की हैं :

- होटल उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, होटल उद्योग का एक संक्षिप्त पर्यावलोकन उपलब्ध कराती है और होटल उद्योग में आंतरिक संपरीक्षक के लिए अपेक्षित कौशल सेटों के संबंध में संक्षेप में परिचर्चा करती है।
- जोखिम आधारित आंतरिक योजना संबंधी गाइड, जोखिम आधारित आंतरिक योजना की अवधारणाओं को स्पष्ट करती है और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रमवार अवधारणा उपलब्ध कराती है।
- बोर्ड जुलाई, 2015 में जारी आरबीआई के "वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती संपरीक्षा प्रणाली" संबंधी पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों और अन्य विभिन्न लागू नए/पुनरीक्षित आरबीआई परिपत्रों के आलोक में 2012 में जारी बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी मैनुअल का पुनरीक्षण कर रहा है।
- बोर्ड ने बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार संयोजित आरबीआई परिपत्रों की सीडी जारी की है (1 जुलाई, 2015 को यथा विद्यमान)।
- बोर्ड विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी करने की योजना बना रहा है।

ज्ञान पुस्तिकाएं

- संपरीक्षा समिति संबंधी ज्ञान पुस्तिकाएं – आंतरिक संपरीक्षा की प्रभाविकता की मानीटरी, संपरीक्षा समिति को मूल्यवान आंतरिक जानकारियां उपलब्ध कराके संपरीक्षा समिति के एक विश्वसनीय सलाहकार और परामर्शी के रूप में आंतरिक संपरीक्षक की भूमिका को परिलक्षित करती है।

प्रमाणपत्र पाठयक्रम

o बोर्ड सदस्यों को बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का संचालन करता है। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा प्रमाणपत्र पाठयक्रम के 80 बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है और लगभग 4000 से अधिक सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है।

o बोर्ड द्वारा उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम और आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम की पुन: संरचना की जा रही है।

o बोर्ड ने 9 और 10 अक्तूबर, 2015 के दौरान दिल्ली में बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा प्रमाणपत्र पाठयक्रम के लिए संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया था।

आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में जागरुकता के लिए कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार हेतु एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न स्थानों पर 12 कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया है।

आंतरिक संपरीक्षा और संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में वेबीनार

इस अवधि के दौरान बोर्ड ने निम्नलिखित विषयों पर वेबीनारों का संचालन किया है :

o आंतरिक वित्तीय नियंत्रण – आंतरिक संपरीक्षक की भूमिका : श्रृंखला 2
o कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जोखिम प्रबंध, निरीक्षण, अन्वेषण
o होटल उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा
o आंतरिक वित्तीय नियंत्रण – आंतरिक संपरीक्षक की भूमिका : श्रृंखला 1
o पुनरीक्षित आरबीआई समवर्ती संपरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश – परिवर्तन और विवक्षाएं
o संपरीक्षा समिति की किसी आंतरिक संपरीक्षक से आशाएं

राष्ट्र निर्माण में भागीदारी

बोर्ड ने लेखा महानियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग के सहयोग से 24 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में "आंतरिक संपरीक्षा की प्रभाविकता में अभिवृद्धि – मुद्दे और चुनौतियां संबंधी संगोष्ठी" का आयोजन किया है।

5.19 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति

क. सरकार को अभ्यावेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं

निम्नलिखित के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं की गई थी :

1. 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् किए गए किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार की संनिकट कीमत (एएलपी) की संगणना हेतु प्रस्तावित नियमों की प्रारूप स्कीम के संबंध में
2. विदेशी कंपनियों के संबंध में एमएटी का लागू होना/लागू न होना
3. नियम 37खख का संशोधन और धारा 119 के अधीन संपरिवर्ती अनुतोष
4. विदेशी कंपनियों के संबंध में एमएटी का लागू होना
5. "ई-वाणिज्य के कराधान" संबंधी मुद्दे
6. एफएमवी के अवधारण की रीति और भारतीय सरोकार – अप्रत्यक्ष अंतरण संबंधी उपबंध – अधिनियम की धारा 9(1) के लिए रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा
7. किसी कंपनी के प्रभावी प्रबंध के स्थान (पीओईएम) के अवधारण के लिए प्रारूप मार्गदर्शक सिद्धांत

8. बजट-पूर्व ज्ञापन – 2015 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित सुझाव, जिन्हें 23.11.2015 को नार्थ ब्लॉक में हुई बजट-पूर्व बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
9. प्ररूप सं. 15गक/15गख की नई अधिसूचित प्रसुविधा।
10. अधिसूचना सं. 93/2015, तारीख 16 दिसंबर, 2015 का संशोधन।
11. विदेशी कर प्रत्यय मंजूर करने के लिए प्रारूप नियम।

ख. अन्य पहलें

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा का शुभारंभ।
2. 1.4.2015 से 7.7.2016 की अवधि के दौरान बडौदा, दिल्ली, सूरत, ठाणे और पुणे में अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के बैचों का संचालन।
3. अंतर्राष्ट्रीय कर और अंतरण कीमत निर्धारण की प्रस्तावना संबंधी ई-पठन माड्यूल को विकसित किया गया है और वह सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
4. समिति ने पूर्वोक्त अवधि के दौरान ई-न्यूज लैटर के तृतीय और चतुर्थ संस्करण को जारी किया था।
5. समिति ने एसीई टीपी आनलाइन और बीएनए ब्लूमबर्ग वैश्विक कर गाइड के साथ आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक विशेष ठहराव किया था।
6. समिति ने एक पहल की है, जिसके अंतर्गत सदस्यों को आधार क्षरण लाभ अंतरण, स्थायी स्थापन आरोपण, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य, अंतरण कीमत निर्धारण और अंकीय अर्थव्यवस्था के किसी भी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अध्ययन कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
7. प्रकाशनों का पुनरीक्षण- तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और शुल्क संबंधी तकनीकी गाइड।

ग. संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरुकता कार्यक्रम (1.4.2015 से 7.7.2016)

1. 9 मई, 2015 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी एक दिवसीय कार्यक्रम।
2. 16 मई, 2015 शनिवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी।
3. 16.06.2015 को सीए टी.पी. ओस्टवाल द्वारा "काला धन (अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां) कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 की विशिष्टियां" संबंधी एक लाइव वेबकास्ट।
4. 27 जून, 2015 शनिवार को कोयम्बटूर में अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी एक दिवसीय संगोष्ठी।
5. 29.07.2015 को सीए निहार एन. जम्बुसरिया द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय कराधान में हाल ही की घटनाएं" संबंधी एक लाइव वेबकास्ट।
6. 7 और 8 अगस्त, 2015 को बडौदा में आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय कर सभा (2 दिवसीय)।
7. 10 अगस्त, 2015 को दिल्ली में और 26 अगस्त, 2015 को मुंबई में काला धन (अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां) कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 संबंधी कार्यशालाएं।
8. 2 और 3 अक्तूबर, 2015 को कोयम्बटूर में अंतरण कीमत निर्धारण संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला।
9. 15 और 16 अप्रैल, 2016 के दौरान मुंबई में आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कर सम्मेलन।
10. 21.01.2016 को "प्रभावी प्रबंध के स्थान का अवधारण करने के लिए प्रारूप मार्गदर्शक सिद्धांतों" के संबंध में एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया था जिसे सीए मयूर देसाई द्वारा संबोधित किया गया था।
11. 28 फरवरी, 2016 को संघीय बजट में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों के संबंध में बजट अवलोकन कार्यशाला और एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन।

5.19 कारबार और उद्योग में वृत्तिक अकाउंटेंटों संबंधी समिति

पर्यावलोकन :

तत्कालीन, उद्योग में सेवारत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईआई), अब कारबार और उद्योग में वृत्तिक अकाउंटेंटों संबंधी समिति (सीपीएबीआई) के नाम से जानी जाती है। आईसीएआई की सीपीएबीआई, आईसीएआई और उद्योग के बीच एक सामान्य मंच के सृजन के लिए व्यष्टिक उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिठाने और सीए को उसके पारंपरिक क्षेत्रों से परे कंपनी, कारबार

और वाणिज्य के कार्यकरण से संबंधित सभी पहलूओं के संबंध में एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने/स्थापित करने के लिए एक प्रभावी मंच का प्रयोजन सिद्ध करती है । यह समिति उद्योग और कारबार में सेवारत सीए और आईसीएआई के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित करने तथा उसमें अभिवृद्धि करने का कार्य करती है । साथ ही समिति उन्हें उनके गहन और बहुमुखी ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशलों के लिए उद्योग और अन्य पणधारियों के बीच स्थापित करने का प्रयास करती है । इस प्रयास का समर्थन करने के लिए सीपीएबीआई विभिन्न ज्ञानवर्धन सम्मेलनों, उद्योग बैठकों, आउटरीच कार्यक्रमों का सदस्यों के फायदे के लिए आयोजन कर रही है । सीपीएबीआई के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों और आईसीएआई जॉब पोर्टल के माध्यम से युवा और अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराना, कारबार और उद्योग चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए गौरवशाली आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन करना, वृत्तिक दिलचस्पी के विषयों में साधारण प्रकाशन जारी करना, सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन करना, ई-न्यूज लैटर का प्रकाशन करना सम्मिलित है, जिनका उद्देश्य सदस्यों को फायदा पहुंचाना है ।

वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलापों को नीचे उपदर्शित किया गया है :

अंतिम दो सत्रों में आयोजित कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :

अगस्त-सितंबर, 2015 में -इसका आयोजन 19 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 7358 अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत किया गया था, जिनमें से 5164 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था । इसमें 88 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 1231 नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे ।

फरवरी-मार्च, 2016 में -इसका आयोजन 21 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 5961 अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत किया गया था, जिनमें से 4837 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था । इसमें 104 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 1314 नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे ।

समिति वर्तमान नियोजन प्रतिशत में सुधार करने के लिए और अधिक संख्या में कंपनियों को अंतर्वलित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैरियर उत्थान कार्यक्रम : चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को नया बल देने के विचार से समिति ने ऐसे अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए, जिनके पास तीन वर्ष या अधिक का अनुभव है और जो नौकरी परिवर्तन करने का आशय रखते हैं, एक तैयार कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया था । इस कार्यक्रम के पहले चरण का आयोजन जून, 2016 के दौरान कई केंद्रों, अर्थात् बंगलूरु, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में किया गया था और इसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

केंद्र का नाम	कैम्पस साक्षात्कार की तारीख	रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार दलों की संख्या
नई दिल्ली	28.06.2016	1770	2
बंगलौर	23.06.2016	358	2
चेन्नई	24.06.2016	217	2
कोलकाता	25.06.2016	445	1
योग		2790	7

आईटीसी, इंफोसिस और कुछ अन्य कंपनियों ने इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लिया था और इसमें 24.94 लाख रुपए प्रतिवर्ष के अधिकतम वेतन का प्रस्ताव किया गया था । (बंगलौर केंद्र पर आईटीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित)

आईसीएआई उद्योग एचआर बैठक

समिति ने, नई दिल्ली में 22 अप्रैल, 12 मई, 2015 और 9 जून, 2015 को आईसीएआई और निगमों के बीच संबंधों को मजबूत करने और कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के लिए नियोजन के संनियमों और प्रक्रिया के संबंध में निगमों की प्रतिक्रिया/सुझाव मांगने के लिए उद्योग एचआर बैठक का आयोजन किया था ।

एक नई पहल के रूप में, सीपीएबीआई ने, विभिन्न कंपनियों के सीएफओ/एचआर प्रमुखों के परिसरों का दौरा करने की प्रक्रिया आरंभ की है, इसका उद्देश्य उन्हें बड़ी संख्या में नए बने चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भर्ती करने के लिए कैम्पस में लाना है ।

आईसीएआई पुरस्कार, 2015 के लिए ज्यूरी की बैठक

समिति ने, 17 दिसम्बर, 2015 को मुंबई में, आईसीएआई पुरस्कार, 2015 के लिए पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए ज्यूरी की बैठक

का आयोजन किया था। सीए कुमार मंगलम बिरला, अध्यक्ष, आदित्य बिरला समूह इस ज्यूरी की बैठक के अध्यक्ष थे।

9वां आईसीएआई – सीएमआईआई कारपोरेट मंच और पुरस्कार 2015

तत्कालीन सीएमआईआई ने नई दिल्ली में 15 और 16 जनवरी, 2016 के दौरान वार्षिक (9वीं) निगम मंच की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें निम्नलिखित आयोजन सम्मिलित थे :

क) निगम सभा (15 और 16 जनवरी 2016) : उद्योग में लगे सदस्यों के कौशल सेटों में वृद्धि करने और उनके ज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए समकालीन विषयों पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया था।

ख) वित्तीय सेवा प्रदर्शनी (15 और 16 जनवरी 2016) – यह एक ऐसा मंच है जहां पूरे भारत वर्ष से चार्टर्ड अकांउटेंट और निगम एकत्रित होते हैं।

ग) आईसीएआई पुरस्कार 2016 (16 जनवरी, 2016) – आईसीएआई पुरस्कार द्वारा उद्योग में ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों के उदाहरणात्मक कार्य को सम्मानित किया गया था, जिन्होंने अपने वृत्तिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में उत्कृष्टता को उपदर्शित किया है और जो उद्योग में अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श रूप हैं। श्री सुरेश प्रभु, माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार, आईसीएआई पुरस्कार, 2015 के लिए मुख्य अतिथि थे।

नई दिल्ली में आयोजित वेबीनार

- 17 जनवरी, 2016 को "संपरीक्षा, आतंरिक नियंत्रण, जोखिम और कपट संबंधी मानकों का पर्यावलोकन" विषय पर वेबीनार
- 5 जनवरी, 2016 को कराधान में अंतर्वलित हाल ही के मुद्दों पर वेबीनार
- 27 नवंबर, 2015 को "अंतरण कीमत निर्धारण के संबंध में उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों और अंतरण कीमत निर्धारण के क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं" के संबंध में वेबीनार
- 20 अक्तूबर, 2015 को "सीएसटी और वैट के अधीन संकर्म संविदाओं का कराधान" विषय पर वेबीनार

प्रकाशन/संकलन

- समिति ने कारबार योजना के तृतीय संस्करण और संवहनीयता रिपोर्टिंग प्रकाशन के छठे संस्करण को जारी किया था।

5.20 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना वर्ष, 2002 में की गई थी। पियर पुनर्विलोकन संबंधी कथन (जिसे इसमें इसके पश्चात् कथन कहा गया है) को वर्ष 2002 के प्रारंभ में जारी किया गया था (जिसे 2008 और 2011 में पुनरीक्षित किया गया था)। इसका उद्देश्य आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना है। पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया, किसी के वृत्तिक उत्तरदायित्वों के अनुक्रम में संपरीक्षा और आश्वासन सेवाओं का निर्वहन करते समय गुणवता को सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और रखे गए अभिलेखों की प्रणालीगत मानीटरी के सिद्धांत पर आधारित है। मुख्यत: पियर पुनर्विलोकन का उद्देश्य व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों की संपरीक्षा और आश्वासन सेवाओं की गुणवता को सुनिश्चित करना और साथ ही उसमें अभिवृद्धि करना है। किसी व्यवसायी इकाई का पियर पुनर्विलोकन एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा संचालित किया जाता है जो पियर पुनर्विलोककों के रूप में ज्ञात है। पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय आईसीएआई के सदस्य ; (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां सुस्थापित हैं।

बोर्ड का योजनाबद्ध प्रयास पियर पुनर्विलोककों के प्रभावी कार्यपालन के साथ न केवल व्यवसायी इकाईयों को समाज को उनके द्वारा साधारण रूप से दी जाने वाली उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करता है अपितु वे विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों का ध्यान आकृष्ट करते हैं और उनसे मान्यता भी प्राप्त करते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यधीन किया है और जो आईसीएआई के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है क्योंकि यह आवेदन प्ररूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर

उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके । इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से आईसीएआई से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।

पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया में सुधार

- पियर पुनर्विलोकन मैनुअल की ई-पुस्तक (पुनरीक्षित) को जारी किया गया था और उसे सुगम संदर्भ के लिए पियर पुनर्विलोकन संबंधी कथन के साथ आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया ।
- पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया में सुधार करने के विचार से बोर्ड ने ऐसे विभिन्न प्ररूपों और फोर्मेटों में आवश्यक परिवर्तन किए हैं, जो पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के वेब पृष्ठ पर उपलब्ध हैं ।
- तीन स्तरों पर पियर पुनर्विलोकन के अधीन 11,519 फर्मों को सम्मिलित किया गया है और उनमें से 8934 फर्मों को पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।
- पियर पुनर्विलोकन बोर्ड नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और आज की तारीख तक देश भर में 162 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और 5512 पियर पुनर्विलोककों को प्रशिक्षित किया गया है ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसूची की अंतर्वस्तु तैयार की गई है, जिसमें तकनीकी मानकों पर विशेष बल दिया गया है तथा संपरीक्षा संबंधी दस्तावेजीकरण और पुनर्विलोकन प्रक्रिया तथा रिपोर्टिंग के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।

पियर पुनर्विलोककों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुनर्विलोककों द्वारा किए जाने वाले पुनर्विलोकन कार्य में संगतता और एकसमानता का प्रदुर्भाव करने के लिए बोर्ड, उन्हें पुनर्विलोकन हेतु प्रैक्टिस इकाईयां समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है । इस अवधि के दौरान पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने बीकानेर, भुवनेश्वर, उदयपुर, जमशेदपुर, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली, भीलवाड़ा, रायपुर, रांची, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इनमें लगभग 1030 (लगभग) पुनर्विलोककों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, इसके साथ ही पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुनर्विलोककों की संख्या 5512 हो गई है ।

5.21 वृत्तिक विकास समिति

वृत्तिक विकास समिति को वर्ष 1962 में एक गैरस्थायी समिति के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्तिक योग्यता और कौशलों का उपयोग करने के लिए अवसरों का पता लगाने, उन्हें व्युत्पन्न करने, विकसित करने और उपलब्ध कराना और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अवसर साम्यापूर्ण रूप से सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को उनकी वृत्तिक समर्थता और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध हो ।

समिति के प्रमुख क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

I. संपरीक्षकों की नियुक्तियों में बैंकों को प्रबंधकीय स्वायतता प्रदान किया जाना :

समिति ने कई वर्षों से स्वयं बैंक बोर्डों द्वारा अपने शीर्षस्थ सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से पब्लिक सेक्टर बैंकों के संपरीक्षकों की नियुक्ति के मुद्दों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं ।

श्री अरुण जेटली माननीय वित्त मंत्री, श्री जयंत सिन्हा, माननीय राज्य मंत्री, वित्त, सीए पीयुष गोयल, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा और खान, श्री सुरेश प्रभु, माननीय रेल मंत्री, डा. रघुराम राजन, गवर्नर, आरबीआई और अन्य संबद्ध मंचों पर बैठकें की गई हैं ।

II. टेंडरिंग से संबंधित मुद्दे : सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने और अधिप्रमाणन कृत्यों के लिए टेंडरिंग प्रणाली की मानीटरी करने के विचार से आईसीएआई की परिषद् द्वारा तारीख 7 अप्रैल, 2016 की एक अधिसूचना जारी की गई है । समिति ने इसके परिणामस्वरूप सदस्यों के साधारण मार्गदर्शन के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को तैयार किया है ।

III. आरबीआई, सीएंडएजी, नाबार्ड के साथ सहयोग : आरबीआई, सीएंडएजी, नाबार्ड, एमओआरडी, एमएचआरडी और डाक विभाग के साथ, उनके साथ परस्पर वृत्तिक चिंताओं के मुद्दों पर परिचर्चा एवं उनका निष्पादन करने के लिए अनेक बैठकों का आयोजन किया गया था और उन्हें अभ्यावेदन भेजे गए थे ।

IV. बहु प्रयोजन पैनलबद्ध प्ररूप और विभिन्न प्राधिकरणों के लिए पैनलों का प्रावधान : साम्यापूर्ण वृत्तिक अवसरों को सुनिश्चित करने और अधिकाधिक रूप से कार्यों का प्रावधान करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के परिणामस्वरूप अनेक प्राधिकरणों और

संगठनों को चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों के पैनल उपलब्ध कराए गए थे । बैंक शाखा संपरीक्षक पैनल 2015-16 को तैयार किया गया था और उसे आरबीआई, नाबार्ड और विभिन्न अन्य प्राधिकरणों को उनके अनुरोध पर भेजा गया था ।

V. **विभिन्न प्राधिकरणों के साथ बैठकें और उन्हें भेजे गए अभ्यावेदन :** वृत्तिक विकास में अभी तक छिपे हुए क्षेत्रों का पता लगाने के अलावा समिति समाज के विभिन्न तबकों के बहुल उपयोक्ताओं के साथ परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयास करती है और इसके लिए वह उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका के बारे में शिक्षित करती है । तदनुसार, समिति परस्पर वृत्तिक दिलचस्पी के मामलों के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों को अभ्यावेदन भेजती है और उन के साथ बैठकें करती है ।

VI. **सदस्यों की सक्षमता का निर्माण :** विद्यमान और नए क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल सेटों में अभिवृद्धि करने के विचार से समिति दिलचस्पी के समकालीन क्षेत्रों के संबंध में संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है । सीएंडएजी के अधिकारियों के लिए 30 मई, 2016 को बंगलौर में सीएंडएजी के कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से स्वतंत्र सीए निदेशकों : एक सहयोगात्मक पठन के संबंध में एक गोलमेज सम्मेलन, "निगम शासन और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)" विषय पर एक कार्यशाला और उभरते वृत्तिक अवसरों संबंधी एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, पूरे वर्ष के दौरान कार्यक्रमों और वेबकास्टों का आयोजन किया गया था । समिति द्वारा दो अंतर्राष्ट्रीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी सहारनपुर शाखा और भोपाल शाखा द्वारा की गई थी ।

VII. **गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों के कार्यकरण के संबंध में राज्यस्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) की बैठक :** गैर बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अनिगमित निकायों (यूआईबी) के निक्षेप स्वीकार करने संबंधी क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए अपने प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में सामान्य रूप से राज्यस्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) की बैठक (प्रत्येक त्रैमास में एक) का आयोजन करता है । विभिन्न राज्यों में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न एसएलसीसी बैठकें की गई थी ।

5.22 लोक वित्त और शासकीय लेखाकंन संबंधी समिति

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला**
  - "गैर वित्त के लिए वित्तपोषण" विषय पर आईडीपीएल, गुड़गांव में
  - "संपरीक्षा और नए कंपनी अधिनियम" विषय पर आईसीआईएसए, नोएडा में
  - "निर्वाचित विधायी प्रतिनिधियों के लिए सक्षमता निर्माण सामर्थ्य में सहायता" विषय पर एटीआई, रांची में
  - "कंपनी अधिनियम, 2013 – पब्लिक सेक्टर उद्यमों के लिए विवक्षाएं" विषय पर नई दिल्ली में
  - दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली, सेवाकर, टीडीएस विषय पर राजकोट में
  - दोहरी प्रविष्टि, प्रोदभवन लेखांकन और लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के विषय पर जोधपुर में
  - आईसीएआई के सदस्यों के लिए एलेप्पी में आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
  - "वित्तीय प्रबंध" विषय पर आईसीएआई भवन, चेन्नई, तमिलनाडु में
  - "संपरीक्षा-अभ्यांतर/कानूनी/सीएंडएजी और संपरीक्षा समिति की भूमिका" तथा "बजटिंग और वित्तीय निर्णय लेना" विषयों पर अगरतला, त्रिपुरा में
- समिति ने 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान "लोक वित्त और शासकीय लेखांकन में चुनौतियों का सामना करना" विषय पर निम्नलिखित स्थानों पर जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है :
  - 24 अप्रैल, 2015 को जलगांव में
  - 14 मई, 2015 को रुद्रपुर में
  - 13 जून, 2015 को कोलकाता में
  - 8 अगस्त, 2015 को कोट्टायम में
  - 7 सितंबर, 2015 को त्रिसूर में
- **राष्ट्रीय सम्मेलन :** समिति ने आगरा में "मेक इन इंडिया – सीए के लिए वृत्ति अवसर" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था ।
- समिति ने 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान निम्नलिखित लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया था :

1. "भारत में लोक वित्त प्रणाली- हाल ही की पहलें, चुनौतियां और आगे की योजना"

2. नई दिल्ली में "कराधान, जवाबदेही और बोध – विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे"

- 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान वृत्तिक दिलचस्पी के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए गणमान्य व्यक्तियों के साथ निम्नलिखित बैठकें की गई थी :--

  - सीए विजय गर्ग, तत्कालीन अध्यक्ष, सीपीएफ एंड जीए ने श्री मलय कुमार पोद्दार, सीएफओ (एआईसी) के साथ नई दिल्ली में, प्रोफेसर दिनेश ओरांव, अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के साथ रांची में डा. मधुकर गुप्ता, आईएएस, अपर सचिव, डीपीई और डा. एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव, डीपीई के साथ नई दिल्ली में बैठक की थी ।

  - सीए प्रफुल प्रेमसुख छाजेड अध्यक्ष, सीपीएफ एंड जीए ने डा. पी. मुखर्जी, उप सी एंड एजी के साथ नई दिल्ली में, श्री ध्रूव कुमार सिंह, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में, श्री अमेसिंह लुइखम, आईएएस, सचिव, डीपीई के साथ नई दिल्ली में, डा. मधुकर गुप्ता, आईएएस, अपर सचिव, डीपीई के साथ नई दिल्ली में, श्री आन्नद सिंह भेल, आर्थिक सलाहकार, डीपीई के साथ नई दिल्ली में, डा. रथिन राय, निदेशक (एनआईपीएफपी) के साथ नई दिल्ली में, श्री तथागत राय, राज्यपाल, त्रिपुरा सरकार के साथ अगरतला में और श्री भानु लाल साहा, वित्त, खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, सूचना और संस्कृति कार्य मंत्री, त्रिपुरा सरकार के साथ अगरतला में बैठकें की थी ।

5.23 जन संपर्क क्रियाकलाप

वर्ष 2015-16 के दौरान, जनसंपर्क समिति ने अपने मिशन ओर उद्देश्य के अनुसरण में एक प्रमुख लेखांकन निकाय और एकमात्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित करने, सुदृढ़ बनाने और उसमें अभिवृद्धि करने के प्रयासों को जारी रखा । समिति ने नियमित रूप से किए जाने वाले कार्यों से अतिरिक्त अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र को विस्तारित किया । पूर्वोक्त अवधि के दौरान पीआर समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

आय घोषणा स्कीम, 2016 के संबंध में नागरिक और सदस्य जागरुकता कार्यक्रम

2 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में आईसीएआई ने वित्त मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के साथ "आय घोषणा स्कीम, 2016 के संबंध में नागरिक और सदस्य जागरुकता कार्यक्रम" का आयोजन किया था । श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त मंत्री, श्री अतुलेश जिंदल, अध्यक्ष, सीबीडीटी, सुश्री रानी सिंह नायर, सदस्य (एल एंड टी), सीए एम. देवराजा रेड्डी, अध्यक्ष, आईसीएआई ने सीबीडीटी के अन्य पदधारियों के साथ इस कार्यक्रम के दौरान सदस्यों और दर्शकों को संबोधित किया था । सीए (डा.) गिरिश आहूजा, एफसीए ने सदस्यों और दर्शकों को स्कीम तथा उससे संबंधित मुद्दों के बारे में अवगत कराया । इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट आईसीएआई की 100 से अधिक शाखाओं द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 1500 नागरिकों ने भाग लिया था, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, अधिवक्ता, व्यापार और उद्योग जगत से सदस्य सम्मिलित थे ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, 2016

1 जुलाई, 2016 को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस को, एक संरचनात्मक रीति में आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा एकता दिवस के रूप में मनाया गया था । आय घोषणा स्कीम, 2016, निवेशक जागरूकता कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, पौद्यारोपण, रक्तदान आदि जैसे कार्यक्रमों से संबंधित क्रियाकलापों का आयोजन किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए एक विशेष अनुदान की मंजूरी दी जाए । जैसा कि पूर्व में किया जाता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल का एक विशेष अंक, सीए दिवस को मनाए जाने के उपलक्ष में निकाला गया था । समिति ने गणमान्य व्यक्तियों के कार्यालयों से परस्पर क्रियाएं की थी और 20 गणमान्य व्यक्तियों से सदभाव संदेश प्राप्त हुए थे, जिन्हें 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल के जुलाई, 2016 के अंक में प्रकाशित किया गया था । सीए दिवस के उपलक्ष में नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसके ब्यौरे इस रिपोर्ट में अन्यत्र वर्णित हैं । इस आयोजन को मुद्रण, इलैक्ट्रानिक मीडिया और रेडियो आदि के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था ।

दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था । इस वर्ष आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2016 से संबंधित समारोह से जुड़े विभिन्न क्रियाकलापों के लिए समन्वयन करने वाला नोडल अभिकरण था, ने 9 जून को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह पूर्वावलोकन प्रारंभ किया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह में भारत के नेतृत्व का एक पूर्वाभास था । मुख्य समारोह के लिए आयुष मंत्रालय ने आईसीएआई को इस आयोजन के लिए अपने साथ सहबद्ध किया था ।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष की ओर से एक संसूचना आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को अग्रेषित की गई थी, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात् 21 जून, 2016 को इस संबंध में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करें । अपेक्षित दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार क्रियाकलापों को करने के लिए एक विशेष अनुदान भी मंजूर किया जाएगा ।

आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सीए भ्रातृसंघ को किए गए संबोधनों को रिकार्ड किया गया था और सभी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था ।

डीएवीपी दरों पर आईसीएआई के विज्ञापन का विमोचन

डीएवीपी दरों पर आईसीएआई के विज्ञापन के विमोचन से संबंधित मामले को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के समक्ष उठाया गया था । नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और संबद्ध पदधारियों के साथ की गई बैठकों के परिणामस्वरूप अंतत: डीएवीपी ने आईसीएआई के विज्ञापनों को डीएवीपी दरों पर विभिन्न प्रकाशनों में जारी करने के संबंध में सहमति दे दी है, ये दरें प्रकाशनों द्वारा साधारण रूप से प्रस्थापित दरों की एक चौथाई हैं । इस मंजूरी से आईसीएआई द्वारा विज्ञापन संबंधी लागत को कम करने में सहायता प्राप्त होगी और यह विज्ञापन से संबंधित आईसीएआई के व्यय को सारवान रूप से कम करेगी । डीएवीपी के माध्यम से जारी विज्ञापन आईसीएआई की देश के दुरस्थ कोनों तक पहुंच बनाने में सहायता करेंगे क्योंकि डीएवीपी के अंतर्गत पूरे भारत वर्ष में प्रकाशित किए जाने वाले सभी प्रकाशन आते हैं ।

चूंकि प्रधान कार्यालय इस सुविधा का लाभ उठाएगा, इसलिए आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे यथासंभव रूप से अपने विज्ञापनों को डीएवीपी के माध्यम से जारी करने पर विचार करें । इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आरंभ की गई है ।

ईटी बजट विश्लेषण शिखर सम्मेलन

आईसीएआई, 10 मार्च, 2016 को मुंबई में आयोजित "ईटी बजट विश्लेषण शिखर सम्मेलन" के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में सहबद्ध था । पीआर समिति ने इस आयोजन के लिए सुसंगत अंत:निवेश उपलब्ध कराए थे, उदाहरण के लिए शिखर सम्मेलन संसूचना के लिए विषय/विज्ञापन, आईसीएआई प्रचार वीडियो, आईसीएआई पर लेख आदि । इस शिखर सम्मेलन में उद्योग के निर्णयकर्ताओं ने भाग लिया था ।

ईटी सीएफओ शिखर सम्मेलन

पीआर समिति ने 4 मार्च, 2016 को बंगलुरू में आयोजित "इकनोमिक टाइम्स सीएफओ शिखर सम्मेलन" के दूसरे संस्करण के संबंध में टाइम्स आफ इंडिया समूह के साथ समन्वयन किया था । कुछ केंद्रीय परिषद् सदस्यों ने इस शिखर सम्मेलन में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था और इसमें देश के बड़े-बड़े सीएफओ ने भाग लिया था ।

संघीय बजट 2016

प्रत्येक वर्ष, पीआर समिति संघीय बजट के संबंध में आईसीएआई की प्रतिक्रिया को विभिन्न इलैक्ट्रानिक चैनलों, समाचार पत्रों, मैगजीनों में सम्मिलित किए जाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करती है । इस बात का भी प्रयास किया जाता है कि आईसीएआई की प्रतिक्रिया का प्रचार करने के लिए चैनलों द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अध्यक्ष, आईसीएआई को पैनलबद्ध व्यक्ति के रूप में रखा जाए । इस वर्ष, उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने विभिन्न इलैक्ट्रानिक चैनलों – दूरदर्शन, जी बिजनेस और सीआईआई में आयोजित बजट अवलोकन सत्र में बजट दिवस को आयोजित पैनल परिचर्चाओं में भाग लिया था ।

ईयर बुक 2014-2015

आईसीएआई/उसकी समितियों/शाखाओं /प्रादेशिक परिषदों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और उनके द्वारा की गई पहलों को एक व्यापक दस्तावेज में सम्मिलित करते हुए "ईयर बुक" नामक प्रकाशन निकाला जाता है । पीआर समिति ने सभी समितियों/शाखाओं /प्रादेशिक परिषदों के साथ इस प्रकाशन में मुद्रण हेतु अपेक्षित सामग्री अग्रेषित किए जाने के लिए समन्वयन किया था । सभी समितियों/शाखाओं /प्रादेशिक परिषदों से प्राप्त अंत:निवेशों को समिति द्वारा ईयर बुक 2014-2015 के लिए संपादित और संकलित किया गया था । इसकी प्रतियां वार्षिक समारोह के दिन वितरित की गई थी ।

बजट पूर्व परस्पर क्रियाशील शो

जी बिजनेस चैनल के सहयोग से 8 फरवरी, 2016 को आईटीओ स्थित आईसीएआई भवन, सभागार में "कराधान" विषय पर एक बजट पूर्व परस्पर क्रियाशील शो का आयोजन किया गया था । आईसीएआई की अप्रत्यक्ष कर समिति, प्रत्यक्ष कर समिति और एनआईआरसी द्वारा आमंत्रित सदस्य इस शो में श्रोताओं के रूप में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने सक्रिय रूप से परिचर्चाओं में भाग लिया था । इस शो को रिकार्ड किया गया था और उसे जी बिजनेस चैनल पर बजट से पूर्व टेलीकास्ट किया गया था ।

'लेखांकन वृत्ति : उत्कृष्टता की ओर कदम' विषय पर आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

7 से 9 अगस्त, 2015 के दौरान इंदौर में 'लेखांकन वृत्ति : उत्कृष्टता की ओर कदम' विषय पर आईसीएआई के एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था । पीआर समिति द्वारा सदभाव संदेश आमंत्रित किए गए थे, जिसे इस अवसर पर जारी किए जाने वाले स्मृति चिह्न में प्रकाशित किया गया था । इस आयोजन में अनेक विदेशी प्रतिनिधि मंडलों और विभिन्न पणधारियों तथा आईसीएआई के सदस्यों ने भाग लिया था । इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में सदस्यों को जानकारी देने के लिए सीए जर्नल के जुलाई, 2015 अंक में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । इस सम्मेलन के संबंध में मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी समुचित प्रचार किया गया था ।

अन्य क्रियाकलाप

- चूंकि आईसीएआई के पास ऐसे विशेषज्ञों का एक पूल है जो प्रमुख मुद्दों से संबंधित अपनी अद्यतन जानकारी से अपने विचारों का आदान-प्रदान करके उद्योग को समृद्ध बना सकते हैं, इसलिए बेहतर नेटवर्किंग अवसरों का लाभ उठाने और आईसीएआई की भूमिका में वृद्धि करने के विचार से सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे व्यापार चैम्बरों से संपर्क करके यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने ऐसे कार्यक्रमों/आयोजनों के संबंध में जानकारी प्रदान करें, जिनमें समकालीन मुद्दों पर आईसीएआई के विचारों को उद्योग तथा अन्य पणधारियों के साथ साझा किया जा सकता है । समिति को सीआईआई और फिक्की से उनके आयोजनों की एक सूची प्राप्त हुई है, जिनमें वे आईसीएआई के साथ सहबद्ध होने के लिए उत्सुक हैं । इन निकायों के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में सारवान प्रगति दर्ज की गई है ।
- सभी शाखाओं, प्रादेशिक परिषदों और समितियों को एक संसूचना अग्रेषित की गई थी कि वे उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले आयोजनों/कार्यक्रमों/ सम्मेलनों के लिए गाए जाने वाले राष्ट्रीय गान के मानक प्ररूप का अनुसरण करें और उसे आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था ।
- वर्ष के दौरान, आमने-सामने साक्षात्कारों/प्रेस विज्ञप्तियों/प्रेस सम्मेलनों के माध्यम से मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई, जिसके दौरान मीडिया को, किए गए विभिन्न क्रियाकलापों, सीए भ्रातृसंघ, पणधारियों, व्यापार और उद्योग से संबंधित मुद्दों के बारे में अध्यक्ष द्वारा आमने-सामने परस्पर क्रियाओं और टेलीफोन पर साक्षात्कारों द्वारा नवीनतम घटनाओं से निरंतर अवगत कराया गया ।
- आज के सक्रिय संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के विस्तार क्षेत्र और संभावनाओं को भी, विभिन्न प्रकाशनों में लेख, विज्ञापन आदि के द्वारा संवर्धित किया गया था । आईसीएआई की ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करने के अभियान के संबंध में कारबार/समाचार पत्रों/दैनिक समाचार पत्रों/मैगजीनों/ वायुयान में मिलने वाली मैगजीनों/कैरियर मैगजीनों और विभिन्न प्रकाशनों में विभिन्न लेख/आलेख प्रकाशित किए गए ।
- पीआर कार्य के भागरूप में, साधारण जनता और मीडिया को विभिन्न समाचार पत्रों/वित्तीय समाचार पत्रों, प्रेस विज्ञप्तियों और लेखों तथा विज्ञापन जारी करने के माध्यम से आयोजित की गई विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों /आयोजनों से अवगत कराया गया है ।
- संस्थान के भीतर, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को, आईसीएआई और उसके कार्यालयों/संबद्ध संगठनों के बीच संपर्क विकसित करने के विचार से विभिन्न विभागों को सांभार समर्थन उपलब्ध कराया गया ।
- आईसीएआई द्वारा की गई पहलों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए, सीए जर्नल के साथ-साथ वायुयान पत्रिकाओं/समाचार पत्रों/कारबार पत्रिकाओं में विज्ञापनों को जारी किया गया था । इससे न केवल सदस्यों और पणधारियों के बीच साधारण जागरुकता का सृजन होता है अपितु इससे आईसीएआई के ब्रांड के निर्माण में भी सहायता प्राप्त होती है ।

5.24 अनुसंधान समिति

अनुसंधान समिति आईसीएआई की सर्वाधिक पुरानी गैर स्थायी समितियों में एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी । अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के विचार से लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में

अनुसंधान करना है । यह समिति लेखांकन पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण तैयार करती है, जिन्हें आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है । समिति, साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों के संबंध में तकनीकी गाइडों, अनुसंधान अध्ययनों, मोनाग्राफों आदि के रूप में प्रकाशनों को निकालती है । समिति वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में सुधार करने के विचार से अपनी एक उप समिति, शील्ड पैनल के माध्यम से एक वार्षिक प्रतियोगिता, अर्थात् 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' का भी आयोजन करती है ।

उपलब्धियां

रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान, समिति ने आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन तीन मार्गदर्शक टिप्पण और दो प्रकाशन तैयार किए थे :

1. 'जीएन (ए) 33 व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण' ।
2. 'जीएन (ए) 34 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी व्ययों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण (15 मई, 2015 को निकाला गया)' ।
3. 'जीएन (ए) 35 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के संदर्भ में कंपनियों के अवमूल्यन के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण' ।
4. 'मार्गदर्शक टिप्पणों का सार संग्रह – लेखांकन (1 अप्रैल, 2016 को यथाविद्यमान)' ।
5. 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता : प्रस्तुतिकरणों और प्रकटनों संबंधी दृष्टांतात्मक गाइड (पुनरीक्षित 2016)'

प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

समिति की विभिन्न अन्य परियोजनाएं भी भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर हैं, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

(क) एकीकृत रिपोर्टिंग

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 और साथ ही इंड एएस को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में प्रवृत्त लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणों का पुनर्विलोकन करने संबंधी परियोजना

(ग) गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के लेखांकन संबंधी प्रारूप मार्गदर्शक टिप्पण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

इन पुरस्कारों को वर्ष 1958 से प्रदान किया जा रहा है । विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में पुरस्कार विजेताओं का चयन एक 3 टियर मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम किया जाता है : सर्वप्रथम प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध वार्षिक रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया जाता है और इनका अंतिम पुनर्विलोकन एक बाहरी ज्यूरी द्वारा किया जाता है ।

वर्ष 2014-15 के लिए ज्यूरी की बैठक 20 जनवरी, 2016 को मुंबई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री एम. दामोदरन, पूर्व अध्यक्ष, सेबी द्वारा की गई थी । पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए ज्यूरी की बैठक में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों में सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, एनएसीएएस और पूर्व अध्यक्ष आईसीएआई, सीए ए.सी. चक्रवर्ती, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, श्री आशीष कुमार चौहान, एमडी और सीईओ, बीएसई लिमिटेड, सीए डी. सरकार, पूर्व सीएमडी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रो. देवी सिंह, पूर्व निदेशक, आईआईएम, लखनऊ, सीए एन. रंगाचारी, पूर्व अध्यक्ष, सीबीडीटी और आईआरडीए, सीए नीलेश शाह, एमडी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, सीए सुशील अग्रवाल, समूह सीएफओ, आदित्य बिरला समूह, श्री चन्द्र शेखर घोष, एमडी और सीईओ, बंधन बैंक, सीए सुनील कनोरिया, अध्यक्ष, एसोचैम और उपाध्यक्ष, एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड सम्मिलित थे ।

पुरस्कारों की स्कीम के अनुसार सर्वोत्तम प्रविष्टि और दूसरी सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड पुरस्कार में प्रदान की जाती है । ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों के अलावा सराहनीय प्रविष्टियों के लिए पट्टिकाएं पुरस्कार में दी जाती हैं । हाल ऑफ फेम पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट प्रवर्ग में लगातार पांच स्वर्ण शील्ड का विजेता रहा हो ।

'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 6 फरवरी, 2016 को आईटीसी सोनार, कोलकाता में एक समारोह का आयोजन किया गया था । श्री शेरिंग केजांग, भूटान के महालेखापरीक्षक इस समारोह के मुख्य अतिथि थे । कुल 12 पुरस्कार, जिनमें 1 स्वर्ण शील्ड, 7 रजत शील्ड और 4 पट्टिकाएं प्रदान की गई थीं ।

5.25 रणनीति और परिप्रेक्ष्य योजना समिति

रणनीति और परिप्रेक्ष्य योजना समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऐसी उभरती घटनाओं का पुनर्विलोकन करती है जिससे वृत्ति की विश्वसनीयता के निर्माण और साथ ही उभरते क्षेत्रों में उसके लिए स्थान का सृजन करने की दीर्घकालिक भावी योजना की पूर्ति के लिए नीतिगत कार्ययोजना में आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकें ताकि वह समाज के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके और साथ ही उसके विस्तार क्षेत्र में भी वृद्धि हो । इसके अतिरिक्त, समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऐसी उभरती घटनाओं पर भी विचार करती है, जो वृत्ति के लिए अभिप्रेत विनियमित क्षेत्रों पर प्रभाव डालने में सक्षम हैं और ऐसे मुद्दों, जिनके संबंध में वृत्ति द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है, पर विचार करके अन्य क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति की भूमिका का संवर्धन करने के लिए मार्गों और उपायों का सुझाव देकर उसे आगे और अनुपूरित करती है ।

5.26 इंडएएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति

इंडएएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति, वर्ष 2011 में अपने प्रारंभ से ही देश में इंडएएस के बारे में ज्ञान और जागरुकता का सृजन करने के लिए अथक प्रयास कर रही है । कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से कतिपय वर्ग की कंपनियों के लिए और वित्तीय वर्ष 2018-19 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों के लिए आज्ञापक रूप से इंडएएस को लागू किए जाने से संबंधित जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में, सदस्यों और अन्य पणधारियों को आईएफआरएस – अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की अत्यावश्यकता विद्यमान है । समिति अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से इंडएएस के संपरिवर्तन को सुचारू बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है । समिति की कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :

इंड एएस पर शैक्षिक सामग्रियां

इंड एएस के कार्यान्वयन को उसी भावना के साथ, जिसमें उन्हें तैयार किया गया है, सुनिश्चित करने और साथ ही सदस्यों और अन्य पणधारियों को उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विचार से, आईसीएआई की इंडएएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति इंड एएस के संबंध शैक्षिक सामग्रियां जारी करती हैं, जिनमें संबंधित इंड एएस का संक्षिप्त विवरण और ऐसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए, जिनके मानक के कार्यान्वयन के दौरान बार-बार सामने आने की संभावना है, बहुधा पुछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) अंतर्विष्ट होते हैं । समिति सभी इंड एएस पर शैक्षिक सामग्रियां निकालने के लिए कार्य कर रही हैं । इस अवधि के दौरान निम्नलिखित इंड एएस पर शैक्षिक सामग्रियों को जारी किया गया था :

- इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण संबंधी शैक्षिक सामग्री (पुनरीक्षित 2016)
- इंड एएस 2, तालिकाएं संबंधी शैक्षिक सामग्री (पुनरीक्षित 2016)
- इंड एएस 7, नकद प्रवाह का विवरण संबंधी शैक्षिक सामग्री (पुनरीक्षित 2016)
- इंड एएस 10, रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् की घटनाएं संबंधी शैक्षिक सामग्री
- इंड एएस 37, उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियों संबंधी शैक्षिक सामग्री (पुनरीक्षित 2016)
- इंड एएस 101, पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों का अपनाया जाना संबंधी शैक्षिक सामग्री

उपरोक्त के अतिरिक्त, समिति ने लेखांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से "भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) : एक पर्यावलोकन" शीर्षक वाला एक प्रकाशन जारी किया था, जिसमें सभी इंड एएस का संक्षिप्त पर्यावलोकन और विद्यमान लेखांकन मानकों में इंड एएस की तुलना में और आईएफआरएस की तुलना में इंड एएस के बीच प्रमुख अंतरो को संक्षिप्त रूप से अंतर्विष्ट किया गया है ।

इंड एएस संपरिवर्तन सुविधा सेवा समूह (आईटीएफजी)

ऐसे विभिन्न मुद्दों, जो सदस्यों, तैयार करने वाले और अन्य पणधारियों द्वारा इंड एएस के लागू होने/क्रियान्वयन के संबंध में उठाए जा रहे हैं, पर समय पूर्वक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए इंड एएस संपरिवर्तन सुविधा सेवा समूह (आईटीएफजी) का गठन किया गया था । यह समूह समय-समय पर कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए स्पष्टीकारक बुलेटिन निकालता है ।

इस अवधि के दौरान, इस समूह द्वारा चार बैठकें की गई थी, जिनमें विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया था । समूह द्वारा 25 मुद्दों का समाधान करते हुए तीन स्पष्टीकारक बुलेटिन जारी किए गए हैं । ये स्पष्टीकरण वृत्ति के सदस्यों के लिए और अन्य संबंधित पणधारियों के लिए इंड एएस को समुचित रूप से समझने और उनका कार्यान्वयन करने तथा उसकी कार्ययोजना को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं ।

आईएफआरएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति आईएफआरएस और इंड एएस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर में तथा विदेशों में भी आईएफआरएस संबंधी 12 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का भी आयोजन करती है। इस पाठ्यक्रम की व्यापक सत्र योजना को इस विचार से तैयार किया गया है कि वह सदस्यों को इंड एएस और आईएफआरएस के क्षेत्र में सक्षम बनाए। इस अवधि के दौरान आईएफआरएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 40 बैचों का संचालन किया गया था, जिनमें लगभग 1400 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। अभी तक, लगभग 7125 सदस्यों ने देश भर में और विदेशों में स्थित अवस्थानों पर आईएफआरएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

विनियामकों, निगमों और अन्य संगठनों के लिए इंड एएस प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति विभिन्न विनियामकों, संगठनों और निगम घरानों के लिए इंड एएस संबंधी घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित संगठनों के लिए इंड एएस संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया :

- आयल इंडिया लिमिटेड के लिए 10 से 12 दिसंबर, 2015 के दौरान नोएडा में
- आयल इंडिया लिमिटेड के लिए 18 से 20 दिसंबर, 2015 के दौरान दुलाईजन, असम में
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए 18 से 21 जनवरी, 2016 के दौरान दिल्ली में
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के लिए 29-30 जनवरी, 2016, 5-6 फरवरी, 26-27 फरवरी, 2016 के दौरान हैदराबाद में
- लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के लिए 17-18 मार्च, 2016 के दौरान नई दिल्ली में
- दूरसंचार विभाग (डाट) के लिए 29-31 मार्च, 2016 के दौरान नई दिल्ली में
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के लिए
    - 26-28 अप्रैल, 2016 के दौरान दिल्ली में
    - 9-11 मई, 2016 के दौरान मुंबई में
    - 18-20 मई, 2016 के दौरान हैदराबाद में
    - 6-8 जून, 2016 के दौरान कोलकाता में

केंद्रीय परिषद् सदस्यों, आईसीएआई के लिए इंड एएस अनुकूलन कार्यक्रम

समिति ने लेखांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 26 मई, 2016 को, होटल कंट्री इन सुइट्स, साहिबाबाद, यूपी में केंद्रीय परिषद् सदस्यों, आईसीएआई के लिए इंड एएस अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया था।

इंड एएस संबंधित जागरुकता कार्यक्रम

समिति ने देश भर के विभिन्न अवस्थानों पर एक/दो दिवसीय इंड एएस संबंधित जागरुकता कार्यक्रमों का भी आयोजन भी किया। इन जागरुकता कार्यक्रमों में, आधारिक मानकों, जो इंड एएस के अधीन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने के लिए भूमिका स्वरूप हैं, के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इंड एएस और विद्यमान एएस के बीच अंतर को भी विनिर्दिष्ट रूप से बताया जाता है ताकि सदस्यों और पणधारियों को इस संबंध में शिक्षित किया जा सके कि इंड एएस के अधीन लेखांकन किस प्रकार विद्यमान एएस के अधीन किए जाने वाले लेखांकन से भिन्न होगा। इस अवधि के दौरान देश भर के विभिन्न अवस्थानों पर इंड एएस संबंधी 7 जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इंड एएस संबंधी वेबकास्ट

सदस्यों को इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से शिक्षित करने के लिए समिति ने समय-समय पर इंड एएस से संबंधित विभिन्न विषयों पर वेबकास्टों का आयोजन किया था।

अन्य कार्यक्रम

इंड एएस के अनुसार कृषि से संबंधित लेखांकन मुद्दों का समाधान करने के लिए, समिति ने 19 अप्रैल, 2015 को पुणे में "कृषि संबंधी लेखांकन पर संगोष्ठी" का आयोजन किया था। समिति ने 27 अप्रैल, 2016 को उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी) के साथ संयुक्त रूप से सीएआरओ, इंड एएस और आईएफसी से संबंधित एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया था।

की गई बैठकों की संख्या

1.4.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान, समिति द्वारा नई दिल्ली में 7(सात) बैठकों का आयोजन किया गया था।

5.27 महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति

महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद् की महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति दो वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सदस्यों के विकास के लिए योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना है। महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति, विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि का आयोजन करके महिला सीए के साधारण फायदे के लिए अपनी महिला सदस्यों को सशक्त बनाने के अपने उद्देश्य के प्रति कटिबद्ध है। 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 तक की अवधि के दौरान, समिति ने पूरे भारत में 35 कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत दो लाइव परस्पर क्रियाशील बैठकें भी थी, जिन्हें माननीय रेल मंत्री सीए सुरेश प्रभु जी और माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीए पीयुष गोयल जी के साथ आयोजित किया गया था।

समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां : नियमित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों/ संगोष्ठियों और सम्मेलनों के अलावा डब्ल्यूएमईसी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया था :

1. महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति ने 22 और 23 अगस्त, 2015 के दौरान रविन्द्र नाट्य मंदिर, मुंबई में, संपूर्ण सीए भ्रातृसंघ के समक्ष महिलाओं की योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए एक दस सीपीई घंटों का बृहत आयोजन "अखिल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट शिखर सम्मेलन" का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन का उदघाटन सीए सुरेश प्रभु जी, माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष, सीए मनोज फडनीस के साथ किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विख्यात वक्ताओं में सीए शांती एकम्बरम, अध्यक्ष, उपभोक्ता सेवाएं, कोटक महिन्द्रा बैंक, सुश्री जिया मोदी, एजेडबी एंड पार्टनर्स, सीए भावना दोशी, वरिष्ठ भागीदार, केपीएमजी, सीए पिंकी मेहता, सीएफओ, आदित्य बिरला नुवो और सीए रामदीयो अग्रवाल, एमडी, मोतीलाल ओसवाल एंड कंपनी सम्मिलित थे। इस शिखर सम्मेलन में देश भर से 553 सदस्यों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिला सदस्यों को वृत्तिक और साथ ही सामाजिक मंचों पर मान्यता प्रदान करना था।
2. समिति द्वारा 4 जुलाई से 1 अगस्त, 2015 के दौरान मुंबई में महिला सदस्यों के लिए एक "आईटी कार्यशाला" का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य, उसमें भाग लेने वाली सदस्यों को आईटी के क्षेत्र में होने वाली नई घटनाओं के संबंध में पठन उपलब्ध कराके उनके कौशल को तैयार करना और उनके आईटी संबंधी कौशलों में अभिवृद्धि करना था, जो वृत्ति में उनके द्वारा अपेक्षित है।
3. डब्ल्यूएमईसी द्वारा 12 मार्च, 2016 को हैदराबाद में महिला सदस्यों को वृत्ति के आवश्यक विषयों के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए "महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी" का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा द्वारा किया गया था। इस संगोष्ठी में लगभग 180 महिला सदस्यों ने भाग लिया था।

   एक अनन्य महिला पोर्टल, "महिला सदस्यों के लिए पोर्टल" (www.womenportal.icai.org) को भी समिति द्वारा बनाए रखा जा रहा है, जो हमारी महिला सदस्यों को एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा वे अपनी अपेक्षाओं को सामने रख सकती हैं और उन्हें उपलब्ध नमनीय कार्य संबंधी विकल्पों की तलाश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य हमारी महिला सदस्यों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना भी है, जो न केवल उनके ज्ञान को अद्यतन बना सके अपितु जहां वे अपने विचारों और चिंताओं का भी परस्पर आदान-प्रदान कर सकें।

5.28 युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति

युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति (वाईएमईसी), जो कि आईसीएआई की अस्थायी समितियों में से एक है, का गठन युवा सदस्यों के लिए ऐसे विचारों का जनन करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, जिसमें वे दिलचस्पी लेंगे तथा उत्साह से भाग भी लेंगे।

- **समिति द्वारा आयोजित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ वेबकास्ट निम्नानुसार हैं :**
  - समिति ने विभिन्न समकालीन ऐसे विषयों, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए फायदाप्रद हैं, अर्थात् इंड एएस, निगम विधि, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आईटी उपकरण आदि, पर देश भर में 51 संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं/सम्मेलनों का आयोजन किया था।
  - समिति ने 22-23 अगस्त, 2015 के दौरान अखिल भारतीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया था।
  - विभिन्न समकालीन विषयों पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर पांच आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

- समिति ने जीएसटी, एक्सएल, भू-संपदा संव्यवहारों से संबंधित मुद्दों आदि पर पांच वेबकास्टों का आयोजन किया है।

- **वाईएमईसी ज्ञान पोर्टल :** वाईएमईसी पोर्टल (www.ymec.in) युवा सीए को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जहां से वे वाईएमईसी के क्रियाकलापों से जुड़ सकते हैं और सक्रिय रूप से उनमें भाग ले सकते हैं तथा उनमें भागीदारी कर सकते हैं। इस पोर्टल में विभिन्न विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं जैसे कि होने वाले आयोजन, सलाह, लेख, तकनीकी और प्रेरणादायक वीडियो, ज्ञान केंद्र, उपयोगी लिंक, कार्यक्रमों का संग्रह आदि। समिति ने वाईएमईसी पोर्टल पर तकनीकी विषयों संबंधी व्याख्यान और सलाहकारी वीडियो भी अपलोड किए हैं।

- **युवा सदस्य किट :** समिति ने युवा सदस्य किट का प्रकाशन किया है और उसे पुनरीक्षित भी किया है। इस किट में एक पुस्तिका और एक सीडी अंतर्विष्ट होती है, जो युवा सीए को ऐसे विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराती है, जिनके बारे में उस समय एक युक्तियुक्त समझ आवश्यक है, यदि वे अपने व्यवसाय को स्थापित करना चाहते हैं या उद्योग जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त इसमें आईसीएआई के विदेशों के साथ हुए एमओयू का संक्षिप्त विवरण और आईसीएआई के संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों आदि का संक्षिप्त विवरण जैसे ब्यौरे भी सम्मिलित हैं। युवा सदस्य किट की साफ्ट प्रति वाईएमईसी पोर्टल (www.ymec.in) पर उपलब्ध है।

- **4500 रुपए प्रतिवर्ष की कीमत वाले "निगम विधि सलाहकार" के इलैक्ट्रानिक पाठ ईसीएलए को नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाना :** वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए वाईएमईसी ने निगम विधि सलाहकार के साथ एक ठहराव किया है, जिसके अंतर्गत निगम विधि /कारबार विधि जर्नल को देश भर में 70 हजार युवा सीए को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत वे 1 सितंबर, 2015 से 30 जून, 2016 के बीच की दस मास की अवधि के लिए 4500 रुपए प्रतिवर्ष की कीमत वाले सीएलए के आनलाइन पाठ तक नि:शुल्क पहुंच बना सकेंगे। ईसीएलए तक यह नि:शुल्क पहुंच आईसीएआई के सभी युवा सदस्यों (जिन्होंने 1.1.1985 को या उसके पश्चात् जन्म लिया था) को उपलब्ध है।

- **ई-न्यूज लैटर :** समिति ने अपना पहला त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर (अप्रैल से जून, 2015) प्रकाशित किया है। इसमें वाईएमईसी समिति के द्वारा आयोजित सभी क्रियाकलापों/कार्यक्रमों/कार्यशालाओं और आगामी क्रियाकलापों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं।

- **युवा सदस्यों के लिए अर्हतापश्च प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए रियायती फीस संरचना के संबंध में युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति (वाईएमईसी) की सिफारिश :** परिषद् ने 2, 3 और 4 मई, 2016 को आयोजित अपनी 353वीं बैठक में युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति (वाईएमईसी) की सिफारिश पर युवा सदस्यों के लिए विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित अर्हतापश्च प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए रियायती फीस संरचना के संबंध में औपचारिकताओं का अनुमोदन कर दिया है। इस संबंध में ब्यौरों को, व्यष्टिक समितियों द्वारा उन्हें अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् www.icai.org के संबंधित अर्हतापश्च प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के पृष्ठों पर रखा जाएगा।

5.29 एचआर रूपांतरण समिति

1. उपरोक्त अवधि के दौरान समिति ने दो बैठकें की थी, अर्थात् 22 अप्रैल, 2015 और 5 जून, 2015 को।

2. उपरोक्त अवधि के दौरान सीए संजीव के. माहेश्वरी, सीए संजीव कुमार चौधरी और सीए जे. वेकटेंशवरलु को सम्मिलित करने वाले समिति के उपसमूह ने दो बैठकें की थी, अर्थात् 16 अप्रैल, 2015 और 12 मई, 2015 को।

3. उपरोक्त अवधि के दौरान श्री वी. सागर, सचिव, आईसीएआई, श्री राकेश सहगल, निदेशक, श्री एस.के. गर्ग, अपर सचिव और सीए मोनिका जैन, उप सचिव को सम्मिलित करने वाले एचआरटी अधिकारी समूह ने दस बैठकें की थी।

पूर्वोक्त संरचनाओं का उद्देश्य एचआर प्रणालियों और प्रक्रियाओं का नीतिगत रूपांतरण करना था और उन्होंने उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए थे :

क) समिति ने 2015 के जुलाई मास में कार्यपालक समिति के विनिश्चय के माध्यम से आईसीएआई के प्रत्येक कर्मचारी को 20 घंटे का आज्ञापक प्रशिक्षण प्रदान किया था जिसका प्रयोजन उसके मानव संसाधनों का संवर्धन करना तथा उनका सकल व्यक्तित्व विकास करना था।

ख) कुल मिलाकर समिति द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान व्यवहार संबंधी पहलुओं और तकनीकी बुद्धिमता के क्षेत्रों में लगभग 14770 मानव घंटों का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 73 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। एआईएमए,

आईएमटी गाजियाबाद और आईआईएम लखनऊ जैसी विख्यात संस्थाओं से संकायों को आमंत्रित किया गया था और इसके लिए व्यवस्थाएं घरेलू रूप से की गई थी ।

ग) समिति ने अपने आनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल का विकास एक विक्रेता से करवाया था, जिस पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण कराने, रजिस्ट्रीकरण को रद्द कराने के लिए एक अत्यंत उपयोक्ता मित्र इंटरफेस उपलब्ध है और इस प्रकार आज्ञापक प्रशिक्षण घंटों के पूरा हो जाने के उपरांत अपने प्रशिक्षण संबंधी ब्यौरों को सुगमता से देखा जा सकता है और उन्हें अद्यतन किया जा सकता है ।

घ) वर्ष 2015 के जुलाई से अक्तूबर मास के दौरान 57 समिति सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ जनशक्ति मूल्यांकन परस्पर क्रियाओं का आयोजन किया गया था (परस्पर क्रियाओं के 6 सत्र), ताकि उनकी जनशक्ति संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण किया जा सके ।

ङ) समिति के उपांग द्वारा एक संसाधन वितरण चार्ट तैयार किया गया था, जो आईसीएआई के भीतर संसाधन के उपयोग को उपलक्षित करता है ।

च) मानव संसाधन रूपांतरण समिति के अधीन एचआरटी अधिकारी समूह ने आईसीएआई के लिए प्रस्तावित मानव संसाधन रूपांतरण नीति को अंतिम रूप प्रदान किया है और उससे संबंधित प्रारूप रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, संगठनात्मक पुन: संरचना, प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की विरचना, विकास के उद्देश्य से कौशल को अद्यतन बनाना, कार्यपालन मूल्यांकन प्रणाली, कैरियर के उन्नयन हेतु प्रणालियां और कार्ययोजनाएं और प्रत्येक उन्नयन के साथ सहबद्ध मूल्यांकन संबंधी प्रक्रिया के क्षेत्रों में विभिन्न एचआर हस्तक्षेपों के संबंध में विचार सम्मिलित है । इन सिफारिशों को समिति के समक्ष रखे जाने और उसका अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यपालक समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

5.30 अंकीय रुपांतरण और प्रक्रिया पुन: इंजीनियरी समिति

अंकीय रुपांतरण और प्रक्रिया पुन: इंजीनियरी समिति ने एंड्रायड और आईओएस पर आईसीएआई मोबाइल एप्लीकेशन (आईसीएआई नाओ) का नया पाठ जारी किया है । मोबाइल ऐप के इस नए पाठ में दो नए लक्षण सम्मिलित हैं । व्यष्टिक उदघोषणाओं का आदान-प्रदान : मोबाइल ऐप की उपयोक्ता अब व्यष्टिक उदघोषणाओं का किसी बाहरी ऐप (वाट्सऐप, ई-मेल, सोशल मीडिया आदि) के माध्यम से आदान-प्रदान कर सकते हैं तथा सूचना अभिवृद्धि उपयोक्ता के मोबाइल ऐप पर प्राप्त सूचनाओं को अब बड़ा किया गया है जिससे कि उपयोक्ता उस सूचना के पूर्ण शीर्षक को देख सकेंगे । इसके अतिरिक्त, समिति और अधिक उन्नयनों के संबंध में कार्य कर रही है, जिन्हें मोबाइल ऐप के आगामी पाठ के रूप में शीघ्र ही जारी किया जाएगा ।

समिति ने आईसीएआई की सभी समितियों के लिए ई-बैठक साफ्टवेयर को समर्थ बनाया है और इस संबंध में समिति के प्रतिनिधियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है । इस कदम से मुद्रण, फोटो प्रति और वितरण (कुरियर) में अंतर्वलित भौतिक कागजों, समय और लागत की सारवान बचत होगी ।

समिति ने 12 अप्रैल, 2016 को हुई अपनी दूसरी बैठक के दौरान विभिन्न हार्डवेयर आधारित उपलब्ध वीडियो कांफ्रेसिंग समाधानों का मूल्यांकन किया है और उसने अवाया को अनुमोदित करने का विनिश्चय किया है । इस हार्डवेयर का उपापन किया जा चुका है और इसे आईटी निदेशालय में कनफिगरेशन के लिए भेजा है । यह समाधान सभी समिति कक्षों को आईसीएआई के विद्यमान वीसी नेटवर्क (प्रादेशिक कार्यालयों) के साथ और तृतीय पक्षकार अवस्थानों के साथ (पीसी, मोबाइल (केवल एंड्रायड और आईओएस) पर) प्रतिष्ठापित अवाया साफ्ट क्लायंट के माध्यम से जुड़ने में समर्थ बनाएगा । इस वीडियो कांफ्रेसिंग समाधान के माध्यम से 9 व्यक्ति पूर्ण डुप्लेक्स मोड में जुड़ सकेंगे ।

5.31 क्वालिटी पुनर्विलोकन

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड को केंद्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अधीन उसमें निहित शक्तियों के अनुसरण में गठित किया गया था और यह निम्नलिखित कृत्य करता है :-

1. परिषद् को आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में सिफारिशें करना ;
2. आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा संबंधी सेवाएं भी हैं, की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करना ; और
3. आईसीएआई के सदस्यों का, सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी तथा अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन करना ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन परिषद् का एक कृत्य यह है कि वह उसके द्वारा बनाए गए क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में की

गई सिफारिशों पर विचार करे । पूर्वोक्त खंड (ण) यह भी उपबंध करता है कि उसकी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाईयों के ब्यौरे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करे ।

पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसरण में, यह रिपोर्ट किया जाता है कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिषद् को सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से 27 प्रतिनिर्देश प्राप्त हुए थे । इनमें से 26 प्रतिनिर्देशों पर परिषद् द्वारा अप्रैल, 2015 से जून-जुलाई, 2016 के दौरान आयोजित अपनी बैठकों में विचार किया गया था । इस संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

1. आईसीएआई के अनुशासन के अधीन आगे और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किए गए प्रतिनिर्देशों की संख्या – 5(पांच)

2. ऐसे प्रतिनिर्देशों की संख्या, जहां तकनीकी पुनर्विलोकक की टीका-टिप्पणियों को सदस्यों/फर्मों को सलाह के रूप में जारी करने का विनिश्चय किया गया था – 18(अठारह)

3. ऐसे प्रतिनिर्देशों की संख्या, जिन्हें बंद करने का विनिश्चय किया गया था – 3(तीन)

4. परिषद् के विचारार्थ लंबित प्रतिनिर्देशों की संख्या – 1(एक)

5.32 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति का गठन परिषद् वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया था । समिति की पहली बैठक 5 जून, 2015 तथा दूसरी बैठक 2 फरवरी, 2016 और तीसरी बैठक 29 मार्च, 2016 को की गई थी ।

- **परिषद् द्वारा समिति के निर्देश निबंधनों का अनुमोदन :** समिति के निर्देश निबंधनों को परिषद् द्वारा 17-19 मार्च, 2016 को हुई उसकी 352वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था । परिषद् ने समिति के कार्यक्षेत्र को स्वच्छ भारत अभियान से परे विस्तारित किया था और उसे सरकार की अन्य पहलों जैसे कि मेक इन इंडिया, भारत कौशल विकास, जन-धन योजना आदि के अनुरूप कार्य करने की आज्ञा दी थी ।

- **माइक्रो-साइट का विकास :** समिति अपनी माइक्रो-साइट में सुधार करने के लिए प्रक्रिया कर रही है, जो आईसीएआई, उसकी विभिन्न शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराएगी जहां वे उनके द्वारा सीएसआर के संबंध में किए गए विभिन्न क्रियाकलापों को उपदर्शित कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त, यह माइक्रो-साइट आईसीएआई के सदस्यों को एक समर्पित कोना/स्तंभ भी उपलब्ध कराएगी, जहां वे सीएसआर के भागरूप में उनके द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं ।

- **स्वच्छ विद्यालय अभियान :** उक्त पहल का शुभारंभ 28 जून, 2015 को किया गया है, जब तेलगांना राज्य के करीम नगर जिले में एनटीपीसी द्वारा संनिर्मित विद्यालय शौचालय खंड/यूनिट का भौतिक सत्यापन किया गया था ।

  समिति, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (सीपीएसयू), जो कि विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) द्वारा शासित है, के साथ भी समन्वयन कर रही है । आज की तारीख तक 806 से अधिक सदस्यों ने अपनी दिलचस्पी अभिव्यक्त की है और आईसीएआई के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और इस जानकारी को विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊपर उल्लिखित सीपीएसयू के साथ साझा किया गया है ।

- **स्वच्छ भारत पखवाड़ा :** समिति अपने स्व:विवेक से सामने आई है और उसने सक्रिय रूप से स्वच्छ भारत पखवाड़े के दौरान उसमें भागीदारी की है, जो कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मई और साथ ही जून, 2016 में आयोजित एक पहल है, जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में 1 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ करते हुए आगे की अवधि के दौरान विषयगत स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया था । इसके अनुसरण में, स्वच्छ भारत अभियान के साथ प्रभावी रूप से सहबद्ध होने के लिए पूरे देश में फैले सभी पांच प्रादेशिक कार्यालयों और 154 शाखाओं में विशेष स्वच्छता अभियान आरंभ किए गए थे ।

कार्यक्रम : समिति 6 अगस्त, 2016 को मुंबई में 'निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी एक संगोष्ठी' का आयोजन कर रही है जिसमें विख्यात वक्ता जैसे कि श्री राजेश तिवारी, महानिदेशक और सीईओ, भारतीय सीएसआर केंद्र, श्री प्रताप भानू सिंह, सलाहकार – सीएसआर संवहनीयता, इरकान इन्फ्रास्ट्रकचर एंड सर्विसिज लिमिटेड और सुश्री अलका तलवार, प्रमुख – सीएसआर और संवहनीयता, टाटा केमिकल्स को उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के साथ अपने बुद्धिमता भरे शब्दों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है ।

5.33 कैरियर परामर्श संबंधी समिति

कैरियर परामर्श संबंधी समिति, आईसीएआई की एक अस्थायी समिति है, जिसका सृजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन किया गया था । इस समिति का गठन इस प्रमुख उद्देश्य के साथ किया गया था कि वह माध्यमिक, वरिष्ठ/उच्चतर माध्यमिक, स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच विशेष सीए पाठ्यक्रम के साथ वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करेगी ।

वाणिज्य विशेषज्ञ – 2016

समिति वाणिज्य विशेषज्ञ – 2016 के नाम से ज्ञात वाणिज्य योग्यता खोज परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव करती है, जो एक नैदानिक परीक्षा है, जो किसी छात्र की वाणिज्य से संबंधित अवधारणा को समझने के सामर्थ्य का मापमान करती है । इस परीक्षा को विभिन्न केंद्रीय और राज्य बोर्डों की पाठ्यचर्या के गहन अध्ययन के पश्चात् कक्षा 10/11/12 में पढने वाले छात्रों के लिए विकसित किया गया है । यह परीक्षा नियमित परीक्षाओं, जो यह जानने का प्रयास करती हैं कि किसी बालक को कितनी जानकारी है, की भांति न होकर यह जानने का प्रयास करती है कि कोई छात्र अवधारणाओं को कितनी भली प्रकार से समझ सकता है ।

उद्देश्य

- आईसीएआई वाणिज्य विशेषज्ञ एक ऐसा उपकरण होगा, जो देश के युवाओं को मानविकी (वाणिज्य) के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करेगा ।
- आईसीएआई वाणिज्य विशेषज्ञ एक ऐसे उपकरण के रूप में कार्य करेगा, जो देश में वाणिज्य के क्षेत्र में योग्यता की खोज करेगा ।
- यह योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा और उसके बदले उनमें उत्कृष्टता अर्जित करने की भावना को प्रोत्साहित करेगा ।
- आईसीएआई को एक प्रमुख लेखांकन निकाय के रूप में स्थापित करेगा, जो छात्रों के सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है ।

राष्ट्रीय/विश्व वाणिज्य शिक्षा दिवस

समिति 10 नवंबर, 2016 को राष्ट्रीय/विश्व वाणिज्य शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव करती है । इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, जिसके दौरान आम लोगों के दैनिक जीवन में वाणिज्य शिक्षा के महत्व के बारे में संदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाएगा । यह आयोजन क्रियाकलापों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के रूप में होगा, जिसमें राज्य, देश और विदेशों के विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र, विख्यात शिक्षाविद् और संकाय भाग लेंगे । समिति आने वाले छात्रों के लिए, वाणिज्य के क्षेत्र में उनके कैरियर और वृत्ति को विकसित करने के लिए एक वास्तविक मंच उपलब्ध कराएगी ।

वर्ष 2016 में इस कार्यक्रम की थीम "वाणिज्य शिक्षा के आयामों को विस्तारित करना" है । समिति इस समारोह का आयोजन उस दिवस को करेगी, जिसको आधुनिक लेखांकन के पिता कहे जाने वाले श्री फ्रांसिसकन फरायर लुका बर्टोलोमियो डे पचियोली ने सुम्मा डे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिया, प्रोपोरशिनी एट प्रोपोरशनलिटा (अंकगणित, ज्यामिती और अनुपात के संबंध में सभी कुछ) का प्रकाशन वेनिस में किया था अर्थात् 10 नवंबर, 2016 को । यह ऐसी पहली पुस्तक थी, जिसका उद्देश्य उन दिनों उपलब्ध गणित संबंधी सभी जानकारी को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना था । सुम्मा का एक ट्रेकटेट्स, जिसका शीर्षक "पर्टिकुलेरिस डे कंप्यूटिस एट स्क्रीप्टूरिस" (लेखांकन और अन्य आलेखों के बारे में) था, में वेनिसियाई बहीखाता रखने के संबंध में ब्यौरेवार वर्णन किया गया है । यह दोहरी प्रविष्टि बही खाते रखने के संबंध में पहला मुद्रित निबंध था, जिसे "वेनिस की पद्धति" कहा जाता था और वह व्यापारिक लेखांकन संबंधी बहु प्रचलित संकर्मों का प्रत्यक्ष आधार था ।

सोशल मीडिया मंच पर सीसीसी, आईसीएआई और सीसीसी, आईसीएआई की अनन्य वेबसाइट

माध्यमिक, वरिष्ठ/उच्चतर माध्यमिक, स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान के साथ वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करने के लिए समिति ने एक अनन्य वेबसाइट को स्थापित किया है । पूर्वोक्त वेबसाइट छात्रों को लेखांकन वृत्ति के गौरवपूर्ण विश्व के संबंध में शिक्षित करेगी । यह वेबसाइट विशिष्ट रूप से लेखांकन शिक्षा के साथ वाणिज्य शिक्षा के विशेष प्रतिनिर्देश सहित एक उत्कृष्ट कैरियर चुनने में छात्रों के लिए मददगार सिद्ध होगी और उन्हें लेखांकन शिक्षा के संबंध में उपलब्ध सही कैरियर का चुनाव करने के संबंध में विनिश्चय करने में सहायता करेगी ।

समिति ने माध्यमिक, वरिष्ठ/उच्चतर माध्यमिक, स्नातक/ स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच सीए पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान के साथ वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करने के लिए सोशल मीडिया मंच पर अपनी अंतर्वस्तु निकाली है । पूर्वोक्त विभिन्न सोशल मीडिया मंच जैसे कि फेसबुल, टवीटर, गुगल +, यू ट्यूब, विशिष्ट रूप से लेखांकन शिक्षा के साथ वाणिज्य शिक्षा के विशेष प्रतिनिर्देश सहित एक उत्कृष्ट कैरियर चुनने में छात्रों के लिए मददगार सिद्ध होगी और उन्हें लेखांकन शिक्षा के संबंध में उपलब्ध सही कैरियर का चुनाव करने के संबंध में विनिश्चय करने में सहायता करेगी, जो बज़ का सृजन करने, अपडेटों को पोस्ट करने, परिचर्चाएं आरंभ करने, लिंकों को साझा करने, प्रचारात्मक अभियानों को आरंभ करने, ब्लॉग/फीड्स का संवर्धन करने, फोटो और दस्तावेजों को पोस्ट करने, टवीटर हैंडलों का सृजन करने, उसके लिए संपर्क प्ररूप/रजिस्ट्रीकरण प्ररूप को तैयार करने आदि जैसे कार्यों को सुकर बनाएगी ।

5.34 प्रबंधन समिति

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

क. ऐसे विषय, जिनके बारे में परिषद् को सिफारिश की गई थी--

1. आईसीएआई की पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी और इछलकरंजी में शाखाएं, उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् की कैथल जिले के लिए कैथल में, झझर जिले के लिए बहादुरगढ़ में, भिवानी जिले के लिए भिवानी में, कुरुक्षेत्र जिले के लिए कुरुक्षेत्र में शाखाएं और आईसीएआई की मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की बोकारो जिले के लिए बोकारो में शाखाएं स्थापित करना ।

2. आकलैंड में एक नए चैप्टर की स्थापना ।

3. विलयन और निर्विलयन से संबंधित विद्यमान नियम 4(vi) का संशोधन, अर्थात् निर्विलयन के लिए मांग विलयन के 10 वर्ष की अवधि के भीतर की जा सकती है ।

4. कैरियर परामर्शी समिति के, योग्यता खोज परीक्षा और विश्व/राष्ट्रीय वाणिज्य शिक्षा दिवस को मनाए जाने संबंधी प्रस्ताव ।

5. ऐसे छात्रों को, जो 1 मई, 2012 को या उसके पश्चात् व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत हुए थे और 31 दिसंबर, 2015 तक जीएमसीएस – 1 को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सके थे, 31 दिसंबर, 2016 तक विस्तारण मंजूर करना ।

6. अप्रत्यक्ष कर समिति का "अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" के स्थान पर "सेवाकर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" को रखे जाने संबंधी प्रस्ताव ।

7. नैतिक मानक बोर्ड का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (9) में संशोधन करने का प्रस्ताव, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 225 के स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 140 को रखा जाना ।

8. अनुकूलन कार्यक्रम (15 दिवसीय) की पाठ्यचर्या निम्नानुसार है :--

   - 1 जुलाई, 2016 से आरंभ होने वाले बैचों में नामांकित होने वाले छात्रों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे नई पाठ्यचर्या और नए दिशानिर्देशों के अनुसार 15 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम को पूरा करें ।

   - इस 15 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम के लिए प्रभारित की जाने वाली कुल फीस को 5500 रुपए पर नियत किया गया है । जिसमें से आयोजक इकाईयों द्वारा अध्ययन बोर्डों को 500 रुपए का धन प्रेषण किया जाना जारी रखा जाएगा जैसा कि जीएमसीएस -1 की दशा में किया जा रहा था ।

   - 1 मई, 2012 को या उसके पश्चात् और 31 दिसंबर, 2014 तक व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत होने वाले छात्रों के लिए यह अपेक्षित होगा कि यदि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया है तो वे 31 दिसंबर, 2016 तक जीएमसीएस – 1 को पूरा करेंगे । 1 जनवरी, 2015 को या उसके पश्चात् व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत होने वाले छात्रों के लिए जीएमसीएस – 1 पूरा अपेक्षित नहीं होगा ।

   - जीएमसीएस 2 के नामकरण को परिवर्तित करके जीएमसीएस किया जाएगा, जिसे छात्रों के लिए आईसीएआई की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व पूरा करना अपेक्षित होगा ।

ख. समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण विनिश्चय

- मेट्रो या गैर मेट्रो की बजाए किसी नगर में सदस्यों की संख्या के आधार पर सेवाकर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए फीस के पुनरीक्षण हेतु अप्रत्यक्ष कर समिति के प्रस्ताव का निम्नानुसार अनुमोदन :--

  5000 और अधिक सदस्यों वाले नगर = 18000 रुपए

  5000 से कम सदस्यों वाले नगर = 12000 रुपए

- अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति के, बीजीएम के लगभग 1500 पृष्ठों (जिसमें दो विषय सम्मिलित हैं) के सकल पुनर्विलोकन के लिए 100 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से मानदेय के संदेय संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन ।
- महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति द्वारा ई-न्यूज लैटर निकालने के प्रस्ताव का अनुमोदन ।
- मानदेय में वृद्धि के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड की निम्नलिखित सिफारिशों का अनुमोदन :
  - तकनीकी पुनर्विलोककों के मानदेय को प्रति वार्षिक रिपोर्ट 7500 रुपए को बढ़ाकर 10000 रुपए प्रति वार्षिक रिपोर्ट करना ।
  - वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह के सदस्यों (केंद्रीय परिषद् के सदस्यों, प्रादेशिक परिषदों के सदस्यों और शाखा स्तरीय प्रबंधन समितियों के सदस्यों को छोड़कर) के मानदेय को प्रति वार्षिक रिपोर्ट 4000 रुपए को बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति वार्षिक रिपोर्ट करना ।
  - तकनीकी विशेषज्ञ प्रति वार्षिक रिपोर्ट 6000 रुपए को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति वार्षिक रिपोर्ट करना ।
- अध्ययन बोर्ड की छात्रवृत्ति स्कीमों के पुनर्विलोकन से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशों का अनुमोदन :
  - आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों के प्रवर्ग के अधीन छात्रवृत्तियों की संख्या को 200 से बढ़ाकर 250 करना, ये छात्रवृत्तियां ऐसे छात्रों को उपलब्ध होंगी, जो मध्यवर्ती (आईपीसी) के लिए रजिस्ट्रीकृत होंगे ।
  - योग्यता-सह-आवश्यकता आधारित प्रवर्ग के अधीन आईआईपीसी रैंक धारकों के लिए प्रत्येक शैक्षिक कार्यकाल के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या को 15 से बढ़ाकर 20 करना ।
- वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड की निम्नलिखित सिफारिशों का अनुमोदन करना :
  - निम्नलिखित के संबंध वास्तविक यात्रा लागतों की प्रतिपूर्ति :
    - (क) एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रम /संगोष्ठियों के लिए दो संकायों द्वारा इकोनोमी वर्ग ; और
    - (ख) अर्ध दिवसीय जागरुकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रम /संगोष्ठियों के लिए एक संकाय द्वारा इकोनोमी वर्ग ।

6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति

(i) विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए पहलें

अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2016 के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू

- **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के साथ एमओयू**

  आईसीएआई ने 10 फरवरी, 2016 को आईआईसीए के साथ अपने एमओयू को नवीकृत किया है, जो अब फरवरी 2019 तक विधिमान्य है । इस एमओयू के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, ज्ञान के प्रसार हेतु संयुक्त संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/कार्यशालाओं और मंचों का आयोजन, संयुक्त शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन, तकनीकी सामग्रियों और तकनीकी संसाधनों का आदान-प्रदान और परस्पर दिलचस्पी के संबंध में सहयोग है ।

- **सीबीएफएस ओमान के साथ एमओयू**

  27-28 मई, 2016 के दौरान मस्कट में नैतिकता के साथ रूपांतरण और उत्कृष्टता संबंधी हमारे मस्कट चैप्टर के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन सत्र के दौरान आईसीएआई ने, आईसीएआई और ओमान के बैंककारी और वित्तीय अध्ययन

महाविद्यालय (सीबीएफएस ओमान के साथ एमओयू) के बीच दो मास की अवधि के लिए, जब तक कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाते, एक अस्थायी एमओयू (परस्पर समझ ज्ञापन) के नवीकरण पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) आईसीएआई की ब्रांड साम्या का वैश्वीकरण

- आईसीएआई 29 फरवरी, 2016 को विश्व व्यापक चार्टर्ड अकाउंटेंटों का सहबद्ध सदस्य बन गया है, जिसके लिए सीएडब्ल्यू ने उसे सदस्यता प्रमाणपत्र द्वारा प्रदान किया गया था। सीएडब्ल्यू, प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थानों द्वारा की गई ऐसी पहल है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा वैश्विक अर्थवस्थाओं के संबंध में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के विकास और संवर्धन का समर्थन करती है।
- सीए मनोज फडनीस, जो कि वर्ष 2015-16 के लिए आईसीएआई के अध्यक्ष थे, को अक्तूबर, 2015 से प्रारंभ होने वाली 2 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई और प्रशांत अकाउंटेंटों का संघ (सीएपीए) के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।
- 4 फरवरी, 2016 को आकलैंड में आईसीएआई के 27वें चैप्टर का शुभारंभ किया गया था।
- 18 मई, 2016 को रासअलखेमाह, यूएई में आईसीएआई के 28वें चैप्टर का शुभारंभ किया गया था।

(iii) आईसीएआई में प्रतिनिधिमंडल के दौरे

- 6 अगस्त, 2015 को प्रो. आर्नोल्ड शील्डर, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) और सुश्री कैथलीन हीली, तकनीकी निदेशक, आईएएएसबी ने आईसीएआई का दौरा किया था।
- 8 अगस्त, 2015 को नेल्सन लेसी, निदेशक, एशिया प्रशांत और जोआना मर्फी, प्रबंध निदेशक, एशिया प्रशांत ने चार्टर्ड वैकल्पिक निवेश विश्लेषक (सीएआईए) संघ की ओर से आईसीएआई का दौरा किया था।
- 4 फरवरी, 2016 को श्री ईयान माकिन्टोश, उपाध्यक्ष, आईएएसबी, श्री मिचेल परादा, अध्यक्ष, आईएफआरएस फाउंडेशन न्यासी और श्री कुमार दास गुप्ता, तकनीकी निदेशक, आईएएसबी ने आईसीएआई का दौरा किया था।
- 11 मार्च, 2016 को श्री टोनी मेनवारिंग, कार्यपालक निदेशक, विदेश कार्य, सीआईएमए ने आईसीएआई का दौरा किया था और 27 मई, 2016 को श्री एंड्रयू हार्डिंग, प्रबंध निदेशक, सीआईएमए और श्री भास्कर रंजन दास, विपणन अध्यक्ष, दक्षिण एशियाई, सीआईएमए ने परस्पर दिलचस्पी के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था।
- सुश्री ओलिविया क्रिटले, अध्यक्ष, आईएफएसी और श्री रसेल गुथ्री, मुख्य वित्त अधिकारी, आईएफएसी 23-24 जून, 2016 के दौरान आईसीएआई का दौरा किया था।
- 4 जुलाई, 2016 को मार्क छाओ, प्रादेशिक प्रबंधक, सीपीए, आस्ट्रेलिया और मिशेल चान, वरिष्ठ कारबार विकास प्रबंधक, सीपीए आस्ट्रेलिया ने परस्पर दिलचस्पी के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए और दो संस्थानों के बीच विद्यमान संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था।

(iv) सम्मेलन / कार्यक्रम

- 7-9 अगस्त, 2015 को इंदौर में "लेखांकन वृत्ति : उत्कृष्टता की ओर कदम" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर से अपने सभी बौद्धिक पणधारियों को एकसाथ लाना था। इस सम्मेलन का उदघाटन मुख्य अतिथि आईटीएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.डी. सूद द्वारा किया गया था और इस समारोह के गणमान्य अतिथि आईएफएसी के तुरंत पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री वारेन एलेन थे।
- आईसीएआई ने 21 जनवरी, 2016 को मुंबई में एक्सबीआरएल इंडिया के साथ मिलकर छठे एक्सबीआरएल एशिया गोलमेज (एक्सएआरटी) सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में आरबीआई, एमसीए और बीएसई के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों को साझा किया था।
- 22-24 अप्रैल, 2016 के दौरान मुंबई में आईसीएआई ने साफा समिति और साफा बोर्ड बैठकों तथा साफा-आईएफएसी प्रादेशिक पीएआईबी मंच की मेजबानी की थी।

(v) अविकसित देशों को तकनीकी सहयोग

आईसीएआई परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं में सक्षमता निर्माण करने के लिए उत्साहित है ताकि लेखांकन के क्षेत्र में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में वृत्तिक ज्ञान की कमी को दूर करने में उनकी सहायता की जा सके । आईसीएआई ने लेखांकन और संपरीक्षा मानक बोर्ड, भूटान के अनुरोध पर "आईसीएबी की चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यचर्या को विकसित करने के लिए, आईएसीबी के लिए उपविधियों का प्रारूपण करने तथा एएएसबीबी के लिए नियमों और विनियमों का प्रारूपण करने के लिए परामर्शी सेवाएं" उपलब्ध कराने में अपनी दिलचस्पी अभिव्यक्त की है । इस परियोजना का निष्पादन आईसीएआई द्वारा किन्हीं वाणिज्यिक प्रतिफलों अर्थात् लाभ के तत्व की कामना के बिना किया जाएगा ।

(vi) रचना खंडों के लिए कार्यकरण

आईसीएआई के भावी सदस्यों को प्रौद्योगिकी के इस युग में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए दुबई, कुवैत और मस्कट के अलावा युगांडा, दारे-अस-सलाम और कतर में "आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई किट" को जारी किया गया था । इन किटों की अवधारणा इस प्रकार की गई है कि वे वृत्तिक अवसरों के लिए विदेशों में जाने का आशय रखने वाले सदस्यों को विहंगम आरंभिक जानकारी उपलब्ध कराती हैं ।

7. अन्य क्रियाकलाप

7.1 मानव संसाधन विकास

किसी संगठन का मानव संसाधन विभाग उसके दीर्घकालिक उद्देश्यों का नीतिगत भागीदार होता है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि संगठन के पास सही स्तर और संयोजन के कौशल हैं, जो संवहनीयता और स्थिरता के लिए आवश्यक हैं । आईसीएआई के एच आर विभाग का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों के व्यष्टिक उद्देश्यों आईसीएआई के समग्र परिप्रेक्ष्य के साथ सुमेलित करना है और वह वर्तमान बलों और साथ ही ऐसी कमियों की, जिन्हें दूर किया जाना अपेक्षित है, पहचान करने के लिए पूरे संगठन में विद्यमान कौशलों और विशेषज्ञता का पुनर्विलोकन करने में अगुवाई करता है तथा इस प्रकार वह यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त व्यष्टियों को मुख्य भूमिकाएं सौंपी जाएं ।

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर लेखांकन वृत्ति के निरंतर समृद्ध होते प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, आईसीएआई निरंतर अपने तकनीकी और शैक्षिक खंडों में अपने बौद्धिक आधार की साबित और परीक्षित सक्षमता वाले अधिकारियों से अभिवृद्धि करता है । आईसीएआई की जनशक्ति अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए, एचआर विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न स्तरों पर सुयोजित भर्ती अभियान चलाए थे और सभी संभावी अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन भी सुनिश्चित किया था ।

नेतृत्व की उभरती आवश्यकता का समाधान करने के लिए, सहयोगात्मक समस्या समाधान करने और कर्मचारियों को विभिन्न विकल्पों में अंतर्वलित मुद्दों का वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषण करने में समर्थ बनाने के लिए विभाग द्वारा समकालीन मुद्दों जैसे कि आरटीआई, आईटी प्रशिक्षण, कार्य जीवन संतुलन, बातचीत संबंधी विरोधाभास, समय प्रबंध, लेखांकन में नैतिकता, पुस्तकालय डाटाबेस, ई-बैठक साफ्टवेयर आदि पर आईसीएआई के कर्मचारियों के लिए विभिन्न काडर आधारित और विनिर्दिष्ट रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

यह एक सुस्थापित तथ्य है कि नीतिगत संवहनीयता के लिए आवश्यक कौशलों को सफलतापूर्वक परिदत्त करने के लिए एचआर विभाग से निरंतर यह अपेक्षित है कि वह समय के साथ अपनी स्वयं की नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार करे । आईसीएआई के एचआर विभाग ने भी सदैव इस आधार पर कार्यकरण करने के उद्देश्य का पालन किया है कि परिवर्तनशील समय में, सुसंगत संबद्ध आंतरिक और बाहरी पणधारियों के परिप्रेक्ष्य और चिंताओं के साथ नए विचारों और अवसरों को समझने में और अधिक क्रियाशील बनने की आवश्यकता है ।

तदनुसार, कार्य प्रवाह की बढ़ती जटिलताओं के अनुरूप, एचआर विभाग ने भी एक नवीन पहल की है और दिल्ली स्थित आईसीएआई के कर्मचारियों के लिए आनलाइन छुट्टी प्रबंध प्रणाली आरंभ की है और इस प्रकार उपस्थिति संबंधी सभी डाटा और छुट्टी के आवेदनों की प्रक्रिया आनलाइन हो गई है । इसके परिणामस्वरूप, मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता काफी हद तक कम हो गई है और इस प्रकार इस संबंध में मानवीय प्रयासों/समय की बचत हुई है तथा किसी त्रुटि की संभावना कम हुई है । राष्ट्र भर में एचआर विभाग की सभी प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थीकरण तथा स्वचालन करने का और वेतन नामावलियों संबंधी क्रियाकलापों का समकालीकरण किया जा रहा है ।

पूर्वोक्त के अलावा, वर्ष के दौरान की गई अन्य एचआर पहलों में शिकायत समाधान, समयानुकूल परामर्श, उन्नत प्रसुविधा प्रबंध तथा अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए समुन्नत नीतियों को लागू पर बल दिया गया था और साथ ही उसने आईसीएआई की कर्मचारियों के बौद्धिक विकास के लिए तथा उसके कार्यबल को पुन: कौशल से लैस करने के लिए एक सुविज्ञ संगठन का सृजन करने के लिए की गई पहलों को अनुपूरित किया था ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम-अप्रैल, 2015 के पश्चात्

क्रम सं.	कार्यक्रम की तारीख	कार्यक्रम की अवधि (दिन/घंटे)	शीर्षक	भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	मानव घंटों की संख्या=(भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रशिक्षण दिवसों की संख्या × प्रत्येक दिवस को दिए गए घंटों की संख्या)
दिल्ली कार्यालय					
1	28.10.2015	2 घंटे 30 मिनट {1 दिन}	कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 से संबंधित कार्यशाला	166	415 घंटे (166×1×2.30)
2	28.10.2015	3 घंटे {1 दिन}	पुस्तकालय डाटा बेस संबंधी डेमो प्रशिक्षण कार्यक्रम 1. डेलनेट – (संसाधनों के आदान-प्रदान संबंधी पुस्तकालय नेटवर्क) 2. वेस्टलॉ इंडिया (विधिक डाटा बेस)	24	72 घंटे (24×1×3)
3	16.05.2016 & 17.05.2016	4 घंटे {2 दिन}	ई-बैठक साफ्टवेयर, कलैंडर सूचना, आनलाइन निक्षेपागार	88	704 घंटे (88×2×4)

7.2 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

वृत्ति के लिए पहलें : रचना खंडों के लिए कार्यकरण

प्रमाणपत्र पाठयक्रम

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति पिछले सात वर्ष से भिन्न-भिन्न नगरों के अर्हित और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को आधुनिक वित्तीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक उच्च मूल्य वाला कारबार वित्त में मास्टर संबंधी एक एकवर्षीय प्रमाणपत्र पाठयक्रम (एमबीएफ) का संचालन करती है । इसने अभी तक सफलतापूर्वक 8 बैचों को पूरा किया है । इस समय समिति दिल्ली और मुंबई में एमबीएफ के नौवें और दसवें बैच हेतु कक्षाओं का आयोजन कर रही है । इसने निम्नानुसार इसके पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था :

1. 16 अप्रैल, 2016 को मुंबई में एमबीएफसीसी के सातवें बैच का दीक्षांत समारोह ।
2. 26 मई, 2016 को होटल हंस, दिल्ली में एमबीएफसीसी के सातवें और आठवें बैच का दीक्षांत समारोह ।

उद्योग/निगम पहलें/कार्यक्रम

समिति ने फरवरी, 2016 में मैनेजमेंट डेवपलमेंट इंस्टिट्यूट, निगडी, पुणे में एचपीसीएल के कार्यपालकों के लिए सीए कार्यपालकों से संबंधित वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का आयोजन किया था ।

संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन/अन्य कार्यक्रम

समिति ने आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की वसई शाखा, जलगांव शाखा और नासिक शाखा के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया था । समिति ने 24 जून, 2016 को भारत सरकार द्वारा विकास में अभिवृद्धि करने के लिए प्रमुख पहलें – स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा बैंक तथा ऐसी प्रमुख पहलों से उदभूत होने वाले वृत्तिक अवसर पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया । समिति ने सीओई, हैदराबाद में एमबीएफसीसी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए चार आवासीय कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था ।

7.3 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति को, आईसीएआई और उद्यमों तथा लोक सेवाओं में कार्यरत सदस्यों के बीच परस्पर रूप से फायदाप्रद लाईव संबंध स्थापित करने के तथा ऐसे सदस्यों और साथ ही आईसीएआई के अन्य सदस्यों के परस्पर फायदे के पहलुओं का पता लगाने और उन्हें वास्तविक बनाने हेतु कार्य करने के प्रयोजन से पुन: गठित किया गया है।

समिति ने वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए थे :

क) 5 से 7 जनवरी, 2016 के दौरान कोलकाता में 'आर्थिक विकास के लिए लेखांकन वृत्ति' विषय पर लोक सेवाओं में लगे आईसीएआई के सदस्यों के लिए आवासीय कार्यशाला

समिति ने राष्ट्रीय महत्व के कतिपय ऐसे मामलों पर, जिनके संबंध में आईसीएआई अनुसंधान तथा आगे और अध्ययन कर सकता है, गहन विचार-विमर्श करने के लिए और साथ ही वृत्ति द्वारा प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षित समकालीन महत्व के विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श करने के लिए 5 से 7 फरवरी, 2016 के दौरान कोलकाता में 'आर्थिक विकास के लिए लेखांकन वृत्ति' विषय पर लोक सेवाओं में लगे आईसीएआई के सदस्यों के लिए आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया था।

इस कार्यशाला में विभिन्न लोक सेवाओं से 29 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें सीए के. रहमान खान, संसद् सदस्य, राज्य सभा भी सम्मिलित थे।

ख) 24 जनवरी, 2016 को आईटीएटी अधिकरण के सदस्यों के लिए रात्रिभोज

समिति ने आईसीएआई की ओर से 24 जनवरी, 2016 को आईटीएटी अधिकरण के सदस्यों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था।

ग) उद्यमों और लोक सेवाओं में लगे आईसीएआई सदस्यों का डाटाबेस

समिति ने उद्यम और लोक सेवाओं में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों के डाटाबेस को अद्यतन बनाने के प्रयासों को जारी रखा था और समिति ने उद्यम और लोक सेवा में कार्यरत 463 सदस्यों के डाटाबेस का संकलन किया है।

7.4 सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति

समिति का प्रमुख उद्देश्य सहकारिताओं और एनपीओ सेक्टरों में उत्तम शासन और सर्वोत्तम व्यवहारों का संवर्धन करना है। समिति सहकारिताओं और एनपीओ के संबंध में कानूनों में उपयुक्त सुधारों का भी सुझाव देती है तथा सहकारिताओं और एनपीओ के लिए एकसमान लेखांकन ढांचे का संवर्धन करती है। साथ ही सदस्यों को सहकारिताओं और एनपीओ के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की, संगोष्ठियों, व्यवहारिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।

कार्यक्रम (संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परस्पर क्रियाशील बैठकों और व्याख्यान बैठकों के रूप में) : पूर्त न्यासों/एनपीओ, प्रत्यय सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा और कराधान, 97वां संविधान संशोधन, सहकारिताओं और एनपीओ के संबंध में वृत्तिक अवसरों, सहकारी संपरीक्षा, आवासन सोसाइटियों के पुन:विकास, सहकारी आवासन सोसाइटियों की संपरीक्षा और सेवाकर विवक्षाएं, आनलाइन रूप से फाइल किए जाने, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और स्टाम्प शुल्क के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

सहकारिता संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : वर्ष के दौरान सहकारिता संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के सात बैचों का आयोजन किया गया था।

वेबकास्ट : 'माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (2015 के अध्यादेश द्वारा)' विषय पर एक लाइव वेबीनार का तथा "वित्तीय अभिदाय विनियमन अधिनियम" पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था।

विनियामकों के साथ कार्यक्रम : समिति ने सहकारिता विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से मुंबई में महाराष्ट्र सहकारिता शिखर सम्मेलन, 2015 का आयोजन किया था।

संकाय का विकास : सहकारिता संबंधी संकाय विकास कार्यक्रम और एनपीओ संबंधी संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

7.5 विधिक खंड

आईसीएआई का विधिक खंड निम्नलिखित कार्य करता है :

1. विधिक रायों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता अध्ययनों और रिपोर्टों को उपलब्ध कराना, जैसा कि समय-समय पर आईसीएआई की परिषद्/कार्यपालक समिति/ विभिन्न अस्थायी समितियों और विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।

2. आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआई के प्रशासनिक कार्यकरण से उदभूत होने वाली विधि के सारवान और प्रक्रियात्मक प्रश्नों की विविध श्रृंखला पर उपयुक्त विधिक सलाह उपलब्ध कराना, जैसा कि प्रचालनात्मक विभागों द्वारा अपेक्षित किया जाए ।

3. आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का अधीक्षण और पर्यावलोकन करना ।

4. नीतियों को तैयार करने के संबंध में विधिक सूक्ष्मताओं का ध्यान रखने के लिए यथाअपेक्षित रूप में विभिन्न स्थाई और अस्थाई समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में सेवा प्रदान करना ।

5. जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना ।

7.6 अवसंरचना विकास संबंधी समिति

आईसीएआई द्वारा शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों की अवसंरचना के विकास के लिए एक नीति की विरचना की गई है, जिसमें अवसंरचना विकास के लिए दिशा-निर्देशों, अंतर्वलित लागत कारकों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है । समिति का गठन वर्ष 2014 में, ऐसे भवन प्रस्तावों के संबंध में नीति के कार्यान्वयन के लिए किया गया था, जो आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों से प्राप्त हों । समिति आईसीएआई के विभिन्न अवस्थानों पर अधिशेष भूमि/भवन का पुनर्विलोकन करती है । यह आईसीएआई की संपूर्ण विद्यमान अवसरंचना परियोजनाओं का भी पुनर्विलोकन करती है तथा उसके लिए सम्यक् प्रक्रिया का पालन करती है ।

अवसरंचना नीति को तैयार करने के पश्चात् नई अवसरंचना का क्रय :

1. कन्नूर शाखा, एसआईआरसी - भूमि निजी पक्षकार से क्रय की
2. जालंधर शाखा, एनआईआरसी – सरकारी भूमि, जालंधर सुधार न्यास से
3. जबलपुर शाखा, सीआईआरसी – सरकारी भूमि जबलपुर विकास प्राधिकरण से
4. गोवा शाखा, डब्ल्यूआईआरसी - भूमि निजी पक्षकार से क्रय की
5. गुड़गांव शाखा, एनआईआरसी – सरकारी भूमि एचएसआईआईडीसी से
6. मुरादाबाद शाखा, सीआईआरसी – सरकारी भूमि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से
7. पाली शाखा, सीआईआरसी – सरकारी भूमि नगर परिषद, पाली से
8. आगरा शाखा, सीआईआरसी – सरकारी भूमि उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद से
9. गोरखपुर शाखा, सीआईआरसी – सरकारी भूमि गोरखपुर विकास प्राधिकरण से

समिति द्वारा अनुमोदित संनिर्माण के प्रस्ताव

1. अजमेर शाखा, सीआईआरसी
2. सूरत शाखा, डब्ल्यूआईआरसी
3. हुबली शाखा, एसआईआरसी
4. राजामहेन्द्रवरम् शाखा, एसआईआरसी
5. उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर
6. भटिंडा शाखा, एनआईआरसी
7. बरेली शाखा, सीआईआरसी

7.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम ने लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा जवाबदेही का संवर्धन करने के लिए भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए सूचना के अधिकार को उपलब्ध कराया था । आईसीएआई, जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए प्रावधानों के अनुसार एक लोक प्राधिकारी है । सूचना का

अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देश के अनुपालन में इस लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (आरटीआई) और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या नीचे सारणी में प्रदान की गई है :

त्रैमास	ऐसे आवेदनों की कुल संख्या जिनका त्रैमास में उत्तर दिया गया था
पहला त्रैमास	142
दूसरा त्रैमास	137
तीसरा त्रैमास	111
चौथा त्रैमास	162

7.8 एक्सबीआरएल

एक्सबीआरएल इंडिया का मुख्य उद्देश्य, भारत में इलैक्ट्रानिक कारबार रिपोर्टिंग और अन्य किस्म की कारबार रिपोर्टिंग के लिए मानक के रूप में 'एक्सटेन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लेंग्वेज' (एक्सबीआरएल) को अपनाए जाने का संवर्धन करना तथा उसके लिए प्रोत्साहन देना और साथ ही ज्ञान का प्रसार और संवर्धन करना, वर्गीकरणों के विकास के माध्यम से एक्सबीआरएल के विकास और संवर्धन के उद्देश्य का समर्थन करना, एक्सबीआरएल संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाना तथा नियंत्रण प्रणालियों और संबद्ध विधाओं में प्रबंधन सूचना को बढ़ावा देना है, जिसका समर्थन भारत सरकार और विभिन्न विनियामक निकायों, अर्थात् कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आदि द्वारा किया जा रहा है।

- **<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं</u>**

  कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, वर्ष 2010-11 से कंपनियों के एक चुने हुए वर्ग के वित्तीय विवरणों को वार्षिक रूप से फाइल किए जाने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण का उपयोग किया जा रहा है।

  तथापि, इस वर्गीकरण को कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 और कुछ अन्य परिवर्तनों के अधीन अधिकथित नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पुनरीक्षित किया जा रहा है। पुनरीक्षित सी एंड आई वर्गीकरण का उपयोग कंपनियों द्वारा वर्ष 2015-16 से वित्तीय विवरणों को फाइल करने के लिए किया जाएगा।

- **<u>विकसित किए जा रहे वर्गीकरण</u>**

  कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय मानकों (इंड एएस) के आधार पर वर्गीकरणों के विकास के लिए हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) को आमंत्रित किया गया था। दो पक्षकारों ने इस ईओआई के संबंध में दिलचस्पी अभिव्यक्त की थी और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। सम्यक् समय के अनुक्रम में परियोजनाओं को समनुदेशित किया जाएगा। उक्त वर्गीकरण का उपयोग, आईएफआरएस के साथ अभिसरित मानकों अर्थात् इंड एएस के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों को फाइल करने के लिए किया जाएगा।

- **<u>विनियामकों का सम्मिलित होना</u>**

  - 22 जनवरी, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के समर्थन से बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा एक्सबीआरएल संबंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
  - एमसीए ने 10-11 मार्च, 2016 के दौरान आईआईसीए के पदधारियों और एमसीए के पदधारियों के लिए एक दो दिवसीय एक्सबीआरएल संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया था।
  - एमसीए ने 5 अप्रैल, 2016 को एमसीए के पदधारियों के लिए वार्षिक फाइलिंग के संबंध में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। आईसीएआई के पदधारियों ने "वित्तीय विवरण वर्गीकरण" विषय पर एक सत्र का आयोजन किया था।

➢ **<u>एक्सबीआरएल संबंधी कार्यान्वयन</u>**

- बंबई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) ने 11 जून, 2015 से आनलाइन फाइलिंग के लिए एक्सबीआरएल सोलुशन का शुभारंभ किया है । अभी तक, बीएसई ने निगम शासन, शेयर धृति पैटर्न और वित्तीय परिणामों के संबंध में अनुपालनों के लिए एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग को लागू किया है ।
- महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां उसके अपराध संबंधी अभिलेखों को बनाए रखने हेतु एक्सबीआरएल का कार्यान्वयन किया गया है । इस परियोजना के पहले चरण में राज्य सीआईडी ने अपने वार्षिक प्रकाशन 'महाराष्ट्र में अपराध' को निकालने हेतु इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था ।

➢ **<u>अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलाप</u>**

एक्सबीआरएल इंडिया ने 21 जनवरी, 2016 को भारत में एक्सबीआरएल एशियाई कार्यशाला की मेजबानी की थी । श्री जॉन टर्नर, सीएफओ, एक्सबीआरएल इंटरनेशनल, श्री योशिआकी वाडा, अध्यक्ष, एक्सबीआरएल एशिया, एमसीए, बीएसई और आरबीआई के प्रतिनिधियों तथा अन्य एशियाई देशों, अर्थात् पौलेंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, ताइवान, जोर्डन, इंडोनेशिया से प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था और क्रमश: अपने-अपने एक्सबीआरएल कार्यान्वयन संबंधी अनुभवों को साझा किया था ।

7.9 राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार समिति

भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री के सक्रिय नेतृत्व के अधीन व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए अनेक नई पहलें आरंभ की हैं ताकि भारत को कारबार को अगला गंतव्य बनाया जा सके । भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वैश्विक आर्थिक स्थिति की वर्तमान दशा में एक आशा की किरण सिद्ध होगा । आईसीएआई ने अपने "राष्ट्र निर्माण में भागीदारी" के कथित उद्देश्य के अनुरूप और भारत के आर्थिक विकास में सहयोग देने के विचार से फरवरी, 2016 में "राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार समिति" नामक एक नई समिति को स्थापित किया है ।

इस समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 मार्च, 2016 को की गई थी । समिति ने दिलचस्पी के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया था, जिनमें आईसीएआई की तथा उसके सदस्यों की गहन विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है । दिलचस्पी के इन क्षेत्रों के अंतर्गत : राजस्व/कर जीडीपी अनुपात में सुधार करना, भारत में "कारबार करने की सुगमता" हेतु उसके रैंक में सुधार करना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत की श्रेणी में सुधार करना, सरकार/मंत्रालयों में बेहतर वित्तीय प्रबंध स्थापित करना, राष्ट्रीय संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आदि हैं । समिति ने उपरोक्त दिलचस्पी के क्षेत्रों के संबंध में सदस्यों से सुझावों को आमंत्रित किया था तथा इस प्राप्त सुझावों का संकलन भी किया था । समिति ने हित की अभिव्यक्ति के माध्यम से सदस्यों को आमंत्रित किया था तथा उनमें से 30 सदस्यों का चयन किया था, जो विभिन्न विषयों पर अध्ययन करेंगे । इस संबंध में संकलन संबंधी कार्य पूरा किया जा चुका है । इस प्रकार चुने गए सदस्य अनुसंधान क्रियाकलापों में अंतर्वलित होंगे । राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञ समूहों का सृजन करके अनुसंधान या अंत:निवेश उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

इसके अतिरिक्त, समिति विख्यात अर्थशास्त्रियों जैसे बाह्य विशेषज्ञों से सहयोजन करने, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ताओं को आमंत्रित करने और/या सर्वेक्षणों का संचालन करने का प्रयास करेगी

इस समिति के आशय और साथ ही सभी अध्ययनों/कार्यक्रमों/विचार-विमर्शों से प्राप्त हुए परिणामों को सुसंगत मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ विजन/ अवधारणा पत्र के रूप में साझा किया जाएगा ।

7.10 विधिक समन्वयन समिति

अध्यक्ष ने फरवरी, 2016 में हुई परिषद् की 351वीं बैठक में उसे दिए गए प्राधिकार के निबंधनानुसार एक नई अस्थायी समिति "विधिक समन्वयन समिति" को गठित किया था ।

मुख्य क्रियाकलाप

समिति 4 मार्च, 2016 को हुई अपनी पहली बैठक में अपने उद्देश्यों और निर्देश निबंधनों को प्रस्तावित किया था, जिन्हें परिषद् द्वारा कतिपय उपांतरणों के साथ मार्च, 2016 में हुई उसकी 352वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था । यह समिति विधिक विभाग के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक व्यापक ढांचे को विकसित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रही है ताकि पारदर्शिता और प्रभावी शासन के माध्यम से अर्थपूर्ण और गुणवान पहलें करके मुकदमेबाजी और गैर मुकदमेबाजी, दोनों क्षेत्रों में भावी विधिक चुनौतियों की पूर्ति करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया का विकास करके उत्कृष्टता को प्राप्त किया जा सके । समिति आईसीएआई की ओर से विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों/उच्च न्यायालयों /अधिकरणों और भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने वाले

अधिवक्ताओं को पैनलबद्ध किए जाने संबंधी मानदंडों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए प्रक्रिया कर रही है और साथ ही वह उनकी संदाय सूचियों को भी मानकीकृत कर रही है । एक विधिक पोर्टल को विकसित करने के लिए भी समिति द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जिनका आशय विधिक अभिलेखों का अंकीयकरण करके, संपूर्ण विधिक प्रक्रिया/प्रणाली को प्रौद्योगिकी के अनुकूलनतम उपयोग के माध्यम से विकसित किए जाने को सुकर बनाने के लिए विधिक दस्तावेजों के समुचित कार्य प्रवाह को समर्थ बनाकर उसे स्थापित करना है । समिति आवधिक रूप से न्यायालयों में आईसीएआई/उसके अंगों द्वारा/उनके विरुद्ध फाइल किए गए मामलों के संचालन/प्रगति की मानीटरी भी कर रही है, जिसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और साथ ही विधिक विभाग को सुदृढ़ बनाने हेतु कदम उठाना है । समिति विधिक विभाग को सीए भ्रातृसंघ के समक्ष साधारण रूप से आने वाली चिंताओं से संबंधित मुद्दों के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान कर रही है ।

8. अन्य मामले

8.1 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

संस्थान के 66वें वार्षिक समारोह का आयोजन 11 फरवरी, 2016 को अशोक होटल के कन्वेशन हाल, नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें आईसीएआई ने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया था । इस अवसर पर न केवल वर्ष 2015-16 में आईसीएआई की उपलब्धियों की सफलताओं का स्मरण किया गया था अपितु इसमें उसके भावी वृत्तिक प्रयासों की कार्ययोजना को भी उपदर्शित किया गया था । संघ के वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लेखांकन वृत्ति, सरकार और अन्य पणधारियों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे । अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए लेखांकन वृत्ति की सराहना की थी । राष्ट्र की सेवा में 66 गौरवपूर्ण वर्षों के इतिहास की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने यह कहा था कि आईसीएआई ने राष्ट्र के वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में अत्यधिक निपुणता के साथ सरकार को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं । योग्य सीए छात्रों, सदस्यों और उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और विदेशी चैप्टरों को इस आयोजन के दौरान उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया था । इस अवसर पर आईसीएआई के विभिन्न प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया था । कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री मनोज कुमार ने इस अवसर पर पुरस्कारों का वितरण किया था ।

8.2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस समारोह – 1 जुलाई, 2016

आईसीएआई ने 1 जुलाई 2016 को अपने 67 स्वर्णिम वर्षों के पूरा होने पर, अपने स्थापना दिवस को देश भर में की 154 शाखाओं और 5 प्रादेशिक परिषदों तथा विदेशी चैप्टरों में धूमधाम से मनाया था । परंपरा के अनुसार, नई दिल्ली में आईसीएआई के ध्वजारोहण संबंधी आयोजन के साथ यह समारोह आरंभ हुआ था, जिसके पश्चात् विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सीए दिवस संबंधी समारोह प्रारंभ हुए थे, जिसमें संघ के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने मुख्य अतिथि की भूमिका अदा की थी । सचिव, श्री वी. सागर ने गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया था और सीए. एम. देवराजा रेड्डी, अध्यक्ष ने परिषद् का प्रतिनिधित्व करते हुए इस अवसर पर उन्हें संबोधित किया था । इस समारोह में बी.के. डा. गिरिश पटेल, विख्यात मनोचिकित्सक, मुंबई द्वारा "सफलता के लिए भावनात्मक बुद्धिमता" विषय पर प्रोत्साहनात्मक व्याख्यान सम्मिलित था और इस समारोह का समापन सीए (डा.) गिरिश आहूजा, एफसीए, नई दिल्ली द्वारा "आय घोषणा स्कीम, 2016" विषय पर एक सीपीई व्याख्यान के साथ हुआ था ।

8.3 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

आईसीएआई का केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है । इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है । पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है, यह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, मैगजीनों, ऑनलाइन डाटा बेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है । केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है ।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है । पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है । ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस www.icai.org पर "नो युअर इंस्टीटयूट सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी" पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध है ।

स्तंभ "एकाउंटेंट्स ब्राउजर" के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास "द चार्टर्ड अकाउंटेंट" जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि "एकाउंटेंट्स ब्राउजर" पूर्ववर्ती लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है। निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों, संकाय और छात्रों को प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाईन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जो www.icai.org –Central Council Library पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने इन डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों तथा साथ ही आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों के पुस्तकालयों में भी अपेक्षित सामग्री की सर्च को सुकर बनाने के लिए प्रतिष्ठापित किया है। पुस्तकालय में अनेक आनलाइन जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमश: प्रधान कार्यालय और नोएडा कार्यालय में स्थित पुस्तकालयों में अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	81
2.	ग्राहकी प्राप्त किए गए जर्नलों तक ई-पहुंच	13
3.	आनलाइन संसाधन	10
4.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकें	195

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय, सेक्टर-62 नोएडा

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	40
2.	ग्राहकी प्राप्त किए गए जर्नलों तक ई-पहुंच	8
3.	आनलाइन संसाधन	9
4.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकें	335

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन बना रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों आदि को नवीनतम और अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

8.4 संपादकीय बोर्ड – वृत्तिक ज्ञान का अक्षरश: प्रसार

संपादकीय बोर्ड संस्थान की एक अस्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को निरंतर रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध विषयों पर एक संरचित रीति में 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन 265000 से अधिक है।

यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज द चार्टर्ड एकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर आईसीएआई के सदस्यों और द चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय बोर्ड निरंतर प्रयास कर रहा है।

1 अप्रैल, 2015 और 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

क्वालिटी और समकालीन अंतर्वस्तु :

- **विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया जाना :** अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2016 तक के जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन विषय संबंधी मुद्दों के अधीन 200 से अधिक लेख/फीचर और विभिन्न विषयों पर रिपोर्टों का प्रकाशन किया गया था।

अंकीय पाठ की विभिन्न विशिष्टियों को अद्यतन करना

- **ई-जर्नल :** द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल, जो कि इस जर्नल का इलैक्ट्रानिक पार्ट है, आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर आनलाइन रूप से एक उच्च प्रौद्योगिकी और उपयोक्ता मित्र ई-मैगजीन के रूप में उपलब्ध है, को और अधिक समुन्नत किया गया था तथा उसे नवीनतम एचटीएमएल 5 प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नए ई-मैगजीन मंच वी 6 पर पूर्ण रूप से

स्थानांतरित किया गया था। ई-जर्नल का नया पाठ, पूर्ववर्ती पाठ की तुलना में तीव्र तथा अधिक क्रियाशील है, जिससे एक बेहतर उपयोक्ता अनुभव प्राप्त होता है और यह और अधिक बेहतर मोबाइल अनुरूपता प्रस्थापित करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों की नई पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

- **पीडीएफ प्ररूप में जर्नल :** तथापि, पाठकों के लिए और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधाओं को आरंभ करने, विशिष्ट रूप से अंतर्वस्तुवार पृथक् डाउनलोड के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में वेबसाइट पर रखा जाता है और साथ ही इसके लिए अनुक्रमणिका पद्धति को अपनाया जाता है। अंकीय जर्नल के जुलाई, 2002 के आगे के संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- **मोबाइल पर जर्नल :** इसके अतिरिक्त, यह ई-जर्नल अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है तथा यह आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रयाड युक्तियों के समनुरूप है। इस जर्नल तक पहुंच को http://www.icai.org/ के अधीन 'ई-जर्नल' टैब पर सुकर बनाया जा सकता है। यह ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

- **जर्नल हाईलाईट ईमेलर्स :** एक अतिरिक्त सेवा के रूप में जर्नल के प्रत्येक अंक की विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में सम्मिलित अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल किया जाता है।

- **वर्ष 1952 के पश्चात् से सभी जर्नलों की डीवीडी :** द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के पाठकों को एकल बिन्दु प्रतिनिर्देश पटल उपलब्ध कराने तथा उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को अनुकूल रूप से उपयोग में लाकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसके अधीन जर्नल के पूर्व अंकों की एक डीवीडी जारी की गई है, जो पाठकों और अन्य पणधारियों के लिए उपलब्ध है। यद्यपि, जर्नल के 10 वर्षों (जुलाई 2002 - जून 2012) की एक डीवीडी को पीडीएफ प्ररूप में सस्ती कीमत पर पाठकों के लिए निकाला गया था, वहीं द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के 63 वर्षों (जुलाई 1952 - जून 2015) तक के सभी अंकों को अंतर्विष्ट करने वाली एक एचटीएमएल युक्त डीवीडी को भी हाल ही में निकाला गया है। इस एचटीएमएल पाठ युक्त डीवीडी में, सर्च पद्धति में पाठक मास, वर्ष, जिल्द, प्रवर्ग (जैसे कि परिपत्र और अधिसूचना, आईसीएआई समाचार, विधिक निर्णय आदि) के अतिरिक्त लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान आदि से संबंधित कुंजी शब्दों के माध्यम से अंतर्वस्तु की वैश्विक खोज कर सकते हैं।

'आई गो ग्रीन विद आईसीएआई' पहल

आईसीएआई के बहु आयामी हरित अभियान के भागरूप में, हरित क्रांति की सोच रखने वाले सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को हाल ही में एक विकल्प प्रदान किया गया था, जिसके अधीन वे वृक्षों को बचाने के लिए जर्नल की हार्ड प्रति को न लेकर जर्नल के विभिन्न इलैक्ट्रानिक पाठों का विकल्प ले सकते थे। इस संबंध में प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए एक माइक्रो वेबसाइट को भी स्थापित किया गया था। एक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के रूप में केवल 15 दिनों में ही पांच हजार से अधिक पाठकों ने जर्नल की हार्ड कापी को न लेने का विकल्प चुना था। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस हरित पहल का समर्थन करने वाले आईसीएआई के सदस्य आईसीएआई के साथ स्वयं को रजिस्टर करने के लिए http://online.icai.org/app_forms/ejournal.html पृष्ठ पर जा सकते हैं।

8.5 भारत का लेखांकन संग्रहालय

आईसीएआई द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित भारत का लेखांकन संग्रहालय, भारत और विश्व में लेखांकन वृत्ति की समृद्ध बौद्धिक धरोहर का एक अत्यधिक विशाल खजाना है। यह संग्रहालय शिक्षाविदों और साथ ही छात्रों में भी अधिकाधिक लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस वर्ष, सदस्यों, विद्यालय अध्यापकों और छात्रों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, (जिसके अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा संस्थान भी है, जो अब शिक्षा विभाग के नाम से ज्ञात है), आईपी महिला महाविद्यालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय की संस्थाओं से अध्येता, संकाय सदस्य और छात्रों ने इस संग्रहालय का दौरा किया था। लेखांकन वृत्ति की धरोधर के संबंध में तथा आईसीएआई के नोएडा स्थित कार्यालय में इस संग्रहालय की मौजूदगी के बारे में पणधारियों को जानकारी देने हेतु संग्रहालय वर्ष 2013 से ही प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों में अपने आदिप्ररूपों को स्थापित कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए पाठ और छाया-छवियों के एक सेट को भी तैयार किया गया है। यह संग्रहालय जब कभी अपेक्षित हो, आईसीएआई की अन्य समितियों की परियोजनाओं में भी योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त, संग्रहालय निरंतर रूप से आईसीएआई जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी अपना योगदान देता है। संग्रहालय की एक समर्पित वेबसाइट को भी विकसित किया जा रहा है और यह कार्य अब अपने अंतिम चरण पर है। संग्रहालय अपने संग्रहों और कहानियों को समृद्ध करने के लिए उत्सुक है। इस प्रकार, दो नई श्रृंखलाओं, अर्थात् विश्व लेखांकन संस्थाओं – प्रारंभ से 1949 तक और भारतीय लेखांकन के पिता, के साथ अतिरिक्त पैनलों के लिए प्रारूप आलेख भी अपने अंतिम चरण पर हैं। म्यूजियम में विद्यमान पैनलों को भी पुनरीक्षित किया जा रहा है।

8.7 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

(क) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधन

जैसा कि पूर्व में रिपोर्ट किया गया था, परिषद् ने मार्च, 2010 में हुई अपनी 294वीं बैठक में, जुलाई, 2009 में केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट से उदभूत होने वाले सुझावों के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में प्रारूप संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समूह का गठन किया था ताकि उसके पास दोषी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए समर्थकारी शक्तियां हों । इस समूह ने अगस्त, 2010 में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी । समूह द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर परिषद् ने अगस्त, 2010 में हुई अपनी बैठक में विचार किया था । उसके पश्चात् दोषी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए समर्थकारी शक्तियों को प्रदान करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में प्रारूप संशोधनों को दिसंबर, 2010 में केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया था । ये प्रारूप संशोधन अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में कतिपय प्रारूप संशोधनों, जिनके अंतर्गत परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के कार्यान्वयन को सुकर बनाना भी है, को प्रस्तुत किया था । शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम को, जो आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, परिषद् द्वारा क्रमश: जून और जुलाई, 2015 में हुई उसकी 343वीं और 344वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था । परिषद् द्वारा यथाअनुमोदित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में प्रारूप संशोधनों को केंद्रीय सरकार के सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु अक्तूबर, 2015 में उसे प्रस्तुत किया गया था । केंद्रीय सरकार ने, अप्रैल, 2016 में प्रस्तावित संशोधनों को अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था और आईसीएआई को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए अधिसूचित करने का अनुरोध किया था । तदनुसार, साधारण जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 3 – खंड 4, तारीख 18 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित की गई थी । इस संबंध में कतिपय टीका-टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं । परिषद इन टीका-टिप्पणियों पर विचार करेगी और उसके पश्चात् प्रारूप संशोधनों को पुन: केंद्रीय सरकार के अंतिम अनुमोदन हेतु केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 13,363 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था जिससे 1 अप्रैल, 2016 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 2,53,337 हो गई है ।

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पूर्व वर्ष में 2,570 की संख्या की तुलना में 2,744 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए थे ।

1.4.2016 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभों का योग (1) और (2)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	66060	46299	**112359**
अंशकालिक व्यवसाय में	2875	5406	**8281**
जो व्यवसाय में नहीं हैं	13075	119622	**132697**
योग	**82010**	**171327**	**253337**

9.2 दीक्षांत समारोह

आईसीएआई, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है । पांचों प्रादेशिक कार्यालयों के अधीन निम्नलिखित दस स्थानों : अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता,

जयपुर, कानपुर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में 17 अगस्त, 2016 को अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2016 की अवधि को सम्मिलित करते हुए "दीक्षांत समारोह 2016" के पहले चरण को आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है।

अध्यक्ष के संबोधन को 17 अगस्त, 2016 को गुगल हैंगआउट के माध्यम से सभी उपरोक्त 10 स्थानों पर इन समारोह में भाग लेने व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

9.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरणपोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2015 को कुल आजीवन सदस्य	123661
2.	31 मार्च, 2016 को कुल आजीवन सदस्य	128500
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान)	4839
4.	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दी गई कुल वित्तीय सहायता	= 1,09,34,500 रुपए

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान (रुपए)	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान (रुपए)
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	1,09,34,500	1,37,50,107
2.	प्रशासनिक खर्चे	582	22,966
3.	निधि में अधिशेष (कमी)	71,96,531	55,65,697
4.	निधि का अतिशेष	93,60,845	21,64,314
5.	कोरपस का अतिशेष	17,21,68,397	16,00,92,797

9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1000 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 100 छात्रवृत्तियां, आर्टिकल्ड प्रशिक्षण करने वाले छात्रों को दी गई। निधि की आजीवन सदस्यता 31 मार्च, 2015 को 6932 के मुकाबले 31 मार्च, 2016 को बढ़कर 7370 हो गई थी। निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2016 को 39,91,584/-रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2015 को 43,12,077 रुपए है।

9.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 588 छात्रों (आर्टिकल्ड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र) को वित्तीय सहायता के रूप में एक वर्ष के लिए 1000 रुपए प्रति मास मूल्य की छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई गई थी। 31 मार्च, 2015 को 9,70,88,753/- रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2016 को साधारण निधि में 11,43,36,158/- रुपए का अतिशेष जमा था।

10. छात्र

अध्ययन बोर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयचर्या के प्रशासन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम करने वाले लगभग 8.43 लाख छात्रों को सैद्धांतिक अनुदेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

1. शैक्षिक अंत:निवेश

शिक्षा और प्रशिक्षण पुनर्विलोकन समिति : चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम एक सक्रिय प्रकृति का पाठयक्रम है, जिसका आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है ताकि समकालीन आर्थिक विकास की घटनाओं की तुलना में वृत्ति अपनी अग्रता बनाए रखे। आईसीएआई ने हाल ही में शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी अपनी विद्यमान स्कीम का पुनर्विलोकन किया था और ब्यौरेवार पद्धतियों का अनुपालन करने के पश्चात् उसने शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी पुनरीक्षित स्कीम का प्रारूपण किया था। पुनरीक्षित स्कीम को 18 अप्रैल, 2016 से 45 दिन की अवधि के लिए जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए जनता के समक्ष रखा गया था। पणधारियों और साधारण जनता से प्राप्त टीका-टिप्पणियों को आगे और कार्रवाई हेतु संकलित और पुनर्विलोकित किया जा रहा है।

अध्ययन सामग्रियों का पुनरीक्षण : छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को, सभी तीन स्तरों, अर्थात् "सीपीटी, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल" को अद्यतन/पुनरीक्षित किया गया है और समुचित परिवर्तनों के लिए जहां कहीं अपेक्षित था, अनुपूरक पत्र (पत्रों) को भी जारी किया गया है।

इन्हें नि:शुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित सामग्रियों को भी निकाला गया था :

1) चुने गए मामलों का सार संग्रह

2) कराधान विषयों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री

3) पुनरीक्षण प्रश्न-पत्र

4) सुझाए गए उत्तर

5) सीए परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करें, संबंधी पुस्तिकाएं

छात्रों का जर्नल : अध्ययन बोर्ड, वर्ष 1997 से छात्रों के लिए **'दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेन्ट'** नामक एक मासिक जर्नल का प्रकाशन करता आ रहा है। छात्रों के इस जर्नल में सीए छात्रों से सुसंगत विषयों पर उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, थीम मुद्दों, प्रेरणात्मक लेखनों और अन्य महत्वपूर्ण उद्घोषणाओं जैसे विषयों पर लेखों जैसे नियमित फीचर अंतर्विष्ट होते हैं। यह जर्नल छात्रों और साथ ही आईसीएआई के सदस्यों में लोकप्रिय और उनके लिए उपयोगी बना हुआ है।

2. आईटी संबंधी पहलें

आईसीएआई क्लाउड परिसर सीए पाठ्यक्रम के छात्रों की जानकारी, नामांकन, शैक्षणिक, प्रशासनिक, परीक्षा संबंधी तथा अन्य अपेक्षाओं के लिए एकल विंडो का कार्य करता है। यह निम्नलिखित दुरस्थ शिक्षा सुविधाएं नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराता है :

- **छात्र एलएमएस पर ई पठन :** यह 7 जुलाई, 2016 को यथाविद्यमान 785 घंटे के मोबाइल समर्थ ई-व्याख्यान उपलब्ध कराता है। बिना इंटरनेट के पढ़ाई करने में छात्रों को समर्थ करने के लिए यह ई-पठन की डीवीडी भी उपलब्ध है।
- **व्यवहारिक समस्या समाधान विषयों के लिए वीडियो व्याख्यान :** इस समय, 7 जुलाई, 2016 तक, 417 घंटों के 516 वीडियो व्याख्यान उपलब्ध हैं, जिन्हें वेबसाइट पर रख दिया गया है। वे ब्लैकबोर्ड पर कदम-दर-कदम व्यावहारिक समस्या समाधान के बारे में बताते हैं।
- **ऑनलाइन परामर्श :** आईसीएआई ने 7 जुलाई, 2016 तक विषय और टॉपिकवार आनलाइन परामर्श उपलब्ध कराने के लिए छात्रों हेतु ऐसे 192 सत्रों का आयोजन किया है।
- **बीओएस ज्ञान पोर्टल :** बीओएस ज्ञान पोर्टल सीए पाठ्यक्रम के लिए सभी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराता है।

आईसीएआई क्लाउड परिसर पर छात्रों के लिए उपलब्ध अन्य उपयोगी सेवाएं निम्नानुसार हैं :

- **आर्टिकल नियोजन पोर्टल :** आर्टिकल नियोजन पोर्टल लिंक छात्रों को, उनके अधिमानी अवस्थान पर व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए सीए फर्मों के साथ ऑनलाइन रूप से रजिस्टर करने और चुने जाने के लिए समर्थ बनाता है।
- **जीएमसीएस/ओसी/आईटीटी पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल :** यह आनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल छात्रों को जीएमसीएस/ओसी /आईटीटी पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन रजिस्ट्रीकरण, अधिमानी अवस्थानों पर सुविधापूर्ण बैचों का चयन करने, बैच अंतरित करने, संकाय के आबंटन, पाठ्यक्रम संबंधी अनुसूची, प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करने और प्रमाणपत्र का सृजन करने में समर्थ बनाता है।

3. अन्य पहलें

पठन कक्ष : 89 पुस्तकालय-सह-पठन कक्षों तथा 39 अतिरिक्त पठन कक्षों को प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इंदौर (मध्य प्रदेश) और एनआईआरसी ने प्रत्येक में एक-एक अतिरिक्त पठन कक्ष खोले जाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है।

आईसीएआई स्वर्ण पदक/वृत्तिदान निधि : छह विश्वविद्यालयों, अर्थात् हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला, उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव, आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के साथ स्वर्ण पदक का पुरस्कार देने के लिए नई वृत्तिदान निधियों का सृजन किया गया है।

4. विकास कार्यक्रम

छात्रों के लिए वृत्तिक कौशल विकास संबंधी चार सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम : वर्ष के दौरान उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में 14 बैचों का संचालन किया गया था और 600 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था।

साधारण प्रबंध और संपर्क कौशलों संबंधी पाठयक्रम : परिषद् ने जीएमसीएस 1 पाठ्यक्रम को समाप्त करने तथा इसकी पाठ्यचर्या को अनुकूलन पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और इस प्रकार इसे 15 दिवसीय (90 घंटें) का पाठ्यक्रम बनाने का विनिश्चय किया है। जीएमसीएस – 2 पाठ्यक्रम को जीएमसीएस पाठ्यक्रम के रूप में पुन: नामित किया जाएगा, जिसे आईसीएआई की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व पूरा करना अपेक्षित होगा। परिषद् ने इस निर्णय को 1 जुलाई, 2016 से क्रियान्वित करने का विनिश्चय किया है।

अनुकूलन पाठ्यक्रम : छात्रों से, व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु स्वयं को रजिस्टर करने से पूर्व अनुकूलन पाठ्यक्रम को पूरा करना अपेक्षित है।

आज की तारीख तक क्रमश: 146, 110 और 149 पीओयू देश भर में जीएमसीएस – 1, जीएमसीएस – 2 और अनुकूलन पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। (अप्रैल, 2015 – जून, 2016) की अवधि के दौरान चलाए गए बैचों और छात्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम	बैचों की संख्या	पीओयू की संख्या	छात्रों की संख्या
जीएमसीएस -1	972	141	41797
जीएमसीएस -2	691	99	30629
अनुकूलन पाठ्यक्रम	1503	149	61415

जीएमसीएस पाठयक्रम और अनुकूलन कार्यक्रम के संकाय के लिए संकाय विकास कार्यक्रम : अध्ययन बोर्ड ने 2 और 3 मई, 2015 के दौरान चेन्नई में दो '2 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रमों' का आयोजन किया था, जिसमें 146 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया था तथा एक ऐसे अन्य कार्यक्रम का आयोजन 5-6 जुलाई, 2015 के दौरान सिलवासा में किया गया था, जिसमें 45 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया था।

आईटीटी केंद्र और अग्रिम आईटीटी : 1 अप्रैल, 2015 से 7 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान 159 आईटीटी केंद्रों में क्रमश: आईटीटी और अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रम के लिए 55879+ और 5674+ छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रम के लिए एक ई-पठन डीवीडी के साथ एक प्रैक्टिस मैनुअल भी जारी किया गया है, जो पाठ्यक्रम के भागरूप में बेहतर कार्य पर व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। 6-8 अप्रैल, 2016 के दौरान कोलकाता में अग्रिम आईटीटी पाठ्यक्रम के लिए 26 आनलाइन एफडीपी और एक भौतिक एफडीपी का आयोजन किया गया है और ऐसे और अधिक एफडीपी का आयोजन करना प्रस्तावित है।

अंग्रेजी बोलने, लेखन कौशलों और कारबार परस्पर संपर्क संबंधी अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कार्यशाला : 10 शाखाओं ने, जिनके अंतर्गत एक प्रादेशिक परिषद् भी है, अंग्रेजी बोलने, लेखन कौशलों और कारबार संबंधी परस्पर संपर्क से संबंधित 10 अल्पकालिक पाठयक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

मौक परीक्षा : प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से मई/नवम्बर और जून/दिसम्बर की मुख्य परीक्षाओं के लिए छात्रों को, परीक्षाओं हेतु उनकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल और सीपीटी स्तर की मौक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था।

आयोजक इकाईयां	श्रृंखला	परीक्षा का स्तर	परीक्षा
107 शाखाओं और 5 प्रादेशिक परिषदों	श्रृंखला -I मोक परीक्षा	मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल स्तर	मई, 2015
22 शाखाओं और 2 प्रादेशिक परिषदों	श्रृंखला -II मोक परीक्षा	मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल स्तर	मई, 2015
126 शाखाओं और 5 प्रादेशिक परिषदों	मोक परीक्षा	सीपीटी	जून, 2015
108 शाखाओं और 5 प्रादेशिक परिषदों	श्रृंखला -I मोक परीक्षा	मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल स्तर	नवंबर, 2015
32 शाखाओं और 2 प्रादेशिक परिषदों	श्रृंखला -II मोक परीक्षा	मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल स्तर	नवंबर, 2015
114 शाखाओं और 5 प्रादेशिक परिषदों	मोक परीक्षा	सीपीटी	दिसंबर, 2015
113 शाखाओं और 5 प्रादेशिक परिषदों	श्रृंखला -I मोक परीक्षा	मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल स्तर	मई, 2016
40 शाखाओं और 2 प्रादेशिक परिषदों	श्रृंखला -II मोक परीक्षा	मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल स्तर	मई, 2016
105 शाखाओं और 5 प्रादेशिक परिषदों	मोक परीक्षा	सीपीटी	जून, 2016

विशेष परामर्शी कार्यक्रम (सीए परीक्षाओं की चुनौती का सामना कैसे करें ?) :

वर्ष के दौरान 33 शाखाओं ने, जिनके अंतर्गत प्रादेशिक परिषदें भी थी, 68 विशेष परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

5. एमओयू/एमआरए/मान्यता/अन्य ठहराव

सीए पाठयक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता : विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के पश्चात् अध्ययन बोर्ड पीएचडी/फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 99 विश्वविद्यालयों, 6 भारतीय प्रबंध संस्थानों और आईआईटी, मद्रास (कुल 106) से सीए पाठयक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।

प्रत्यायन : प्रत्यायित संस्थाओं द्वारा मौखिक कोचिंग, छात्रों को युक्तियुक्त लागत पर गुणवान कक्षा कोचिंग उपलब्ध कराने के आईसीएआई के प्रयासों को अनुपूरित करती है। वर्तमान में 48 संस्थाएं सीपीटी पाठ्यक्रम कक्षाओं को उपलब्ध करा रही हैं, 10 संस्थाएं आईपीसी पाठ्यक्रम कक्षाओं को उपलब्ध करा रही हैं और एक संस्था फाइनल पाठ्यक्रम कक्षाओं को उपलब्ध करा रही है।

6. सम्मेलन/सभाएं/संगोष्ठियां और अन्य क्रियाकलाप

सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सभा, अखिल भारतीय सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : इस अवधि के दौरान, चेन्नई में एक अखिल भारतीय सम्मेलन और इंदौर में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अलावा विभिन्न स्थानों पर 34 राष्ट्रीय सभाओं का आयोजन किया गया था।

सीए छात्रों के लिए प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलन/राष्ट्रीय सभा : इस अवधि के दौरान, देश के विभिन्न स्थानों पर 14 राष्ट्रीय सभाओं का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर चार प्रादेशिक सम्मेलनों और चार उप प्रादेशिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था।

एकदिवसीय संगोष्ठियां : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 57 शाखाओं द्वारा 198 एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

वाद-विवाद प्रतियोगिता : प्रादेशिक परिषदों सहित 60 शाखाओं द्वारा शाखा स्तर पर तथा प्रादेशिक स्तर पर सभी प्रादेशिक परिषदों द्वारा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

सीए छात्र समारोह : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 46 शाखाओं द्वारा 46 सीए छात्र समारोह का आयोजन किया गया था।

खेल प्रतियोगिताएं : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 51 शाखाओं द्वारा 72 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

वक्तृता प्रतियोगिता : 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 88 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन 28 जनवरी, 2016 को चेन्नई में किया गया था।

क्विज प्रतियोगिताएं : 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 90 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 28 जनवरी, 2016 को चेन्नई में किया गया था।

विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां : देश भर में दर्जन विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

7 छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

अध्ययन बोर्ड विभिन्न प्रवर्गों, अर्थात् मेरिट, मेरिट-सह-आवश्यकता, आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों को, वृत्तिदान के अधीन वर्ष में दो बार छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान अध्ययन बोर्ड ने उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन चुने गए छात्रों को 611 छात्रवृत्तियां प्रदान की थी।

11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं।

प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 154 है।

इस समय, आईसीएआई के भारत से बाहर 28 चैप्टर विद्यमान हैं।

वर्तमान में, पूरे भारत वर्ष में 20 संदर्भ पुस्तकालय हैं।

11.1 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहयोग की भावना को विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और बौद्धिक विकास आदि के संवर्धन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठयक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के विचार से, संस्थान की परिषद् सदैव छात्रों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इस प्रक्रिया में, अभी तक छात्र संघों की 128 शाखाएं स्थापित की गई हैं।

11.2 सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार आईसीएआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2015 के लिए ये शील्डें 11 फरवरी, 2016 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी :-

1. सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद्

- डब्ल्यूआईआरसी और ईआईआरसी को संयुक्त रूप से : सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद् ट्राफी और प्रमाणपत्र
- एसआईआरसी : अति सराहनीय प्रादेशिक परिषद् ट्राफी और प्रमाणपत्र
- एनआईआरसी और सीआईआरसी : अनुशंसा प्रमाणपत्र

2. सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ

– डब्ल्यूआईसीएएसए : सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ ट्राफी और प्रमाणपत्र

- एनआईसीएएसए : अति सराहनीय छात्र संघ ट्राफी और प्रमाणपत्र
- ईआईसीएएसए : अनुशंसा प्रमाणपत्र

3. प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा

i) बृहत शाखा प्रवर्ग (2501 और अधिक सदस्य)

- पुणे शाखा : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- ठाणे शाखा : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- अहमदाबाद शाखा : अनुशंसा प्रमाणपत्र

ii) बड़ी शाखा प्रवर्ग (1001 से 2500 सदस्य)

- इंदौर और नागपुर शाखा (संयुक्त रूप से) : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- एर्नाकुलम शाखा : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- नासिक और लुधियाना शाखा : अनुशंसा प्रमाणपत्र

iii) मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग (501 से 1000 सदस्य)

- सिलिगुडी शाखा : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- पिंपरी चिंचवाड : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- जामनगर शाखा और रायपुर शाखा को संयुक्त रूप से : अनुशंसा प्रमाणपत्र

iv) लघु आकार शाखा प्रवर्ग (201 से 500 सदस्य)

- सलेम शाखा : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- जलगांव शाखा : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- हुबली और गोवा शाखा को संयुक्त रूप से : अनुशंसा प्रमाणपत्र

v) अति लघु आकार शाखा प्रवर्ग (201 सदस्यों तक)

- रतलाम शाखा : सर्वश्रेष्ठ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- नांदेड शाखा : अति सराहनीय शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- तूतीकोरन शाखा : अनुशंसा प्रमाणपत्र

4. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :

i) बड़ी शाखा प्रवर्ग (1000 से अधिक छात्र)

- पुणे और रायपुर शाखा को संयुक्त रूप से : सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- औरंगाबाद और अहमदाबाद शाखा को संयुक्त रूप से : अति सराहनीय छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- बडौदा शाखा, एर्नाकुलम शाखा, गुवाहाटी शाखा, वसई शाखा (संयुक्त रूप से) : अनुशंसा प्रमाणपत्र

ii) मध्यम शाखा वर्ग (301 से 1000 छात्र)

- सिलिगुडी शाखा : सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- कोयम्बटूर शाखा : अति सराहनीय छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- नांदेड शाखा : अनुशंसा प्रमाणपत्र

iii) लघु शाखा प्रवर्ग (300 छात्रों तक)

- सलेम शाखा : सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- तुतीकोरन शाखा : अति सराहनीय छात्र संघ शाखा ट्राफी और प्रमाणपत्र
- हुबली शाखा : अनुशंसा प्रमाणपत्र

11.3 विकेन्द्रीकृत कार्यालय

आईसीएआई की परिषद् ने, त्वरित और व्यक्तिगत सेवा के मूल्य को मान्यता प्रदान करते हुए, जिन्हें विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर एवं नई दिल्ली में स्थित 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के अलावा, निम्नानुसार 13 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों की स्थापना की है :

1. अहमदाबाद	2. बैंगलोर	3. हैदराबाद
4. पुणे	5. जयपुर	6. नागपुर
7. सूरत	8. वडोदरा	9. ठाणे
10 एर्नाकुलम	11. कोयंबतूर	12. इंदौर
13. चंडीगढ़		

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न हैं।

13. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और वह उनके प्रति आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2015-2016 के दौरान परिषद् की सहायता की और वह प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद्, श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त एवं कंपनी कार्य मामलों के मंत्री, संघ के रक्षा मंत्री, श्री मनोहर पर्रिकर, सीए सुरेश प्रभु, संघ के माननीय रेल मंत्री, श्री जयंत सिन्हा, माननीय राज्य मंत्री, वित्त, डा. नसीम जैदी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री शेरिंग केज़ांग, भूटान के महालेखापरीक्षक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है। परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

समिति, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2015-2016 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

सांख्यिकी एक दृष्टि में

सदस्य रजिस्ट्रीकरण

(1 अप्रैल, 2006 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		**पश्चिमी क्षेत्र**	**दक्षिणी क्षेत्र**	**पूर्वी क्षेत्र**	**मध्य क्षेत्र**	**उत्तरी क्षेत्र**	**योग**
1 अप्रैल, 2006	सहयुक्त	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	अध्येता	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	योग	44913	30058	13485	17019	25471	130946

1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	अध्येता	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	योग	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	अध्येता	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	योग	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	अध्येता	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	योग	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	अध्येता	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	योग	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	अध्येता	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	योग	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	अध्येता	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	योग	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1 अप्रैल, 2016	सहयुक्त	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	अध्येता	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	योग	87935	50414	23269	41424	50295	253337

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

	सहयुक्त	**अध्येता**	**योग**
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227

1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974
1 अप्रैल, 2016 को	1,71,327	82,010	2,53,337

रजिस्ट्रीकृत छात्र

(31 मार्च, 2010 से)

वर्ष के दौरान	**फाइनल**	**सीपीटी**	**पीसीसी**	**आईपीसीसी एवं आईआईपी सीसी**	**एटीसी**	**योग**
2009-10	24,172	1,67,073	1,860	80,745	3,376	2,77,226
2010-11	57,175	1,55,217	329	67,984	1,906	2,82,611
2011-12	47,515	1,61,712		85,053	2,099	2,96,379
2012-13	47,102	1,61,084	-	1,02,406	2,615	3,11,207
2013-14	39,348	1,54,742	-	96,285	3,209	2,93,584
2014-15	36,950	1,41,241	-	66,570	881	2,45,642
2015-16	31,669	1,25,140	-	77,962	1249	2,36,020

परिषद् की संरचना

परिषद् (2016-17)

परिषद् के सदस्य (2016-17)

अध्यक्ष
सीए. एम. देवराजा रेड्डी

उपाध्यक्ष
सीए. नीलेश एस. विकमसे

अवधि
12 फरवरी, 2016 से आगे

परिषद् के सचिव
श्री वी. सागर

निर्वाचित सदस्य

सीए. अग्रवाल रंजीत कुमार	कोलकाता
सीए. अग्रवाल संजय	नई दिल्ली
सीए. अग्रवाल श्याम लाल	जयपुर
सीए. अग्रवाल मनु	कानपुर
सीए. बाबु अब्राहम कल्लीवयालिल	कोच्ची
सीए. भंडारी अनिल सत्यानारायण	मुंबई
सीए. चौधरी संजीव कुमार	नई दिल्ली
सीए. छेयरा जय	सूरत
सीए. छाजेड प्रफुल प्रेमसुख	मुंबई
सीए. देवराजा रेड्डी एम.	हैदराबाद
सीए. घिया तरुण जमनादास	मुंबई
सीए. गोयल सुशील कुमार	कोलकाता
सीए. गुप्ता अतुल कुमार	दिल्ली
सीए. गुप्ता नवीन एन.डी.	नई दिल्ली
सीए. गुप्ता विजय कुमार	फरीदाबाद
सीए. हेगड़े नंदकिशोर चिदम्बर	मुंबई
सीए. जम्बुसरिया निहार निरंजन	मुंबई
सीए. खंडेलवाल धीरज कुमार	मुंबई
सीए. किनारे मंगेश पांडुरंग	ठाणे
सीए. कुमार श्रीप्रिया	चेन्नई
सीए. कुशवाहा मुकेश सिंह	गाजियाबाद
सीए. मधुकर नारायण हीरेगंगे	बंगलुरु
सीए. (डा.) मित्रा देबाशीष	गुवाहाटी
सीए. सेकर जी.	चेन्नई
सीए. शाह धीनल अश्विनभाई	अहमदाबाद
सीए. शर्मा प्रकाश	जयपुर
सीए. शर्मा राजेश	दिल्ली
सीए. सोनी केमिशा	इंदौर
सीए. वासुदेव संजय	नई दिल्ली
सीए. विजय कुमार एम.पी.	चेन्नई
सीए. विकमसे निलेश शिवजी	मुम्बई
सीए. जावरे शिवाजी भीकाजी	पुणे

नामनिर्दिष्ट सदस्य

श्री मनोज कुमार	नई दिल्ली
श्री विठ्याथिल कुरियन	नई दिल्ली

डा. गुरुप्रसाद मोहपात्रा	नई दिल्ली
श्री चन्द्र वाधवा	नई दिल्ली
डा. पी.सी. जैन	दिल्ली
श्री सुनील कनोरिया	नई दिल्ली
सुश्री इंदु मल्होत्रा	नई दिल्ली
श्री विजय कुमार झलानी	नई दिल्ली

31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा

एएसए एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हिंगोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

www.asa.in

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
परिषद्,

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2016 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकारक जानकारी सम्मिलित है, की संपरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंध मंडल का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रबंध मंडल का है, जो भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखाकंन सिद्धांतों, जिनके अंतर्गत संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक भी हैं, के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह के संबंध में सत्य और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत संस्थान की आस्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना तथा कपटों और अन्य अनियमितताओं का निवारण करना और उनका पता लगाना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करना, जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हों तथा डिजाइन कार्यान्वयन और ऐसे पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को बनाए रखना भी है, जो ऐसे वित्तीय विवरणों, जो सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं और सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों या त्रुटिवश हों, से मुक्त है, को तैयार करने और उनके प्रस्तुतिकरण से सुसंगत लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यकरण कर रहे थे।

संपरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं संपरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों का निर्धारण करना भी है। ऐसे जोखिम निर्धारणों में, संपरीक्षक संपरीक्षा संबंधी ऐसी प्रक्रियाओं को, जो दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त हों, तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतीकरण हेतु संस्थान के सुसंगत आतंरिक

नियंत्रणों को भी विचार में लेते हैं, किंतु ऐसा इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता कि इस संबंध में राय व्यक्त की जाए कि क्या संस्थान ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी हैं । संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण लेखांकन आकलनों तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है ।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त किए गए हैं जो हमारी संपरीक्षा संबंधी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को संस्थान के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके अधिशेष और नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं ।

अन्य विषय

हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 39,259 लाख रुपए की आस्तियां, 21,148 लाख रुपए का कुल राजस्व और 1090 लाख रुपए की रकम का शुद्ध नकद प्रवाह/(बर्हिगामी) उपदर्शित करते हैं और जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में विचारार्थ लिया गया है । इन वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंध मंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई थी । समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है ।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते है कि :

क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

ख) हमारी राय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है ;

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुसार हैं ;

घ) हमारी राय में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण संस्थान द्वारा जारी सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009571एन/एन500006

ह/-
सीए. प्रवीण कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 088810

कृते हिंगोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन

ह/-
सीए. संजय कुमार नारंग
भागीदार
सदस्यता सं. 090943

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 16 सितंबर, 2016

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

(लाख रुपए में)

		टिप्पण	31 मार्च 2016 को यथाविद्यमान	31 मार्च 2015 को यथाविद्यमान
	निधियों के स्रोत :			
(1)	**अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां**			
	(क) आरिक्षितियां और अधिशेष	3	**112,493**	1,08,661
	(ख) उद्दिष्ट निधियां	4	**29,199**	25,799
			141,692	1,34,460
(2)	**गैर चालू दायित्व**			
	(क) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	5	**801**	961
	(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	6	**8,291**	5,530
			9,092	6,491
(3)	**चालू दायित्व**			
	(क) अन्य चालू दायित्व		**24,158**	23,868
	(ख) अल्पकालिक प्रावधान	6	**328**	250
			24,486	24,118
योग			**175,270**	1,65,069
निधियों का उपयोजन				
(1)	**गैर चालू आस्तियां**			
	(क) नियत आस्तियां			
	i) मूर्त आस्तियां	8	**51,939**	48,885
	ii) अमूर्त आस्तियां	9	**23**	30
	iii) चालू पूंजी संकर्म		**13,202**	11,387
			65,164	60,302
	(ख) उद्धिष्ट निधि और अन्य के लिए धारित आस्तियां	10	**11,816**	13,737
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	11	**3,721**	3,724
	(घ) अन्य गैर चालू आस्तियां	12	**1,755**	747
			82,456	78,510
(2)	**चालू आस्तियां**			
	(क) उद्धिष्ट निधि और अन्य के लिए धारित आस्तियां	10	**80,636**	72,657
	(ख) वस्तु-सूचियां	13	**1,243**	1,700
	(ग) नकद और नकद समतुल्य	14	**5,085**	6,027
	(घ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	**3,970**	3,841
	(ङ) अन्य चालू आस्तियां	15	**1,880**	2,334
			92,814	86,559
	योग		**175,270**	1,65,069

संलग्न टिप्पण 1 से 21 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	वी. सागर	सीए. नीलेश शिवजी विकमसे	सीए. एम. देवराजा रेड्डी
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाधयक्ष	अधयक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एएसए एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009571एन/एन500006

ह/
सीए. प्रवीण कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 088810
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 सितंबर, 2016

हिंगोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन

ह/
सीए. संजय कुमार नारंग
भागीदार
सदस्यता सं. 090943

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31.3.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(लाख रुपए में)

		टिप्पण	**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
I	**आय :**			
	(क) फीस	16	**49,088**	47,802
	(ख) संगोष्ठियां		**5,943**	6,807
	(ग) अन्य आय	17	**11,393**	11,321
	कुल आय		**66,424**	65,930
II	**व्यय :**			
	(क) संगोष्ठियां		**6,745**	6,797
	(ख) कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	18	**13,569**	12,568
	(ग) मुद्रण और लेखन सामग्री		**6,967**	7,103
	(घ) अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	8,9	**2,463**	2,348
	(ङ) अन्य व्यय	19	**29,520**	26,449
	कुल व्यय		**59,264**	55,265
III	**पूर्वावधि समायोजनों से पूर्व शुद्ध अधिशेष (I-II)**		**7,160**	10,665
IV	**घटाएं : पूर्वावधि समायोजन**		**340**	256
V	**पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात शुद्ध अधिशेष**		**6,820**	10,409
VI	**निधियों/आरक्षितियों को विनियोग :**			
	(क) शिक्षा निधि [टिप्पण 2.4(iii) देखें]		**3,410**	5,027
	(ख) कर्मचारी कल्याण निधि [टिप्पण 2.4(iv) देखें]		**41**	39
	(ग) उद्दिष्ट निधि (व्ययों का शुद्ध योग)		**2,171**	1,691
	(घ) साधारण आरक्षिती		**1,198**	3,652
	योग		**6,820**	10,409

संलग्न टिप्पण 1 से 21 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है ।

ह/-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह/-
वी. सागर
सचिव

ह/-
सीए. नीलेश शिवजी विकमसे
उपाधयक्ष

ह/-
सीए. एम. देवराजा रेड्डी
अधयक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एएसए एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009571एन/एन500006

ह/
सीए. प्रवीण कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 088810

हिंगोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन

ह/
सीए. संजय कुमार नारंग
भागीदार
सदस्यता सं. 090943

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 सितंबर, 2016

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात शुद्ध अधिशेष	**6,820**	10,409
छात्र संघों की आरक्षित/उद्दिष्ट निधि का आरंभिक अतिशेष	**-**	101
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
अवक्षयण और परिशोधन	**2,463**	2348
अधित्यक्त आस्तियां	**94**	58
नए सदस्यों से प्रवेश फीस	**202**	165
ब्याज संबंधी आय	**(7,734)**	(7,971)
पूंजी संकर्म परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	**1,845**	5,110
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
वस्तु-सूची में (वृद्धि)/कमी	**457**	(676)
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**81**	(1,336)
दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	**170**	1691
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**2,839**	1,693
	5,392	6,482
स्रोत पर कटौती किया गया कर (वसूलनीय)	**(207)**	350
प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)	**5,185**	6,832
निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
नियत आस्तियों का क्रय	**(7,459)**	(6,981)
उद्दिष्ट निधियों और अन्यों के लिए धारित आस्तियों का अर्जन	**(6,058)**	(8,822)
प्राप्त हुई ब्याज आय[3]	**7,180**	7,919
पूंजी प्राप्तियां	**209**	125
निवेश गतिविधियों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	**(6,128)**	(7,759)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
भवन के लिए प्राप्त अनुदान	**1**	68
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद (इ)	**1**	68
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	**(942)**	(859)
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	**6,027**	6,886
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**5,085**	6,027

टिप्पण :

(1) नकद और नकद समतुल्य, हाथ में नकदी और बैंकों में जमा धन को बताते हैं (टिप्पण 14 देखें) ।

(2) कोष्ठकों में दी गई रकमें बर्हिगम्य धन को बताती हैं ।

(3) ब्याज में उद्दिष्ट निधियों और अन्यों के धारित आस्तियों से प्राप्त ब्याज सम्मिलित है ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	वी. सागर	सीए. नीलेश शिवजी विकमसे	सीए. एम. देवराजा रेड्डी
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाधयक्ष	अधयक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एएसए एंड एसोसिएट्स, एलएलपी	हिंगोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009571एन/एन500006	फर्म रजि. सं. 006772एन
ह/	ह/
सीए. प्रवीण कुमार	सीए. संजय कुमार नारंग
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 088810	सदस्यता सं. 090943

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 16 सितंबर, 2016

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

1. **साधारण जानकारी**

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था । उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है । इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने अभी तक मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली प्रत्येक में एक और कुल पांच प्रादेशिक परिषदों, 18 प्रादेशिक कार्यालयों और विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और 152 शाखाओं का गठन किया है । इसके अतिरिक्त, एक विदेशी कार्यालय को भी स्थापित किया गया है ।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.1 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण टिप्पणों के साथ सम्मिलित है, संस्थान द्वारा जारी और लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाता है । वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन सतत आधार पर तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है । वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं ।

2.2 प्राक्कलनों का उपयोग

भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को यथा विद्यमान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्टित रकमों तथा आकस्मिक दायित्वों के प्रकटनों और वर्ष के दौरान आय और व्यय की रिपोर्टित रकमों को प्रभावित करें । ऐसे प्राक्कलनों के उदाहरणों में नियत आस्तियों का उपयोगी जीवन, कर्मचारियों का कल्याण, आकस्मिक दायित्व आदि सम्मिलित हैं । वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं । लेखांकन प्राक्कलनों संबंधी किसी पुनरीक्षण को चालू और भावी अवधियों में भविष्यलक्षी रूप से मान्यता प्रदान की जाती है ।

2.3 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है । संस्थान की प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है ।

2.4 आरक्षितियों को विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

(i) संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवेश हेतु सदस्यों से प्राप्त फीस को अवसंरचना संबंधी आरक्षित खाते में जमा किया जाता है ।

(ii) भवनों और अनुसंधान के लिए प्राप्त संदानों को सीधे संबंधित आरक्षित खाते में जमा किया जाता है ।

(iii) दुरस्थ शिक्षा फीस के **25** प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के **50** प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है ।

(iv) वर्ष के दौरान प्राप्त सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के **0.75** प्रतिशत को कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है ।

(v) उद्दिष्ट निधियों से निम्नलिखित अंतरण शिक्षा आरक्षित खाते को किए जाते हैं :

(क) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से भवन से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का

	100 प्रतिशत
(ख) शिक्षा निधि से	अन्य नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत

(vi) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से होने वाली आय को उद्दिष्ट निधियों में जोड़ा जाता है। इस आय को, संबद्ध उद्दिष्ट निधियों के प्रारंभिक अतिशेष के आधार पर, भारित औसत का आधार बनाते हुए आबंटित किया जाता है।

2.5 नियत आस्तियां

i) मूर्त आस्तियां

मूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित अवक्षयण और हानिकरण हानियों (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी आस्ति की लागत में सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क तथा गैर-प्रतिदेय कर और किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के अवस्थान और स्थिति में लाने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। पट्टाधृत भूमि की लागत में पट्टाधृत अधिकारों का अर्जन करने हेतु संदत्त कोई रकमें भी सम्मिलित हैं। मूर्त आस्तियों से संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

पट्टाधृत भूमि की लागत को मूल पट्टा अवधि के पश्चात् परिशोधित किया जाता है। अन्य सभी मूर्त नियत आस्तियों के संबंध में अवक्षयण, संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर उनके उपयोगी जीवन के प्राक्कलन के आधार पर अंकित मूल्य पद्धति के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

	आस्तियों का वर्ग	अवक्षयण की दर
(i)	भवन	5%
(ii)	लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	10%
(iii)	कंप्यूटर	60%
(iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
(v)	वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
(vi)	वाहन	20%
(vii)	पुस्तकालय की पुस्तकें	100%

ii) अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित परिशोधन और एकत्रित हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर अर्जन की लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत (छुट और बट्टों का शुद्ध) सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क तथा गैर-प्रतिदेय कर और किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। किसी अमूर्त आस्ति के क्रय/पूरा होने के पश्चात् होने वाले किसी पश्चातवर्ती व्यय को, जब उसे उपगत किया जाए, तब तक एक व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब तक कि ऐसी संभावना हो कि ऐसे व्यय के कारण उसके मूल रूप में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से अधिक ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी आर्थिक फायदे समर्थ होंगे और ऐसे व्यय का विश्वसनीय रूप से मापमान किया जा सकता है और आस्ति से जोड़ा जा सकता है, जिस दशा में ऐसे व्यय को आस्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है।

अमूर्त आस्ति की लागत का परिशोधन, तीन वर्ष के उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन से परे प्रत्यक्ष रूपरेखा के आधार पर किया जाता है।

iii) चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

2.6 उद्दिष्ट निधि और अन्य के लिए धारित आस्तियां

तुलन-पत्र की तारीख से बारह मास की अवधि के पश्चात् की भुगतान तारीख वाले बैंक निक्षेपों के रूप में उद्दिष्ट निधि और अन्य के लिए धारित आस्तियों को गैर-चालू के रूप में तथा अन्यों को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये संस्थान की परिषद् के विवेकानुसार निर्मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं, सिवाय उद्दिष्ट और कर्मचारी कल्याण निधियों के योग की सीमा तक।

2.7 वस्तु-सूचियां

क) प्रकाशनों, अध्ययन सामग्रियों, लेखन सामग्रियों और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है । वस्तु-सूचियों की लागत का अवधारण प्रथम आगम, प्रथम जावक (एफआईएफओ) पद्धति के आधार पर किया जाता है।

ख) पुरानी अध्ययन सामग्रियों और एक वर्ष से अधिक पुराने संस्थान के प्रकाशनों के स्टॉक की लागत पर 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बीओएस प्रकाशनों के शेष स्टॉक की लागत पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

2.8 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्यों में हाथ में नकदी और बैंकों में चालू तथा बचत खातों का अतिशेष सम्मिलित होता है।

2.9 राजस्व मान्यता

i) सदस्यता फीस

क) सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।

ख) वार्षिक सदस्यता और व्यवसाय प्रमाण-पत्र फीस को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे देय हो जाते हैं।

ii) दुरस्थ शिक्षा फीस को संबंधित पाठयक्रमों की अवधि के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। अन्य पाठ्यक्रमों की फीस को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

iii) परीक्षा फीस को संबंधित परीक्षाओं के आयोजन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

iv) जर्नल के लिए अभिदाय को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे देय हो जाते हैं।

v) प्रकाशनों के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कार क्रेता को अंतरित किए जाते हैं जो कि सामान्यत: मालों के परिदान के समय हो जाता है। इस आय के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल, छूटों और अन्य विक्रय संबंधी करों (यदि कोई हों) का शुद्ध भी है।

(vi) बैंक निक्षेपों और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को, बकाया रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपातिक आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2.10 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग मुद्रा, अर्थात् भारतीय रुपए में प्रारंभिक रूप से दी गई मान्यता के आधार पर अभिलिखित किया जाता है। असमायोजित रिपोर्टिंग मुद्रा से भिन्न किन्हीं अन्य मुद्राओं में धनीय आस्तियों और दायित्वों का, तुलन-पत्र की तारीख को लागू विनिमय दरों के आधार पर पुन: मापमान किया जाता है। धनीय मदों के समायोजन पर उदभूत होने वाले और धनीय मदों के पुन: माप पर होने वाले विनिमय अंतरों को आय और व्यय के विवरण में सम्मिलित किया जाता है।

2.11 आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर आस्तियों के अग्रनीत मूल्य का हानिकरण के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है । यदि हानिकरण का कोई संकेत प्राप्त होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम का प्राक्कलन किया जाता है और हानिकरण को

मान्यता दी जाती है, जहां किसी आस्ति की अग्रनीत रकम उसकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। आस्ति की वसूलनीय रकम उसकी शुद्ध विक्रय कीमत और उपयोग में मूल्य से अधिक है। भावी नकद प्रवाहों में छूट देते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर समुचित छूट कारक को गणना में लेते हुए उपयोग में मूल्य को संगणित किया जाता है। जहां कोई ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि किन्हीं पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों में किसी आस्ति के लिए मान्य ठहराया गया कोई हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कमी हो गई है तो ऐसे हानिकरण की हानि के उत्क्रमण को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.12 कर्मचारी फायदे

i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

वेतन, भत्ते, अनुग्रह जैसे अल्पकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष के व्ययों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ii) परिभाषित अभिदाय योजनाएं

परिभाषित अभिदाय योजनाएं, ऐसी योजनाएं है, जहां संस्थान स्वतंत्र न्यास द्वारा प्रबंधित भविष्य निधि में नियत अभिदाय करता है। अभिदायों का संदाय, वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले किया जाता है और उसे वेतन और भत्तों की रूपरेखा के अनुसार ही व्ययों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यदि निधि में कर्मचारियों को संदाय/फायदे विस्तारित करने के लिए पर्याप्त आस्तियां नहीं है तो इस संबंध में आगे और अभिदाय करने के लिए संस्थान की कोई विधिक या परिलक्षित बाध्यता नहीं है।

iii) परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान अपने कर्मचारियों को उपदान, सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन और क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे फायदे उपलब्ध कराता है। उपदान संबंधी दायित्व का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। क्षतिपूरित अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन से संबंधित दायित्व वित्तपोषित नहीं हैं। इन परिभाषित फायदा संबंधी बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को, लेखांकन मानक (एएस) – 15 कर्मचारी फायदा की अपेक्षाओं के अनुसार किसी स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर अभिनिश्चित किया जाता है। तुलन-पत्र में मान्य ठहराए गए दायित्व का मूल्य, तुलन-पत्र की तारीख को परिभाषित फायदों संबंधी बाध्यता का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना आस्तियों (वित्तपोषित योजनाओं के लिए) के उचित मूल्य को घटा दिया गया है तथा ऐसी पूर्व सेवा लागतों, जिन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, के लिए समायोजन किए गए हैं। पूर्व सेवा लागतों को तुरंत और फायदों के निहित होने की सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है। सभी बीमांकक अभिलाभों और हानियों को उस वर्ष में, जिसमें वे हुए हैं, पूर्ण रूप से आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.13 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

i) प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप किसी कंपनी की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

ii) आकस्मिक दायित्व और आस्तियां

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उदभूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उदभूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नही की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

3. आरक्षितियां और अधिशेष

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	*शिक्षा*	*अवसंरचना*	*साधारण*	*अन्य**	*योग*
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	**32,150**	**4,726**	**71,133**	**652**	**108,661**
जोड़ें: आय और व्यय के विवरण से विनियोग	**-**	**-**	**1,198**	**-**	**1,198**
	32,150	**4,726**	**72,331**	**652**	**109,859**
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण	**-**	**20**	**(59)**	**39**	**-**
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	**2,724**	**(1)**	**(272)**	**(56)**	**2,395**
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें	**-**	**202**	**-**	**-**	**202**
भवनों के लिए प्राप्त संदान	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**
(उपयोग)/परिवृद्धियां	**-**	**120**	**(190)**	**106**	**36**
वर्ष के अंत में अतिशेष	**34,874**	**5,068**	**71,810**	**741**	**112,493**
31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	शिक्षा	अवसंरचना	साधारण	अन्य*	योग
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	29,739	4,571	67,826	604	102,740
जोड़ें: छात्र संघों की आरक्षितियों का आरंभिक अतिशेष		3	96		99
जोड़ें: आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	3,652	-	3,652
	29,739	4,574	71,574	604	106,491
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण	-	8	(96)	88	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	2,411	(60)	(174)	(1)	2,176
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें	-	165	-	-	165
भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	68	-	-	68
(उपयोग)/परिवृद्धियां	-	(29)	(171)	(39)	(239)
वर्ष के अंत में अतिशेष	32,150	4,726	71,133	652	108,661

* अन्य आरक्षितियां, पुस्तकालय आरक्षितियों और कक्षा प्रशिक्षण आरक्षितियों जैसी आरक्षितियां हैं ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

4. उद्दिष्ट निधियां

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	**अनुसंधान निधियां**	**लेखांकन अनुसंधान भवन निधि**	**शिक्षा निधि**	**पदक और पुरस्कार निधि**	**छात्रों की छात्रवृत्ति निधियां**	**कर्मचारी कल्याण निधि**	**अन्य निधियां (प्रादेशिक परिषद् और शाखाएं)**	**योग**
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	1,920	667	18,726	184	112	487	3,703	25,799
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	3,410	-	-	41		3,451
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	-	-	(2,724)	-	-	-	329	(2,395)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	-	-	-	35	20	-	118	173
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय	174	60	1,695	17	10	44	259	2,259
वर्ष के दौरान उपयोजित	-	-	-	(14)	(22)	-	(52)	(88)
वर्ष के अंत में अतिशेष	2,094	727	21,107	222	120	572	4,357	29,199
31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	अनुसंधान निधियां	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	शिक्षा निधि	पदक और पुरस्कार निधि	छात्रों की छात्रवृत्ति निधियां	कर्मचारी कल्याण निधि	अन्य निधियां (प्रादेशिक परिषद् और शाखाएं)	योग
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	1,760	610	14,731	176	91	410	3,074	20,852
जोड़े : छात्र संघों की उद्दिष्ट निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	-	-	-	-	-	-	2	2
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	5,027	-	-	39	-	5,066
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	-	-	(2,411)	-	-	-	235	(2,176)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	-	-	-	4	17	-	343	364
वर्ष के दौरान आय	165	57	1,379	16	9	38	187	1851
वर्ष के दौरान संदाय	(5)	-	-	(12)	(5)	-	(138)	(160)
वर्ष के अंत में अतिशेष	1,920	667	18,726	184	112	487	3,703	25,799

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

5. अन्य दीर्घकालिक दायित्व

(लाख रुपए में)

	31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान
क)अग्रिम में प्राप्त फीस		
i) छात्रों से प्राप्त फीस	**793**	**952**
ii) जर्नल का अभिदाय	**8**	**9**
योग	**801**	**961**

6. प्रावधान	**31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान दीर्घकालिक**	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान दीर्घकालिक	**31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान अल्प कालिक**	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान अल्पकालिक
कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान				
क) नियोजन पश्च परिभाषित फायदे				
i) उपदान	-	-	66	
ii) पेंशन	**5,074**	**2,673**	12	**11**
ख) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे	**3,217**	**2,857**	250	239
योग	**8,291**	**5,530**	328	**250**

(लाख रुपए में)

7 अन्य चालू दायित्व		**31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान**	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान
क)	अग्रिम में प्राप्त फीस		
i)	परीक्षा फीस	**5,601**	4,872
ii)	जर्नल अभिदाय	**17**	19
iii)	सदस्यता फीस	**1,575**	1,296
iv)	शिक्षा फीस	**8,267**	8,656
v)	अर्हता पश्च पाठयक्रम फीस	**67**	108
vi)	प्रमाणपत्र पाठयक्रम फीस	**73**	18
vii).	संगोष्ठी फीस और अन्य संग्रहण	**789**	1,171
		16,389	16,140
ख)	व्यय और अन्य देय	**5,371**	5,653
ग)	अन्य दायित्व		
i)	नियत आस्तियों के क्रय के लिए देनदार	**80**	120
ii)	कर्मचारियों से वसूलियां और कर्मचारियों के अभिदाय	**191**	111
iii)	कानूनी देय	**328**	269
iv)	निक्षेप	**612**	548
v)	अन्य	**1,187**	1,027
		2,398	2,075
	योग	**24,158**	23,868

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(लाख रुपए में)

8. मूर्त आस्तियां										
31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	**पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि**	**पट्टाधृत भूमि**	**भवन**	**लिफ्ट तथा इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स**	**कंप्यूटर**	**फर्नीचर और फिक्सचर**	**वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर**	**वाहन**	**पुस्तकालय की पुस्तकें**	**योग**
वर्ष के प्रारंभ में लागत	**15,690**	**5,399**	**26,932**	**1,757**	**4,463**	**3,765**	**4,236**	**134**	**907**	**63,283**
परिवृद्धियां	**3,148**	**284**	**857**	**64**	**416**	**388**	**378**	**1**	**59**	**5,595**
विलोपन	**(21)**	**-**	**-**	**(15)**	**(11)**	**(81)**	**(29)**	**-**	**-**	**(157)**
वर्ष के अंत में लागत	**18,817**	**5,683**	**27,789**	**1,806**	**4,868**	**4,072**	**4,585**	**135**	**966**	**68,721**
वर्ष के प्रारंभ में अवक्षयण	**-**	**499**	**4,325**	**873**	**3,958**	**1,535**	**2,219**	**82**	**907**	**14,398**
वर्ष के लिए प्रभार	**-**	**84**	**1,167**	**105**	**436**	**258**	**328**	**10**	**59**	**2,447**
विलोपन	**-**	**-**	**-**	**(5)**	**(10)**	**(35)**	**(13)**	**-**	**-**	**(63)**
वर्ष के अंत में संचयी अवक्षयण	**-**	**583**	**5,492**	**973**	**4,384**	**1,758**	**2,534**	**92**	**966**	**16,782**
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	**15,690**	**4,900**	**22,607**	**884**	**505**	**2,230**	**2,017**	**52**	**-**	**48,885**
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	**18,817**	**5,100**	**22,297**	**833**	**484**	**2,314**	**2,051**	**43**	**-**	**51,939**
31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	**पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि**	**पट्टाधृत भूमि**	**भवन**	**लिफ्ट तथा इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स**	**कंप्यूटर**	**फर्नीचर और फिक्सचर**	**वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर**	**वाहन**	**पुस्तकालय की पुस्तकें**	**योग**
वर्ष के प्रारंभ में लागत	15,541	4,485	24,517	1,645	4,045	3,459	3,878	105	829	58,504
परिवृद्धियां	149	914	2415	135	528	356	424	30	78	5,029
विलोपन	-	-	-	(23)	(110)	(50)	(66)	(1)	-	(250)
वर्ष के अंत में लागत	15,690	5,399	26,932	1,757	4,463	3,765	4,236	134	907	63,283
वर्ष के प्रारंभ में अवक्षयण	-	419	3,194	788	3,687	1,327	1,942	72	829	12,258
वर्ष के लिए प्रभार	-	80	1,131	96	376	236	324	11	78	2,332
विलोपन	-	-	-	(11)	(105)	(28)	(47)	(1)		(192)
वर्ष के अंत में अवक्षयण		499	4,325	873	3,958	1,535	2,219	82	907	14,398
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	15,541	4,066	21,323	857	358	2,132	1,936	33		46,246
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	15,690	4,900	22,607	884	505	2,230	2,017	52	-	48,885

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

9. अमूर्त आस्तियां **(लाख रुपए में)**

31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	**साफ्टवेयर**	**योग**
वर्ष के प्रारंभ में लागत	**637**	**637**
परिवृद्धियां	**9**	**9**
विलोपन	**-**	**-**
वर्ष के अंत में लागत	**646**	**646**
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	**607**	**607**
वर्ष के लिए प्रभार	**16**	**16**
विलोपन	**-**	**-**
वर्ष के अंत में परिशोधन	**623**	**623**
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	**30**	**30**
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	**23**	**23**

31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	साफ्टवेयर	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत	595	595
परिवृद्धियां	42	42
विलोपन	-	-
वर्ष के अंत में लागत	637	637
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	591	591

वर्ष के लिए प्रभार	16	16
वर्ष के अंत में परिशोधन	607	607
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	4	4
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	30	30

(लाख रुपए में)

	31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान
	गैर चालू	गैर चालू	चालू	चालू
10. उदिष्ट निधि और अन्यों के लिए धारित आस्तियां				
बैंकों में सावधि निक्षेप	**11,816**	13,737	**80,636**	72,657
	11,816	13,737	**80,636**	72,657
धारित आस्तियों में निम्नलिखित हैं				
- उद्दिष्ट निधियां	**11,816**	13,737	**17,383**	12,062
- कर्मचारी फायदे			**8,619**	5,780
अन्य			**54,634**	54,815

(लाख रुपए में)

		31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान
		गैर चालू	गैर चालू	चालू	चालू
11.	**ऋण और अग्रिम**				
क)	प्रतिभूति निक्षेप	**282**	307	**141**	234
ख)	प्राप्य टीडीएस	**2,172**	1,965	**-**	-
ग)	अन्य ऋण और अग्रिम				
i)	सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी आस्तियां	**-**	-	**-**	19
ii)	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	**746**	854	**538**	454
iii)	अन्य प्राप्य	**521**	598	**3,291**	3,134
	योग	**3,721**	3,724	**3,970**	3,841

(लाख रुपए में)

		31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान
12.	**गैर चालू आस्तियां**		
	क) बैंक निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज	**1,636**	646
	ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज	**119**	101
	योग	**1,755**	747
13.	**वस्तु-सूचियां**		
	क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां	**1,112**	1,571
	ख) लेखन सामग्रियां और भंडार	**131**	129
	योग	**1,243**	1,700
14.	**नकद और नकद समतुल्य**		
	क) हाथ में नकदी	**58**	50
	ख) बैंकों में अतिशेष	**5,027**	5,977
	योग	**5,085**	6,027
15.	**अन्य चालू आस्तियां**		
	क) बैंक निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज	**1,870**	2,314
	ख) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज	**10**	20
	योग	**1,880**	2,334

(लाख रुपए में)

		31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	*31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान*
16.	**प्राप्त फीसें**		
	क) दूरस्थ शिक्षा	**19,570**	20,116
	ख) कक्षा प्रशिक्षण आय	**8,414**	8,116
	ग) परीक्षा	**12,680**	11,211
	घ) सदस्यता	**5,636**	5,366
	ङ) छात्र रजिस्ट्रीकरण	**459**	589
	च) प्रवेश	**71**	52
	छ) छात्र संघ	**344**	401
	ज) अर्हतापश्च पाठयक्रम	**560**	472
	झ) प्रमाणपत्र पाठयक्रम	**1,354**	1,489
	योग	**49,088**	47,802

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(लाख रुपए में)

17.	***अन्य आय***	***31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष***	*31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष*
क)	प्रकाशन	**1,634**	1,495
ख)	अन्यों के लिए धारित आस्तियों पर प्राप्त ब्याज	**5,405**	6,044
ग)	उद्दिष्ट निधियों के लिए धारित आस्तियों से प्राप्त ब्याज	**2,259**	1,851
घ)	कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज	**70**	76
ङ)	छात्र न्यूजलेटर	**7**	3
च)	जर्नल अभिदाय	**185**	202
छ)	न्यूजलेटर्स - प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं	**63**	55
ज)	कैम्पस साक्षात्कार	**567**	486
झ)	विशेषज्ञ सलाहकार फीस	**12**	30
ञ)	अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	**172**	310
ट)	अन्य	**1,019**	769
	योग	**11,393**	11,321

18.	**कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय**		
क)	वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	**12,690**	11,597
ख)	भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	**707**	748
ग)	कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	**172**	223
	योग	**13,569**	12,568

(लाख रुपए में)

		रकम	रकम
19.	**अन्य व्यय**	**31/3/2016 को समाप्त वर्ष**	31/3/2015 को समाप्त वर्ष
क)	डाक और टेलीफोन	**2,861**	2,660
ख)	किराया, दरें और कर	**4,026**	3,611
ग)	यात्रा और वाहन-अंतर्देशीय	**2,105**	1,714
घ)	विदेशी संबंध		
	i) विदेश यात्रा	**297**	251
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	**326**	332
	iii) अन्य	**23**	28
ङ)	मरम्मत और अनुरक्षण	**1,895**	1,642
च)	प्रकाशन	**1,136**	1,131
छ)	परामर्शियों और परीक्षकों को संदत्त वृत्तिक फीस	**8,171**	7,204
ज)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	**4,685**	4,557
झ)	विज्ञापन और प्रचार	**413**	405
ञ)	बैठक व्यय	**564**	292
ट)	योग्यता छात्रवृत्ति	**131**	94
ठ)	संपरीक्षा फीस		
	i) प्रधान कार्यालय	**11**	11
	ii) अन्य कार्यालय	**32**	28
ड)	अन्य उद्दिष्ट निधियों से संदाय	**88**	160
ढ)	अन्य व्यय	**2,756**	2,329
	योग	**29,520**	26,449

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

20. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी

20.1 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :

(लाख रुपए में)

	31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2015 को यथाविद्यमान
i) संस्थान के विरूद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	**1,358**	1,378
ii) पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	**4,744**	8,084
iii) आयकर की मांग – धारा 143(1) के अधीन संसूचना (टिप्पण 20.2 देखें)	**4,142**	

20.2 निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विभाग से एक संसूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 4142 लाख रुपए के आयकर की मांग रखी गई है, जिसके द्वारा संस्थान द्वारा किए गए कानूनी दावों को स्वीकार नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध प्रथम अपील अधिकरण में एक अपील फाइल की गई है कि उसका मामला मजबूत है और यह संभावना है कि यह मांग समाप्त हो जाएगी।

20.3 टिप्पण 11 दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं, जिसे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। संस्थान ने, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 53 के अधीन, जेडीआर, नागपुर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दो अपील फाइल की हैं, जो अभी लंबित हैं। संस्थान को यह सलाह दी गई है कि स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए उनके पास उत्तम विधिक मामला है।

20.4 प्रकाशनों और संगोष्ठियों संबंधी क्रियाकलापों के मद्दे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों को, क्रमश: व्यय के इन शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है और इन क्रियाकलापों से संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों को व्यय के कार्यकरण शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है।

20.5 छात्रों से, छात्र संघ फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।

20.6 पट्टाधृत भूमि के मूल्य में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित हैं, जो भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में विद्यमान (प्रधान कार्यालय के प्लॉट के साथ लगी) भूमि से संबंधित हैं, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

20.7 संस्थान ने, सभी स्तरों पर संस्थान की संपूर्ण गतिविधियों, जिनके अंतर्गत सदस्य, छात्र और अन्य वृत्तिक गतिविधियां भी हैं, के कंप्यूटरीकरण के उद्देश्य से एक परियोजना प्रारंभ की है, जिसे "परिवर्तन परियोजना" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, संस्थान ने एक वैश्विक रूप से ख्यातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता को नियुक्त किया था, जिसकी कुल 3,981 लाख रुपए है। 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है।

चूंकि एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने इस संबंध में विवाद उठाते हुए संविदा को रद्द कर दिया था। अंतिम समाधान के लंबित रहते हुए, संस्थान ने जून, 2015 को 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति का प्रत्याह्वान और नकदीकरण किया था और 572 लाख रुपए (867 लाख – 295 लाख) के लिए 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया था।

वर्ष के दौरान, सेवा प्रदाता ने प्रदाय किए हार्डवेयर के मद्दे शोध्य शेष रकम और संस्थान द्वारा नकदीकरण की गई बैंक प्रत्याभूति के प्रतिदाय के संबंध में समाधान करने के लिए एक मांग सूचना भेजी है। तथापि, संस्थान ने यह मत लिया है कि अपेक्षित साफ्टवेयर की अनुपस्थिति में प्रदाय किए गए हार्डवेयर की कोई उपयोगिता नहीं है, अत: शेष संदाय के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, बैंक प्रत्याभूति का नकदीकरण, संविदा के रद्द हो जाने के कारण उपगत हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया गया था। संस्थान अब एक प्रतिदावा फाइल करने के लिए प्रक्रिया कर रहा है।

20.8 चालू पूंजी संकर्म के अतर्गत् पूंजी अग्रिम भी हैं।

20.9 आईसीएआई भवन, फरीदाबाद से 225 वर्ग मीटर के मापमान वाली भूमि को जनवरी, 2013 में डीएमआरसी द्वारा अधिगृहीत किया गया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में शाखा के आसपास और अधिक भूमि के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर वर्तमान में हुडा (हरियाणा) विचार किया जा रहा है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

21. लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

21.1 कर्मचारी फायदे

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 432.46 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 327.65 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	गैर-वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

लाख रुपए में

	वर्णन	***2015-16***	*2014-15*	*2013-14*	*2012-13*
1.	**बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान**				
	(क) वर्ष के आरंभ में बाध्यता	**2,213**	2,057	1,957	1,386
	(ख) चालू सेवा लागत	**184**	167	147	135
	(ग) ब्याज लागत	**169**	154	171	108
	(घ) बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(53)**	32	(63)	467
	(ङ) संदत्त फायदे	**(155)**	(197)	(155)	(139)
	(च) वर्ष के अंत में बाध्यता	**2,358**	2,213	2,057	1,957
2.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	(क) वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**2,232**	2,103	1,950	1,809
	(ख) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**191**	184	174	167
	(ग) बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	**6**	3	10	11
	(घ) संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय	**78**	239	91	105
	(ङ) संदत्त फायदे	**(215)**	(297)	(122)	(142)
	(च) वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**2,292**	2,232	2,103	1,950
3.	**योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान**				
	(क) बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य	**2,358**	2,213	2,057	1,957
	(ख) योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**2,292**	2,232	2,103	1,950
	(ग) तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	**(66)**	19	46	(7)
4.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	(क) चालू सेवा लागत	**184**	167	147	135

	(ख) ब्याज लागत	**169**	154	171	108
	(ग) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**(191)**	(184)	(174)	(167)
	(घ) बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(59)**	**29**	(73)	456
	(ङ) वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**103**	**166**	71	532
5.	**निवेशों के ब्यौरे**	**निवेश का प्रतिशत**	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	(क) अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	**100.00**	100.00	100.00	100.00
		100.00	100.00	100.00	100.00

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

	उपदान योजना के ब्यौरे (जारी....)				
	वर्णन	**2015-16**	2014-15	2013-14	2012-13
6.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.92%**	7.85%	9.10%	8.00%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	**8.85%**	8.85%	9.00%	9.00%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल 3% : डीए 6%**	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	घ. संनिघर्षण दर	**5%**	5%	5%	5%
	ङ नश्वरता सूची	**आईएएल 2006-08**	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08
		अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा
	सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे				(लाख रुपए में)
	वर्णन	**2015-16**	2014-15	2013-14	2012-13
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	**2,684**	1,406	1,489	1,065
	ख. ब्याज लागत	**211**	110	134	87
	ग. बीमांकक (अभिलाभ)/हानि	**2,210**	1,169	(215)	341
	घ. संदत्त फायदे	**(19)**	(1)	(2)	(4)
	ङ वर्ष के अंत में बाध्यताएं	**5,086**	2,684	1,406	1,489
2.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान**				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**5,086**	2,684	1,406	1,489
	ख. तुलन-पत्र आस्तियां/(दायित्व) में मानी गई रकमें	**(5,086)**	(2,684)	(1,406)	(1,489)
3.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. ब्याज लागत	**211**	110	134	87
	ख. बीमांकक (अभिलाभ)/हानि	**2,210**	1,169	(215)	341
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**2,421**	1,279	(81)	428
4.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.90%**	7.80%	9.00%	8.00%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल 3% : डीए 6%**	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	**5%**	5%	5%	5%
	घ. नश्वरता सूची	**आईएएल 1996-98**	आईएएल 1996-98	आईएएल 1996-98	आईएएल 1996-98
		अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

21.1 कर्मचारी फायदे (जारी....)

क्षतिपूरित अनुपस्थिति के ब्यौरे

	वर्णन	**2015-16**	2014-15	2013-14	2012-13
1.	**बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान**				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	**2,857**	2,359	2,239	1,954
	ख. चालू सेवा लागत	**280**	338	104	104
	ग. ब्याज लागत	**216**	175	199	158
	घ. बीमांकक (अभिलाभ)/हानि	**115**	259	(83)	102
	ङ संदत्त फायदे	**(252)**	(274)	(100)	(79)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	**3,216**	2,857	2,359	2,239
2.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान**				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**3,216**	2,857	2,359	2,239
	#ख. तुलन-पत्र आस्तियां/(दायित्व) में मानी गई रकमें	**(3,216)**	(2,857)	(2,359)	(2,239)
3.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. चालू सेवा लागत	**280**	338	104	104
	ख. ब्याज लागत	**216**	175	199	158
	ग. बीमांकक (अभिलाभ)/हानि	**115**	259	(83)	102
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**611**	772	220	364
4.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.92%**	7.85%	9.10%	8.00%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल** 3% : **डीए** 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	**5%**	5%	5%	5%
	घ. नश्वरता सूची	**आईएएल 2006-08**	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08
		अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा

यह केवल आस्थगित छुट्टी के संबंध में संगणित दीर्घकालिक दायित्व से संबंधित है । 250 लाख रुपए के संभावित अल्पकालिक दायित्व को इस आंकड़े में जोड़ा जाएगा ।

21.2 खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति को अग्रसर करना" तक सीमित है और यह मुख्यतः भारत में प्रचालन करता है । अतः, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस-17) खंड रिपोर्टिंग के अर्थांतगर्त एकल खंड के अंतर्गत आते हैं ।

21.3 पूर्वावधि मदें

		31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (लाख रुपए में)
	पूर्वावधि मदों के ब्यौरे		
	i) आय	**70**	38
	ii) व्यय	**410**	294
		410	294
		340	256

ह/-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह/-
वी. सागर
सचिव

ह/-
सीए. नीलेश शिवजी विकमसे
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए. एम. देवराजा रेड्डी
अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एएसए एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009571एन/एन500006

ह/-
सीए. प्रवीण कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 088810

हिंगोरानी एम. एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 006772एन

ह/-
सीए. संजय कुमार नारंग
भागीदार
सदस्यता सं. 090943

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 सितंबर, 2016

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन III/4असा./248(104)]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2016

No. 1-CA(5)/67/2016.—In pursuance of sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2016 is hereby published for general information.

67th Annual Report

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), at the outset, commends the members and students for the position which the Chartered Accountancy profession has been occupying and the role it has played over the years for the growth and development of Indian economy.

While highlighting through this Report, the important activities of the Council and its various Committees for the year 2015-16, besides the accounts of the ICAI for that year, the Council also takes this opportunity to cover in this Report major initiatives, important events, statistical profile relating to members, students, details of seminars, conferences, workshops and training programmes organised during the period upto early July, 2016.

1. THE COUNCIL

The twenty-third Council was constituted on 12th February, 2016 for a period of three years. Currently, the Council is composed of 32 elected members and 8 persons nominated by the Central Government. The composition of the Council for the year 2016-17 has been shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted, on 12th February, 2016, Standing Committees and other Committees/ Boards to deal with matters concerning the profession. During the year ended 31st March, 2016, 246 meetings were held of various Committees of the Council.

3. AUDITORS

M/s ASA & Associates LLP and M/s Hingorani M. & Co. were the joint auditors of ICAI for the financial year 2015-16. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEE

4.1 Executive Committee

The Executive Committee's functions have been prescribed in Regulation 175 of the Chartered Accountants Regulations, 1988. During the period under report, some of the important decisions taken by the Committee are as under:

- Permitting at the desire of the member, substitution of father's name by mother's name in Certificate of Membership, Certificate of Practice, Pass Certificates and other records of ICAI.
- Registration of ICAI with Foreigner Regional Registration Office Bureau of Immigration, Chennai to help the registration of foreign students with ICAI.
- Recommended to the Council amendment in Regulation 57 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 so as to provide for treating any break between termination and re-registration of articles arising out of holidays i.e. Saturday, Sunday or any Gazetted holiday/s, as the period as actually served as an articled assistants only for the limited purpose of eligibility to appear in the examination of ICAI.

4.2 Finance Committee

This Finance Committee – one of the Standing Committees of the Council – came into existence consequent to the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. The said Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

4.3 Examination Committee

The Chartered Accountants Intermediate (IPC) Examinations and the Final Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 414 and 302 centres respectively from 2nd May to 17th May, 2015 (excepting in Nepal where the examinations were conducted from 15th June, 2015 to 29th June, 2015 because of earthquack). The total number of candidates, who appeared in the said Intermediate (IPC) and Final Examinations and passed were as follows:

May 2015					
		Intermediate(IPC)		**Final**	
Sr.No.	**Category**	**Appeared**	**Passed**	**Appeared**	**Passed**
I	Appeared in Group I only	71698	5641	30027	2299
II	Appeared in Group II only	56467	10596	35094	7306
III	Appeared in Both Groups				
(a)	Passed in Group I only	58188	7129	42847	2480
(b)	Passed in Group II only		293		2050
(c)	Passed in Both Groups		4927		3538
	Total		**28586**		**17673**

Further, the Examination of Post Qualification Course on Insurance and Risk Management (IRM) was conducted in May, 2015 wherein 42 candidates appeared and 19 passed the said examination.

Besides, the Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on 14th June, 2015 and on 13th & 27th December, 2015 across the country and abroad at 443 and 382 examination centres respectively located in 163 and 167 cities respectively. The total number of candidates who appeared and passed in the CPT are as under:

	Appeared	**Passed**
CPT held on 14th June, 2015	128916	32619
CPT held on 13th & 27th December, 2015	99077	34129

The Chartered Accountants Intermediate (IPC) Examinations and the Final Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 442 and 348 centres respectively from 2nd to 24th November, 2015. The total number of candidates, who appeared in the said intermediate (IPC) and Final Examinations and passed, were as follows:

November 2015					
		Intermediate(IPC)		Final	
Sr.No.	**Category**	**Appeared**	**Passed**	**Appeared**	**Passed**
I	Appeared in Group I only	68557	5729	34973	4128
II	Appeared in Group II only	56253	9143	33305	5101
III	Appeared in Both Groups				
(a)	Passed in Group I only	50892	7360	42469	3196
(b)	Passed in Group II only		199		1543
(c)	Passed in Both Groups		2108		2440
	Total		**24539**		**16408**

The examinations on Post Qualification Course in Management Accountancy Course (MAC) (Part-1), Corporate Management Course (CMC) (Part-1), Tax Management Course (TMC) (Part-1), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO), Part 1 were also conducted in November, 2015.

During the year, Post Qualification Course - Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on 27th June, 2015 all over the country in 72 Examination centres and another Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on 23rd January, 2016 all over the country in 75 examination centres. The said Assessment Test was again held successfully on 20th March, 2016 all over the country in 51 examination centres. The total number of candidates, who appeared in these examinations and passed were as follows:

	Appeared	**Passed**
ISA – AT held on 27th June, 2015	2883 (Old) 762 (New)	348 (Old) 272 (Old)
ISA – AT held on 23rd January, 2016	2266 (Old) 335 (New)	627 (Old) 145 (New)
ISA – AT held on 20th March, 2016	1433 (Old) 1766 (New)	575 (Old) 195 (New)

The ICAI has continuously been improving its Examination Processes right from the question paper setting up to declaration of results so that the integrity and sanctity of the examination system which is well known for over six decades, are maintained and further strengthened and developed.

The ICAI's examinations test the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the expectations of the stakeholders of the profession.

By focusing on analytical abilities of the students and by avoiding predictability of questions, ICAI's examinations continue to ensure that those qualifying are well groomed professionals.

International Initiatives: Extending Helping Hand of ICAI Brand

Special Examination: Arising out of the Mutual Recognition Agreement / Memorandum of Understanding entered with the following foreign professional accounting bodies, the Special Examination for the members of these bodies desirous of becoming members of our Institute were successfully conducted on 6th, 7th & 9th January, 2015, 16th, 17th, 18th & 19th June, 2015 and 21st & 22nd June, 2016 in New Delhi:

1. The Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW)

2. The Institute of Chartered Accountants of Australia (ICA Australia)

3. The Institute of Certified Public Accountants in Australia (CPA Australia)

4. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA Ireland)

5. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)

Beside this, ICAI has entered into Memorandum of Understanding (MoU) with the New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA).

The above Special Examination is open to the members of the above international accounting bodies.

Support to International Accounting Institutes: The Examination Committee provided technical assistance and support for the conduct of ISA Assessment Test to the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and The Institute of Chartered Accountants of Nepal. Besides infrastructure, administrative and manpower assistance was also extended to the Institute of Certified Public Accountants in Ireland for conduct of their examination in India.

Initiatives for Profession: Working for Building Blocks

Appointment of Checkers: With effect from the examinations held in May 2012, checking of answer books after evaluation by the examiners is required to be carried by a member of the ICAI from out of the Panel drawn for the purpose. The checking involves, inter alia, whether answers to all questions/ sub–questions have been evaluated, the marks awarded have been carried to the cover page, there is no totalling error etc. The feedback received from the examiners, consequent to the above revised procedure, was encouraging. The said procedure was followed for the examinations held in May, 2015 and November 2015.

IT Initiatives: Taking Steps with the changing time

Automation: Automation of examination processes covering, inter alia, coding, capture of absentee data, reconciliation and capturing of marks (after evaluation by examiners), continued for May 2015 and November 2015 examinations.

Question Bank: The Question Banks for the Common Proficiency Test and the Information Systems Audit – Assessment Test have been further strengthened.

Development of Observers web Portal: A web portal http://observers.icaiexam.icai.org was developed and put in place for facilitating all activities relating to Observers, appointed in examination centres, including registration, hosting of details of assignments allotted, submission of acceptance letters/ daily reports/ claims for honorarium etc effective from May, 2014 examinations. The same was continued for May 2015 and November 2015 examinations as well.

Development of Examination Centre web portal: A web portal http://centres.icaiexam.icai.org was developed and put in place for the May 2014 CA examinations for capture of absentee data online, on the day of the exam, on a daily basis. The same was continued for May 2015 and November 2015 examinations as well.

Payments through NEFT: Payment to examiners, Examination centres, Observers and other Resource Persons, etc through NEFT, was continued for May 2015 and November 2015 examinations as well

Initiatives for Students: Strengthening the Fundamentals

Keeping in view that students are the future of the profession; for their welfare and convenience the following initiatives have been taken:

Reading Time: In line with the international best practices in the area of testing students, a 15-minute reading time given to candidates in the Chartered Accountants Examinations before the scheduled time of commencement of the examination with effect from May 2011 Examinations, continued for May 2015 and November 2015 examinations.

Online Examination Application Form: Submission of examination applications forms online and payment of exam fees online through payment gateway, at http://icaiexam.icai.org, introduced in 2009, continued during 2015 also. The candidates who opted to fill up the examination form online were exempted for payment of the cost of application forms. Nearly 98% of all examination forms submitted are online.

Online Correction of entries in Exam forms Post- Submission: Even after submission of examination forms, students have another opportunity to correct the particulars online, i.e., at http://icaiexam.icai.org, including change of examination centre, group and medium etc. This link called correction window enabled them to communicate for making corrections in the examination forms.

Admit Cards: Downloading of Admit cards with scanned photographs and specimen signatures of the concerned students from the website has been facilitated with effect from November 2012 CA Examinations and CPT December 2012 and continued for May/ June 2015 and November/ December 2015.

Verification Applications: Effective from the examinations held in November, 2011, submission of requests for verification of marks, by candidates desirous of verification of their marks, post declaration of results, online, at http://icaiexam.icai.org has been facilitated and continued in May 2015 and November 2015 as well. The outcome of their request also continues to be hosted on the same website.

Certified copy of Answer Books: Effective from the examinations held in November, 2011, submission of applications for inspection of answer books and/or supply of certified copy of answer books, online, at http://icaiexam.icai.org has been facilitated and continues in May and November 2015 examinations also.

Further, suo-motu verification of marks, under Regulation 39(4) of the CA Regulations 1988, in respect of those who applied for certified copies of evaluated answer books, was introduced with effect from November 2013 examination continued for May 2015 and November 2015 examinations.

With effect from November 2013 examination onwards, scanned copies of evaluated answer books of those examinees who sought them, are now made available, online, on website, which can be accessed through a secure user ID and password by the respective examinee.

New Examination Centres: With a view to facilitate students to appear in the examination centres as nearer to their place of residence as possible, new examination Centres were opened as follows:

New examination centres for CA Intermediate and Final exams opened:

a) With effect from May 2015 examination onwards: Bhiwandi and Ichalkaranji

b) With effect from May 2016 examination onwards: Shimoga and Malappuram.

New centres for CPT opened:

a) With effect from June 2016: Shimoga, Malappuram and Satna

Results: The result, immediately after declaration, can be accessed through the designated site. The same is also facilitated through SMS. Besides, downloading of CPT result card (with photo and signature) has also been facilitated.

Help to Differently-abled Candidates: ICAI now provides services of a writer/ scribe to its differently-abled candidates, with payment of honorarium by ICAI @ Rs. 500/- per paper. A city–wise panel of eligible writers/ scribes is hoisted on our website i.e. www.icai.org. Facility of providing computers to differently-abled candidates for writing their answer in exams is underway.

Introduction of a web site for checking the "Exemption" status: Candidates who fail in a Group in the examination but secure a minimum of 60 per cent marks in one or more papers, are granted "Exemption" in that paper or in those paper/s subject to certain criteria. The status of such exemption is indicated in their statement of marks issued to them. With a view to provide further clarity and to remove difficulties/ doubts that the candidates may face, a website http://exemptions.icaiexam.icai.org has been developed and put in place effective from May 2014 exams, wherein the status of those who are eligible for exemption in the forthcoming examination, is also made available to them, online. The same was continued for May 2015 and November 2015 examinations.

Feedback form: With a view to encourage feedback on the question papers from the candidates, a format has been designed and hosted at www.icai.org through which candidates can give their opinion on the quality/ difficulties faced, if any in respect of question papers of the CA examinations, to the Examination Department, within a week from the date of the last exam. A dedicated email ID examfeedback@icai.in is also opened for the purpose.

4.4 Disciplinary Committee

In terms of the amendments made in the Chartered Accountants Act, 1949 in the year 2006, the disciplinary mechanism of ICAI underwent certain important and path breaking changes in the provisions and procedures for conduct of disciplinary cases. Accordingly, as on date, the disciplinary mechanism functions through its two quasi-judicial arms constituted as per the provisions of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 viz. (i) Board of Discipline (under Section 21A) and (ii) Disciplinary Committee (under Section 21B). Further, as regards cases pending prior to the amendment made in 2006 are concerned, the transitional provisions under Section 21D are applicable whereby the Disciplinary Committee under Section 21D looks into such residual cases pending in terms of the earlier provisions in the Act and Regulations framed there under. The brief note-up of the activities of Board of Discipline (under Section 21A)/ Disciplinary Committee (under Section 21B) and Disciplinary Committee (under Section 21D) are provided below.

Cases dealt with under the New Disciplinary Mechanism

Board of Discipline under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 so as to look into matters of professional and other misconduct by members which fall within the purview of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 and/or cases wherein the members are held *prima facie* NOT guilty of any misconduct by Director (Discipline).

During the year under review, the Board held eleven (11) meetings in various places across the country. In these meetings held during the said year, the Board concluded its enquiry in 18 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below:

Board of Discipline (under Section 21A) - Period from 1st April, 2015 to 31st March, 2016

(a)	No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period	11
(b)	Number of Complaint/ Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	185*/13
(c)	Out of the above, number of Complaint/ Information cases referred by the Board of Discipline for further enquiry.	40/4
(d)	Number of cases (Complaint/ Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	17/1
(e)	Number of cases (Complaint/ Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	4/3

*including cases dealt with under Rule 6/12 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of cases)Rule, 2007

Disciplinary Committee under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule and both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. During the year under review, this Committee held 28 meetings spanning 34 days at venues in different places across the country. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 94 cases, which included cases, referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:

Disciplinary Committee (under Section 21B) - Period from 1st April, 2015 to 31st March, 2016

(a)	No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period	28
(b)	Number of Complaint/ Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed	68/2
(c)	Out of the above, number of Complaint/ Information cases referred by the Disciplinary Committee for enquiry	63/1
(d)	Number of cases (Complaint/ Information cases) in which enquiry was completed by the Committee (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years)	78/16
(e)	Number of cases (Complaint/ Information cases) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years)	21/7

It may be significant to mention that during the year under review, the Disciplinary Committee took up the issue of pendency of disciplinary cases due to adjournment/ litigation by parties and thereafter decided to bring in the concept of e-hearings for expeditious disposal of the cases pending before it. The Council of ICAI has since given its in-principle approval for the proposal to have e-hearings of the disciplinary cases and once the necessary amendments in the provisions of Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007 is approved, the same would be given effect to. This measure is expected to go a long way in expediting the process of enquiry by the Board of Discipline and Disciplinary Committee, as the case may be.

Disciplinary Committee under Section (21D)

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon *prima facie* opinion, during the year under review, this Committee held two meetings and is engaged in the process of expediting and concluding the hearings in the four residual cases pending before it.

Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21(D)]

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 2015 to 31st March, 2016

Sl. No.	Particulars	No. of cases
1.	Number of cases concluded by the Disciplinary Committee during the above period (out of the total pending cases with the Committee for enquiry).	--
2.	Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases, which were heard during the earlier years).	09
3.	Out of the above…	
	(a) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule for affording an opportunity of hearing before the Council before passing an order under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949.	01
	(b) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct to be referred to High Courts under Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949.	--
	(c) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct.	--
	(d) Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry.	--
	(e) Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct	08
4.	Number of cases in which Orders passed under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule.	01
5.	Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6).	10

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board

In view of the deferment of Ind AS 115; Ind AS 11, *Construction Contracts,* and Ind AS 18, *Revenue*, with appendices related to IFRICs and SICs and consequential amendments in other Standards were submitted to the MCA after following the due process. The MCA has notified the same as the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, vide notification the same as dated 30.03.2016 as the amendment to the principle rule, namely, Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

The MCA had also notified Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 on 30.03.2016 as the amendment in existing Accounting Standards (AS) 2, 4, 6, 10, 13, 14, 21 and 29, originally notified under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.

The Accounting Standards Board (ASB) of the ICAI had constituted 'Ind AS Transition Facilitation Group (ITFG)', which is now working under Ind AS (IFRS) Implementation Committee, for providing clarifications on various issues related to the applicability and/or implementation of Ind AS raised by preparers, users and other stakeholders. The Group had issued ITFG Clarification Bulletin 1 on February 11, 2016 and ITFG Clarification Bulletin 2 on May 9, 2016, while working under the ASB.

The Accounting Standards Board (ASB) of the ICAI had issued the following Guidance Note and FAQs

(i) Guidance Note on Accounting for Real Estate Transactions (for entities to whom Ind AS is applicable).

(ii) FAQs on preparation of Consolidated Financial Statements.

(iii) FAQ on deemed cost of Property, Plant and Equipment under Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards.*

The Ind AS-Compliant Schedule III to the Companies Act, 2013, for preparation and presentation of Financial Statements of Ind AS-compliant entities, was submitted to MCA. The said Ind AS-compliant Schedule III has been notified by the MCA on April 06, 2016.

Comments on the following Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the International Accounting Standards Board (IASB) were submitted to the IASB:

- Comments on Request for Views: 2015 Agenda Consultation
- Exposure Draft on *Effective Date of Amendments to IFRS 10 and IAS 28*
- Comments on Exposure Draft on *Remeasurement on a Plan Amendment, Curtailment or Settlement/ Availability of a Refund from a Defined Benefit Plan (Proposed amendments to IAS 19 and IFRIC 14)*
- Comments on Exposure Draft *Clarifications to IFRS 15*
- Comments on Exposure Draft on Classification of Liabilities Proposed amendments to IAS 1
- Comments on Exposure Draft on Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value (Proposed amendments to IFRS 10, IFRS 12, IAS 27, IAS 28 and IAS 36 and Illustrative Examples for IFRS 13)
- Comments on Exposure Draft on Disclosure Initiative: Proposed amendments to IAS 7

Accounting Standards Board jointly with Ind AS (IFRS) Implementation Committee has released/ finalised the Publication on "Indian Accounting Standards: An Overview"

International initiatives: The ICAI representatives participated at various forums:

- Ninth meeting of the IASB Emerging Economies Group (EEG) was held on May 25-26, 2015, at Mexico City.
- Meeting of International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) held on September 29-30, 2015 at London.
- Meeting of World Standard Setters meeting held on September 28-29, 2015 at London.
- Meeting of the CAC and Interim Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG) meeting held on September 27, 2015 at London.
- The 7th Annual AOSSG meeting and CAC meeting held on 24-26 November 2015 at Seoul, Korea.
- Tenth (10th) plenary Emerging Economies Group of the International Accounting Standards Board ("EEG") held in Riyadh, Saudi Arabia, on December 1-2, 2015.
- Two day workshop for standard-setters from the Asia-Oceania region in Tokyo, Japan, on Thursday 28 January and Friday 29 January 2016.
- A workshop followed by Half-day Seminar on 'Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers' where in Mr. Henry Rees took an educational session on IFRS 15 and a panel discussion was arranged on implementation of Ind AS 115 at New Delhi.

Interaction with Regulatory Bodies

The Accounting Standards Board holds meetings with the officials of the various regulators such as MCA, RBI, SEBI, C&AG to discuss various issues.

Other Projects: Other Documents under consideration:

- Upgradation of the set of the existing Accounting Standards to bring them nearer to Ind ASs
- Updation of Indian Accounting Standards from time to time
- Formulation of Ind AS compliant Schedule III to the Companies Act, 2013 for Non Banking Financial Institutions.

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

The Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) has been formulating Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) since March 2005. Apart from this, it is also involved in creating awareness amongst the Local Bodies and various Stakeholders about the benefits of ongoing accounting reforms.

Important activities:

- ASLBs issued:
  - ASLB on *'Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting'*
  - ASLB 3, *'Accounting Policies, changes in Accounting Estimates and Errors'*
  - ASLB 19, *'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets'*
  - ASLB 24, *'Presentation of Budget Information in Financial Statements'*
  - ASLB 31, '*Intangible Assets*'
- First edition of the Compendium on Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs), containing the aforesaid ASLBs and earlier issued ASLBs, was published.
- Programmes/ Conference organised on *'Improvement of Accounting and Implementation of Double Entry Accrual System of Accounting in Urban Local Bodies (ULBs)'*:
  - For the officials of ULBs of Bihar at Patna on May 14 - 15, 2016 (under the advise of Ministry of Urban Development)
  - For the officials of Directorates of Municipal Administration/ Urban Development Departments, Directorates of Local Fund Audit and Municipal Corporations on February 8, 2016 at New Delhi (in collaboration with the MOUD)
  - For the Government officials of Rajasthan on May 28 & 29, June 4 & 5, 2016 at Jaipur (jointly with Accounting Standard Board)
- Technical Comments submitted on:
  - International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) Board's documents:
    - ✓ Exposure Draft 56, '*The Applicability of IPSASs*'
    - ✓ '*Consultation Paper on Recognition & Measurement of Social Benefits*'

- Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB)'s documents:
  - ✓ Discussion paper on Construction Contracts under Cash Basis of Accounting
  - ✓ Exposure Draft of IGAS 4, 'General Purpose Financial Statements of Government'
  - ✓ Assets Advisory formats

5.3 Audit Committee

The Constitution of Audit Committee of ICAI is governed by the Council. Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the ICAI to ensure that the financial statements are true and fair. Audit Committee operates through five Regional Audit Committees located at each of its Regional Councils.

5.4 Auditing & Assurance Standards Board

- The Board brought out a number of important publications, e.g, Handbook of Auditing Pronouncements 2015 edition, Guidance Note on the Companies (Auditor's Report) Order, 2016, Guidance Note on Audit of Banks 2016 edition, Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting, Revised Guidance Note on Reporting on Fraud under Section 143(12) of the Companies Act, 2013, Implementation Guide to SA 300, Planning an Audit of Financial Statements, Guidance Note on Reporting under Section 143(3)(f) and (h) of the Companies Act, 2013.
- The Board organised a number of awareness programmes on auditing standards and auditing aspects across the country. Programmes were held at Hubbali, Hyderabad, Cuttack, Kolkata, Tinsukia, Agra, Tripur, Vapi, Siliguri, Ranchi, Jalgaon, Visakhapatnam, Chandigarh, Bareilly, Vijayawada, Delhi, Dhule, Coimbatore, Dibrugarh, Ernakulam, Jodhpur, Indore, Jaipur, Raipur, Udaipur, Tuticorin, Surat, Chennai, Rajkot, Beawer.
- The Board issued the following Standards:
  - Revised SA 260, Communication with Those Charged with Governance.
  - Revised SA 570, Going Concern.
  - Revised SA 610, Using the Work of Internal Auditors.
  - Revised SA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements.
  - New SA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report.
  - Revised SA 705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report.
  - Revised SA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report.
  - Revised SRE 2400, Engagements to Review Historical Financial Statements.
  - Revised SRS 4410, Compilation Engagements.
  - SAE 3420, Assurance Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma Financial Information Included in a Prospectus.
- The Board issued the following announcements for guidance of the members:
  - Manner of signing of certificates by chartered accountants.
  - CARO 2003 and additional reporting under the Companies Act, 2013.
  - Clarification on auditor's report in respect of financial statements of a company for accounting years beginning before 1st April, 2014.

- Guidance on reporting under the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 (CARO, 2015) and consequential amendment to the format of the auditor's report of a company.
- Auditor's report on consolidated financial statements under the Companies Act, 2013.

- Chairman, AASB represented ICAI at the annual meetings of International Auditing and Assurance Standards Board – National Standards Setters (IAASB-NSS meetings) held at New York in May 2015 and June 2016.
- Chairman, AASB represented ICAI at the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) meetings held at New York in September 2015, December 2015 and June 2016.
- The Board submitted to the Ministry of Corporate Affairs, the draft of the Proposed Companies (Auditor's Report) Order, 2016.

5.5 Committee on Banking, Insurance & Pension

- A meeting was organised with Chairman, PFRDA to discuss various issues related to establishing a sound monitoring and compliance management system for various intermediaries involved in management of various Pension Schemes of PFRDA.
- A meeting was organized with Joint Secretary (Banking), Department of Financial Services (Ministry of Finance) on 22nd May 2015 to discuss issues related to banking, insurance and pension sectors.
- An interactive Meeting was convened with Joint Director, IRDAI on 15th July 2015 to discuss the proposed amendments in IRDA (Investments) Regulations.
- A Meeting was organised with Senior Financial Control Officer of Asian Development Bank on 7th June 2016.
- Chairman of the Committee had been nominated as a member to the Pension Advisory Committee of PFRDA.
- A conclave on "Unlocking the Potential in Insurance Sector" was organised jointly with IRDAI on 18th August, 2015 at Mumbai.
- Workshop on "Project Appraisal, Financing and Control" was organised on 14th May 2016 at New Delhi.
- The Chairman & Vice Chairman of the Committee addressed the delegates of 8th Banking & Finance Conference organized by Indian Merchants' Chamber on 18th April 2016 at Mumbai.
- The Committee organised five Webcasts on various topics in Banking, Insurance & Pension sectors during the period.
- Five Insurance Awareness Programmes were organised by the Branches of ICAI at various parts of the country with the support of the Committee.
- As on 7th July, 2016, there were 4873 members registered for the Post-Qualification Course on Diploma in Insurance and Risk Management.
- The Committee had organized four batches of the Orientation Programmes for the DIRM Technical Examination passed members during the period.

5.6 Committee for Capacity Building of Members in Practice

The Committee for Capacity Building of Members in Practice is a non-standing Committee of ICAI. The objective of the Committee is to rejuvenate practice portfolio of Members and CA Firms by strengthening their professional strength through Networking and Merger among CA Firms as well as assisting in setting up of LLP as well as Corporate Form of Practice (MCS). The Committee also provides platform for knowledge sharing and updation. To support the Members in Practice, the Committee has also arranged for Audit and

Accounting software, Antivirus Protection software, Medical and Health Insurance, Professional Indemnity Insurance and Loan Schemes at very competitive cost for the Members and Students of ICAI.

The Committee recently has signed MoU with New India Assurance Co. Ltd, Mumbai facilitating Motor Vehicle Insurance for the Members, Students and Employees of ICAI at heavily discounted price and various optional features.

The Committee keeps on reviewing all its arrangements in its periodical meetings. During period of 1.04.2015 to 7.07.2016 Committee had held two meetings i.e. 32nd Meeting on 16th January, 2016 and 33rd Meeting on 9th March, 2016 and decided to go for vivid additional facility for the members i.e. availability of Microsoft package on Concessional rate, Credit Card facility as well as Professional Loan schemes for the Members and Students.

For knowledge sharing and updation Committee organizes various professional development programmes across the country. The Committee through Branches of ICAI has arranged 20 Seminars, 14 Workshops and2 Residential Refresher Course. The Committee has also come up with various publications e.g. ICAI Knowledge Bank DVD on Commercial Acts and Tax Laws 2015.

Bearing objective to promote consolidation of CA Firms and Members in Practice, the Committee has proposed various recommendations and changes in guidelines of Networking, Merger and Corporate Form of Practice so that Indian CA Firms may come up with global brand image.

5.7 Continuing Professional Education Committee

The ICAI through its CPE Committee has all along endeavored to keep its members aware of and abreast with the professional and technological changes that are taking place, around the globe, in this ever changing economic environment, through the process of continuous skill honing, by way of classroom teaching, e-Learning mode, In-house Executive Development Programmes, Webcast, Awareness programmes, Seminars, Conferences etc.

To keep pace with the global requirements, CPE requirements have been made mandatory for all the members of the ICAI, whether he/she be in practice or in service and such system is measured, monitored and managed scientifically.

The revised CPE Statement which is benchmarking with Global requirements & Practices has been revised and would be applicable from 1st January, 2017. On-Line Submission of self-declaration for Unstructured CPE credit has also implemented. The CPE credit hours requirements have been revised for various categories of members as under:-

Category	**Existing (CPE Hrs) Upto 31.12.2016**	**Revised (CPE Hrs) (Effective from 01.01.2017)**
A. All the members (below the age of 60 yrs) holding COP (except those residing abroad)	90 (Structured – 60 Hrs & Unstructured 30 Hrs)	120 (Structured – 60 Hrs & Unstructured 60 Hrs)
B. All the members (below the age of 60 yrs) Not holding COP and members residing abroad (whether holding COP or not)	45 Structured or Unstructured (as per member's choice) [10+10+10]+15 at any time in the block of 3 yrs	60 Structured or Unstructured (as per member's choice) [15+15+15]+15 at any time in the block of 3 yrs
C. All the members (aged 60 yrs & above) holding COP	70 Structured or Unstructured (as per member's choice) [10+20+20]+20 at any time in the block of 3 yrs	90 Structured or Unstructured (as per member's choice) [20+20+20]+30 at any time in the block of 3 yrs

Spreading Wings Globally

20 CPE International Study Tours/ Seminars were organised internationally by the CPE Programme Organising Units (POUs) at Srilanka, Dubai, Bangkok, Australia, Singapore, China, Macau, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Pattaya & Bangkok, Tashkent, Prague and Bhutan.

Brand and Capacity Building:-

CPE National Live Webcasts

14 National Live Webcasts were organised by CPE Committee on various topics of utmost importance for the Profession. The recordings and the material are available at icaitv.com. The recorded CDs were sent to Regional Councils, Branches, Study Circles, Chapters, etc. for making use of the same and are available at CPEC Secretariat.

National Level Programmes and other Important Events

54 CPE Programmes were organised by the CPE Committee and hosted by Regional Councils/Branches of ICAI in different parts of the Country since April, 2015.

More than 13,620 CPE Programmes were organised for the Members across the country, by the CPE Programme Organising Units.

207 Programmes on Certificate Courses of ICAI were organised for Members through Central Committees of ICAI.

CPE Orientation Programmes

Two Orientation Programmes were organised by CPEC for adhering to best practices in CPE Programmes and making them more effective and user-friendly, during the year 2015-16.

Opening of New CPE Programme Organising Units (POUs)

18 more CPE POUs were opened by CPEC for helping the members in mofussil/ remote areas to undergo CPE activities in their nearby places, reaching to a total of 595 CPE POUs.

Training Programmes for Public Sector Undertakings:-

Five In-House Executive Development Programmes (IHEDPs) were organised:-

- Three-day Programme from 9th to 11th September, 2015 for the officials of IOCL on the topic "IndAS" at IIPM, Gurgaon.
- Two-day Programme from 30th September to 1st October, 2015 for the officials of IOCL on the topic "IndAS" at IOCL Premises, Mumbai.
- Two-day Programme from 28th-29th October, 2015 for the officials of IOCL on the topic "IndAS" at IOCL Premises, Kolkata.
- Two-day Programme from 6th-7th January, 2016 for the officials of IOCL on the topic "IndAS" at IOCL Premises, Chennai.
- Three-day Programme from 29th February-2nd March, 2016 for the officials of ONGC on the topic "Capital market and Forex Management" at Mumbai.

Supporting Society – Commitment to Nation:-

- 25 Programmes on Corporate Social Responsibility (CSR) were organised by CPE POUs at various parts of the country.
- More than 118 Awareness Programmes have already been organised by the CPE POUs on Income Declaration Scheme (IDS), 2016 during last one month. Efforts were made to organise more and more Programmes so as to make a grand success of the Government's endeavour.
- On International Yoga Day held on 21st June, 2016, 12 CPE Programmes were organised on Stress Management, Lifestyle Management where Yoga is way of life, Work Life Balance etc. A Mega event was also organised at Mumbai on 3rd June, 2016 jointly with Ministry of Ayush, Government of India, a Curtain-Raiser Programme on the International Yoga Day.

Financial Assistance available to Regional Councils and Branches

With a view to encourage Regional Councils and Branches to organize more and more CPE Programmes, particularly small Branches, it was decided to introduce the following Financial Assistance/ Admissible Grant, in case of eligible deficit only, upto the actual amount of eligible deficit or the admissible grant, whichever is lower, for organizing CPE Programmes under the aegis of CPE Committee :-

NATIONAL PROGRAMMES		
No. of Participants	**One Day Prog**	**Two-Day Prog**
200 - 400	Rs. 70,000/-	Rs. 1,00,000/-
401 - 750	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,50,000/-
More than 750	Rs. 1,50,000/-	Rs. 2,50,000/-

NON-NATIONAL PROGRAMMES			
No.of Participants	**One Day Prog**	**Two-Day Prog**	**Half-day Prog (min. 3 Hrs)**
Less than 100	Rs. 30,000/-	Rs. 50,000/-	Rs.20,000/-
100 – 200	Rs. 40,000/-	Rs. 60,000/-	Rs.25,000/-
More than 200	Rs. 65,000/-	Rs. 80,000/-	Rs. 35,000/-

RESIDENTIAL REFRESHER COURSES (Min. 25 Participants)	
For 2-day - Rs. 75,000/- or Rs. 2,000 per participant whichever is lower	For 3-day - Rs. 1,25,000/- or Rs. 3,000 per participant whichever is lower

MOU with M/s Prolinc.in for e-CLA (Corporate Law Adviser)

The CPE Committee has entered into an MOU for 3 years effective from 1st July, 2016 with M/s Prolinc.in for providing e-CLA (Electronic version of Corporate Law Advisor) for Professional education to our Members together with online discovery Platform Prolinc (www.prolinc.in) to connect Professionals with the clients, at the following special price of subscription (+Service tax), to be charged by the company directly from members, against company's consolidated price of Rs.9,500/-(plus Service Tax) for one year:-

For the first year - Rs. 1,000/- p.a. (+Service tax)

For the second year - Rs. 1,150/- p.a. (+Service tax)

For the third year - Rs. 1,350/- p.a. (+Service tax)

The Journal would keep the Members updated with anywhere anytime access in the field of Corporate and Business Laws covering - Company Law, Securities Law, SEBI Law, Foreign Exchange Law, Banking, NBFC, SARFAESI, SICA, Competition Law, LLP, Right to Information, Arbitration, Trade Marks, Designs, Copyright, IRDA, Information Technology, Money Laundering, Insurance, etc.

The features of e-CLA, Prolinc and other details are available at www.cpeicai.org.

Revamping of CPE Portal

The CPE Portal (www.cpeicai.org) was completely revamped so as to make it more robust, user and mobile friendly. The new Portal contains the following main features:

- Online uploading of details to claim CPE Hours under Unstructured Learning.
- Provision for search of programmes– Region wise, POU wise, city wise, Subject wise, date wise, etc.
- SMS alerts to respective members, about the programme being organized in respective POUs as selected by them. The members will have options to say no to such alerts.
- Members will be conveyed the details of CPE hours earned by them through SMSs as also through the emails. The members will receive reminders of the short fall of the CPE hours in every quarter.
- Re-Development of Event screens including POU pages with details of office bearers.
- Providing E-learning modules, Webcasts, video lectures of prominent speakers/personalities on various topics to facilitate members from anywhere any time on just a click of button.
- Linking with ICAI App. Members can search from anywhere anytime about forthcoming CPE Programmes - location/POU/topic wise as per their choice as also for receiving scheduled notifications. Members will be given option to select 5 POUs name as per his choice.
- Members can also know their CPE hours credit through ICAI Mobile App., etc.

Other Initiatives

- Grant of CPE hours to all Certificate Courses of ICAI was rationalised and award of requisite CPE Hours to Post-Qualification Courses of ICAI was introduced.
- CPE Manual for Programme Organising Units (POUs) was brought out containing Guidelines, Norms, Directions etc. issued from time to time by the Council and CPE Committee.
- The CPE Calendar of topics was finalised for the year 2016-17 containing more than 660 topics on various areas of professional interest.
- Quarterly e-newsletter "CPE Bulletin" was brought out to share recent initiatives that have been taken by the Committee and was hosted at the ICAI Website for information of members, POUs and others.
- National Database (subject wise) of CPE Resource Persons engaged by CPE POUs has been updated with their contact details for the use of CPE POUs and is available at CPE Portal and ICAI Website.

5.8 Corporate Laws & Corporate Governance Committee

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee acts as an instrument towards empowerment of the profession and aims to facilitate a fair corporate regime with the best global practices. The Committee regularly formulates and issue Guidance Note, Background Material, Reports, Commentaries, References in relation to Corporate Laws. The Committee examines Corporate Laws Rules, Regulations, Guidelines, Notifications, Schemes, Schedules issued thereunder, vis-à-vis best global practices and make appropriate representation/ suggestions to the concerned Ministries of Government and to participate as well as to facilitate the Law making process.

Significant Achievements

1. **The Companies Act 2013:** Submitted Representation on various issues in the Companies Act, 2013
    - **During the year 2015-2016 -** Suggestions for amendments/ modifications/ clarifications that have an impact on the profession like Representation on filling of Company Law Board in Mumbai, relating

to CSR implementation and monitoring under the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013, Fraud Reporting, Penalties under the Companies Act, Reporting on Internal Financial Control Systems, Relative definition, Representation on Ease of doing business in India- Changes required in the Companies Act, Suggestions for improvement in Forms AOC-4 and MGT-7 of the Companies Act 2013, Note to give exemptions to private companies under the Companies Act 2013 to improve ease of doing business in India, Suggestions on Related Party Transactions and Issues related to SME's under the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, Suggestions to allow Chartered Accountants to duly certify the new version of Form MGT-7 (filing of Annul Return) under the Companies Act 2013 etc.

- **During the year 2016-2017** - Submitted ICAI suggestions on the Report of the Companies Law Committee, requested MCA to waive off the additional fees, if levied for delay in filing the documents due to technical glitch in MCA-21 online e-filing portal, Requested MCA to introduce an Easy Exit Scheme/ LLP Settlement Scheme for the limited liability partnership firms registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008, ICAI Suggestions on the draft Rules of National Company Law Tribunal (NCLT), Prevention of Oppression and Management and Compromises, Amalgamation and Arrangements, Regarding postponing the requirement of deposit insurance contract as per Section 73(2)(d) for accepting deposits, Regarding HUF/ Karta can become partner/Designated partner in Limited Liability Partnership, Regarding difficulty in MCA-21 online e-filing portal and difficulty in creation of a company, Regarding continuous change in the version of E-forms till the last date of filing of forms and non-availability of E-forms of previous year on MCA 21 Portal, Regarding roadmap for Internal Financial Control Applicability (Section 143(3)(i)), Regarding non applicability of Reporting on Internal Control System by the auditors on CFS in line with the requirement of CARO 2016.

- The Committee regularly provides suggestions/ input/ framework on various provisions of the Companies Act to the Ministry of Corporate Affairs and is part of the law making Process.

- Regularly interacting with the Ministry for smooth implementation of the Companies Act 2013.

2. **Programme on the implementation of the Companies Act 2013 and Rules thereon:** The Committee has taken an initiative to keep the members of ICAI, equipped and abreast with the latest developments/ changes/ amendments in the provisions of the Companies Act 2013 by conducting various programme across the country, in the form of Interactive meetings, training Programmes, webcasts, Seminars and Conferences on an Update on Companies Act, 2013, etc.

3. **Series of Two Days Certification Programme for Directors:** The Committee is organizing Series of Certification programme for Directors. Till date 5 programmes have been conducted across the country.

4. **Bulletins on the Companies Act, 2013:** The Committee is bringing out Series of Bulletins on the Companies Act, 2013 for the benefit of the members of which Nineteen series have been released which are uploaded on ICAI Knowledge Gateway.

5. **Guidance Note on Schedule III to the Companies Act 2013:** The Committee has released the Guidance Note on Schedule III to the Companies Act 2013.

6. **Submitted Suggestions on the Insurance Regulatory and Development Authority of Regulations, 2016:** The Committee has submitted views/ suggestions on IRDAI (Corporate Governance for Insurance Companies) Regulations, 2016 on the request of the Insurance Advisory Committee.

7. **Submitted Suggestions on the 7th Report of Law Commission of India on proposed amendments in the Indian Partnership Act 1932:** The Committee has submitted suggestions on the 7th Report of Law Commission of India on proposed amendments in the Indian Partnership Act 1932 to the Ministry of Corporate Affairs.

8. **Submitted Suggestions to Institute of Company Secretaries of India on proposed amendments to Secretarial Standards (SS-1 & SS-2):** The Committee has submitted ICAI Suggestions on the proposed amendments to Secretarial Standard-1 (Meetings of the Board of Directors) and Secretarial Standard -2 (General Meetings) on the request of the Institute of Company Secretaries of India.

9. **ICAI suggestions on the E-Forms of the following Chapters/ Rules under the Companies Act, 2013:** The Committee has recently reviewed the E-Forms with a view to identify the fields which may not be relevant or are duplicate in nature. Suggestions were submitted to Ministry of Corporate Affairs, to make the existing e-form more user friendly and to abolish the forms which have outlived their utility or the information is already captured.

10. **Formulation of Valuation Standards on the basis of International Valuation Standards:** The Committee is in the process of formulating Valuation Standards on the basis of International Valuation Standards as issued by IVSC i.e. International Valuation Standards are being converged and Indianised.

11. **Oral Hearing before the Joint Committee on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2015:** Oral Hearing of the representations of ICAI on the Suggestions on Insolvency and Bankruptcy Code, 2015 was held before the Hon'ble Joint Committee on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2015.

12. **Oral Hearing before the Hon'ble Parliamentary Standing Committee on Finance:** Oral Hearing of the representations of ICAI on Examination of the Companies (Amendment) Bill, 2016 was held before the Hon'ble Parliamentary Standing Committee on Finance. ICAI suggestions on the Issues and Concerns in the Companies Act, 2013 and Rules thereon, were also submitted to the Hon'ble Parliamentary Standing Committee on Finance.

13. **Certificate Course on Valuation:** The Committee has so far conducted 62 batches of the Certificate Course on Valuation. Till date more than 3000 members have been registered for the Course. During the year 2015-2016, the Committee conducted 9 batches for this Certificate Course.

5.9 Direct Taxes Committee

Activities undertaken

A. Representations/ interactions with CBDT

The Committee has been submitting various representations to the CBDT from time to time. Some of the matters represented to CBDT are: Suggestions on ITR Forms; Updation of e-TDS/TCS RPU (Version 4.2); request to provide the tax audit data for the Assessment years 2010-11; 2011-12; 2013-14 and 2014-15 with detailed bifurcation; amendments to be made in the provisions of section 115JB (Minimum Alternate Tax) of the Income-tax Act, 1961 due to implementation of Ind AS; Feedback on Arrear Demand Verification Portal; Exclusion of fee under section 234E in demand notices issued under section 200A upto 31.05.2015; Consequential amendment in Rule 37BB and related forms; Enabling online rectification in Form 26QB; Suggestions on 'The Black Money (undisclosed foreign income and assets) and Imposition of Tax Act, 2015'; Hardships faced by an assessee due to revision of stamp duty in the Maharashtra Stamp Act; Representation to extend the due date of depositing installment of advance tax for the State of Tamil Nadu; Representation in the form of inputs/ comments in response to the memorandum dated 20.11.2015 submitted by the Institute of Cost Accountants of India to amend the definition of "Accountant" in the Explanation appended to section 288(2) of the Income Tax Act, 1961; Representations made to the Finance Minister/ CBDT for deferment of ICDS; Submission of representation on Modifications/ Revision to the existing tax audit Form No. 3CD for ensuring compliance of the provisions of ICDS; Submission of issues seeking Clarifications on Sections 206C(1D) and 206C(1F); Submission of Issues on "The Income Declaration Scheme 2016" and "The Direct Tax Dispute Resolution Scheme 2016".

Further, meetings are held from time to time with the CBDT officials to take up the aforesaid matters with them.

B. Activities relating to Union Budget

The Union Budget 2016-17 was presented on 29th February, 2016. Subsequently a budget viewing workshop was organised by the Committee and a Workshop on Union Budget 2016-17 was organised which was addressed by various CBDT officials. Articles on Direct taxes proposals of Union Budget were published in the Budget Special issue of CA Journal. Highlights of the significant direct taxes proposals and Snapshots on Direct Taxes Proposals in Union Budget 2016-17 were hosted on ICAI website. It is a pleasure to inform that 17 suggestions of ICAI relating to direct taxes had been considered in the Finance Bill, 2016.

The Committee submitted the Pre budget Memoranda- 2016 and the Post Budget Memoranda-2016 to the Ministry of Finance. The same were also hosted on ICAI's website for information of members.

C. Other Initiatives

A write up titled "Electronic Verification Code and E-filing Vault – Recent initiatives for strengthening taxpayer services" and a write-up titled 'Important Changes from Finance Bill 2016 to Finance Act 2016: Direct Taxes' contributed by the Direct Taxes Committee was published in the June, 2016 and July, 2016 issue of the Chartered Accountants Journal respectively.

D. Seminars/ Conferences/ Tax Awareness Programmes/ Workshops

The Committee organized 14 Seminars/ tax awareness programmes/ workshops on topics related to Direct Taxes during the period. A Webcast on The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 - Compliance Window, Legal & Procedural Issues and Case Studies was also organized.

E. Propagation of Income Declaration Scheme, 2016

The Government of India has requested ICAI to create awareness amongst the members and stakeholders regarding the Income Declaration scheme (IDS), 2016 and to organize programs to popularize the same. Accordingly, a dedicated portal idshelpline.icai.org has been developed which would assist the members in raising the query pertaining to the scheme and receive answer through expert panelists. The portal also provides all information pertaining to the Income declaration Scheme, 2016. Inputs have been provided to the PR Committee for the background material on IDS, 2016. At the occasion of the 67th CA day on 1.07.2016, the scheme has also been propagated through RJ Mentions (Radio Campaigning).

Citizen and member Awareness Programs have been organized on the Income Declaration scheme (IDS), 2016 from 4 to 6 pm on 2nd July, 2016 at more than 100 places across the country simultaneously. The said programmes were also webcasted live at the Regional Councils and attended by around 15000 citizens including Chartered Accountants, Company Secretaries, Advocates, Members from Trade and Industry.

5.10 Committee on Economic, Commercial Laws & WTO

- **Representations to various Government Authorities/ Regulators:** Representation made to the Lok Sabha Secretariat on the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015, suggestions on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 submitted to the parliamentary standing Committee, views on provisions of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 submitted to the select Committee of the Rajya Sabha, representation made to the Financial Intelligence Unit of India to Utilize the Services of Chartered Accountants empanelled on the ICAI Panel of Anti- Money Laundering Specialists for Audit of Records under the provisions of Section 13(I) (IA) of the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

- **Global Exhibition on Services (GES):-** As partner in Nation building the ICAI through its technical committee viz. the Committee on Economic, Commercial Laws & WTO organized "ICAI Conclave on Export of CA Services: Indian CA – Marching Towards Global Frontiers; Accelerating Growth on 24th April, 2015 at Pragati Maidan, New Delhi during the Global Exhibition on Services

(GES). The occasion also witnessed the hosting of International Networking Summit by the ICAI. About 40 countries across the globe took part in the Exhibition.

- **Workshops/ Seminars/ Conferences/ webcasts:** The Committee organized Workshop on emerging issues of the Economic & Commercial Laws like Companies Act, depreciation and GST, Global Professional Opportunities for CAs in Chandigarh, Bhavnagar, Jammu, Amritsar, New Delhi and Guwahati for the members. Workshops on the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 were organized in New Delhi, Mumbai and Ludhiana. Live Webcast on Anti Money Laundering Laws, FEMA and IPR were organized for members.

- **Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti- Money Laundering Specialist):** The Committee launched Course in the year 2015 and organised the 1st and 2nd batch of the Course in the month of December 2015 at New Delhi and in the month of June 2016 at Mumbai.

5.11 Ethical Standards Board

Ethical Standards Board of ICAI was constituted in 1975 to establish ethical standards for the chartered accountants and to generally oversee that those standards were observed by the chartered accountants.

With the economy become more complex and with the changing environment, the functioning of Ethical Standards Board became more diversified – it had now the jurisdiction of unjustified removal of auditors as well, which is a mechanism designed to protect the independence of auditors.

Ethical Standards Board is today involved with various exercises to equip the members to vitalize their competitive edge through various professional means and methods.

The Ethical Standards Board is entrusted with the updation of Code of Ethics for members. The mission of the Board is:

> *"To work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of `excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members".*

Besides Code of Ethics, other publications of Ethical Standards Board are: *'FAQs on Ethical Issues'* and *'Guidance Note on Independence of Auditors'*. The Board promotes public awareness and confidence in the fundamental principles *viz.* integrity, objectivity, competence and professionalism for members. It advises members of the profession on the professional dilemmas faced by them in day to day situations. Members can reach us vide Ethics Help Desk, E-Sahaayataa as also through email or letters. The latest updation on matters relating to Ethics is uploaded on portal of the Board, esb.icai.org.

Activities/ Initiatives

1. Revision was carried out in the ICAI Website Guidelines (September, 2015).

2. Clarifications were given on some commonly asked questions relating to the general and elected members of ICAI (August, 2015).

3. The Ethical Standards Board is currently revising the ICAI Code of Ethics as per the IESBA Code of Ethics, 2015, Companies Act, 2013 and other developments.

4. The Ethical Standards Board has given recommendations on the making of ICAI Code of Conduct for elected, nominated and co-opted members.

5. Based on the recommendations of Ethical Standards Board, the mandatory and revamped ICAI "Know Your Client" (KYC) Norms are likely to be issued shortly.

6. Ethical Standards Board is examining the role of accountants with regard to whistle blowing, *vis-a-vis* provisions of confidentiality with the purpose of making the reporting of fraud tenable for the auditors.

7. The Ethical Standards Board is examining as to whether, how, and upto which limit the ways permitted to chartered accountants to express them publicly may change with the contemporary changes in technology.

8. Contribution has been made on the various Exposure Drafts and Consultancy papers issued by International Ethical Standards Board for Accountants (IESBA) especially in the following: Responding to Non-Compliance or Suspected Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR), Structure of the Code, Safeguards and Long Association of Senior Personnel (Including Partner Rotation) with an Audit Client.

5.12 Expert Advisory Committee

The Council of ICAI had constituted Expert Advisory Committee to provide guidance and assistance to its members on the issues relating to application and implementation of the accounting and auditing principles to specific and complex business situations. The Committee answers various queries raised in accordance with the Advisory Service Rules framed for this purpose.

The opinions of the Committee are the opinions or views of the members of the Committee on the given facts and circumstances of the query, arrived at on the basis of the applicable accounting/ auditing standards, guidance notes, and other pronouncements of ICAI as well as the relevant laws and regulatory environment applicable under the circumstances of the query, as on the date of finalisation of the opinion. Every opinion, therefore, must be read and applied after taking into account any amendments and/or other developments subsequent to the date of finalisation of the opinion by the Committee which is mentioned there against.

Although the opinion given or a view expressed by the Committee represents the opinion or view of the members of the Committee and not the official opinion of the Council of the ICAI, it carries an authoritative guidance which is well recognised by various government/ regulatory bodies, such as, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Ministry of Corporate Affairs, etc.

During the period from 01.04.2015 to 07.07.2016, the Committee finalised 39 opinions received from the members of ICAI and 8 opinions on different accounting issues received from the Regulators/ Government authorities.

All the opinions finalised by the Committee during a year are published as a volume of the Compendium of Opinions. Till now, thirty-four volumes of the Compendium have been released. A CD containing around 1350 opinions contained in all the thirty-four volumes of Compendium of Opinions with user-friendly features for easy referencing has also been released, which is available with Volume XXXIV of the Compendium of Opinions.

Some of the opinions finalised by the Committee are published in every issue of ICAI's Journal 'The Chartered Accountant'.

5.13 Committee on Financial Markets & Investors' Protection

1. Investor Awareness Programmes:

MCA-ICAI Investor Awareness Programmes:

- Committee is actively supporting the society and nation by organizing 'Investor Awareness Programmes' under the aegis of Investor Education and Protection Fund (IEPF) of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India through its various Programme Organizing units POU's

- In total 1534 programmes were conducted during the period 1st April, 2015 to 7th July, 2016

- Committee received an appreciation letter from MCA for conducting more than 1400 programmes during the year 2015-16 specially in the North Eastern States.

Important Events:

Investor Awareness Programme in interiors of Chhattisgarh

Mr. S.K. Rathore (DIG), ACB Raipur and Mr. Prashant Agrawal, IPS, Superintendent of Police, Janjgir were also present there.

Topic: Ponzi Schemes: Fraud/ cheating with Investors and Remedies available

Date: 18th-21st September, 2015

Venue: Raipur, Bilaspur, Janjgir, Raigarh & Durg.

Residential conference related to Investor Awareness Programme held in January, 2016 in Jaipur: Committee has conducted "Training Program on Investors Awareness" for Resource Person engaged in organising Investor Awareness Programmes (IAPs) under the aegis of Investor Education and Protection Fund, Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

Topics:

"An overview of Investor Awareness Programmes"

"Investment Options, Peculiar features"

"Do's and Don'ts of Investment options"

"Grievances and Redressal mechanism"

Date: 24th–25th January, 2016

Venue: Hotel Om Tower, M.I. Road, Jaipur, Rajasthan

BSE/NSE - ICAI Investor Awareness Programmes:

- Committee has been organizing IAP in association with 'Bombay Stock Exchange – Investor Protection Fund (BSE-IPF)' through its various Programme Organizing units POU's
- Total 4 programmes were conducted during the captioned period by the POUs in Noida, Kanpur, New Delhi and Mussouri.

2. Certificate Courses:

Existing Certificate Courses:

- **Certificate course on Forex and Treasury Management**

- Committee started its first batch of Forex and Treasury Management course from 10th January, 2009. Committee has overall completed 35 batches of FXTM course till date.
- During the period from 1st April, 2015 to 7th July, 2016, Committee conducted 9 batches of Forex and Treasury Management course.

- **Certificate Course on Derivatives**

  Committee has overall successfully completed 3 batches of Derivatives course till date. During the captioned period, Committee has successfully completed 2nd Residential batch of Derivatives course at Centre of Excellence, Hyderabad from 24th August, 2015 to 30th August, 2015.

- **Proposed New Certificate courses:** Committee will be soon launching new Certificate courses in the field of "Financial Markets and Securities Laws" and "Fundamental and Technical Analysis of Stocks including Equity Research" which are duly approved by the Council.

- **Evaluation Test of Certificate Course on Forex & Treasury Management:** The Committee has conducted 4 evaluation tests of past batches of Forex and Treasury Management Certificate Course during the period from 1st April, 2015 to 7th July,2016

3. Ancilliary Activities:

- **Seminars, Workshops and Training Programmes:** Committee is actively playing a pro-active role in conducting various Seminars, Workshops and Training Programmes for the professional enhancement of members. During the period from 1st April, 2015 to 7th July, 2016, Committee has conducted a total number of 30 CPE programmes.

- **International Study Tour to Singapore & Kaula Lumpur organized by Committee and hosted by Noida branch of CIRC of ICAI:** CFMIP has organized an International Refresher Course to Singapore & Kuala Lumpur from 6th October, 2015 to 11th October, 2015, the same is being hosted by Noida branch of CIRC of ICAI. The study tour has been attended by 15 participants.

- **Publication and Research:** The Committee has released two publications titled "Investment Avenues and Investor Awareness" in Hindi and English on 1st July, 2015. The objective of launching this publication is to give awareness to the public at large on how to invest their wealth in various securities by earning more returns with lesser risk. The Contents of the publication include Money's Magical Mantra, Individual - Investor & Money, Financial & Tax Planning, Art of Investing, Knowledge on Investment, IEPF & Investor Awareness, PM's Jan DhanYojna, Tax provisions.

- **Webcasts and Google Hangout:** During the period from 1st April, 2015 to 7th July, 2016, Committee has conducted 6 Webcasts and 1 Google Hangout.

5.14 Financial Reporting Review Board

In its endeavor to improve financial reporting practices, the ICAI through FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon. The Board also supports various regulators viz Qualified Audit Report Review Committee (QARC) of Securities and Exchange Board of India (SEBI) in review of significant audit qualifications of the listed enterprises, Election Commission of India in review of annual audited accounts of political parties and undertakes review of other cases as referred by the regulators time to time.

Undertaken review

- **Review of Cases selected on suo motto basis or as Special**

  During this period, the Board has completed the review of 65 cases selected on suo motto basis or as special case.

- **Review of Cases referred by QARC of SEBI**

  During the period, the Board has received 35 cases from QARC-SEBI. The Board reviewed all these cases along with additional information, if any, received by the company and/or the auditor, as the case may be, and finalised its views on all the cases.

- **Supported SEBI**

  The Board provided comments on SEBI's proposal to improve its mechanism for dealing with the qualified audit reports filed with SEBI by the listed entities.

Providing knowledge base to the members about best practice in financial reporting

- **Publicised article in ICAI's Journal "The Chartered Accountant":**

  With a view to guide members about reporting obligation under Schedule III to Companies Act, 2013 the non-compliances observed during the review, were published in May 2015 issue of the ICAI's Journal.

- **Conducted Programme on 'Financial Reporting Practices for Political Parties'**

  To enhance the financial reporting skills of the auditors of financial statements of Political Parties, a programme on "Financial Reporting Practices for Political Parties" was organised on June 23, 2015 at New Delhi which was inaugurated by Dr. Nasim Zaidi, Chief Election Commissioner along with Mr. P.K. Dash, Director General, Election Commission of India.

- **Conducted Awareness Programmes on Financial Reporting Practices**

  With an objective to enhance the knowledge of the members on review skill, as well as to update them with the changes occurring in financial reporting framework, the Board had organised 11 Awareness Programme on Financial Reporting Practices, in various Regional Offices and branches of ICAI that were well attended by 1115 members.

5.15 Indirect Taxes Committee

1. **Input to the Government:** The Committee has submitted following inputs/ suggestions/ representation to the Government:

   (i) Representation on 122nd Constitution Amendment (GST) Bill, 2014 to Select Committee;

   (ii) Submission of a Study Report to enable smooth Transition from Pre-GST to Post-GST Regime;

   (iii) Suggestion on Draft Business Processes of GST;

   (iv) Submission of a Study Report on Impact of GST on Jammu & Kashmir Taxation System;

   (v) Submission of Pre & Post Budget Memorandum;

   (vi) Representation to CBEC on Krishi Kalyan Cess;

   (vii) Submission of a Draft Annual Return cum Reconciliation Statement under Service Tax and Central Excise.

   (viii) Submission of Training Manual on GST for CBEC & VAT officials on the request made by Department of Revenue, Ministry of Finance.

2. **Publication – A research Initiatives:** The Committee brought out/revised following publications on VAT/ Service Tax/ Excise:

   (i) Central Excise Law and Procedure for Jewellery Industry

   (ii) Background Material on GST

   (iii) GST – A Boon for Indian Economy

   (iv) Technical Guide on Service Tax – Works Contract

   (v) Compliances of Service Tax in Banking Sector

(vi) Technical Guide on CENVAT Credit

(vii) Technical Guide on Service Tax - Insurance Sector

(viii) Technical Guide to West Bengal VAT

(ix) Technical Guide on Rajasthan VAT

(x) Technical Guide on Gujarat VAT

(xi) Technical Guide on Assam VAT

(xii) Technical Guide on Delhi VAT

(xiii) Technical Guide on Karnataka VAT

(xiv) Technical Guide on Orissa VAT

(xv) Technical Guide on Uttarakhand VAT

3. E-initiatives

(i) **Updation of E-learning Courses – Learn any time anywhere:** All the four e-learning Courses on Customs, Excise, CST and Service Tax were updated with Finance Act, 2015.

(ii) **Webcasts on Indirect Taxes:** The Committee organised eleven webcasts on indirect taxes issues relating to different sectors/ topics.

4. Training Programme for the Government: With a view to help the Government in capacity building and partner them in Nation Building, the Committee organised 61 training programmes at various Commissionerates and NACEN across the Country.

5. Certificate Course on Indirect Taxes/ Service Tax: The Committee organized 9 batches of the Certificate Course on Indirect Taxes and 2 batches of Certificate Course on Service Tax across the country which have been attended by 280 and 95 members respectively.

6. Programmes, Seminars and Conferences: During the period, 84 programmes, seminars, conferences and workshops etc. have been organised by the Committee.

7. Indirect Taxes Update: With a view to update the members, summary of significant notifications, circulars and other important development in the area of Indirect Taxes are regularly been circulated among the IDT NET registered members on the website of the Committee www.idtc.icai.org

8. Meetings of the committee: During the period, 9 (Nine) Committee meetings were held.

5.16 Committee on Information Technology

The Committee on Information Technology has been constituted by the Council of ICAI as a non-standing Committee in the year 2000 to identify Information Technology challenges facing the profession and convert them into gainful professional opportunities for members by conducting Post-Qualification and Certificate Courses, Conferences, Seminars, and Practical Workshops, Training programmes, ERP/ IT courses apart from Practice Guides, Training Aids, Software's and Publications on Information Technology for the benefit of members.

During the period 1st April, 2015 to 7th July, 2016, details of the significant achievements of the Committee are given below:

1. Post Qualification Course on "Information System Audit (ISA)": Post Qualification Course (PQC) on Information Systems Audit (ISA) has been a great unifying forces bringing together members for a unique information sharing, professional development and training initiative. The ISA PT Batches, ISA Eligibility Test & ISA Assessment Test were organized across the country. The Committee conducted more than 100 batches of the ISA Course during the period. The Committee has launched the new ISA Course 2.0 and the ISA PT batch with new course launched on 1st July, 2016. The DISA course is conducted through a good blend of e-learning (online and facilitated), class room training, hands-on training with practical case studies and project work to ensure practical application of knowledge.

2. Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Prevention: The Committee Conducts Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Prevention. The course aims to develop investigative skills required to uncover corporate/ business frauds, measure resultant damage, provide litigation support/ outside counsel by applying accounting, auditing principles for the detection of frauds. The Committee had restructured the Course and now the course is a blend of E-learning, hands on training, case studies, presentations by faculties, project presentations, PPT submission and preparation of Forensic Reports by the participants. The Committee has started conducting batches with revised structure from 1st July, 2016.

3. Forensic Accounting Course for Government organizations: The Committee has decided to organize training programmes on Fraud Investigation and Forensic Accounting for Government organizations and other Institutions. The central objective of this course and training programmes is to provide the officers and senior members an insight into the world of fraud, financial wrong doings and possible ways of detecting them.

4. Workshops/ Seminars

- 35 Workshops, Seminars were organised all over India on Information Technology driven topics to enhance the skill- sets of members.
- 6 Webcasts were conducted on Internal Financial Control, Cyber Security: Surviving In VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) World, Overview of Information Systems Audit, Enterprise Content Management, COBIT framework, Introduction to Forensic Accounting.
- 9 IT Awareness Programmes were organized all over the Country for Regulators and corporates.

5. Development of Self Service Portal: The Committee is in process of development of Self Service Portal for the courses organized by the Committee on Information Technology to achieve

- o Automation of entire process from Registration, payment, selection of batch, getting online material, e-learning, appearing in exam, results, background material from speaker, submit feedback
- o Will enable faculties to select their batches, auto-routing to travel desk, submission of honorarium invoice, submit their notes to participants.
- o Will enable committee to launch simultaneous batches without manual interventions. It will reduce manpower requirement to less than half and will save substantial amount of cost on HR, Courier, travel (by advance booking for faculties) etc.

6. ISO-9001/2015 Certification for the Committee: The Committee on Information Technology is ISO-9001/ 2015 Certified with an ultimate goal of getting ISO-17024 certification for various courses of the Committee so as to get International recognition.

5.17 Internal Audit Standards Board

The ICAI has constituted Internal Audit Standards Board in 2004 to strengthen technical resources on internal audit and related areas; disseminate best practices in the field of internal audit; and promote role of internal auditors in governance, risk and compliance to various stakeholders.

Technical Literature

The Board has till date issued eighteen Standards on Internal Audit (SIAs). The Board also issues industry specific Technical Guides to equip members with requisite skills to carryout industry-specific internal audits. During the year 2015-16, the Board has issued the following Industry Specific Technical Guides:

- *Technical Guide on Internal Audit of Hotel Industry* provides a brief overview of hotel industry and briefly discusses skill sets of internal auditor required in hotel industry.
- *Guide on Risk Based Internal Audit Plan* explains the concepts of Risk Based Internal Audit Plan and provides a step-wise approach for effective implementation.
- The Board is revising *Manual on Concurrent Audit of Banks* issued in 2012 in the light of RBI Revised Guidelines on "Concurrent Audit System in Commercial Banks" issued in July 2015 and other various applicable new/ revised RBI Circulars.
- The Board has released *CD of RBI Circulars collated session-wise for Certificate Course on Concurrent Audit of Banks* (as on July 1, 2015).
- The Board has some significant publications in pipeline on various important areas.

Knowledge Booklets

- *Knowledge Booklet on Audit Committee – Monitoring Effectiveness of Internal Audit* throws light on the role of internal auditor as trusted adviser and consultant to the audit committee, by providing valuable insights to audit committee.

Certificate Courses

- The Board conducts *Certificate Course on Concurrent Audit of Banks* with the purpose of providing an opportunity to the members to understand the intricacies of concurrent audit of banks. During the period, the Board has conducted 80 batches of the Certificate Course on Concurrent Audit of Banks at various places in the country and more than 4,000 members have successfully qualified this Certificate Course.
- *Certificate Course on Enterprise Risk Management* and *Certificate Course on Internal Audit* are being restructured by the Board.
- The Board has conducted *Faculty Development Program for Certificate Course on Concurrent Audit of Banks* on October 9&10, 2015 at Delhi.

Programmes, Seminars, Conferences for Awareness on Internal Audit

With a view to provide platform for dissemination of knowledge among members, the Board has organised 12 workshops, seminars, training programmes, interactive meets at various places for the benefits of the members.

Webinars on Internal Audit and Related Ares

The Board has conducted webinars on following topics during this period:

- Internal Financial Controls - Role of Internal Auditor: Series II
- Risk Management, Inspection, Investigation under the Companies Act, 2013
- Internal Audit of Hotel Industry
- Internal Financial Controls - Role of Internal Auditor: Series I
- Revised RBI Concurrent Audit Guidelines – Changes and Implications
- Expectations of Audit Committee from Internal Auditor.

Partner in Nation Building

The Board has organised "*Seminar on Enhancing Effectiveness of Internal Audit – Issues and Challenges*" on November 24, 2015, in association with the Office of Controller General of Accounts, Department of Expenditure at New Delhi.

5.18 Committee on International Taxation

A. Representations/ interactions with Government

Representations/ interactions with the Government were made in respect of the following:

1. Draft scheme of the proposed rules for computation of Arm's length price (ALP) of an International Transaction or Specified Domestic transaction undertaken on or after 1.04.2014

2. Applicability/ non-applicability of MAT on foreign Companies

3. Amendment to Rule 37BB and transitional relief u/s 119

4. Applicability of MAT on foreign Companies

5. Issues on "Taxation of e-Commerce"

6. Manner of determination of FMV and reporting requirement for Indian Concern-Indirect transfer provisions - section 9(1) of the Act.

7. Draft guiding Principles for determination of Place of Effective Management (POEM) of a Company.

8. Suggestions relating to International taxation for Pre-Budget Memorandum – 2015 during the Pre-Budget meeting at North Block on 23.11.2015

9. Newly notified facility of Form No. 15CA/15CB

10. Amendment to the Notification No.93/2015 dated 16th December, 2015

11. Draft rules for granting Foreign Tax Credit

B. Other initiatives

1. Launch of Post Qualification Diploma in International taxation after receiving approval from Ministry of Corporate Affairs (MCA).
2. Organization of batches of Certificate Course on International Taxation during the period 1.4.2015 to 07.07.2016 in Baroda, Delhi, Surat, Thane and Pune.
3. E-learning module on Introduction to International Tax and Transfer pricing have been developed and is available to the members.
4. The Committee had released the Third and Fourth Edition of the e-Newsletter of the Committee during the abovementioned period.
5. The Committee had made special arrangements for members of ICAI with ACE TP online and Global Tax Guide of BNA Bloomberg
6. The Committee has taken an initiative and invited members to do research work on International Taxation in any of the topics, Base Erosion Profit Shifting, Permanent Establishment attribution, Electronic Commerce, Transfer Pricing and Digital Economy.

7. Revision of the publications- Technical Guide on Royalty and Fees for Technical Services.

C. Seminars/ Conferences/ Tax Awareness Programmes (1.4.2015 to 7.7.2016)

1. One Day Program on International Taxation on Saturday, 9th May, 2015 at Mumbai.
2. National Seminar on International Taxation on Saturday, 16th May, 2015 at Chandigarh.
3. LIVE Webcast on the **"Highlights of Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) Imposition of Tax Act, 2015"** on 16.06.2015 CA. T.P. Ostwal.
4. One Day Seminar on International Taxation on Saturday 27th June, 2015 at Coimbatore.
5. LIVE Webcast - **Recent Developments in International Taxation** on 29.07.2015 by CA. Nihar N. Jambusaria.
6. ICAI International Tax Convention (2 days) on 7th & 8th August, 2015 at Baroda.
7. Workshop on The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015- Delhi on August 10, 2015 and in Mumbai on 26th August, 2015.
8. Two Days Workshop on Transfer Pricing on 2nd & 3rd October, 2015 at Coimbatore.
9. International Tax Conference Organized by Committee on International Taxation of ICAI in Mumbai on 15th & 16th April, 2016.
10. LIVE Webcast on the **"Draft Guiding Principles for Determination of Place of Effective Management"** was organized on 21.01.2016 which was addressed by CA. Mayur Desai.
11. Budget Viewing Workshop and a LIVE webcast on tax proposals on Union Budget on 28th February, 2016.

5.19 Committee for Professional Accountants in Business & Industry

Overview:

The then Committee for Members in Industry (CMII) is now known as Committee for Professional Accountants in Business & Industry (CPABI). The CPABI of ICAI serves as a platform for facilitating synchronization between the individual goals with organizational goals creating an interface between ICAI and industry and to recognize/ project CAs beyond traditional fields as knowledgeable persons on all aspects in the functioning of the company, business and commerce. The Committee seeks to encourage and enhance close links between the CAs in Industry and business and ICAI. The Committee also seeks to project the CAs amongst the Industry and other stakeholders for their in-depth and versatile knowledge, expertise and skills. To support this endeavor, the CPABI has been organizing various knowledge enriching conferences, Industry Meets, outreach programmes for the benefit of the members. Other important activities of CPABI include providing placement opportunities to the young and experienced Chartered Accountants through Campus Placement programmes and ICAI job portal, organizing the prestigious ICAI awards to recognize exemplary achievements of Chartered Accountants in Business and Industry, releasing general publications on matters of professional interest, formation of CPE study circles, E-newsletter etc, all aiming to benefit the members. The major activities that took place during 2015-16 are indicated below:

Snapshot of Campus Placement Programme held in last two terms:

In August-September 2015 - It was held at 19 centres, secured registration of 7358 candidates, out of which 5164 were shortlisted for being interviewed. 88 organisations had participated and 1231 job offers were made.

In February-March 2016 - It was held at 21 centres, secured registration of 5961, out of which 4837 candidates were shortlisted for being interviewed. 104 organisations had participated and 1314 job offers were made.

The Committee is committed to involve more number of companies to improve the present placement percentage.

Career Ascent Programme for Experienced Chartered Accountants: With a view to give a fresh impetus to the objective of providing employment opportunities to the Chartered Accountants, the Committee has organized a customized Campus Placement Programme for the Experienced Chartered Accountants who are having experience of 3 years and above and looking for a change. The first phase of this programme was organized at centres viz: Bengaluru, Chennai, Kolkata and New Delhi during June, 2016 and its snapshot stood as follows:

Centre Name	Date of Campus Interview	No. of Candidates Registered	No. of Interview Teams
New Delhi	28.06.2016	1770	2
Bangalore	23.06.2016	358	2
Chennai	24.06.2016	217	2
Kolkata	25.06.2016	445	1
Total		2790	7

ITC, Infosys and some other Companies took part in that campus and highest salary offered was 24.94 lacs per annum (offered by ITC Ltd at Bangalore Centre).

ICAI-Industry HR Meet

The Committee had organized ICAI Industry HR Meet on 22nd April, 12th May, 2015 and 9th June, 2015 at New Delhi to reinforce the alliance between ICAI and the Corporates and to have corporate feedback/suggestions about the norms and process of Placement for the Campus Placement Programme.

As a new initiative, CPABI has begun the process of visiting the CFO/HR Heads of various companies at their premises with a view to bring them in campus for recruiting newly qualified chartered accountants in large numbers.

Jury Meet for ICAI Awards 2015

The Committee had conducted a Jury Meet on 17th December, 2015 at Mumbai for finalising the awardees for the ICAI Awards 2015. CA. Kumar Mangalam Birla, Chairman, Aditya Birla Group was the Chairman of Jury Meet.

9th ICAI-CMII Corporate Forum and Awards 2015

The then CMII had organized Annual (9th) Corporate Forum on 15th & 16th January, 2016 at New Delhi which comprised of the following sub- events:

a. **Corporate Conclave** (15th & 16th January, 2016) – A two day National Convention on contemporary topics to enrich the knowledge and to enhance the skill sets of the members in industry.

b. **Financial Services Expo** (15th & 16th January, 2016) **-** A platform where Chartered Accountants and Corporates from all over India would mark their presence.

c. **ICAI Awards 2015** (16th January, 2016) **-** honoured the exemplary work of Chartered Accountants in Industry by recognizing those who have demonstrated excellence in their professional life, personal life and are the role models for others in industry. Mr. Suresh Prabhu, Hon'ble Minister of Railways, Govt. of India was the Chief Guest for the ICAI Awards 2015.

Webinar held at New Delhi:

- Webinar on "Overview of Standards on Auditing, Internal Control Risk & Fraud" on 17th June, 2016
- Webinar on Recent issues in taxation on 5th January, 2016.
- Webinar on "Issues faced by Industry with respect to Transfer Pricing and Recent Development in Transfer Pricing" on 27th November, 2015.
- Webinar on "CST & Taxation of work contracts under VAT" on 20th October, 2015

Publications/ Compilations

- The Committee had released the third edition of Business Planning and the sixth edition of the Sustainability Reporting publication.

5.20 Peer Review Board

The Peer Review Board was established in April 2002. The Statement on Peer Review (the Statement) was released in early 2002 (revised in 2008 and in 2011). It aims to maintain and enhance the quality of assurance services. Peer Review process is based on the principle of systematic monitoring of the procedures adopted and records maintained while carrying out audit & assurance services in the course of one's professional responsibility to ensure and sustain quality. Peer Review is primarily directed towards ensuring as well as enhancing the quality of audit and assurance services of Chartered Accountants in Practice. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Peer Reviewer. The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out the assurance service assignments, the members of ICAI (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services.

The Planned effort of the Board couples with effective performance of the Peer Reviewers not only inspirited the practice Units to continually improve the quality of service that they render to the society at large also attract the attention of and received recognition from various regulatory authorities.

The Securities & Exchange Board of India (SEBI), has made mandatory with effect from April 1, 2010 for the listed entities, that limited review/ statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of ICAI.

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) has recognized Peer Review Board's work; as it seeks additional details from the Chartered Accountants firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore from last few years the C&AG annually seeks details from ICAI of those firms which have been issued certificate by the Peer Review Board.

Improvements in Peer Review Process

- E-book of Peer Review Manual (Revised) was launched and hosted on ICAI Website along with Statement on Peer Review for ready reference.
- With a view to improve peer review process, the Board has made necessary changes in various forms and formats which are available on webpage of Peer Review Board.
- 11,519 firms have been covered under Peer Review in three levels and 8,934 Peer Review Certificates have been issued to the Firms.
- Peer Review Board is regularly organising Training programmes and till date 162 training Programmes have been organised across country and 5,512 Peer Reviewers has been trained so far.
- Content of the Training Programme Schedule revised putting special emphasis on Technical Standards, sharper focus on compliance with audit documentation, and review process and reporting.

Peer Reviewers Training Programme: In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the practice units for review. During the period the Peer Review Board has organized Peer Review Training Programmes at Bikaner, Bhubaneswar, Udaipur, Jamshedpur, Mumbai, Chennai, Lucknow, New Delhi, Bhilwara Raipur, Ranchi, Jaipur, Hyderabad, Pune, Ahmedabad and trained 1030 (approx) peer reviewers, with this total of 5,512 reviewers have been trained so far.

5.21 Professional Development Committee

The Professional Development Committee was set up in the year 1962 as a non-standing Committee to explore, derive, develop, assure and make available opportunities for the use of the professional talents and skills of Chartered Accountants in different sectors of the world and to ensure that such opportunities are available equitably to all Chartered Accountants with due regard to their professional abilities and attributes.

The major activities of the Committee were as follows:

I. Managerial autonomy given to Banks for appointment of Auditors:

The Committee has over the years expressed its concerns on the issue of appointment of auditors of Public Sector Banks by the Banks' Board themselves at highest competent authorities.

Meetings have been held with Mr. Arun Jaitley, Hon'ble Finance Minister, Mr. Jayant Sinha, Hon'ble Minister of State, Finance, CA. Piyush Goyal, Hon'ble Minister of State (I/C) Power, Coal, New & Renewable Energy and Mines, Mr. Suresh Prabhu, Hon'ble Minister of Railways, Dr. Raghuram Rajan, Governor, RBI and other concerned foras.

II. Issues related to tendering: With a view to enhance the quality of services rendered by the members and to monitor the tendering system for attest functions a notification dated 7th April, 2016 has been issued by the Council of ICAI. The Committee has subsequently prepared the FAQs for general guidance of the members.

III. Coordination with RBI, C&AG, NABARD: Several meetings were held with and representations sent to RBI, C&AG, NABARD, MoRD, MHRD and Department of Post to discuss/pursue issues of mutual professional concerns.

IV. Multipurpose Empanelment Form and provision of Panels to various Authorities: As a result of great stride for ensuring equitable professional opportunities and to provide more and more tasks, number of authorities and organizations were provided the panels of Chartered Accountants/firms. Bank Branch Auditors Panel 2015-16 was prepared and sent to RBI, NABARD and various other authorities as per their requests.

V. Meetings and Representations sent to various Authorities: Apart from exploring unchartered territories in the professional development, the Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants. Accordingly, the Committee sends representations and holds meetings with various authorities for matters of mutual professional interest.

VI. Capacity Building of Members: With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, the Committee organizes seminars, workshops on contemporary areas of interest. A Round Table Interface of Independent CA Directors: A Collaborative Learning, A Two-day National Conference on Emerging Professional Opportunities, Workshop on "Corporate Governance & Corporate Social Responsibility (CSR)" was organised jointly with O/o C&AG on 30th May, 2016 at Bangalore for officers of C&AG.

In addition to this, throughout the year, programs and webcasts were organised. Two International Refresher Courses were organised by the Committee and hosted by Saharanpur Branch and Bhopal Branch.

VII. State Level Co-ordination Committee (SLCC) Meeting on the working of Non-Banking Financial Companies & Unincorporated Bodies: Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank

of India normally holds State Level Coordination Committee Meeting (once in a every quarter) to regulate Non Banking Financial Companies (NBFCs) and deposit accepted activities of incorporated bodies (UIBs) at each of their regional offices. Various SLCC meetings were held throughout the year for various states.

5.22 Committee on Public Finance & Government Accounting

➢ **Training Programmes/ Workshop**

- On "Finance for Non Finance" at IDPL, Gurgaon.
- On "Audit and the New Companies Act" at iCISA, Noida.
- On "Assistance in Capacity Building Capabilities for Elected Legislative Representatives" at ATI, Ranchi.
- On "Companies Act 2013 - Implication for Public Sector Enterprises" at New Delhi.
- On Double Entry Accounting System, Service Tax, TDS at Rajkot.
- On Implementation of Double Entry, Accrual Accounting and Accounting Standards at Jodhpur.
- Residential Refresher Course for the members of ICAI at Alleppey.
- On "Financial Management" at ICAI Bhawan, Chennai, Tamil Nadu.
- On "Role in Audit-Internals/ Statutory/ C&AG and Audit Committee" and "Budgeting & Taking Financial Decisions" at Agartala, Tripura.

➢ The Committee has organised Awareness Programmes on the theme "Rising to the Challenges in Public Finance & Government Accounting" at following places during the period 1st April, 2015 to 7th July, 2016:

- At Jalgaon on 24th April 2015
- At Rudrapur on 14th May, 2015
- At Kolkata on 13th June 2015
- At Kottayam on 8th August 2015
- At Thrissur on 7th September 2015

➢ **National Conference:** The Committee has organised National Conference on the theme "Make in India-A professional opportunity for CAs" at Agra.

➢ The Committee has organised following live Webcasts during the period 1st April, 2015 to 7th July, 2016:

1. "Public Finance System in India-Recent Initiatives, Challenges and A Way Forward"
2. "Taxation, Accountability and Realization - Critical Issues for Growth" at New Delhi.

➢ Following Meetings with dignitaries were held during the period 1st April, 2015 to 7th July, 2016 to discuss the matters related to professional interest:-

- CA. Vijay Garg, the then Chairman, CPF&GA met with Mr. Malay Kumar Poddar, CFO (AIC) at New Delhi, Prof. Dinesh Oraon, Speaker of Jharkhand Legislative Assembly at Ranchi and Dr. Madhukar Gupta, IAS, Additional Secretary, DPE and Dr. M. Subbarayan, Joint Secretary, DPE at New Delhi.

- CA. Prafulla Premsukh Chhajed, Chairman, CPF&GA met with Dr. P Mukherjee, Deputy C&AG at New Delhi, Mr. Dhruv Kumar Singh, Director, Ministry of Rural Development at New Delhi, Mr. Ameising Luikham, IAS, Secretary, DPE at New Delhi, Dr. Madhukar Gupta, IAS, Additional Secretary DPE at New Delhi, Mr. Anand Singh Bhel, Economic Advisor, DPE at New Delhi, Dr. Rathin Roy, Director (NIPFP) at New Delhi, Mr. Tathagata Roy, Governor, Government of Tripura at Agartala and Mr. Bhanu Lal Saha, Minister for Finance, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Information & Cultural Affairs, Government of Tripura at Agartala.

5.23 Public Relation Activities

In the year 2015-16, the Public Relations Committee in pursuance of its mission and goals continued its endeavor to develop, strengthen and enhance the image of the ICAI as a premier accounting body and the sole regulatory authority. The Committee expanded its area of activities in addition to the regular tasks being undertaken. Some of the important activities undertaken by the PR Committee during the aforesaid period include the following:

Citizen & Member Awareness Programme on Income Declaration Scheme 2016

The ICAI jointly with the Ministry of Finance and Ministry of Commerce & Industry organized the "Citizen & Member Awareness Programs on the Income Declaration Scheme, 2016" on July 2, 2016 at New Delhi. Shri Arun Jaitley, Hon'ble Finance Minister, Shri Atulesh Jindal, Chairman, CBDT, Ms. Rani Singh Nair, Member (L&T), CA. M. Devaraja Reddy, President, ICAI along with other senior officials of CBDT addressed the viewers during the program. CA. (Dr.) Girish Ahuja, FCA enlightened the members and viewers about the Scheme and issues concerning thereto. This program was webcast live to more than 100 branches of the ICAI and was attended by around 15,000 citizens including Chartered Accountants, Company Secretaries, Advocates, Members from Trade and Industry.

Chartered Accountants Day 2016

Chartered Accountants Day on July 1, 2016 was celebrated by all Regional Councils and Branches of ICAI in a structured manner as a Solidarity Day. The activities like programmes on Income Declaration Scheme 2016, Investor Awareness programmes, Women empowerment programmes, Tree plantation, Blood donation etc. were undertaken and it was decided to sanction a special grant for undertaking the activities. As in the past, a special issue of Chartered Accountants Journal was also brought out to commemorate CA Day. The Committee interacted with the offices of various dignitaries and Goodwill messages from 20 Dignitaries were received which were published in the July , 2016 issue of `*The Chartered Accountant'*. A function to mark CA Day was also organized in Delhi, details of which have been given elsewhere in this Report. The event was widely publicized through print, electronic media and Radio.

2nd International Day of Yoga

On the appeal of Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, June 21st was declared as International Yoga Day by the United Nations. This year, Ministry of AYUSH, Government of India, the nodal agency coordinating various activities towards celebration of International Yoga Day 2016 organized the Curtain raiser for the International Yoga Festival on June 9th at Chandigarh as a prelude to India's lead in global celebrations of International Day of Yoga. For the Ceremony, the Ministry of AYUSH associated ICAI as a partner for the event.

In addition, a communication from the President was forwarded to all Regional Councils & Branches of ICAI to undertake specified activities on 2nd International Day of Yoga i.e. June 21, 2016. A special grant would also be sanctioned for undertaking the activities as per the specified criteria subject to providing the requisite documents.

The address of President & Vice-President, ICAI to CA fraternity on Yoga Day was also recorded & hosted on ICAI website to encourage all.

Release of ICAI Advt. at DAVP Rates

The matter regarding release of ICAI advt. at DAVP rates was taken up with the Directorate of Advertising & Visual Publicity (DAVP). With regular follow up & meetings with concerned officials, DAVP has finally agreed to release ICAI advts in various publications at DAVP rates which are approx 1/4th of the rates generally offered by publications. This breakthrough will help in reducing cost of advertising by ICAI and will decrease the spend towards advertising substantially. Release through DAVP shall help ICAI to reach remotest corners of the country as DAVP covers almost all the publications being published PAN India.

As the Head Office would be availing of this facility, all Regional Councils and Branches of ICAI have also been asked to consider to route their releases through DAVP to the extent possible. The necessary action has been initiated in this regard.

ET Budget Analysis Summit

ICAI was associated as Knowledge Partner for the "ET Budget Analysis Summit" held on March 10, 2016 in Mumbai. PR Committee provided the relevant inputs for the event e.g. Matter/ advt. for the Summit Communiqué, ICAI promotional video, write up on ICAI etc. The Summit was attended by decision makers of the industry.

ET CFO Summit

PR Committee coordinated with the Times of India group regarding the 2nd edition of "Economic Times CFO Summit" held on March 4, 2016 in Bengaluru. Few Central Council Members represented ICAI and the summit was attended by top CFOs of the country.

Union Budget 2016

Every year, PR Committee follows up with various electronic channels, newspapers, magazines to include the reaction from ICAI on the Union Budget. The endeavour is also to place President, ICAI as a Panelist on various shows being arranged by Channels to share the reaction from ICAI. This year, Vice-President, ICAI attended the panel discussions on the Budget Day on various electronic channels - Doordarshan, Zee Business and Budget viewing session at CII.

Year Book -2014-2015

A comprehensive document of the significant achievements & initiatives taken by ICAI/ its Committees/ Branches/ Regional Councils is brought out in the publication "Year Book". The PR Committee coordinated with all Committees/ Branches/ Regional Councils to forward the requisite matter for printing in the publication. The inputs received from all Committees/ Branches/ Regional Councils were edited and compiled by the Committee for the Year Book: 2015-16. The same was distributed on the day of Annual function.

Pre-Budget interactive show

A Pre-Budget interactive show in association with Zee Business was organized on "Taxation" on February 8, 2016 in ICAI Bhawan Auditorium at ITO. The members invited by Indirect Taxes Committee, Direct Taxes Committee & NIRC of ICAI were among the audience and actively participated in the discussions. The show was recorded and was telecast on Zee Business channel prior to the Budget

ICAI International Conference on 'Accountancy Profession: Spearheading Excellence'

A three day ICAI International Conference on *'Accountancy Profession: Spearheading Excellence'* was organised from August 7-9, 2015 in Indore. The goodwill messages were invited by PR Committee and published in the Souvenir brought out to mark the occasion. The event was attended by many delegates from overseas and by various stakeholders and members of ICAI. For informing members about the International Conference, an advt. was published in July, 2015 issue of CA Journal. The conference was also publicized through print and electronic media.

Other Activities

- As ICAI has a pool of experts who can share their views & enrich the industry with their updated knowledge on key issues, to have better networking opportunities and enhance the visibility of ICAI, trade Chambers like CII, FICCI & ASSOCHAM were contacted to share the details of the programmes/ events wherein ICAI views on contemporary issues can be shared with the industry & other stakeholders. The Committee has received list of events from CII & FICCI wherein they would be keen to associate with ICAI. In some of the programmes of these bodies, a considerable progress has been made.

- A communication was forwarded to all branches, Regional Councils and Committees to follow the standard format of National Anthem to be followed for events/ programmes/ conferences and also the same was hosted on ICAI website.

- The Media interactions increased through one on one interviews/ Press Release/ Press Conferences by way of which the media was constantly apprised of the latest developments regarding the various activities undertaken, issues concerning the fraternity, stakeholders, trade and industry by the President by way of one on one interactions and telephonic interviews.

- The scope and potential of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context was also promoted by way of contributing articles, advertisements in various publications. Taking forward the branding campaign for ICAI, various articles/ write-ups are placed in business/ news dailies /magazines/ In flight magazines/ Career magazines and publications.

- As a part of the PR exercise, general public and media has been apprised of the different Seminars/ Programs/ Events organized by the way of releasing advts in various News/ Financial Newspapers, Press Releases and articles.

- Logistic support was provided to various Departments within ICAI, to the Regional Offices and Branches with a view to develop a communication link between the ICAI & its offices/ related organizations.

- To create an awareness about the initiatives undertaken by ICAI, the advts were released in the In-flight / News/ Business magazines as well as in CA Journal. This not only creates awareness amongst members & stakeholders at large but also helps in building brand ICAI.

5.24 Research Committee

Research Committee is one of the oldest non-standing Committees of ICAI established in the year 1955. The primary objective of Research Committee is to undertake research in the field of accounting and other affiliated areas with a view to enhance the value of services rendered by the profession. It formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles. The Committee, through its sub-committee, the Shield Panel, also conducts an annual competition, 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' with a view to improve the presentation of financial statements.

Achievements

During the period covered under report, the Committee formulated three Guidance notes under the authority of the Council of ICAI and two publications:

1. 'GN (A) 33 Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts'

2. 'GN (A) 34 Guidance Note on Accounting for Expenditure on Corporate Social Responsibility Activities (Issued May 15, 2015)'.

3. 'GN (A) 35 Guidance Note on Accounting for Depreciation in Companies in the context of Schedule II to the Companies Act, 2013'

4. 'Compendium of Guidance Notes –Accounting (As on April 1, 2016)'

5. 'Excellence in Financial Reporting: Illustrative Guide to Presentation and Disclosures (Revised 2016)'

Important Projects in progress

Committee has various important projects in progress, such as

(a) Integrated Reporting

(b) Project to review the Guidance Notes on Accounting in force as on date in view of the Companies Act, 2013 as well as the Ind ASs.

(c) Draft Guidance Note on Accounting for Not-for-profit Organisations (NPOs)

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting for Financial year 2014-15: These awards are being presented annually since 1958. Selection of awardees in specified categories is made through a robust three tier process: first review by Technical Reviewers followed by review of short listed annual reports by Shield Panel and final review by External Jury.

Jury Meeting for the competition year 2014-15 was held on January 20, 2016, at Mumbai and was chaired by Mr. M. Damodaran, Former Chairman, SEBI. Other members of the Jury, who participated in the meeting to select the awardees were: CA. Amarjit Chopra, Chairman, NACAS & Past President ICAI, CA. A.C. Chakrabortti, Past President, ICAI, Mr. Ashish Kumar Chauhan, MD & CEO, BSE Ltd, CA. D. Sarkar, Former CMD, Union Bank of India, Prof. Devi Singh, Former Director, IIM, Lucknow, CA. N. Rangachary, Former Chairman, CBDT & IRDA, CA. Nilesh Shah, MD, Kotak Mahindra Asset Management Company Ltd., CA. Sushil Agarwal, Group CFO, Aditya Birla Group, Mr. Chandra Shekhar Ghosh, MD & CEO, Bandhan Bank, CA. Sunil Kanoria, President–ASSOCHAM & Vice Chairman-Srei Infrastructure Finance Ltd.

As per the scheme of awards, one Gold Shield and one Silver Shield are awarded for the best entry and the next best entry, respectively. Apart from the above-mentioned awards, Plaques are awarded for commendable entries. Hall of Fame award is bestowed on an entity which wins five consecutive Gold Shields in a particular category.

A function to honour the awardees of 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' was held on February 6, 2016 at ITC Sonar, Kolkata. Mr. Tshering Kezang, Auditor General of Bhutan was the Chief Guest at the occasion. A total of 12 awards – One Gold Shield, Seven Silver Shields and four Plaques were given away.

5.25 Strategy and Perspective Planning Committee

Strategic and Perspective Planning Committee reviews emerging developments nationally and internationally, to improvise the strategic work plan to achieve the long-term vision of building up profession's credibility and create a niche in emerging areas as well, so as to be of value to society and expand our horizon. Further, the Committee considers all the emerging developments nationally and internationally which may have possible bearing on regulated area carved out for the profession and supplement further by suggesting ways and means to promote the role of Chartered Accountancy profession in other areas by flagging issues wherein profession needs to devote attention.

5.26 Ind AS (IFRS) Implementation Committee

The Ind AS (IFRS) Implementation Committee since its inception in the year 2011 has been making relentless efforts to create knowledge and awareness about Ind AS in the country. Pursuant to the notification by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) with regard to the mandatory applicability of Ind AS from financial year 2016-17 onwards for certain class of companies and from financial year 2018-19 onwards for scheduled commercial banks, NBFCs and Insurance companies, there is an urgent need to provide guidance to members

and other stakeholders on IFRS-converged Indian accounting Standards (Ind AS). The Committee has been taking every possible effort to make the transition to Ind AS smooth through its various initiatives. Some of the significant initiatives of the Committee are as follows:

Educational Materials on Ind AS

In order to ensure implementation of Ind AS in the same spirit in which these have been formulated and to provide appropriate guidance to the members and other stakeholders, the Ind AS (IFRS) Implementation Committee of ICAI issues Educational Materials on Ind AS, which contains summary of the respective Ind AS and the Frequently Asked Questions (FAQ) covering the issues, which are expected to be encountered frequently while implementing the Standard. The Committee is working to bring out Educational Materials on all the Ind AS. During the period, Educational Materials on the following Ind AS have been issued:

- Educational Material on Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements* (Revised 2016)
- Educational Material on Ind AS 2, *Inventories* (Revised 2016)
- Educational Material on Ind AS 7, *Statement of Cash Flows* (Revised 2016)
- Educational Material on Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*
- Educational Material on Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* (Revised 2016)
- Educational Material on Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*

In addition to the above, the Committee jointly with the Accounting Standards Board had issued a publication titled "Indian Accounting Standards (Ind AS): An Overview", which contains an overview of all Ind AS in brief and major differences between existing Accounting Standards vis-a-vis Ind AS and Ind AS vis-a-vis IFRS.

Ind AS Transition Facilitation Group (ITFG)

In order to provide timely clarification on various issues that are being raised by the members, preparers and other stakeholders with regard to applicability/ implementation of Ind AS, an Ind AS Transition Facilitation Group (ITFG) was constituted. The Group issues clarification bulletins addressing implementation issues from time to time.

During the period, 4 meetings of the group have been held wherein various issues were considered. Three clarification bulletins addressing 25 issues have been issued by the Group. These clarifications are very useful to the members of the profession and to other concerned stakeholders in proper understanding and implementation of Ind AS and its roadmap.

Certificate Course on IFRS

The Committee organises 12-days Certificate Course on IFRS throughout the country and abroad to impart knowledge about IFRS and Ind AS. Comprehensive session plan of the course has been designed with a view to make members competent in field of Ind AS and IFRS. During the period, 40 batches of IFRS Certificate course have been conducted wherein around 1400 members have been trained. So far, around 7125 members have been successfully trained in the Certificate Course on IFRS across various locations throughout the country and abroad.

Ind AS training programmes for regulators, corporates and other organisations

The Committee also organises in-house training programmes on Ind AS for various regulators, organisations and corporate houses. During the period, training programmes on Ind AS have been organised for the following:

- Oil India Limited from December 10-12, 2015, at Noida
- Oil India Limited from December 18-20, 2015, at Dulaijan, Assam

- Competition Commission of India, from January 18-21, 2016, at Delhi
- Insurance and Regulatory Department of India (IRDAI) from January 29-30, 2016, February 5-6, February 26-27, 2016, at Hyderabad
- Standing Conference of public Enterprises (SCOPE), New Delhi on March 17-18, 2016
- Department of Telecommunication (DoT), New Delhi March 29-31, 2016
- Comptroller & Auditor General of India (C&AG)
    - Delhi from April 26-28, 2016
    - Mumbai from May 9-11, 2016
    - Hyderabad from May 18-20, 2016
    - Kolkata from June 6-8, 2016

Ind AS Orientation programme for Central Council members, ICAI

The Committee jointly with the Accounting Standards Board has organised Ind AS Orientation programme on Ind AS for the Central Council Members, ICAI on May 26, 2016, at Hotel Country Inn Suites, Sahibabad, UP.

Awareness programmes on Ind AS

The Committee also organises one/two day awareness programme on Ind AS at various locations across the country. In these awareness programmes, training on the basic Standards which form the premise for preparation and presentation of financial statements under Ind AS, difference between Ind AS and existing AS are also specifically covered in order to educate the members and stakeholders about how accounting under Ind AS would be different from existing AS. During the period, 7 awareness programmes have been organised at various locations across the country.

Webcasts on Ind AS

In order to educate the members through electronic mode, the Committee also organised webcasts on various topics of Ind AS from time-to-time.

Other programmes

In order to address accounting issues related to agricultures as per Ind AS, the Committee organised a "Seminar on Agriculture Accounting" on April 19, 2015, at Pune. The Committee also organised a seminar on CARO, Ind AS and IFC jointly with the Auditing and Assurance Standards Board (AASB) on April 27, 2016, at Centre of Excellence, Hyderabad.

No. of meetings held

During the period 1.4.2015 to 31.03.2016, 7 (seven) meetings of the Committee have been held at New Delhi.

5.27 Women Members Empowerment Committee

In order to encourage empowerment of women Chartered Accountants, Women Members Empowerment Committee has been working since 2 years with the main objective to formulate and implement plans, policies and programmes for development of women members. Women Members Empowerment Committee is committed towards its objective of empowering women members by conducting various workshops/ Seminars/ Conferences for the benefit of CA Women fraternity at large. During the period 1st April, 2015 to 7th July, 2016, the Committee has conducted 35 Programmes/ Seminars all across India including 2 live Interactive Meets held with Hon'ble Minister of Railways CA. Suresh Prabhu ji and Hon'ble Minister of State (I/C), Power, Coal, New and Renewable energy CA. Piyush Goyal ji.

Significant Achievements of the Committee - Apart from the regular Women Empowerment Programmes/ Seminars & Conferences, WMEC conducted following significant Programmes:

1. Women Members Empowerment Committee organized a 10 CPE Hours Mega Event "All India Chartered Accountants Summit" hosted by WIRC of ICAI on 22nd & 23rd August, 2015 at Ravindra Natyamandir, Mumbai to showcase women talent to the entire fraternity. The Summit was inaugurated by CA. Suresh Prabhu Ji, Hon'ble Minister of Railways, Govt. of India, along with Hon'ble President CA. Manoj Fadnis. Some of the eminent speakers of the Summit were CA. Shanti Ekambaram, President, Consumer Services, Kotak Mahindra Bank, Ms Zia Mody, AZB & Partners, CA. Bhavna Doshi, Senior Partner, KPMG, CA. Pinki Mehta, CFO-Aditya Birla Nuvo and CA. Raamdeo Agrawal, MD- Motilal Oswal & Co. The Summit was attended by 553 members from across the country. The primary objective of this program was to acknowledge Women Members both at Professional as well as Social platforms.

2. "IT WORKSHOPS" for Women Members were organized by the Committee from 4th July to 1st August, 2015 in Mumbai with the objective to teach hands-on skills to participants, provide learning about new developments in this field and to enhance their IT skills which they require in the profession.

3. "Women Empowerment Seminar" was organized by WMEC and hosted by Hyderabad Branch of SIRC of ICAI on 12th March, 2016 in Hyderabad to provide up to date knowledge to women members about the pertinent topics of the profession. Around 180 women members participated in the Seminar.

   A dedicated Women Portal, 'Portal for Women Members' (www.womenportal.icai.org) is also being maintained by the Committee, which provides our women members a medium through which they can post their requirements and can explore flexi working options available for them. It also aims to provide a common platform to our women members to update their knowledge and share their views and concerns.

5.28 Young Members Empowerment Committee

Young Members Empowerment Committee (YMEC), one of the non-standing Committees of ICAI has been constituted to provide a platform to generate ideas that will interest and engage young members. The objective of YMEC is to visualise the future needs of the young members entering into the profession and to gear up the professionals for dynamic environment.

- **Seminars/ Workshops/ Conferences/ Residential Refresher Courses/ webcasts organized by the Committee are as follows**

  - Committee organized 51 Seminars/ Workshops/ Conferences throughout the country on various contemporary topics which are beneficial for Chartered Accountants viz. Ind AS, Corporate Law, Direct tax, Indirect Tax, IT Tools etc.
  - Committee organized All India Youth Conference on 22-23 August, 2015.
  - 5 Residential Refresher Course at various places on various contemporary topics.
  - Committee has organized 5 webcasts on GST, Excel, Issues related to Real Estate Transactions etc.

- **YMEC Knowledge Portal:-**YMEC Portal provides the Young CAs a platform from where they can connect with YMEC Activities with their active involvement and participation (www.ymec.in). The portal contains various features such as Events, Mentoring, Articles, Technical and Motivational Videos, Knowledge Centre, Useful Links, Programmes Archives etc. The Committee has also uploaded the Lectures on technical topics and mentoring videos on YMEC portal

- **Young Members Kit:** The Committee has published and revised the Young Members Kit. The Kit contains a booklet and a CD which provides young CAs an insight into various aspects that one needs to

have a reasonable understanding of, if they intend to set up a practice or to enter into industry, including details like summary of MOUs of ICAI with foreign countries and summary of Joint Education Programmes of ICAI etc. Soft copy of Young Members Kit is available at YMEC Portal www.ymec.in.

- **Free of Cost Electronic Version of e-CLA "Corporate Law Advisor" worth Rs 4500 p.a.:** To gain an edge in the present competitive scenario, YMEC has made the arrangement with the Corporate Law Adviser for providing Corporate Law/ Business Law Journal, whereby all 70000 Young CAs across the country would be getting free of cost online access to this e- CLA worth Rs 4500 p.a. for a period of 10 months w.e.f. 1st September, 2015 up till 30th June, 2016. Free access to e-CLA was available with No Cost to ICAI to the Young members (born on or after 1.1.1985).

- **E-News letter:** The Committee has published its 1st Quarterly E-News letter (April to June, 2015). It contains all the details of YMEC Committee Activities/ Programme/ Workshop organized and details of forthcoming activities.

- **Recommendation of Young Members Empowerment Committee (YMEC) regarding concessional fee structure for Post Qualification/ Certificate Courses for Young Members:** The Council in its 353rd meeting held on 2nd, 3rd and 4th May, 2016 has approved the modalities regarding concessional fee structure for Post Qualification/ Certificate Courses being organised by various committees of ICAI for Young Members on the recommendation of Young Members Empowerment Committee (YMEC). The details in this regard will be hosted on www.icai.org in respective Post Qualification/Certificate Courses page after finalization by individual committees.

5.29 HR Transformation Committee

1. The Committee met two times during the above period i.e 22nd April, 2015 and 5th June, 2015

2. The sub-group of the Committee comprising of CA. Sanjeev K. Maheshwari, CA. Sanjiv Kumar Chaudhary and CA. J. Venkateshwarlu had met two times during the above period i.e 16th April, 2015 and 12th May, 2015.

3. The HRT officer's group comprising of Mr. V. Sagar, Secretary, ICAI, Mr. Rakesh Sehgal, Director, Mr. S.K. Garg, Additional Secretary and CA. Monika Jain, Deputy Secretary met 10 times during the above period.

The above composition(s) aimed at the strategic transformation of the HR Systems and procedures and undertook following steps in the said period:

a) The Committee, through Executive Committee decision in the month of July 2015, made 20 mandatory training hours for each employee of the ICAI for the purpose of upgradation and overall personality development of its human resources.

b) In all, 73 training programmes imparting approx. 14770 training man hours were organized by the Committee during the above period in the areas of behavioral aspect and technical acumen. Faculties were called from the reputed institutions like AIMA, IMT Ghaziabad and IIM Lucknow and were arranged in-house.

c) The Committee has got the online training portal developed through a vendor to have a user-friendly interface for registration of the training events, cancellation of the registration and thereby viewing their training details to be updated on the completion of mandatory training hours.

d) A manpower assessment interaction was held with 57 Committee Secretaries and HODs from the month July 2015-October 2015 (6 sessions of interactions) in order to assess their manpower requirements.

e) A resource distribution chart was prepared by the sub-organ of the Committee to depict the resource utilization within ICAI.

f) The HRT officer group under Human Resource Transformation Committee has finalized and submitted its draft report on the proposed Human resource transformation strategy for ICAI and had inter-alia looked into the various HR interventions in the areas of organisational restructuring, formulation of Key Result Areas, skill up gradation as a developmental pathway, performance evaluation system, systems and pathways for career progression and an evaluative process linked with each progression. These recommendations once placed and approved by the Committee will be placed before the Executive Committee.

5.30 Digital Transformation & Process Re-engineering Committee

Digital Transformation and Process Reengineering Committee has released new version of ICAI Mobile application (ICAI Now) on Android and iOS. The New version of mobile app is having two new feature. Sharing of Individual Announcement: Mobile app users can share individual Announcement on external app (WhatsApp, Email, Social Media etc.) and Notification Enhancement: Notifications received on user mobile app are now extended to see complete title of post. Further, Committee is working on more enhancements and will be released soon in next version of mobile app.

The Committee has enabled emeeting software for all Committee of ICAI and necessary training has been given to Committee representatives. This will save huge time and cost involved in printing, photocopy and distribution (Courier) of physical paper.

The Committee in its 2nd meeting held on 12th April, 2016 has evaluated different hardware based Video Conferencing Solution available and decided to go-ahead with Avaya. Same has been procured and configured by IT Directorate. This solution will enable all Committee Rooms to connect with Existing VC Network of ICAI (Regional Offices) and third party locations via Avaya Soft client installed on (PC, Mobile (Android, iOS only). Up to 9 participants can join this video conferencing solution in full duplex mode.

5.31 Quality Review

As reported in the last Report, the Quality Review Board was constituted by the Central Government pursuant to the powers vested in it under Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 for perform the following functions:-

1. To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of ICAI.

2. To review the quality of services provided by the members of ICAI including audit services; and

3. To guide the members of ICAI to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.

One of the functions of the Council under clause (o) of sub-section (2) of Section 15 of the Chartered Accountants Act, 1949 is to consider the recommendations of the Quality Review Board made by it with regard to the quality of services provided by the members of ICAI. The aforesaid clause (o) also provides that the details of action taken on such recommendations shall be published in its Annual Report.

In accordance with the aforesaid provisions, it is reported that during the period under Report, the Council received 27 references from the Quality Review Board with regard to the quality of services provided by the members. Out of these, 26 references were considered by the Council at its meeting held from April, 2015 to June-July, 2016. The following is the details of action taken:-

1. Number of references referred to the Director (Discipline) for making further investigation under the disciplinary mechanism of ICAI - 5 (Five)

2. Number of references where comments of the Technical Reviewer were decided to be issued as an Advisory to the members/firms - 18 (Eighteen)

3. Number of references which were decided to be closed - 3 (Three)

4. Number of references pending for consideration of the Council - 1 (One)

5.32 Committee on Corporate Social Responsibility

The Committee on Corporate Social Responsibility was constituted in the Council Year 2015-16. The 1st meeting of the Committee was held on 5th June, 2015, the 2nd meeting of the Committee was held on 2nd February 2016 and the 3rd meeting was held on 29th March 2016 in New Delhi.

- **Council approved Terms of Reference of the Committee:** The Terms of Reference of the Committee were approved by the Council at its 352nd meeting held from 17th-19th March, 2016. The Council extended the scope of the Committee beyond Swachh Bharat Abhiyaan to work in line with other Government initiatives as well i.e. Make in India, Skill India development, Jan Dhan Yojna etc

- **Development of Micro-site:** The Committee is in a process of revamping its micro site which shall provide a platform to the ICAI, its various branches and Regional Councils to showcase the various activities undertaken by them related to CSR. Further, this micro site would also provide a dedicated corner/column to the members of ICAI wherein they can display the projects undertaken by them as a part of CSR.

- **Swachh Vidyalaya Abhiyaan**: The said initiative has been launched on 28th June, 2015 by conducting the physical verification of the completed school toilet block/ unit constructed by the NTPC at Karimnagar district in Telangana.

  The Committee has been coordinating with the Central Public Sector Undertakings (CPSUs) governed by the Ministry of Power, New, Coal and Renewable Energy. As of date, more than 806 members have already expressed their interest and confirmed their commitment to ICAI and the same has been shared with the Ministry of Power, New, Coal and Renewable Energy and the above mentioned CPSUs.

- **Swachh Bharat Pakhwada:** The Committee has come forward and actively participated during the Swachh Bharat Pakhwada, an initiative of Ministry of Corporate Affairs, organised in the month of May as well as in June, 2016 wherein thematic cleanliness drive was undertaken in all Government offices and buildings during the period starting from 1st April, 2016 onwards. In accordance with the same, Special Cleanliness drive were initiated at all 5 Regional offices and 154 branches spread across the length and the breadth of the country to effectively associate with Swachh Bharat Abhiyaan.

Programmes: The Committee is organizing a 'Seminar on Corporate Social Responsibility' on 6 August, 2016 at Mumbai wherein eminent speakers like Mr. Rajesh Tiwari, Director General & CEO, Indian Centre for CSR, Mr. Pratap Bhanu Singh, Advisor-CSR Sustainabilty, IRCON Infrastructure and Services Ltd and Ms. Alka Talwar, Chief-CSR & Sustainability, Tata Chemicals are invited to share their words of wisdom with the participants.

5.33 Committee for Career Counselling

The Career Counselling Committee is a non-standing Committee of ICAI formed under regulatory provisions of The Chartered Accountants Act, 1949. The Committee constituted with the prime objective to promote the Commerce Education with special CA Course amongst Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/ Post Graduate Students as well as other stake holders.

Commerce Wizard-2016

The Committee proposes to hold the Commerce Talent Search test called as Commerce Wizard - 2016 is a diagnostic test that measures the concept understanding ability of a student. It was developed for students studying in Class X/XI/XII after a detailed study of the syllabi of different central and state boards. Unlike regular tests which try only to find out how much a child knows, this test measures how well a student has understood the concepts.

Aim

- ICAI Commerce Wizard will be a tool to educate, motivate youth of Country to achieve excellence in stream of Humanity (commerce)
- ICAI Commerce Wizard will act as a tool for talent search in Commerce stream.
- It will provide financial aid to meritorious students; in turn motivate to achieve excellence.
- To Project ICAI as a premier accounting Body which can act as a tool for empowerment of the students.

National/ World Commerce Education Day

The Committee proposes to commemorate National/ World Commerce Education Day on 10th November, 2016. The same will be celebrated every year to widely spread a message about the significance of Commerce Education in the daily life of the people. The same is going to be an event with a series of activities and programs involving school and college students, eminent Educationists and faculties of the state, country & abroad. The Committee shall provide a real platform for the budding students to make their career and profession in Commerce.

The theme of the year 2016 is "Expanding Horizons of Commerce Education". The Committee shall celebrate the same on the day the Father of Modern Accounting, Mr. Franciscan friar Luca Bartolomeo de Pacioli published a book titled Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion) was published in Venice i.e. on 10th November, 2016. This was the first book that aimed to summarize the mathematical knowledge of those days. One of the tractatus of the Summa, entitled "Particularis de computis et scripturis" (About accounts and other writings) provides a detailed description of Venetian book-keeping. This was the first printed essay on double entry bookkeeping - called "Method of Venice" - and was direct base of some widespread works on mercantile accounting.

Exclusive website of CCC, ICAI & CCC, ICAI in Social Media Platform

The Committee has brought out an Exclusive website to promote the Commerce Education with special focus on CA course amongst Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/ Post Graduate students as well as other stakeholders. The aforesaid website will educate students about the glorified world of Accountancy Profession. This website will be a stepping stone for choosing an excellent career with special reference to Commerce education particularly Accountancy education and help them in deciding the right career choice in accountancy education available to them.

The Committee has also brought out its contents in social media platform, to promote the Commerce Education with special focus on CA course amongst Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/ Post Graduate students as well as other stakeholders. The aforesaid various social media platform like Facebook, Twitter, Google+, Youtube will be a stepping stone for choosing an excellent career with special reference to Commerce education particularly Accountancy education and help them in deciding the right career choice in accountancy education available to them, which will facilitate in creating buzz, post updates, starting discussions, sharing links, promotional campaigns, promote blogs/feeds, posting of photos & documents , creating twitter handler, customised for Contact form/ Registration form for the same etc. for the same.

5.34 Management Committee

Some of the important decisions taken by the Committee during the period under report are as under:

A. Recommendations made to the Council in the matters of-

1. Setting up of Branches of Western India Regional Council of ICAI at Ratnagiri and at Ichalkaranji in Maharashtra, Branches of Northern India Regional Council at Kaithal for Kaithal district, Bahadurgarh for Jhajjar district, Bhiwani for Bhiwani district and Kurukshetra for Kuruskhetra district, Branch of Central India Regional Council of ICAI at Bokaro District at Bokaro.

2. Setting up of a new Chapter at Auckland.

3. Amendment in existing Rule 4(vi) of Merger & Demerger i.e. the demerger can be demanded within a period of 10 years from the date of merger.

4. Proposals of the Career Counseling Committee for Talent Search Test and for commemorating World/ National Commerce Education Day.

5. Granting extension upto December 31, 2016 to the students who were registered for practical training on or after May 1, 2012 and were not able to complete GMCS-I till December 31, 2015.

6. Proposal of Indirect Taxes Committee of replacing "Certificate Course on Indirect Taxes" with "Certificate Course on Service Tax"

7. Proposal of Ethical Standards Board for amendment in Clause (9) of Part I of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 i.e. replacing of Section 225 of the Companies Act, 1956 with the Sections 139 and 140 of the Companies Act, 2013.

8. Syllabus of Orientation Programme (15 days) as under:-

   - Students enrolling in the batches commencing from 1st July, 2016 would be required to undergo Orientation Programme for 15 days in accordance with the new syllabus and new guidelines.

   - The total fee to be charged for 15 days Orientation Programme be fixed at Rs.5,500/-. Out of which, the remittance of Rs.500/- will continue to be paid to the Board of Studies by the organizing units, as was being done in case of GMCS-I.

   - Students registered for practical training on or after May 1, 2012 till December 31, 2014 would be required to undergo GMCS-I uptill December 31, 2016, if not done earlier. Students who have registered for Practical Training on or after 1st January 2015, are also not required to undergo GMCS-I.

   - The nomenclature of GMCS-II would be changed to GMCS which the students would be required to undergo before applying for membership of ICAI.

B. Important decisions taken by the Committee

- Approved the proposal of Indirect Tax Committee for revision in fees for the Certificate Course on Service Tax based on the number of members in the city instead of metro or non-metro cities as under:-

  Cities with membership of 5000 and above members = Rs.18,000/-

  Cities with less than 5000 members = Rs.12,000/-.

- Approved the proposal of Committee on International Taxation for Honorarium at the rate of Rs.100 per page for the overall review of approximately 1500 pages of BGM (comprising of two subjects).

- Approved the proposal of Women Members Empowerment Committee for bringing out e-Newsletter.

- Approved the following recommendations of the Financial Reporting Review Board regarding increase in honorarium:

  - Technical Reviewers from Rs.7,500 per annual report to Rs.10,000 per annual report.

- Members of Financial Reporting Review Groups (other than the central Council Members, Regional Council Members and the Members of the Branch level Management Committee) from Rs.4,000 per annual report to Rs.5,000 per annual report.
- Technical Expert from Rs.6,000 per annual Report to Rs.7,500 per annual report

- Approved the following recommendations of Board of Studies for review of its Scholarship Scheme:
  - To increase the number of scholarships under the category Need Based and Weaker Section from 200 to 250 to students who will register for Intermediate (IPC).
  - To increase the number of scholarships from 15 to 20, for each term, for IIPC Rank holders under Merit-cum-need category
- Approved the recommendation of Financial Reporting Review Board as given below:
  - Reimbursement of actual travelling cost of:

  (a) two faculties by Economy class for One day Awareness Programmes/ Workshops/ Training Programmes/ Seminars and

  (b) one faculty by Economy class for Half day Awareness Programmes/ Workshops/ Training Programmes/ Seminar

6. International Affairs Committee

(i) Initiatives of IAC for recognition of professional opportunities abroad

MoU signed during April 2015 to July 2016

- **MoU with Indian Institute of Corporate Affairs (IICA)**

  ICAI has renewed its MOU with the IICA on February 10, 2016, valid upto February 2019. The MoU inter-alia involves organizing joint seminars/ conferences/ workshops and forums for knowledge dissemination, organizing joint educational research programs, share technical materials and technical resources and collaboration in the areas of mutual interest.

- **MoU with CBFS Oman**

  At the inaugural session of Annual International Conference of our Muscat Chapter on Transformation and Excellence with Ethics held in Muscat, on May 27-28, 2016, ICAI has signed the renewal of temporary MoU (Memorandum of Understanding) between ICAI and College of Banking and Financial Studies (CBFS) of Oman for a period of two months till the formal clearances are received from the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

(ii) Globalizing ICAI's Brand Equity

- ICAI has become an Associate Member of the Chartered Accountants Worldwide on February 29, 2016 wherein the Certificate of membership was awarded by the CAW leadership. CAW is an initiative by the leading Chartered Institutes to support, develop and promote the vital role that Chartered Accountants play throughout the global economy.
- CA. Manoj Fadnis, President, ICAI for 2015-16 has been elected as the Deputy President of the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) for a period of two years starting from October 2015-October 2019.
- The 27th Chapter of ICAI was inaugurated at Auckland on February 4, 2016
- The 28th Chapter of ICAI has been inaugurated on 18th May 2016 in Ras Al Khaimah, UAE.

(iii) Visit of delegation to ICAI

- Professor Arnold Schilder, Chairman, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) & Ms. Kathleen Healy, Technical Director, IAASB visited ICAI on August 6, 2015.

- Nelson Lacey, Director, Asia Pacific and Joanne Murphy, Managing Director, Asia Pacific from Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association visited ICAI on August 8, 2015.

- Mr. Ian Mackintosh, Vice Chair, IASB, Mr. Michel Prada, Chair, IFRS Foundation Trustees and Mr. Kumar Dasgupta, Technical Director, IASB visited ICAI on February 4, 2016

- Mr. Tony Manwaring, Executive Director of External Affairs, CIMA visited ICAI on March 11, 2016 and Mr. Andrew Harding, Managing Director, CIMA & Mr. Bhaskar Ranjan Das, Head of Markets, South Asia, CIMA visited ICAI on May 27, 2016 to discuss on issues of mutual interest.

- Ms. Olivia Kirtley, President, IFAC and Mr. Russell Guthrie, Chief Financial Officer, IFAC visited ICAI on June 23-24, 2016.

- Mark Chau, Regional Manager, CPA Australia and Michelle Chan, Senior Business Development Manager, CPA Australia visited ICAI on July 04, 2016 to discuss on the matters of mutual interest and to strengthen the already existing ties between the two Institutes

(iv) Conferences/Programs

- International Conference "Accountancy Profession: Spearheading Excellence" was organized on August 7-9, 2015 at Indore that aimed to bring together all its intellectual stakeholders from across the globe. The Conference was inaugurated by Chief Guest ITAT President Justice (Retd.) D.D. Sud and the Guest of Honour IFAC Immediate Past President, Mr. Warren Allen.

- ICAI along with XBRL India hosted the 6th XBRL Asia Roundtable (XART) in Mumbai on January 21, 2016. Representatives from RBI, MCA & BSE shared their experiences.

- ICAI hosted the SAFA Committee & SAFA Board meetings and SAFA-IFAC Regional PAIB Forum from April 22-24, 2016 at Mumbai.

(v) Technical Co-operation to under developed countries

ICAI is keen to build capacity in transition economies to help them overcome the lack of professional knowledge in accounting domain. ICAI has expressed its interest in providing "Consultancy Service for development of Chartered Accountants Curriculum of ICAB, drafting By-laws for ICAB and Rules and Regulation for AASBB" on the request of Accounting & Auditing Standards Board of Bhutan. The project shall be executed by ICAI without any commercial considerations involved i.e. the element of profit.

(vi) Working for building blocks

"ICAI Global Career E-Kit" was launched at Uganda, Dar es Salaam & Qatar besides Dubai, Kuwait & Muscat in order to make the potential ICAI members to capitalize on opportunities available in this era of technology. These kits are conceptualized to provide panoramic view of the primary information to our members intending to go abroad for professional forays.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

Human Resource Department of an organisation is a strategic partner of its long term goals and is responsible for ensuring that the organization possesses the right levels and combination of skills which are necessary for sustainability and consistency. The HR department of ICAI is also aimed at alignment of individual objectives of the employees with the holistic perspective of ICAI and takes the lead in conducting an organization-wide review of skills and expertise in order to identify current strengths as well as gaps that need to be addressed by ensuring that the right individuals are allocated the key roles.

With a view to cope with the ever growing profile of the profession of accountancy at the national and global levels, ICAI constantly augments its intellectual base in technical and academic wings with proven and tested competent officers. In order to enable ICAI to cater to its manpower requirements, the HR Department had during the year 2015-2016 also, executed well planned recruitment drives at varied levels and ensured background verification of all prospective candidates.

In order to address the emerging need of leadership, collaborative problem solving, and enabling the employees to objectively analyze issues involved in various alternatives, various cadre based and specifically tailored training programmes for the employees of ICAI, have been conducted by the department on contemporary issues such as RTI, IT Training, Work life balance, negotiating conflict, managing time, ethics in accounting, library databases, e-meeting software etc.

It is a well established fact that, in order to successfully deliver the skills needed for strategic sustainability, there is a persistent need for the HR department to redesign its own policies and processes with time. The HR Department of ICAI has also, always aimed to function on the premise that, in the changing times, there is a need to become more proactive in understanding trends and opportunities along with the perspectives and concerns of relevant internal and external stakeholders.

Accordingly, in line with the increasing complexities in work flow, the HR Department has taken a novel initiative, and switched to Online Leave Management System, for its employees of ICAI at Delhi thereby making all the attendance data and leave application processes to go online. Consequently, the need for manual intervention has been reduced to a large extent thereby mitigating manual effort/ time and possibilities of any errors in this regard. An attempt to streamline and automate all the procedures of the HR Department nationwide and in synchronisation with payroll activities is underway.

Apart from the aforesaid, the other HR initiatives during the year have focussed on grievance redressal, timely counselling, enhanced facility management and bringing into force improved policies for ensuring discipline and complementing the initiatives of ICAI of creating a learning organization for employees' intellectual growth and to re-skill its workforce.

Training Programme – April, 2015 onwards

S. No.	Date of Programme	Duration (Days/Hours)	Title	No. Of Participants	No. of man hours=(no. of participants no. of days trained × No. of hours each day)
Delhi Office					
1	28.10.2015	2 hrs 30 min {1 Day}	Workshop on Sexual Harassment for Women employees at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	166	415 hours (166×1×2.30)
2	28.10.2015	3 hrs {1 Day}	Demo Training Programme on Library Databases 1. Delnet – (Resources Sharing Library Network) 2. Westlaw India (Legal Database)	24	72 hours (24×1×3)
3	16.05.2016 & 17.05.2016	4 hrs {2 Day}	Emeeting Software, Calendar Notification, Online Repository	88	704 hours (88×2×4)

7.2 Committee on Management Accounting

Initiatives for Profession: *Working for Building Blocks*

Certificate Courses:

The Committee on Management Accounting, ICAI has been successfully conducting a very high valued certificate course of one year duration on Master in Business Finance (MBF) for the last seven years with an aim to provide cutting edge Finance skills to qualified and experienced Chartered Accountants. It has successfully so far completed eight (8) Batches. The Committee is conducting classes for 9th & 10th Batch of MBF at Delhi and Mumbai. It has also organized convocations for the participants as follows:

1. MBFCC 7th batch Convocation at Mumbai on 16th April, 2016.
2. MBFCC 7th & 8th batch convocation at Hotel Hans, Delhi on 26th May, 2016.

Industry/ Corporate Initiatives/ Programmes

The Committee successfully completed MBFCC 2nd batch for the CA executives of HPCL at Management Development Institute, Nigdi, Pune in the month of February, 2016.

Seminars/ Workshops/ Conferences / Other Programmes:

The Committee conducted various Seminars/ Workshops jointly with Vasai Branch, Jalgaon Branch and Nashik Branch of WIRC of ICAI. The Committee organized live webcast on 24th June, 2016 on Key Initiatives by GOI to bolster growth – Start-up India, Stand-up India, Make in India and Mudra bank and Professional opportunities emanating out of such key initiatives. The Committee also organized 4 Residential programs for the MBFCC participants at COE, Hyderabad.

7.3 Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services

The Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services had been reconstituted with the purpose of having a mutually advantageous live connect between ICAI and the members in Entrepreneurship and Public Services and to work on the aspects realizing mutual benefit of such members as well as the other members of ICAI.

The Committee during the year 2015-16 had undertaken following activities:

A) Residential Workshop for ICAI Members in Public Service on the theme 'Accountancy Profession for Economic Development' from 5th to 7th February, 2016 at Kolkata

The Committee had organized a Residential Workshop for ICAI Members in Public Service from 5th to 7th February, 2016 at Kolkata to brainstorm on certain matters of national importance that ICAI can take up for research and further study and also to deliberate on various matters of current significance for response by the profession.

The Workshop was attended by 29 members in various public services including CA. K. Rahman Khan, Hon'ble MP, Rajya Sabha.

B) Dinner for ITAT Tribunal members on 24th January, 2016

The Committee on behalf of ICAI had hosted dinner for ITAT Tribunal members on 24th January, 2016.

C) Database of ICAI members in Entrepreneurship and Public Service

The Committee continued its efforts to update the database of the ICAI members in Entrepreneurship & Public Services and the Committee has compiled a database of 463 members in Entrepreneurship & Public Services.

7.4 Committee for Co-operatives & NPO

The major aim of the Committee is to promote good governance and best practices in the Cooperative and NPO sectors. The Committee also suggests suitable reforms in the statutes regarding Co-operatives and NPOs and promotes uniform accounting framework for Co-operatives and NPOs. Also the members are kept updated about the latest developments in Cooperatives & NPOs through seminars, practical workshops, training programmes etc.

Programmes (in the form of Seminars, Workshops, Interactive Meet and Lecture Meetings): Various Programmes organized related to Audit & Taxation of Charitable Trust/ NPO, Credit Co-operative societies, 97th Constitutional Amendments, professional opportunities in Cooperative and NPO Sectors, Cooperative Audit, Redevelopment of Housing Societies, audit of Co-operative Housing Societies and Service tax implications, Online filings, Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and about Stamp Duties.

Certificate Course on Cooperatives: Seven Batches of the Certificate Course on Cooperatives were conducted during the year.

Webcast: Organized Webcast on "The Foreign Contribution Regulation Act" and Live Webinar on "Amendment in Arbitration & Conciliation Act, 1996 (By Ordinance 2015)".

Programme with Regulators: The Committee jointly with Department of Co-operation, Government of Maharashtra had organized the Maharashtra Co-operative Summit 2015 at Mumbai.

Development of faculty: Faculty Development Programme on Cooperatives and Faculty Development Programme on NPOs were organized at Mumbai.

7.5 Legal Wing

The Legal Wing of the ICAI undertakes the following tasks:

1. Rendering effective legal assistance in the form of legal opinions, studies and reports, as required from time to time by the Council/ Executive Committees/ various Non Standing Committees and Departments of ICAI.

2. Providing of appropriate legal advice on a diverse range of substantive and procedural questions of law arising in administrative functioning of ICAI, to firmly secure the interest of ICAI, as required by the operational departments.

3. Supervising and overseeing the review, negotiations, drafting and vetting of contracts, tender documents and other legal documents, as required by the operational departments and various committees of ICAI.

4. Serving on various Standing and non-standing Committees, Study groups and task force, as required, to take care of legal niceties in framing of policies.

5. Advising in the matters of taking recourse to legal remedies whenever necessary and assisting the operational departments and committees in preparing of reply to legal notices received.

7.6 Infrastructure Development Committee

A policy has been framed by ICAI for development of Infrastructure of Branches and Regional Councils/ office specifying the guidelines of Infrastructure Development, cost factors involved and the procedures to be adopted. The Committee was constituted in the year 2014 for implementation of the policy with regards to building proposal that will be received from various Branches/ Regional Councils of ICAI. The Committee reviews the surplus land/ building at various locations of ICAI. It also reviews entire existing Infrastructure projects of ICAI and do due diligence of same.

Purchase of New Infrastructure after formulation of Infrastructure Policy

1. Kannur Branch, SIRC - Land purchased from private party

2. Jalandhar Branch, NIRC – Government land from Jalandhar Improvement Trust
3. Jabalpur Branch, CIRC – Government land from Jabalpur Development Authority
4. Goa Branch, WIRC - Land purchased from private party
5. Gurgaon Branch, NIRC – Government land from HSIIDC
6. Moradabad Branch, CIRC – Government land from Moradabad Development Authority
7. Pali Branch, CIRC – Government land from Municipal Council, Pali
8. Agra Branch, CIRC – Government land from UP Awaas and Vikas Parishad
9. Gorakhpur Branch, CIRC – Government land from Gorakhpur Development Authority.

Construction Proposal approved by the Committee

1. Ajmer Branch, CIRC
2. Surat Branch, WIRC
3. Hubli Branch, SIRC
4. Rajamahendravaram Branch, SIRC
5. Centre of Excellence, Jaipur
6. Bathinda Branch, NIRC
7. Bareilly Branch,CIRC

7.7 Right to Information Act, 2005

The Right to Information Act provided the right to information for citizens of India to access the information under the control of Public Authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. ICAI, being a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of ICAI have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (RTI) and Transparency Officer.

Disclosure under Section 4 (1) (b) of the RTI Act, 2005.

In terms of the Section 4 (1) (b) of the Right to Information Act, 2005 necessary disclosure have been made by ICAI by hosting them on the website of ICAI www.icai.org and the same are updated from time to time. The number of RTI application received during the year 2015-16 is given in the table below:

Quarter	Total number of applications received and replied in the quarter
1st Quarter	142
2nd Quarter	137
3rd Quarter	111
4th Quarter	162

7.8 XBRL

The main objective of XBRL India is promoting and encouraging the adoption of `Extensible Business Reporting Language' (XBRL) in India as the Standard for electronic business reporting in India and other kind of business reporting, spreading and promoting knowledge, support the objective of development and promotion of XBRL through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL, management information and control systems and allied disciplines, etc. in India supported by the

Government of India and various Regulatory bodies i.e. Ministry of Corporate Affairs (MCA), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Reserve Bank of India (RBI) etc.

- **XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)**

The Commercial & Industrial (C&I) taxonomy is being used by the Ministry of Corporate Affairs for having annual filings of the financial statements of a select class of companies from the year 2010-11.

However, the taxonomy is being revised to meet the new requirements of Companies (Auditors Report) Order, 2016 and few other changes. The revised C&I taxonomy shall be used for the filing of the financial statements for the year 2015-16 from the companies.

- **Taxonomies under development**

Expression of Interest (EOI) had been invited for the development of taxonomy based on Indian Standards (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs. Two parties had responded on the EOI and submitted their proposals. The project would be assigned in due course of time. The said taxonomy shall be used for the filings of the financial statements prepared in accordance with the IFRS converged standards i.e. the Ind AS.

- **Involvement of Regulators**

✓ The Conference on XBRL has been organized on 22nd January, 2016, with the support of the Reserve Bank of India (RBI) and had been hosted by Bombay Stock Exchange (BSE).

✓ MCA has organised a two day Workshop on XBRL on 10th-11th March, 2016 for the IICA officials and MCA officials. Official from ICAI has delivered a session on "Financial Statement Taxonomy".

✓ MCA has organised a one day Workshop on Annual Filings to MCA on 5th April, 2016 for the MCA officials. Official from ICAI has delivered a session on "Financial Statements and XBRL".

- **XBRL Implementation**

✓ Bombay Stock Exchange (BSE) has launched XBRL solution for online filing w.e.f. 11th June, 2015. Till now, BSE has introduced XBRL based reporting for compliances w.r.t. corporate governance, shareholding pattern and financial results.

✓ Maharashtra is the first state in the country to implement XBRL for maintaining its crime records. In the first phase of the project, the state CID used the technology to generate its annual publication 'Crime in Maharashtra'.

- **International Activities**

XBRL India hosted the XBRL Asia Workshop in India on 21st January 2016. Mr. John Turner, CEO, XBRL International, Mr. Yoshiaki Wada, Chairman, XBRL Asia, Representatives from MCA, BSE, RBI and Representatives from other Asian Countries viz. Poland, Malaysia, Korea, Japan, Taiwan, Jordan, Indonesia have participated in the meeting and shared their experiences of their respective XBRL Implementation.

7.9 National Economic Advisory Committee

The Government of India, under the dynamic leadership of the Prime Minister has embarked on several new initiatives to facilitate trade and commerce and make India the next destination for business. The growth of Indian economy is expected to be the silver lining in the current state of world economics. ICAI in line with one of its stated objectives "Partners in Nation Building" and with a vision to contribute to economic development of India has established a new Committee namely "National Economic Advisory Committee" in February, 2016.

The first meeting of the Committee was held on 9th March, 2016 at New Delhi. The Committee discussed various areas of interest wherein ICAI could make significant contributions considering the depth of expertise ICAI and its members possess. The areas of interest would include viz: Improving Revenue/Tax GDP Ratio, Rank of "Doing Business" in India, to improve rank in Transparency International, Better Financial Management in Government/ Ministry, Effective utilisation of national resources and Rural Economy, etc. The Committee has invited and compiled the suggestions received from the members on the areas of interest. The Committee has also invited and selected 30 members from the expression of interest who would undertake the research subject. The compilation of the same has also been completed. The selected member would likely to be involved in the research activity. Efforts would be made to conduct research or provide insights by creating expert groups at state or national level.

Further, the Committee would seek to collaborate with external experts such as eminent economist, invite international researchers and/or conduct surveys.

The intent of this Committee as well as the outcome of all studies/ programs/ discussions will be shared in form of vision/ concept paper with various Government Organisations including the relevant Ministry.

7.10 Legal Coordination Committee

The President, in terms of the authority given to him by the Council at its 351st meeting held in February, 2016 constituted a new non-standing Committee "Legal Coordination Committee".

Major activities

At its 1st meeting held on 4th March, 2016, the Committee proposed its objective and Terms of Reference which were approved by the Council at its 352nd meeting held in March, 2016 with certain modifications. The Committee is working towards its objective of developing a comprehensive frame work to bring in reforms in the functioning of the Legal Department so as to achieve excellence by way of developing a Standard Operating Procedure in order to meet future legal challenges both in litigation and non-litigation areas by undertaking meaningful and quality initiatives through transparency and effective governance. The Committee is under process of finalising the empanelment criteria for Advocates for appearing on behalf of ICAI for various lower Courts/ High Courts/ Tribunals and Supreme Court of India and is standardizing their payment schedules. Steps towards developing a Legal Portal are being worked out by the Committee with the intent of having the same by way of digitisation of the Legal Records, enabling proper work flow of the legal papers in order to facilitate developing the entire Legal Process/ System with optimum use of technology. The Committee is periodically monitoring the conduct/ progress of cases filed by/ against ICAI/ its organs in the Courts and in order to trim down litigation, is initiating steps along with the Legal Department. The Committee is also guiding the legal Department regarding issues concerning the CA Fraternity at large.

8. OTHER MATTERS

8.1 Annual Function of the ICAI

ICAI celebrated a year of noteworthy achievements at its 66th Annual Function organised on February 11, 2016, in the Convention Hall of Hotel Ashok in New Delhi. The occasion not only recalled the success that ICAI achieved in the year 2015-16 but also set the tone for its future professional endeavours. Union Minister of State for Finance Mr. Jayant Sinha graced the occasion as the Chief Guest in the presence of a large gathering including a host of dignitaries from the accountancy profession, Government and other stakeholders. In his address, the Chief Guest hailed the Indian accountancy profession for playing an important role in development of economy. Complimenting the ICAI for its 66 illustrious years of service to the nation, he said ICAI has rendered outstanding services with utmost diligence to the Government in maintaining the nation's financial health. Meritorious CA students, members and outstanding Regional Councils, Branches and overseas chapters were also honoured for their accomplishments during the event, which also witnessed the release of various ICAI Publications. Joint Secretary Ministry of Corporate Affairs Mr. Manoj Kumar also distributed prizes on the occasion.

8.2 Celebrations of Chartered Accountants Day – 1st July, 2016

ICAI celebrated its Foundation Day on 1st July, 2016 on completing 67 glorious years at its 154 branches, 5 Regional Councils and 28 overseas chapters. As per the tradition, the celebrations started with the ICAI flag hoisting event followed by the CA Day function in Vigyan Bhawan, New Delhi, where Union Minister of Defence, Mr. Manohar Parrikar participated in the function as its Chief Guest. Secretary Mr. V. Sagar welcomed the dignitary guests and the President CA. M. Devaraja Reddy had the opportunity to address them representing the Council. The function also included a motivational lecture by B.K. Dr. Girish Patel, renowned Psychotherapist, Mumbai on "Emotional Intelligence for Success" and it concluded with a CPE Lecture by CA. (Dr.) Girish Ahuja, FCA, New Delhi on "Income Declaration Scheme, 2016".

8.3 Central Council Library

The Central Council Library of ICAI caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and up to date collection of primary and secondary print and non print material to the present and anticipated members, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty - a library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icai.org under "Know your Institute – Central Council Library" - online search OPAC - Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the Column "Accountants Browser", an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal "The Chartered Accountant". One may note that the "Accountants Browser" is an index of important/ Professional Articles with archives of past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members.

A number of Online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icai.org – Central Council Library. These On-line knowledge databases have been installed in the Central Council Library premises as well as at various Departments and also installed in Regional Council Libraries of ICAI, to facilitate the search for required material by the students, Members, Faculties and the Research Scholars. Several online journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council libraries at Head office and Noida office library respectively for the period April 2015 to 7th July, 2016, are as follows:

Central Council Library, Indraprastha Marg, New Delhi

S.No.	Title	Figures
1.	Journals (Print)- national & International	81
2.	E-Access to Journals subscribed	13
3.	Online Resources	10
4.	No. of Books added during the period	195

Central Council Library, Sector 62, Noida

S.No.	Title	Figures
1.	Journals (Print) - national & International	40
2.	E-Access to Journals subscribed	8
3.	Online Resources	9
4.	No. of Books added during the period	335

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties, etc. with the latest & upto date knowledge and information.

8.4 Editorial Board - Disseminating Professional Knowledge in 'Letter' and Spirit

The Editorial Board is a non-standing Committee of ICAI with a Mission to convey regularly to the members the professional knowledge, matters of interest of profession through the journal `*The Chartered Accountant'.* The reach and impact of the Journal can be gauged by its circulation figure which stands at more than 265,000 today.

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of ICAI's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals. The Editorial Board is continuously surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of journal up-to-date on various topics and issues.

Following are the most significant achievements between 1st April, 2015 and 7th July, 2016:

Quality and Contemporary Contents:

- **Wide range of topics covered:** From April 2015 to July 2016 issues of the journal, more than 200 articles/ features and reports on various topics were published under various innovative theme issues.

Many Facets of Digital Versions Upgraded

- **eJournal:** The electronic version of *The Chartered Accountant journal*, which is available online on ICAI website www.icai.org hi-tech user-friendly e-magazine, was further upgraded and migrated to a completely new eMagazine platform V6 based on the latest HTML5 technology. The new version of e-Journal is faster and more responsive, carrying better user experience and offering better mobile compatibility, which is in line with the expectations of our new generation of chartered accountant.

- **Journal in PDF format:** However, for the added and alternative convenience of readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format and also in Indexed mode. The archives of digital journal are available on ICAI website from July 2002 onwards.

- **Journal on Mobile:** Further, this eJournal is now also available on mobile, compatible on iOS (IPad/ IPhone etc.) and Android devices. It can be accessed at http://www.icai.org/ under 'e-journal' tab. The eJournal is also available on ICAI Mobile App.

- **Journal Highlight emailers:** As an add-on service, the highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are now mass-emailed to all the members.

- **All Journals since 1952 in DVD:** In an important initiative to provide a single point reference window to the readers of *The Chartered Accountant* journal and leverage the technology to serve them better, a DVD of past issues of the journal is also available for readers and other stakeholders. While a DVD of 10 years of the journal (July 2002-June 2012) in PDF format has been brought out for readers at a nominal cost, a more recent HTMLised DVD containing 63 years of *The Chartered Accountant* journal (July 1952 to June 2015) has also been released. In this HTML-version DVD in a searchable mode, readers can global search the contents through key words relating to accounting, auditing, taxation, etc., besides searching by month, year, volume, category (like Circulars & Notifications, ICAI News, Legal Decisions, etc.), author, etc.

'I GO GREEN WITH ICAI' Initiative

As part of a multifarious Green Drive of the ICAI, the green-thinking members and other readers of The Chartered Accountant journal were recently given an option to opt for various electronic versions of *the* journal while discontinuing the hard copy, to save trees. A micro-website was made live to secure the responses in this regard. In an encouraging response to begin with, in a span of only 15 days, more than

5000 readers have opted to discontinue the hard copy of the journal. The positive response is growing by the day. The ICAI members supportive of this green initiative may go to the link http://online.icai.org/app_forms/ejournal.html to register themselves with the ICAI.

8.5 Accountancy Museum of India

Accountancy Museum of India, set up by ICAI in 2009, is a treasure trove of rich intellectual heritage of accountancy profession in India and the world. The Museum is gaining popularity among academicians and students as well; as such, this year, it had visitors in form of members, school teachers and students, scholars and faculty members and students from the institutions of University of Delhi (including Central Institute of Education (now known as Department of Education), IP College for Women and Shyama Prasad Mukherji College for Women). In order to inform stakeholders about the heritage of accountancy profession and the Museum's existence at ICAI's Noida office, the Museum has been setting up its prototype at Regional and Branch offices since 2013. A set of customized script and images had been prepared for the purpose. The Museum has been contributing to the projects of other Committees of ICAI too, as and when required. Besides, the Museum constantly contributes to the ICAI journal, *The Chartered Accountant*. A dedicated website of the Museum is also being developed and is in the stage of finalisation. The Museum is keen to enrich its collections and stories. As such, draft write-ups are in their final stage for additional panels along two new series, i.e. on Development of *World Accountancy Institutions—From Beginning till 1949* and *Fathers of Indian Accountancy*. Existing panels in the Museum are also getting revised.

8.6 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 and the Chartered Accountants Regulations, 1988

(a) Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949

As reported earlier, the Council at its 294th meeting held in March, 2010 constituted a Group for suggesting draft amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 arising out of the Report of the High Powered Committee submitted to the Central Government in July, 2009 so as to have enabling powers to take disciplinary action against erring firms of chartered accountants also. The Group submitted its recommendations to the Council in August 2010. The recommendations of the Group were considered by the Council at its meeting held in August, 2010. The draft amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 empowering the Council to take disciplinary action against the erring firms of chartered accountants were thereafter submitted to the Central Government in December, 2010. These draft amendments are still under consideration of the Government.

(b) Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

During the period under Report, the Council submitted certain draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 inter-alia to facilitate the implementation of the new Scheme of Education of Training as approved by the Council. The new Scheme of Education of Training which is available on the website of ICAI was approved by the Council at its 343rd and 344th meeting held in June and July, 2015 respectively. The draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 as approved by the Council were submitted to the Central Government for its in-principle approval in October, 2015. The Central Government accorded its in-principle approval to the proposed amendments in in April, 2016 and asked ICAI to notify them for public comments in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, the Notification inviting objections and suggestions for the public at large was published in Part III - Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary dated 18th April, 2016. Certain comments have been received. These comments will be considered by the Council and thereafter the draft amendments will once again be forwarded to the Central Government for its final approval.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2016, 13,363 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 2,53,337 as on 1st April, 2016.

During the year ended 31st March 2016, 2,744 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 2,570 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2016

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	66060	46299	**112359**
In Part-time Practice	2875	5406	**8281**
Not in Practice	13075	119622	**132697**
Total	**82010**	**171327**	**253337**

9.2 Convocation

Since November 2008, ICAI has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. It is proposed to organize 1st round of "Convocation 2016" covering the period from October, 2015 to March, 2016 on 17th August, 2016 at following ten places under five Regional Offices: Ahmedabad, Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Jaipur, Kanpur, Chandigarh and New Delhi.

The Presidential address will be delivered to the participants of all above 10 places through Google hangout on 17th August, 2016.

9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the ICAI as well as their dependents, for maintenance, their emergent educational and medical needs etc.

The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31st March, 2015	123661
2.	Total Life Members as on 31st March, 2016	128500
3.	Total Additions of New Life Members (as on 31st March, 2016)	4839
4.	Total Financial Assistance given during the year ended 31.03.2016	1,09,34,500

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31st March, 2016 (Rs.)	During the year ended 31st March, 2015 (Rs.)
1. Total Assistance provided	1,09,34,500	1,37,50,107
2. Administrative Expenses	582	22,966
3. Surplus (Deficit) of the Fund	71,96,531	55,65,697
4. Balance of the Fund	93,60,845	21,64,314
5. Balance of Corpus	17,21,68,397	16,00,92,797

9.4 S. Vaidyanath Alyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2016, 100 scholarships of the value of Rs.1000/- each per month are to be given to the students undergoing the articled training. The number of life membership of the Fund increased from 6932 as on 31st March, 2015 to 7370 as on 31st March, 2016. The balance in the credit of the Fund was Rs. 39,91,584/- as on 31st March, 2016 as against Rs.43,12,077/- as on 31st March, 2015.

9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. During the year ended 31st March, 2016, 588 students (who are undergoing the articled training) were granted financial assistance of the value of Rs.1000/- each per month for one year. The balance in the credit of the general fund was Rs. 11,43,36,158/- as on 31st March, 2016 as against Rs. 9,70,88,753 /- as on 31st March, 2015.

10. STUDENTS

The Board of Studies is responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum and imparting theoretical instruction to approx. 8.43 lakh students undergoing Chartered Accountancy Course. The significant initiatives and achievements of the Board during the period are mentioned below:-

I. Educational Inputs

Committee for Review of Education and Training: The Chartered Accountancy Course being dynamic in nature is reviewed periodically so as to maintain the edge of the profession vis-à-vis contemporary economic developments. The ICAI recently reviewed its existing Scheme of Education and Training and after following a detailed methodology, it drafted a Revised Scheme of Education and Training. The Revised Scheme was exposed to the public from 18th April, 2016 onwards for a period of 45 days for its comments. Comments received from stakeholders and the public in general are being compiled and reviewed for further action.

Revision of Study Materials: As a part of continuous process of updating the knowledge of students, the contents of various study materials at all three levels namely, "CPT, Intermediate (IPC) and Final" have been updated/ revised and supplementary paper(s) have also been released, wherever required for appropriate changes.

The same were also hosted on the web site with free downloading facility.

In addition to above, following material were also brought out:

1) Digest of Select Cases

2) Supplementary Study Materials for Taxation subjects.

3) Revision Test Papers

4) Suggested Answers

5) Booklets on How to Face CA Exams

Students' Journal: The Board of Studies, since June 1997 has been publishing a monthly Journal for students named "The Chartered Accountant Student". The Students' Journal includes regular features such as articles on topics relevant to the CA Students, academic updates, theme issues, motivational write-ups and important announcements. The Journal continued to be popular and proved very useful to the student community, as well as members of ICAI.

II. IT Initiatives

ICAI Cloud Campus provides One-Stop-Window for information, enrolment, educational, administrative, examination, and other requirements of Students for the CA Course. It provides the following distance education facilities free of cost:

- **e-Learning on Students LMS:** It provides Mobile Enabled e-Lectures of 785 hours available as on July 7, 2016. E-Learning DVDs are also provided to enable students to learn without Internet.

- **Video Lectures for practical problem solving subjects:** Currently, 516 video lectures covering 417 hours have been hosted on the Cloud Campus, as on July 7, 2016. They provide step-by-step practical problem solving on blackboard.

- **Online Mentoring:** Online Mentoring enable students to get subject and topic wise online mentoring 192 sessions till July 7, 2016.

- **BoS Knowledge Portal:** The BoS Knowledge Portal provides all educational content for CA Course.

Other useful facilities for students available on ICAI Cloud Campus are as under:

Articles Placement Portal: The Articles Placement Portal link enables students to register online and get selected for practical training in CA Firms in their preferred location.

Online Registration Portal for GMCS/ OC/ ITT Courses: The Online Registration Portal enables students to register online for GMCS/ OC/ ITT Courses, select convenient batches at preferred location, batch transfer, faculty allocation, course scheduling, feedback submission and certificate generation.

III. Other Initiatives

Reading Rooms: 89 Libraries-cum-Reading Rooms and 39 Additional Reading Rooms are being operated by Regional Councils and Branches. Further one Additional Reading Room each at Indore (Madhya Pradesh) and at NIRC is in the process of opening.

ICAI Gold Medal/Endowment Fund: New endowments were created for the award of Gold Medal with 6 Universities namely Himachal Pradesh University, Shimla, North Maharashtra University, Jalgaon, Andhra University, Visakhapatnam, Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Devi Ahilya Viswavidyalaya, Indore.

IV. Development Programmes

Four Weeks' Residential Programme on Professional Skills Development for students: Fourteen batches at Centre of Excellence, Hyderabad were held during the year and 600 students were trained.

Course on General Management and Communication Skills: The Council has decided to dispense with GMCS-I Course and merge its syllabus with Orientation Course, thereby making it a 15 days (90 hours) course. GMCS-II Course would be renamed as GMCS Course to be completed before applying for membership of ICAI. The Council has further decided to implement this decision w.e.f. July 1, 2016.

Orientation Course: Students are required to complete Orientation Course before registering for practical training.

As of now, 146, 110 and 149 POUs are organizing GMCS-I, GMCS-II and Orientation Course respectively across the country. During the period (April, 2015 – June, 2016), the details of batches and students are as under:

Course	Number of Batches	Number of POUs	Number of Students
GMCS-I	972	141	41797
GMCS-II	691	99	30629
Orientation Course	1503	149	61415

Faculty Development Programme for faculty of GMCS Courses and Orientation Course: The Board of Studies has organized two "Two Days Faculty Development Programmes", one on May 2-3, 2015 at Chennai wherein 146 Faculty were trained and another on July 5-6, 2015 at Silvassa wherein 45 Faculty were trained.

ITT and Advanced ITT: For the report period from April 1, 2015 to July 7, 2016, 55,879+ and 5,674+ students have been trained in ITT and Advanced ITT Course respectively at 159 ITT centres. A Practice Manual with e-Learning DVD has been introduced for Advanced ITT Course to provide greater practical hands-on training as a part the course. 26 Online FDP and a physical FDP have been organized for Advanced ITT Course from April 06-08, 2016 at Kolkata and more such FDP's are proposed.

Short Term Course/ Workshop on English Speaking, Writing Skills and Business Communication: 10 branches including one Regional Council organized 10 Short Term Course/ Workshop on English Speaking, Writing Skills and Business Communication.

Mock Tests: With a view to encourage the students to evaluate their preparation for the examinations, Mock Tests for Intermediate (IPC)/ Final and CPT Level were organised through Regional Councils and Branches for May/ November and June/December main examinations.

Organising Units	Series	Exam level	Exam
107 Branches and 5 Regional Councils	Series-I Mock Tests	Intermediate (IPC)/ Final level	May, 2015
22 Branches and 2 Regional Councils	Series-II Mock Tests	Intermediate (IPC)/ Final level	May, 2015
126 Branches and 5 Regional Councils	Mock Test	CPT	June, 2015
108 Branches and 5 Regional Councils	Series-I Mock Tests	Intermediate (IPC)/ Final level	November, 2015
32 Branches and 2 Regional Councils	Series-II Mock Tests	Intermediate (IPC)/ Final level	November, 2015
114 Branches and 5 Regional Councils	Mock Tests	CPT	December, 2015
113 Branches and 5 Regional Councils	Series-I Mock Tests	Intermediate (IPC)/ Final level	May, 2016
40 Branches and 2 Regional Councils	Series-II Mock Tests	Intermediate (IPC)/ Final level	May, 2016
105 Branches and 5 Regional Councils	Mock Tests	CPT	June, 2016

Special Counselling Programmes (How to Face CA exam?)

During the year 68 Special Counselling Programmes were organized by 33 branches, including Regional Councils.

V. MoUs/ MRAs/ Recognitions/ Other Arrangements

Recognition of CA Course for Ph.D Programme: With the constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 99 Universities, 6 IIMs and IIT Madras (Total 106) for the purpose of pursuit of Ph.D./Fellow Programme.

Accreditation: Oral coaching by the Accredited Institutions supplements the efforts of ICAI by providing quality classroom coaching at a reasonable cost. At present, 48 Institutions are providing CPT Course classes, 10 Institutions are providing IPC Course classes and 1 Institution is providing Final Course Classes to our students.

VI. Conferences/ Conventions/ Seminars and other activities

National Convention, All India Conference and International Conference for CA students: During the period, 34 National Conventions were organized at various places in the country in addition to All India Conference at Chennai and International Conference at Indore.

Regional/ Sub-Regional/ National Conclave for CA Students: During the period, 14 National Conclaves were organized at various places in the country, besides 4 Regional Conferences and 4 Sub-Regional Conferences at various places.

One-Day Seminars: During the year, 198 One-day Seminars were organized by 57 Branches including Regional Councils.

Debate Competitions: The Debate Competitions at Branch Level were organised by 60 Branches including Regional Councils and at Regional Level the Debate Competitions were organized by all the Regional Councils.

CA Students' Festivals: During the year, 46 Branches including Regional Councils, organized 46 CA Students' Festivals.

Sports Competitions: During the year, 51 Branches including Regional Councils, organized 72 Sports Competitions.

Elocution Contests: Branch Level Elocution Contests were organized by 88 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional Level Contests were organized. All India Elocution Contest was held at Chennai on 28th January, 2016.

Quiz Contests: Branch Level Quiz Contests were organized by 90 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional Level Contests were organized. All India Quiz Contest was held at Chennai on 28th January, 2016.

Joint Seminars with Universities: Joint Seminars were organized with dozen Universities spread across the country.

VII. Scholarships granted to students

The Board of Studies awards Scholarships twice a year under various categories, namely Merit, Merit cum need, Need Based and Weaker Sections, Endowment. Accordingly, during the year, the Board of studies awarded 611 Scholarships to selected students under above categories.

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

The total number of branches of Regional Councils is 154.

Currently, there are 28 Chapters of ICAI outside India.

Currently, there are 20 Reference libraries all over India

11.1 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of ICAI has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 128 Branches of Students' Association have been set up.

11.2 Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association

These awards are given by ICAI every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2015 these, Shields were awarded at the Annual Function held on 11th February, 2016 to the following winners:-

1. Best Regional Council

- WIRC and EIRC jointly: Best Regional Council Trophy & Certificate
- SIRC: Highly commended Regional Council Trophy & Certificate
- NIRC and CIRC: Certificate of Appreciation

2. Best Students' Association

- WICASA: Best Student' Association Trophy & Certificate
- NICASA: Highly commended Students' Association Trophy & Certificate
- EICASA: Certificate of Appreciation

3. Best Branch of Regional Council

i) Mega Branch Category (2501 & above members)

- Pune Branch: Best Branch Trophy & Certificate
- Thane Branch: Highly commended Branch Trophy & Certificate
- Ahmedabad Branch: Certificate of Appreciation

ii) Large Branch Category (1001 to 2500 members)

- Indore Branch and Nagpur Branch (Jointly): Best Branch Trophy & Certificate
- Ernakulam Branch: Highly commended Branch Trophy & Certificate
- Nashik Branch and Ludhiana Branch: Certificate of Appreciation

iii) Medium Branch Category (501 to 1000 members)

- Siliguri Branch: Best Branch Trophy & Certificate
- Pimpri Chinchwad Branch: Highly commended Branch Trophy & Certificate
- Jamnagar Branch & Raipur Branch jointly: Certificate of Appreciation

iv) Small Branch Category (201 to 500 members)

- Salem Branch: Best Branch Trophy & Certificate
- Jalgaon Branch: Highly commended Branch Trophy & Certificate
- Hubli and Goa Branch jointly: Certificate of Appreciation

v) Micro Branch Category (Upto 200 Members)

- Ratlam Branch: Best Branch Trophy & Certificate
- Nanded Branch: Highly commended Branch Trophy & Certificate
- Tuticorin Branch: Certificate of Appreciation

4. Best Branch of Students' Association

i) Large Branch Category (more than 1000 students)

- Pune Branch and Raipur Branch Jointly: Best Branch of Students' Association Trophy & Certificate

- Aurangabad Branch and Ahmedabad Branch jointly: Highly commended Branch of Students' Association Trophy & Certificate

- Baroda Branch, Ernakulam Branch, Guwahati Branch, Vasai Branch (Jointly): Certificate of Appreciation

ii) Medium Branch Category (301 to 1000 students)

- Siliguri Branch: Best Branch of Students' Association Trophy & Certificate

- Coimbatore Branch: Highly commended Branch of Students' Association Trophy & Certificate

- Nanded Branch: Certificate of Appreciation

iii) Small Branch Category (Upto 300 students)

- Salem Branch: Best Branch of Students' Association Trophy & Certificate

- Tuticorin Branch: Highly commended Branch of Students' Association Trophy & Certificate

- Hubli Branch: Certificate of Appreciation

11.3 Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of ICAI has set up 13 Regional Offices across the country besides the 5 Decentralised Offices at Mumbai, Chennai, Kolkatta, Kanpur and New Delhi. The Regional Offices are as under:-

1. Ahmedabad	2. Bangalore	3. Hyderabad
4 Pune	5. Jaipur	6. Nagpur
7. Surat	8. Vadodara	9. Thane
10. Ernakulam	11. Coimbatore	12. Indore
13. Chandigarh		

12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2016 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13 APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/ Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the non-members who assisted the Council during the year 2015-16 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2015-16.

The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to Mr. Arun Jaitley, Hon'ble Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Union Minister of Defence, Mr. Manohar Parrikar, Mr. Suresh Prabhu, Hon'ble

Minister of Railways, Mr. Jayant Sinha, Hon'ble Minster of State, Finance, Dr. Nasim Zaidi, Chief Election Commissioner, Mr. Tshering Kezang, Auditor General of Bhutan and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organised by the organs of the ICAI.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2015-16 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE

MEMBERS REGISTERED

(From 1st April, 2006)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1st April, 2006	Associate	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1st April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1st April, 2010	Associate	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	Fellow	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	Total	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1st April, 2011	Associate	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	Fellow	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	Total	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1st April, 2012	Associate	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	Fellow	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	Total	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1st April, 2013	Associate	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	Fellow	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	Total	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1st April, 2014	Associate	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	Fellow	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	Total	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1st April, 2015	Associate	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	Fellow	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	Total	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1st April, 2016	Associate	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	Fellow	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	Total	87935	50414	23269	41424	50295	253337

MEMBERS

(From 1st April, 1950)

TABLE II

	Associate	Fellow	Total
As on 1st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1st April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974
As on 1st April, 2016	1,71,327	82,010	2,53,337

STUDENTS REGISTERED

(From 31st March, 2010)

During the year	Final	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	ATC	Total
2009-10	24,172	1,67,073	1,860	80,745	3,376	2,77,226
2010-11	57,175	1,55,217	329	67,984	1,906	2,82,611
2011-12	47,515	1,61,712	-	85,053	2,099	2,96,379
2012-13	45,102	1,61,084	-	1,02,406	2,615	3,11,207
2013-14	39,348	1,54,742	-	96,285	3,209	2,93,584
2014-15	36,950	1,41,241	-	66,570	881	2,45,642
2015-16	31,669	1,25,140		77,962	1,249	2,36,020

COMPOSITION OF THE COUNCIL

COUNCIL (2016-2017)

Members of the Council (2016-17)

President
CA. M. Devaraja Reddy

Vice-President
CA. Nilesh S. Vikamsey

Period
12th February, 2016 onwards

Secretary to the Council
Mr. V. Sagar

Elected Members	
CA. Agarwal Ranjeet Kumar	Kolkata
CA. Agarwal Sanjay	New Delhi
CA. Agarwal Shyam Lal	Jaipur
CA. Agrawal Manu	Kanpur
CA. Babu Abraham Kallivayalil	Kochi
CA. Bhandari Anil Satyanarayan	Mumbai
CA. Chaudhary Sanjiv Kumar	New Delhi
CA. Chhaira Jay	Surat
CA. Chhajed Prafulla Premsukh	Mumbai
CA. Devaraja Reddy M.	Hyderabad
CA. Ghia Tarun Jamnadas	Mumbai
CA. Goyal Sushil Kumar	Kolkata
CA. Gupta Atul Kumar	Delhi
CA. Gupta Naveen N.D.	New Delhi
CA. Gupta Vijay Kumar	Faridabad
CA. Hegde Nandkishore Chidamber	Mumbai
CA. Jambusaria Nihar Niranjan	Mumbai
CA. Khandelwal Dhiraj Kumar	Mumbai
CA. Kinare Mangesh Pandurang	Thane
CA. Kumar Sripriya	Chennai
CA. Kushwah Mukesh Singh	Ghaziabad
CA. Madhukar Narayan Hiregange	Bengaluru
CA. (Dr.) Mitra Debashis	Guwahati
CA. Sekar G.	Chennai
CA. Shah Dhinal Ashvinbhai	Ahmedabad
CA. Sharma Prakash	Jaipur
CA. Sharma Rajesh	Delhi
CA. Soni Kemisha	Indore
CA. Vasudeva Sanjay	New Delhi
CA. Vijay Kumar M.P.	Chennai
CA. Vikamsey Nilesh Shivji	Mumbai
CA. Zaware Shiwaji Bhikaji	Pune
Nominated Members	
Mr. Manoj Kumar	New Delhi
Mr. Vithayathil Kurian	New Delhi
Dr. Guruprasad Mohapatra	New Delhi
Mr. Chandra Wadhwa	New Delhi
Dr. P.C. Jain	Delhi
Mr. Sunil Kanoria	New Delhi
Ms. Indu Malhotra	New Delhi
Mr. Vijay Kumar Jhalani	New Delhi

Annual Accounts for the year ended 31st March, 2016

ASA & Associates LLP
chartered accountants

Hingorani M. & Co.
chartered accountants

www.asa.in

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Council of
The Institute of Chartered Accountants of India

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, and the Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Institute's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Institute has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

ASA & Associates LLP
chartered accountants

Hingorani M. & Co.
chartered accountants

www.asa.in

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2016, and its surplus and its cash flow for the year ended on that date.

Other Matter

We did not audit the financial statements of the Institute's Decentralized Offices, Computer Centre, Students Associations, Regional Councils and their Branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs. 39,259 lakhs, total revenues of Rs. 21,148 lakhs and net cash flows / (outflow) amounting to Rs. (1,090) lakhs are considered in the financial statements, have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management. Our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Branches are based solely on the reports of the other auditors.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) in our opinion proper books of account as required by Chartered Accountants Act, 1949 have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books;

c) the Balance Sheet, Income and Expenditure Account, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

d) in our opinion, the Balance Sheet, Income and Expenditure Account, and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards issued by the Institute.

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm Reg. No: 009571N/N500006

Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
Membership No. 088810

For Hingorani M. & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No: 006772N

Sd/-
CA. Sanjay Kumar Narang
Partner
Membership No. 090943

Place: New Delhi
Date: September 16, 2016

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2016

(Rs. in lakhs)

	Notes	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
SOURCES OF FUNDS			
(1) Surplus and Earmarked Funds			
(a) Reserves and surplus	**3**	**1,12,493**	1,08,661
(b) Earmarked funds	**4**	**29,199**	25,799
		1,41,692	1,34,460
(2) Non-current liabilities			
(a) Other long-term liabilities	**5**	**801**	961
(b) Long-term provisions	**6**	**8,291**	5,530
		9,092	6,491
(3) Current liabilities			
(a) Other current liabilities	**7**	**24,158**	23,868
(b) Short-term provisions	**6**	**328**	250
		24,486	24,118
TOTAL		**1,75,270**	1,65,069
APPLICATION OF FUNDS			
(1) Non-current assets			
(a) Fixed Assets			
i) Tangible assets	**8**	**51,939**	48,885
ii) Intangible assets	**9**	**23**	30
iii) Capital work-in-progress		**13,202**	11,387
		65,164	60,302
(b) Assets held for earmarked fund & others	**10**	**11,816**	13,737
(c) Long-term loans and advances	**11**	**3,721**	3,724
(d) Other non-current assets	**12**	**1,755**	747
		82,456	78,510
(2) Current assets			
(a) Assets held for earmarked fund & others	**10**	**80,636**	72,657
(b) Inventories	**13**	**1,243**	1,700
(c) Cash and cash equivalents	**14**	**5,085**	6,027
(d) Short-term loans and advances	**11**	**3,970**	3,841
(e) Other current assets	**15**	**1,880**	2,334
		92,814	86,559
TOTAL		**1,75,270**	1,65,069

The accompanying notes 1 to 21 form an integral part of the financial statements.

Sd/- Sd/- Sd/- Sd/-

CA. Sudeep Shrivastava Joint Secretary | **V. Sagar** Secretary | **CA. Nilesh Shivji Vikamsey** Vice-President | **CA. M. Devaraja Reddy** President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006

Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
M.No - 088810
Place: New Delhi
Date: September 16,2016

For Hingorani M. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006772N

Sd/-
CA. Sanjay Kumar Narang
Partner
M.No - 090943

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(Rs. in lakhs)

		Notes	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
I	**Income**			
	a) Fees	16	**49,088**	47,802
	b) Seminars		**5,943**	6,807
	c) Other income	17	**11,393**	11,321
	Total Income		**66,424**	65,930
II	**Expenses**			
	a) Seminars		**6,745**	6,797
	b) Employee benefit expense	18	**13,569**	12,568
	c) Printing and stationery		**6,967**	7,103
	d) Depreciation and amortization expense	8, 9	**2,463**	2,348
	e) Other expenses	19	**29,520**	26,449
	Total Expenses		**59,264**	55,265
III	**Net surplus before prior period adjustments (I-II)**		**7,160**	10,665
IV	Less: Prior period adjustments		**340**	256
V	**Net surplus after prior period adjustments**		**6,820**	10,409
VI	Appropriation to funds / reserves			
	a) Education fund [See Note 2.4 (iii)]		**3,410**	5,027
	b) Employees benevolent fund [See Note 2.4 (iv)]		**41**	39
	c) Earmarked Fund (Net of expenses)		**2,171**	1,691
	d) General reserve		**1,198**	3,652
	Total		**6,820**	10,409

The accompanying notes 1 to 21 form an integral part of the financial statements.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	**V. Sagar**	**CA. Nilesh Shivji Vikamsey**	**CA. M. Devaraja Reddy**
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006

Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
M.No - 088810

For Hingorani M. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006772N

Sd/-
CA. Sanjay Kumar Narang
Partner
M.No - 090943

Place: New Delhi
Date: September 16,2016

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(Rs. in lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
Cash Flow from Operating Activities		
Net surplus after prior period adjustments	**6,820**	10,409
Opening Bal of Reserve/Earmarked Fund of Students Associations	**-**	101
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation	**2,463**	2,348
Assets discarded	**94**	58
Admission fees from new members	**202**	165
Interest income	**(7,734)**	(7,971)
Operating surplus before Working Capital changes	**1,845**	5,110
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in inventories	**457**	(676)
(Increase) /Decrease in loans & advances	**81**	(1,336)
Increase/(Decrease) in liabilities	**170**	1,691
Increase/(Decrease) in provisions	**2,839**	1,693
	5,392	6,482
Income Tax Deducted at Source (recoverable)	**(207)**	350
Cash generated from Operating activities (A)	**5,185**	6,832
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	**(7,459)**	(6,981)
Acquisition of Assets held for earmarked funds & others	**(6,058)**	(8,822)
Interest income received[3]	**7,180**	7,919
Capital receipts	**209**	125
Cash (used in) Investing activities (B)	**(6,128)**	(7,759)
Cash Flow from Financing Activities		
Donation received for buildings	**1**	68
Cash from Financing activities (C)	**1**	68
Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**(942)**	(859)
Cash and Cash Equivalents at beginning of the year	**6,027**	6,886
Cash and Cash Equivalents at closing of the year	**5,085**	6,027

Notes:

1) Cash and Cash Equivalents represent cash on hand and balances with banks (Refer Note. 14).
2) Figures in brackets represent outflows.
3) Interest includes interest from Assets held for earmarked funds & others.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	**V. Sagar**	**CA. Nilesh Shivji Vikamsey**	**CA. M. Devaraja Reddy**
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006
Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
M.No - 088810
Place: New Delhi
Date: September 16,2016

For Hingorani M. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006772N
Sd/-
CA. Sanjay Kumar Narang
Partner
M.No - 090943

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 under an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulating the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the institute. For the purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai & New Delhi, 18 Regional Offices and Decentralised Offices, 152 branches and one overseas office.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Basis of Accounting

The financial statements that comprise Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement together with notes, are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with applicable Accounting Standards issued by the Institute. The financial statements are prepared under the historical cost convention on going concern and on accrual basis unless other wise stated. The accounting polices adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

2.2 Use of Estimates

The presentation of financial Statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosures of contingent liabilities as at the date of the financial statements and the reported amounts of income and expenses during the year. Examples of such estimates include useful life of fixed assets, employee benefits, contingent liabilities etc. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods.

2.3 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated on the basis of their nature.

2.4 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

i) Fee received from members for admission as fellow of the Institute is credited to Infrastructure Reserve Account.

ii) Donations received for buildings and for research are credited directly to the respective reserve account.

iii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.

iv) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received during the year is transferred to the Employees' Benevolent Fund.

v) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:

a)	From Accounting Research Building Fund	100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building relating to Accounting Research Building.
b)	From Education Fund	50% of cost of additions (net of deductions if any) to other Fixed Assets

vi) Income from investments of Earmarked Funds is added to Earmarked Funds. The income is allocated based on opening balances of the respective Earmarked Funds on Weighted Average basis.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.5 Fixed Assets

i) Tangible Assets

Tangible assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). The cost of an asset includes the purchase cost of materials, including import duties if any and non-refundable taxes, and any directly attributable costs of bringing an asset to the location and condition of its intended use. The cost of leasehold land includes the amounts paid for acquiring leasehold rights. Subsequent expenditure relating to tangible assets are capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

Cost of Leasehold land is amortised over the primary lease period. Depreciation on all other tangible fixed assets are provided on a written down value method based on the estimated useful life at the following rates as approved by the Council of the Institute.

	Class of Assets	Rate of Depreciation
i)	Buildings	5%
ii)	Lifts & Electrical Installations and Fittings	10%
iii)	Computers	60%
iv)	Furniture and Fixtures	10%
v)	Air conditioners & Office Equipments	15%
vi)	Vehicles	20%
vii)	Library Books	100%

ii) Intangible Assets

Intangible assets are stated at acquisition cost, less accumulated amortisation and accumulated impairment losses (if any). The cost of an intangible asset includes purchase cost (net of rebates and discounts), including any import duties (if any) and non-refundable taxes, and any directly attributable costs on making the asset ready for its intended use. Subsequent expenditure on an intangible asset after its purchase/completion is recognised as an expense when incurred unless it is probable that such expenditure will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably, in which case such expenditure is added to the cost of the asset.

The Cost of Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful life of three years.

iii) Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which are not ready for their intended use are carried at cost less impairment (if any), under Capital work-in-progress. The cost includes the purchase cost including import duties and non-refundable taxes, any directly attributable costs .

2.6 Assets held for earmarked fund & others

Assets held for earmarked fund & others in the form of deposits with banks maturing after a period of twelve months from the date of balance sheet are classified as non-current and others are classified as current. These are available for use freely at the discretion of the council of the Institute except to the extent of total of the Earmarked and Employee benefit funds.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.7 Inventories

a) Inventory of publications, study materials, stationery and other stores are valued at lower of cost and net realisable value. Cost of inventory is determined on First In First Out (FIFO) method.

b) A provision of 100% is made on the cost of stock of old study material and Institute's publications older than one year. Further, a provision of 25% is made on the cost of remaining stock of BOS publications.

2.8 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprises of cash in hand and balances in savings and current accounts with banks.

2.9 Revenue recognition

i) Membership Fees :

a) One third of Entrance Fee collected at the time of admission of person as member is recognised as income in the year of admission and the balance is recognised in Infrastructure Reserve.

b) Annual Membership and Certificate of Practice Fee are recognised as income in the year in which they become due.

ii) Distance education fee are recognised over the duration of the respective courses. Fees for other courses is recognised in the period in which the services are rendered.

iii) Examination fee is recognised on the basis of conduct of the respective examinations.

iv) Subscription for the journal is recognised as income in the year in which they become due.

v) Income from sale of publication are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincides with delivery of goods. Income includes consideration received or receivable, net of discounts and other sales related taxes (if any).

vi) Interest income from bank deposits and loans to employees are recognised on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

2.10 Foreign Currency Transaction

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency ie., Indian Rupees using the exchange rates prevailing on the date of transactions. Monetary assets and liabilities in currencies other than the reporting currency remaining unsettled are remeasured at the rates of exchange prevailing at the balance sheet date. Exchange difference arising on the settlement of monetary items, and on the remeasurement of monetary items are included in the statement of income and expenditure.

2.11 Impairment of assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure .

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.12 Employee benefits

i) Short term employee benefits

Short term employee benefits like salary, allowances, exgratia are recognised as expenses in the year in which the related services are rendered.

ii) Defined Contribution Plans

Defined contribution plans are those plans where the Institute pays fixed contributions to Provident fund managed by independent trust. Contributions are paid in return for services rendered by the employees during the year and recognised as expenses in line with salary and allowances. The Institute has no legal or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay/extend benefits to the Employees.

iii) Defined Benefits Plans

The Institute provides gratuity, post retirement pension and compensated absence to its employees. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India. The liabilities towards compensated absence and post retirement pension are not funded. The present value of these defined benefit obligations are ascertained by an independent actuarial valuation as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits. The liability recognised in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligations on the balance sheet date less the fair value of plan assets (for funded plans) together with adjustments for unrecognised past service costs. Past service costs is recognised immediately to the extent that the benefits are vested. All actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in full in the year in which they occur.

2.13 Provisions, Contingent liabilities and Contingent assets

i) Provision

A provision is recognised when the Institute has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii) Contingent Liabilities and assets

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT YEAR ENDED MARCH 31, 2016

3. Reserves and surplus

(Rs. in lakhs)

As at March 31, 2016	**Education**	**Infrastructure**	**General**	**Others***	**Total**
Balance at the beginning of the year	**32,150**	**4,726**	**71,133**	**652**	**1,08,661**
Add : Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	**1,198**	-	**1,198**
	32,150	**4,726**	**72,331**	**652**	**1,09,859**
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	-	**20**	**(59)**	**39**	-
Transfer from / (to) Earmarked Funds	**2,724**	**(1)**	**(272)**	**(56)**	**2,395**
Admission fees and allocated Entrance fees	-	**202**	-	-	**202**
Donation received for buildings	-	**1**	-	-	**1**
(Utilization)/Addition	-	**120**	**(190)**	**106**	**36**
Balance at the end of the year	**34,874**	**5,068**	**71,810**	**741**	**1,12,493**

As at March 31, 2015	Education	Infrastructure	General	Others*	Total
Balance at the beginning of the year	29,739	4,571	67,826	604	1,02,740
Add : Opening balance of reserves of Student Associations		3	96		99
Add : Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	3,652	-	3,652
	29,739	4,574	71,574	604	1,06,491
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	-	8	(96)	88	-
Transfer from / (to) Earmarked Funds	2,411	(60)	(174)	(1)	2,176
Admission fees and allocated Entrance fees	-	165	-	-	165
Donation received for buildings	-	68	-	-	68
(Utilization)/Addition	-	(29)	(171)	(39)	(239)
Balance at the end of the year	32,150	4,726	71,133	652	1,08,661

* Other Reserves are Reserves such as Library Reserves and Class Room Training Reserves.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT YEAR ENDED MARCH 31, 2016

4. Earmarked Funds

(Rs. in lakhs)

As at March 31, 2016	Research Funds	Accounting Research Building Fund	Education Fund	Medals and Prizes Funds	Students Scholarship Funds	Employees Benevolent Fund	Other Funds (Regional Council and Branches)	Total
Balance at the beginning of the year	1,920	667	18,726	184	112	487	3,703	25,799
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	3,410	-	-	41		3,451
Transfer from/(to) Reserves and Surplus	-	-	(2,724)	-	-	-	329	(2,395)
Contribution received/Addition during the year	-	-	-	35	20	-	118	173
Interest Income during the year appropriated through Income & Expenditure Statement	174	60	1,695	17	10	44	259	2,259
Utilised during the year	-	-	-	(14)	(22)	-	(52)	(88)
Balance at the end of the year	2,094	727	21,107	222	120	572	4,357	29,199

As at March 31, 2015	Research Funds	Accounting Research Building Fund	Education Fund	Medals and Prizes Funds	Students Scholarship Funds	Employees Benevolent Fund	Other Funds (Regional Council and Branches)	Total
Balance at the beginning of the year	1,760	610	14,731	176	91	410	3,074	20,852
Add:opening balance of Earmarked Funds of Student Associations							2	2
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	5,027	-	-	39	-	5,066
Transfer from/(to) Reserves and Surplus	-	-	(2,411)	-	-	-	235	(2,176)
Contribution received/Addition during the year	-	-	-	4	17	-	343	364
Income during the year	165	57	1,379	16	9	38	187	1,851
Payments during the year	(5)	-	-	(12)	(5)	-	(138)	(160)
Balance at the end of the year	1,920	667	18,726	184	112	487	3,703	25,799

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(Rs. in lakhs)

5. Other Long-term Liabilities	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
a) Fees received in advance		
i) Fees from students	793	952
ii) Journal subscription	8	9
Total	801	961

6. Provisions	As at March 31, 2016 Long-term	As at March 31, 2015 Long-term	As at March 31, 2016 Short-term	As at March 31, 2015 Short-term
Provisions for employee benefits :				
a) Post employment defined benefits				
i) Gratuity	-	-	66	-
ii) Pension	5,074	2,673	12	11
b) Other Long-term employee benefits	3,217	2,857	250	239
Total	8,291	5,530	328	250

7 Other Current Liabilities	As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
a) Fees received in advance		
i) Examination fees	5,601	4,872
ii) Journal subscription	17	19
iii) Membership fees	1,575	1,296
iv) Education fees	8,267	8,656
v) Post Qualification Courses fees	67	108
vi) Certificate Courses fees	73	18
vii) Seminar fees and Other collections	789	1,171
	16,389	16,140
b) Expenses and other payables	5,371	5,653
c) Other liabilities		
i) Creditors for purchase of fixed assets	80	120
ii) Employees recoveries and employer's contributions	191	111
iii) Statutory dues	328	269
iv) Deposits	612	548
v) Others	1,187	1,027
	2,398	2,075
Total	24,158	23,868

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT YEAR ENDED MARCH 31, 2016

8. Tangible Assets

(Rs. in lakhs)

As at March 31, 2016	Freehold Land	Leasehold Land	Buildings	Lifts & Electrical Installation and Fittings	Computers	Furniture and Fixtures	Air Conditioner & Office Equipment	Vehicles	Library Books	Total
Cost at the beginning of the year	15,690	5,399	26,932	1,757	4,463	3,765	4,236	134	907	63,283
Additions	3,148	284	857	64	416	388	378	1	59	5,595
Deletions	(21)	-	-	(15)	(11)	(81)	(29)	-	-	(157)
Cost at the end of the year	18,817	5,683	27,789	1,806	4,868	4,072	4,585	135	966	68,721
Accumulated depreciation at the	-	499	4,325	873	3,958	1,535	2,219	82	907	14,398

beginning of the year										
Charge for the year	-	84	1,167	105	436	258	328	10	59	2,447
Deletions	-	-	-	(5)	(10)	(35)	(13)	-	-	(63)
Accumulated depreciation at the end of the year	-	583	5,492	973	4,384	1,758	2,534	92	966	16,782
Net book value at beginning of the year	15,690	4,900	22,607	884	505	2,230	2,017	52	-	48,885
Net book value at end of the year	18,817	5,100	22,297	833	484	2,314	2,051	43	-	51,939

As at March 31, 2015	Freehold Land	Leasehold Land	Buildings	Lifts & Electrical Installation and Fittings	Computers	Furniture and Fixtures	Air Conditioner & Office Equipment	Vehicles	Library Books	Total
Cost at the beginning of the year	15,541	4,485	24,517	1,645	4,045	3,459	3,878	105	829	58,504
Additions	149	914	2,415	135	528	356	424	30	78	5,029
Deletions	-	-	-	(23)	(110)	(50)	(66)	(1)	-	(250)
Cost at the end of the year	15,690	5,399	26,932	1,757	4,463	3,765	4,236	134	907	63,283
Accumulated depreciation at the beginning of the year	-	419	3,194	788	3,687	1,327	1,942	72	829	12,258
Charge for the year	-	80	1,131	96	376	236	324	11	78	2,332
Deletions	-	-	-	(11)	(105)	(28)	(47)	(1)	-	(192)
Accumulated depreciation at the end of the year	-	499	4,325	873	3,958	1,535	2,219	82	907	14,398
Net book value at the beginning of the year	15,541	4,066	21,323	857	358	2,132	1,936	33	-	46,246
Net book value at the end of the year	15,690	4,900	22,607	884	505	2,230	2,017	52	-	48,885

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT YEAR ENDED MARCH 31, 2016

9. Intangible Assets

(Rs. in lakhs)

As at March 31, 2016	Software	Total
Cost at the beginning of the year	637	637
Additions	9	9
Deletions	-	-
Cost at the end of the year	646	646
Amortisation at the beginning of the year	607	607
Charge for the year	16	16
Deletions	-	-
Amortisation at the end of the year	623	623
Net book value at the beginning of the year	30	30
Net book value at the end of the year	23	23

As at March 31, 2015	Software	Total
Cost at beginning of the year	595	595
Additions	42	42
Deletions	-	-

Cost at end of the year	637	637
Amortisation at beginning of the year	591	591
Charge for the year	16	16
Amortisation at end of the year	607	607
Net book value at beginning of the year	4	4
Net book value at end of the year	30	30

		As at March 31, 2016 Non-current	As at March 31, 2015 Non-current	As at March 31, 2016 Current	As at March 31, 2015 Current
10.	**Assets held for earmarked fund & others**				
	Fixed deposits with banks	11,816	13,737	80,636	72,657
		11,816	13,737	80,636	72,657
	Assets held comprise:				
	-Earmarked funds	11,816	13,737	17,383	12,062
	-Employee benefits	-	-	8,619	5,780
	-Others			54,634	54,815

(Rs. in lakhs)

			As at March 31, 2016 Non-current	As at March 31, 2015 Non-current	As at March 31, 2016 Current	As at March 31, 2015 Current
11.	**Loans and Advances**					
a)	Security Deposits		282	307	141	234
b)	TDS Receivable		2,172	1,965	-	-
c)	Other loans and advances					
	i)	Retirement benefit assets	-	-	-	19
	ii)	Loans and advances to Employees	746	854	538	454
	iii)	Other receivables	521	598	3,291	3,134
	Total		3,721	3,724	3,970	3,841

		As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
12.	**Other Non-current assets**		
a)	Interest accrued on fixed deposits with Banks	1,636	646
b)	Interest accrued on loans to employees	119	101
	Total	1,755	747
13.	**Inventories**		
a)	Publication and Study Materials	1,112	1,571
b)	Stationery and Stores	131	129
	Total	1,243	1,700
14.	**Cash and Cash equivalents**		
a)	Cash in hand	58	50

	b)	Balances with banks	5,027	5,977
		Total	5,085	6,027
15.	**Other Current Assets**			
	a)	Interest accrued on fixed deposits with Banks	1,870	2,314
	b)	Interest accrued on loans to employees	10	20
		Total	1,880	2,334

			For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
16.	**Fees**			
	a)	Distance Education	19,570	20,106
	b)	Class room training income	8,414	8,116
	c)	Examination	12,680	11,211
	d)	Membership	5,636	5,366
	e)	Students' registration	459	589
	f)	Entrance	71	52
	g)	Students' Association	344	401
	h)	Post Qualification Courses	560	472
	i)	Certificate Courses	1,354	1,489
		Total	49,088	47,802

(Rs. in lakhs)

			For the Year Ended March 31, 2016	For the Year Ended March 31, 2015
17.	**Other Income**			
	a)	Publications	1,634	1,495
	b)	Interest on assets held for others	5,405	6,044
	c)	Interest on assets held for earmarked funds	2,259	1,851
	d)	Interest from loans to employees	70	76
	e)	Students' Newsletter	7	3
	f)	Journal Subscription	185	202
	g)	News Letters - Regional Councils and Branches	63	55
	h)	Campus Interview	567	486
	i)	Expert Advisory Fee	12	30
	j)	Provision no longer required written back	172	310
	k)	Others	1,019	769
		Total	11,393	11,321
18.	**Employee Benefit Expense**			
	a)	Salary, Pension and other allowances	12,690	11,597

b)	Contribution to Provident and other funds	707	748
c)	Staff Welfare Expenses	172	223
	Total	13,569	12,568
19.	**Other Expenses**		
a)	Postage and Telephone	2,861	2,660
b)	Rent, rates and taxes	4,026	3,611
c)	Travelling and Conveyance - Domestic	2,105	1,714
d)	Overseas Related :		
i)	Overseas Travelling	297	251
ii)	Membership fees for Foreign Professional Bodies	326	332
iii)	Others	23	28
e)	Repairs and Maintenance	1,895	1,642
f)	Publications	1,136	1,131
g)	Professional fee paid to Consultants and Examiners	8,171	7,204
h)	Class room training expenses	4,685	4,557
i)	Advertisement and Publicity	413	405
j)	Meeting Expenses	564	292
k)	Merit Scholarship	131	94
l)	Audit Fees :		
i)	Head Office	11	11
ii)	Other Offices	32	28
m)	Payments from Earmarked Funds	88	160
n)	Other Expenses	2,756	2,329
	Total	29,520	26,449

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

20. Additional information to the Financial Statements

20.1 Contingent liabilities and commitments

(Rs in Lakhs)

		As at March 31, 2016	As at March 31, 2015
i)	Claims against the Institute not acknowledged as debts	1,358	1,378
ii)	Capital commitments (net of advances)	4,744	8,084
iii)	Income Tax Demand - Intimation u/s 143 (1) (Refer Note 20.2)	4,142	-

20.2 For the Assessment Year 2014-15, an intimation has been received from the Income Tax Department raising a net demand of Rs 4142 lakhs,wherein the statutory claims made by the Institute have not been allowed. An appeal against the same has been filed before the First Appellate Authority which is pending as on date.The Institute has been advised that it has a good case and the demand is likely to get deleted.

20.3 Other Receivables in Note 11 Long term Loans & Advances include Rs 243.75 Lakh for Stamp duty refund receivable on cancellation of Principal and supplementary Agreements of acquiring property at nagpur which has been rejected by the Joint District Registrar (JDR),Nagpur.The Institute has filed two

Appeals before chief Controlling Revenue Authority, Pune under Section 53 of Maharashtra Stamp Act challenging the orders passed by JDR, Nagpur which are still pending. The Institute has been advised that it has a good legal case to receive the refund of stamp duty.

20.4 Directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.

20.5 Out of the fee received from the students towards Students Association fee, a sum of Rs.250 per student, in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.

20.6 Leasehold land value includes Rs. 6.17 Lakhs paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi for which execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed is in progress.

20.7 The Institute had initiated a process for digitization of entire activities including members, students and other professional activities by undertaking a project referred as 'Project Parivartan'. For this purpose, Institute had appointed a global integrated service provider supervised by a globally reputed project management consultant at a total cost of Rs.3,981 lakhs. A sum of Rs 867 lakhs was incurred up to 31st March 2015.

As the integrated service provider did not carry out the development as per the requirement even after extended periods, Institute raised a dispute and cancelled the contract. Pending final settlement, Institute invoked and encashed the bank guarantee of Rs.295 lakhs in the month of June 2015 and the balance amount of Rs.572 lakhs (867 lakhs - 295 lakhs) was provided for in the financials for the year ended 31/03/2015.

During the year, service provider has sent a notice demanding settlement of the balance dues against hardware supplied and refund of the bank guarantee amount encashed by the Institute. However Institute has taken a stand that in absence of the requisite software, the hardware supplied was of no utility hence balance payment cannot be considered. Further the bank guarantee was encashed to mitigate the losses incurred on account of the cancellation of contract. Institute is now in the process of filing a counter claim.

20.8 Capital Work in Progress includes capital advances.

20.9 A piece of land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, had been acquired by DMRC in January 2013 for which, Faridabad branch had requested for another piece of land, adjacent to the branch in compensation against the acquisition by DMRC. The matter is currently under consideration by HUDA (Harayana).

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

21. Disclosure under Accounting Standards

21.1 Employee Benefits

Defined Contribution Plans

The Institute has recognised an amount of **Rs.432.46 Lakhs** for the year ended 31st March 2016 (Previous year Rs.327.65 Lakhs) towards contribution to Provident Fund.

Defined Benefit plans

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

Gratuity :	Funded
Post retirement Pension :	Non-Funded
Compensated Absence:	Non-Funded

Details of the Gratuity Plan are as follows (Rs. in lakhs)

Description	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year	2,213	2,057	1,957	1,386
b. Current service cost	184	167	147	135
c. Interest cost	169	154	171	108

	d. Actuarial (gain)/loss	(53)	32	(63)	467
	e. Benefits paid	(155)	(197)	(155)	(139)
	f. Obligation as at end of the year	2,358	2,213	2,057	1,957
2.	**Change in fair value of plan assets**				
	a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	2,232	2,103	1,950	1,809
	b. Expected return on plan assets	191	184	174	167
	c. Actuarial gain/(loss)	6	3	10	11
	d. Contributions made by the Institute	78	239	91	105
	e. Benefits paid	(215)	(297)	(122)	(142)
	f. Fair value of plan assets as at end of the year	2,292	2,232	2,103	1,950
3.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**				
	a. Present value of obligation	2,358	2,213	2,057	1,957
	b. Fair value of plan assets	2,292	2,232	2,103	1,950
	c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(66)	19	46	(7)
4.	**Expenses recognised during the year**				
	a. Current service cost	184	167	147	135
	b. Interest cost	169	154	171	108
	c. Expected return on plan assets	(191)	(184)	(174)	(167)
	d. Actuarial (gain)/loss	(59)	29	(73)	456
	e. Expenses recognised during the year	103	166	71	532
5.	**Investment details**	% invested	% invested	% invested	% invested
	a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India	100	100	100	100
		100	100	100	100

Details of the Gratuity Plan (Contd...)

	Description	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
6.	**Assumptions**				
	a. Discount rate (per annum)	7.92%	7.85%	9.10%	8.00%
	b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	8.85%	8.85%	9.00%	9.00%
	c. Rate of escalation in salary	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
	d. Attrition Rate	5%	5%	5%	5%
	e. Mortality table	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate

Details of the Post Retirement Pension Plans **(Rs. in lakhs)**

	Description	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
1.	Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
	a. Obligation as at beginning of the year	2,684	1,406	1,489	1,065
	b. Interest cost	211	110	134	87
	c. Actuarial (gain)/loss	2,210	1,169	(215)	341
	d. Benefits paid	(19)	(1)	(2)	(4)

	e. Obligation as at end of the year	5,086	2,684	1,406	1,489
2.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**				
	a. Present value of obligation	5,086	2,684	1,406	1,489
	b. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(5,086)	(2,684)	(1,406)	(1,489)
3.	**Expenses recognised during the year**				
	a. Interest cost	211	110	134	87
	b. Actuarial (gain)/loss	2,210	1,169	(215)	341
	c. Expenses recognised during the year	2,421	1,279	(81)	428
4.	**Assumptions**				
	a. Discount rate (per annum)	7.90%	7.80%	9.00%	8.00%
	c. Rate of escalation in salary	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
	d. Attrition Rate	5%	5%	5%	5%
	e. Mortality table	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate

21.1 Employee Benefits (Contd..)

Details of the Compensated absences

(Rs. in lakhs)

	Description	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**				
	a. Obligation as at beginning of the year	2,857	2,359	2,239	1,954
	b. Current service cost	280	338	104	104
	c. Interest cost	216	175	199	158
	c. Actuarial (gain)/loss	115	259	(83)	102
	d. Benefits paid	(252)	(274)	(100)	(79)
	e. Obligation as at end of the year	3,216	2,857	2,359	2,239
2.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**				
	a. Present value of obligation	3,216	2,857	2,359	2,239
#	c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(3,216)	(2,857)	(2,359)	(2,239)
3.	**Expenses recognised during the year**				
	a. Current Service Cost	280	338	104	104
	b. Interest cost	216	175	199	158
	c. Actuarial (gain)/loss	115	259	(83)	102
	d. Expenses recognised during the year	611	772	220	364
4.	**Assumptions**				
	a. Discount rate (per annum)	7.92%	7.85%	9.10%	8.00%
	c. Rate of escalation in salary	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
	d. Attrition Rate	5%	5%	5%	5%
	e. Mortality table	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate

This pertains to Long Term Liability worked in respect of deferred leave only. Expected Short Term liability of Rs 250 Lakhs will be added to this figure.

21.2 Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "furtherance of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

21.3 Prior-period items

	For the Year Ended March 31, 2016 (Rs. in lakhs)	For the Year Ended March 31, 2015 (Rs. in lakhs)
Break up of Prior-period items		
i) Income	70	38
ii) Expenses	410	294
	410	294
	340	256

21.4 Previous year's figures have been re-grouped and re-classified where considered necessary to make them comparable with those of the current year.

Sd/	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	**V. Sagar**	**CA. Nilesh Shivji Vikamsey**	**CA. M. Devaraja Reddy**
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP & Co.	**For Hingorani M.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006	FRN: 006772N
Sd/-	Sd/-
CA. Parveen Kumar	**CA. Sanjay Kumar Narang**
Partner	
Partner	
M.No - 088810	M.No - 090943
Place: New Delhi	
Date: September 16,2016	

V. SAGAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./248 (104)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.03 13:48:38 +05'30'